भारत की स्वतंत्रता, भारत की सुरक्षा • भारत-पाकिस्तान संघर्ष के कारण इस साल हमारी सैन्य शक्ति चर्चा में रही। साथ ही इसी वर्ष 'वंदे मातरम' की रचना को 150 साल और सुप्रीम कोर्ट व चुनाव आयोग की स्थापना के 75 साल पूरे हुए हैं। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पढ़िए हमारे सैन्य हथियारों का सफर। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के वो फैसले जिन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाया...

वंदे मातरम्

इस साल वंदे मातरम् की रचना के 150 साल पूरे हो गए हैं। इस गीत को बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय ने रचा था। रवींद्रनाथ टैगोर ने इस गीत की धुन बनाई। पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गीत गाया गया था। 14 अगस्त 1947 की रात्रि में संविधान सभा की पहली बैठक का प्रारंभ 'वंदे मातरम्' के साथ हुआ था। आज पढ़िए आजादी का सशक्त नारा बने इस गीत का मूल रूप और इसका हिन्दी भावार्थ-

मूल गीत

वन्दे मातरम्
सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्
शस्यश्यामलां मातरम्।
वन्दे मातरम्।

शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम्
फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्,
सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीम्,
सुखदां वरदां मातरम्।
वन्दे मातरम्।

मूल गीत आगे इस तरह है

सप्तकोटि कण्ठ कलकल निनाद कराले
द्विसप्तकोटि भुजैर्धृत खरकरवाले।
अबला केनो मां तुमि एतो बले
बहुबल धारिणीं, नमामि तारिणीं
रिपुदलवारिणीं मातरम्।
वन्दे मातरम्।

तुमि विद्या, तुमि धर्म, तुमि हृदि, तुमि मर्म।
त्वम् हि प्राणाः शरीरे, बाहुते तुमि मा शक्ति,
हृदये तुमि मा भक्ति, तोमारै प्रतिमा गड़ि
मन्दिरे-मन्दिरे मातरम्।
वन्दे मातरम्।

त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी
कमला कमलदलविहारिणी।
वाणी विद्यादायिनी
नमामि त्वाम्, नमामि कमलाम्
अमलाम् अतुलाम्, सुजलां सुफलां मातरम्।
वन्दे मातरम्।

श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषिताम्
धरणीं भरणीं मातरम्।
वन्दे मातरम्।

भावा अनुवाद

योगी और दार्शनिक श्रीअरबिंद घोष ने इस गीत का यह भावानुवाद गद्य के रूप में किया था-

हे मां! तेरी धरती जल से भरपूर है, फल-फूल से लदी हुई है, मलय पर्वत की ठंडी सुगंध से शीतल है, खेतों में लहलहाती फसल से आच्छादित है। तेरी रातें चांदनी से नहाकर पुलकित हो उठती हैं और वृक्ष खिले फूलों व पत्तों से सजे रहते हैं। तू मुस्कान बिखेरने वाली, मधुर वाणी बोलने वाली, सुख देने वाली है। तेरे करोड़ों पुत्रों के गले से उठी आवाज गगन में गूंजती है और करोड़ों भुजाओं में तलवारें और अस्त्र-शस्त्र चमकते हैं। कौन कहता है कि तू निर्बल है, मां? तू अपार शक्ति है, संकट से पार लगाने वाली है और शत्रुओं का नाश करने वाली है। तू ही ज्ञान है, धर्म है, हृदय में है और तू ही जीवन का सार है। तू प्राण है, भुजाओं की शक्ति है और हृदय की भक्ति है। हम तुझे ही पूजते हैं, हे मां! तू ही दसों अस्त्र-शस्त्र धारण करने वाली मां दुर्गा है, कमल के आसन पर विराजमान मां लक्ष्मी है। तू मां सरस्वती है, हे निर्मल मां! मैं तुझे प्रणाम करता हूं।

ब्रिटिश दौर की पुरानी राइफल से आज की ब्रह्मोस मिसाइल तक... हथियारों की कहानी

लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन

यह भारत–पाक संघर्ष का साल रहा है, भारत ने युद्ध में अपनी शक्ति दिखाई है। कभी शांति के लिए चरखे से आजादी की लड़ाई शुरू करने वाला भारत आज हाइपरसोनिक मिसाइल तक पहुंच गया है। आइए जानते हैं भारत के साहस और संकल्प की यात्रा... कैसे भारत ने अपनी सेना को उपनिवेशी विरासत से एक आधुनिक युद्धक शक्ति में बदला लिया है।

आजादी के पहले आजाद हिंद फौज में महिलाओं की रानी झांसी रेजिमेंट बनाई थी

इन महिलाओं ने छह महीने का कड़ा सैन्य प्रशिक्षण लिया, जिसमें उन्होंने मशीनगन, पिस्तौल, राइफल और हैंड ग्रेनेड चलाने में महारत हासिल की। साथ ही उन्हें गुरिल्ला युद्ध की विशेष ट्रेनिंग भी दी गई। इनके पास ली-एनफील्ड 303 राइफलें थीं।

1947... ब्रिटिश दौर के सीमित साधनों से शुरुआत, 1948 में जेट युग में प्रवेश किया

1947 में आजादी के समय हमारी सेना ब्रिटिश दौर के बचे-खुचे हथियारों पर निर्भर थी। थल सेना ज्यादातर .303 ली एनफील्ड बोल्ट-एक्शन राइफलों, विकर्स मीडियम मशीन गन और 3.7 इंच होवित्जर तोपों पर निर्भर थी। रॉकेट हमला करने की ताकत के रूप में हमारे पास उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के जमाने के 3.5 इंच रॉकेट लॉन्चर थे। 1948 में भारत ने पहली बार जेट तकनीक के युग में प्रवेश किया। भारतीय वायुसेना उस समय अपने शुरुआती दौर में थी। वह हॉकर टेम्पेस्ट, स्पिटफायर और डकोटा जैसे विमानों से काम कर रही थी, जिनका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के लिए होता था। 1948 में द हैविलैंड वैम्पायर विमान के आने के साथ भारत पहली बार जेट तकनीक के युग में दाखिल हुआ।

1962... थल सेना को मिली सेल्फ-लोडिंग से लेकर एके-203 राइफल तक

1962 में सेना को छोटे हथियारों में 7.62 मिमी सेल्फ-लोडिंग राइफल (SLR) मिली। यह भारत की पहली स्वदेशी राइफल थी। 1990 के दशक में 5.56 मिमी इन्सास राइफल लाई गई, लेकिन यह युद्ध में भरोसेमंद साबित नहीं हुई। अब इसकी जगह एके-203 राइफल ले रही है, जो आधुनिक कलाश्निकोव सीरीज की है और रूस के साथ भारत में 'शेर' ब्रांड नाम से बन रही है। पुरानी 3.5 इंच रॉकेट लॉन्चर को स्वीडन की 84 मिमी कार्ल गुस्ताफ से बदला गया। 1947 में ली एनफील्ड No.4 Mk1 (T) से लेकर अब सेना के पास बेरेटा .338 लैपुआ मैग्नम स्कॉर्पियो टीजीटी जैसी स्नाइपर राइफल है, जो 1,800 मीटर तक सटीक निशाना साध सकती है और नियंत्रण रेखा पर उपयोग हो रही है।

1970... बख्तरबंद शक्ति में टी-72 टैंक शामिल, स्वदेशी अर्जुन टैंक भी शक्ति बने

भारत की शुरुआती बख्तरबंद क्षमता द्वितीय विश्व युद्ध में बचे हुए शेर्मन और चर्चिल टैंकों से आई थी। असली बदलाव टी-55 टैंकों के आने से हुआ। 1970 के दशक के अंत में टी-72 टैंक शामिल किए गए। सबसे बड़ा बदलाव टी-90 'भीष्म' टैंक से आया। इसमें 125 मिमी की स्मूथबोर तोप और आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम लगे हैं। 1950 के दशक में भारत की मशीनी इन्फैंट्री ट्रकों (लॉरी) में चलती थी। बाद में इसमें आर्मर्ड पर्सनल कैरियर जोड़े गए। आज बीएमपी-2 'सरथ' इस इकाई की रीढ़ है। इसमें 30 मिमी की तोप और मिसाइल लॉन्चर लगे होते हैं। भारत ने अपने स्वदेशी टैंक भी बनाए हैं। अर्जुन MBT Mk-1A अब एक परिपक्व और आधुनिक टैंक बन चुका है।

1980... भारत को बोफोर्स मिली, पिनाक 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है

भारत के तोपखाने में 1980 के दशक में बोफोर्स एफएच-77बी 155 मिमी होवित्जर के शामिल होने के बाद मानो एक नई क्रांति का शंखनाद हुआ। कारगिल के बाद के वर्षों में तोपों की गरज और फायरपावर का सुनियोजित पुनरुद्धार हुआ। धनुष और ATAGS (एडवांस्ड टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम), दोनों 155 मिमी सिस्टम भारत में विकसित किए गए हैं और अब गर्व के साथ शामिल किए जा रहे हैं। आज भारत का तोपखाना 120 मिमी मोर्टार से लेकर पिनाका जैसे वज्रनाद करने वाले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम तक फैला हुआ है, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। ये सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट 40-75 किमी की दूरी तक बरसा सकता है, मानो दुश्मन पर आकाश से अग्निवर्षा हो रही हो।

1983... मिसाइल युग की शुरुआत, देश अब थल, जल, वायु तीनों में परमाणु सक्षम

मिसाइल युग की शुरुआत 1983 में पृथ्वी शॉर्ट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से हुई। इसके बाद अग्नि श्रृंखला आई, जिसमें अब अग्नि-V शामिल है। इसकी रेंज 5,000 किमी से अधिक है। ब्रह्मोस, रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आकाश (सतह से हवा), नाग (एंटी-टैंक) और शौर्य (परमाणु-सक्षम हाइपरसोनिक) जैसी मिसाइलें रणनीतिक ताकत बढ़ाती हैं। स्वदेशी सागरिका/के-15 पनडुब्बी-लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल ने भारत को थल, जल, वायु तीनों में परमाणु सक्षम बना दिया। भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल (HSTDV) विकसित कर रहा है, जो Mach 6 (ध्वनि की गति से छह गुना) से अधिक तेज है।

2002... वायु शक्ति में सुखोई शामिल, राफेल से मिली परमाणु हमले की क्षमता

1958 में भारत के पास गनैट विमान थे। ये 1965 के युद्ध में अपनी सफलता के लिए मशहूर हुए। इसके बाद 1963 में भारत का पहला सुपरसोनिक जेट मिग-21 वायुसेना में शामिल किया गया। 1980 के दशक में मिग-29 और मिराज 2000 जैसे चौथी पीढ़ी के विमान शामिल किए गए। इन्हें हवाई वर्चस्व और हमला करने की भूमिका के लिए इस्तेमाल किया गया। 2002 से वायुसेना में शामिल हुआ सुखोई Su-30MKI, जो अब IAF का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लड़ाकू विमान है। इसके 270 से अधिक विमान भारत के पास हैं। सबसे नया विमान है राफेल, जो 4.5 पीढ़ी का मल्टीरोल फाइटर जेट है। यह परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। तेजस Mk-1A, भारत में बना आधुनिक लड़ाकू विमान है।

ड्रोन और डिजिटल युद्धक्षेत्र में नए प्रयोग

भारत इजराइली हेरोन और सर्चर ड्रोन का उपयोग करता है। स्वदेशी रुस्तम और तपस उन्नत परीक्षणों में हैं। कॉम्बैट ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन (जो लक्ष्य पर हमला कर वहीं नष्ट हो जाएं) का भी परीक्षण हो रहा है। आर्मेनिया-अजरबैजान और यूक्रेन में देखे गए AI-सक्षम कामिकेज ड्रोन के झुंड ने पारंपरिक बख्तरबंद वाहनों को चुनौती दी है। इससे भारत अपने टैंक युद्ध सिद्धांत का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है। 78 वर्षों में भारत मामूली से एक आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति बना है।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

सुप्रीम कोर्ट के 75 साल... अहम निर्णय जिन्होंने आजादी के अधिकार और संविधान की रक्षा की

विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के वकील

28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्षों में दिए गए कई फैसलों ने लोकतंत्र को मजबूती दी। इन 8 बड़े निर्णयों ने संविधान के बुनियादी ढांचे, मौलिक अधिकारों, संघीय ढांचे, महिलाओं की सुरक्षा और समानता को नई दिशा देकर आजादी को वास्तविक ताकत प्रदान की।

1. केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार (1973)

संसद, सरकार, न्यायपालिका की शक्तियां तय की

13 जजों की पीठ के फैसले के बाद संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों के कार्यक्षेत्र का निर्धारण हुआ और संविधान का बेसिक ढांचा सिद्धांत बना। अनुच्छेद-368 के तहत संविधान संशोधन की सीमाएं तय हुईं।

2. एसआर बोम्मई बनाम भारत सरकार (1994)

केंद्र और राज्यपालों की मनमानी पर रोक लगी

इससे 3 बातें हुईं। पहली- बहुमत का निर्धारण राजभवन के बजाय विधानसभा में होना चाहिए। दूसरी- गलत तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाने पर कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। तीसरी- विधायक खरीद-फरोख्त में कमी आई।

3. मेनका गांधी बनाम भारत सरकार (1978)

मौलिक अधिकारों को एकीकृत और सर्वोच्च बताया

आपातकाल के बाद 7 जजों की पीठ ने जीवन के अधिकार को सर्वोच्च मान्यता दी। अनुच्छेद-14 के तहत समानता, अनुच्छेद-19 के तहत स्वतंत्रता, अनुच्छेद-21 के तहत जीवन के अधिकार को स्वर्णिम त्रिभुज मानते हुए मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च बताया गया।

4. ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2013)

पुलिस की शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक

गैर-जमानती व संज्ञेय अपराधों में सीआरपीसी की धारा-154 में एफआईआर जरूरी है। पुलिस अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्राथमिक जांच जरूरी है। नए फैसले से दहेज उत्पीड़न में बेवजह गिरफ्तारी रोकने को 2 महीने का कूलिंग पीरियड रखा गया है।

5. पीयूसीएल बनाम भारत सरकार (1997)

निजता के अधिकार को संवैधानिक मान्यता दी

टेलीफोन टेपिंग के दुरुपयोग और सरकारी जासूसी को रोकने के लिए नियम और प्रक्रिया बनाने की शुरुआत हुई। 2017 में 9 जजों की पीठ ने पुत्तास्वामी मामले में निजता के अधिकार को संवैधानिक मान्यता दी। उसके अनुसार संसद ने डेटा सुरक्षा कानून पारित किया।

6. विसाखा बनाम राजस्थान (1997)

महिला उत्पीड़न रोकने के लिए गाइडलाइन बनाई

इस फैसले के अनुसार कार्यक्षेत्र में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए गाइडलाइन बनाई गई थीं। उसके बाद साल-2013 में संसद से कानून बना, जो देश में सभी निजी, सार्वजनिक और सरकारी कार्यक्षेत्रों में लागू है।

7. सरला मुदगल बनाम भारत सरकार (1995)

समान नागरिक संहिता को लागू करने का फैसला

आपराधिक कानून सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। लेकिन सिविल कानून अलग-अलग धर्मों के अनुसार बनाए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद-44 के अनुसार समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए इस फैसले में कहा गया था।

8. शायरा बानो बनाम भारत सरकार (2017)

तलाक-ए-बिद्दत को असंवैधानिक बताया गया

तीन तलाक को असंवैधानिक बताया गया। उस पर प्रतिबंध के लिए संसद ने साल 2019 में कानून बनाया था। उसके पहले साल-1985 में शाहबानो मामले के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था।

चुनाव आयोग के इन 5 कामों ने चुनावी राजनीति में वोटरों की आजादी को बढ़ाया

इस वर्ष चुनाव आयोग की स्थापना के 75 साल पूरे हुए हैं। आयोग ने इन 75 वर्षों में कई ऐसे फैसले लिए व लागू किए, जिनसे नागरिकों के मताधिकार की स्वतंत्रता बरकरार रखी जा सके।

• 1982, पहली बार ईवीएम से वोट; मतगणना आसान हुई

1982 में चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत मतदान के लिए ईवीएम के उपयोग के दिशानिर्देश जारी किए। 19 मई 1982 को ईवीएम का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहली बार चुनावों में प्रयोग किया गया। इसके बाद 1988 में संसद ने कानून में संशोधन किया और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में नई धारा 61A जोड़ी, जिससे चुनाव आयोग को ईवीएम के उपयोग की विधिक शक्ति दी गई। यह संशोधन 15 मार्च 1989 से प्रभाव में आया।

• 1988, वोट देने की उम्र 18 हुई; युवाओं की भागीदारी बढ़ी

1989 के आम चुनावों में आयोग ने पहली बार वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की थी। 1988 में संसद में पारित 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसका मकसद था कि युवाओं को राजनीतिक प्रक्रिया से राष्ट्र निर्माण का हिस्सा बनाया जा सके। इस बदलाव से करोड़ों नए मतदाता जुड़े और युवाओं की भागीदारी से लोकतंत्र में नई ऊर्जा का संचार हुआ।

• 1998, राजनीतिक दलों को मिला आकाशवाणी-दूरदर्शन

16 जनवरी 1998 को आयोग ने दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर विचार और नीतियां प्रचारित करने के लिए निःशुल्क समय देने के लिए योजना अधिसूचित की थी। इसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39A के अंतर्गत कानूनी आधार प्राप्त है, जिसमें चुनावों के दौरान सभी मान्यता प्राप्त दलों को समान प्रचार का अवसर देने की बात कही गई है। अब आयोग ने इसमें संशोधन करते हुए डिजिटल टाइम वाउचर प्रणाली शुरू की है।

• 2013, वोट की पुष्टि के लिए ईवीएम के साथ जुड़ा वीवीपैट

2013 में नगालैंड में हुए एक उपचुनाव में चुनावों में वीवीपैट यानी वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम का इस्तेमाल शुरू किया। ताकि ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत पर वीवीवैट पर्चियों से वोट की गिनती की जा सके। सुब्रमण्यम स्वामी और निर्वाचन आयोग के एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने और मतदाताओं का विश्वास बनाए रखने के लिए ईवीएम में वीवीपैट सिस्टम की व्यवस्था आवश्यक है।

• 2017, जाति-धर्म के नाम पर वोट मांगना हुआ असंवैधानिक

2017 में अभिराम सिंह बनाम सीडी कोम्माचन मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि उम्मीदवार या उसकी सहमति से कोई व्यक्ति चुनावों के दौरान धर्म, जाति, समुदाय, नस्ल, भाषा के नाम पर स्वयं, एजेंट या मतदाताओं से मतदान की अपील नहीं कर सकता। भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को देखते हुए, राजनीतिक लाभ के लिए धर्म, जाति आदि का उपयोग करना असंवैधानिक है क्योंकि इससे समाज में विभाजनकारी प्रवृत्तियां जन्मती हैं।

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

नए खतरों के खिलाफ लें आजादी का नया संकल्प

हर साल 15 अगस्त को देश के कोने-कोने में तिरंगा लहराता है, स्कूलों से लेकर लाल किले तक आजादी का जश्न मनाया जाता है। गीत, भाषण और झंडारोहण- ये सब मिलकर हमें याद दिलाते हैं कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक हैं और हजारों लोगों ने अपना सबकुछ न्योछावर कर यह आजादी हासिल की है। लेकिन, आजादी को सिर्फ एक दिन का समारोह नहीं समझा जाना चाहिए। यह दिन आजादी को बचाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारियों के अहसास का भी दिन है और यह संकल्प लेने का भी कि दिनचर्या में ऐसा कोई काम न करें जिससे फिर से किसी तरह की गुलामी के शिकंजे में फंस जाएं।

प्रगति अक्सर नए-नए खतरों को जन्म देती है, यदि समय रहते उपयुक्त कदम न उठाए गए तो गुलामी के नए दौर में प्रवेश करने में देर नहीं लगेगी। ठीक वैसे ही जैसे औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन-फ्रांस जैसे देशों को न केवल तकनीकी और आर्थिक रूप से सक्षम बनाया बल्कि भारत जैसे संसाधन संपन्न देशों को गुलाम बनाने के लिए ताकत भी प्रदान की। आज हम सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) के युग में हैं और इस युग का सबसे बड़ा खतरा है- 'डिजिटल गुलामी'। इसमें कोई शक नहीं कि आइटी हमारी अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन और सामाजिक जीवन का अहम आधार बन चुकी है। औद्योगिक क्रांति ने 19वीं सदी के हमारे समाज को बदल दिया था, उसी तरह आइटी क्रांति ने 21वीं सदी के भारत को गति और वैश्विक पहचान दी है। किसान अब मंडियों के भाव मोबाइल पर देख सकता है। छात्र घर बैठे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक से ऑनलाइन पढ़ सकता है। मरीज दूरस्थ विशेषज्ञ से वीडियो कॉल पर इलाज ले सकता है। 'डिजिटल इंडिया' जैसी पहलों ने नागरिक सेवाओं को घर-घर पहुंचाया है। इस दृष्टि से सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता का एक नया आयाम है- जहां नागरिकों की जरूरतें तुरंत और सीधे पूरी होती हैं।

हर रोशनी के साथ एक छाया भी होती है। तकनीक ने जितना हमें जोड़ा है, उतना ही हमें अपने घेरे में भी बांध लिया है। सोशल मीडिया की अति, गेमिंग की लत, फेक न्यूज का प्रसार और डेटा गोपनीयता का संकट- ये सब डिजिटल गुलामी के रूप हैं। फर्क यह है कि इस गुलामी में हमें कोई मजबूर नहीं करता, हम खुद ही स्क्रीन के मोह में बंधते चले जाते हैं। हम एल्गोरिद्म के हिसाब से विचार बनाने लगे हैं और लाइक्स, फॉलोअर्स के पीछे भागने लगे हैं। यह सब हमें अनजाने में एक 'कंट्रोल्ड माइंडसेट' की ओर ले जा रहे हैं। एआइ का दौर इन खतरों को नया आयाम देने वाला साबित हो सकता है। आजादी का अर्थ सिर्फ राजनीतिक या भौगोलिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि मानसिक- बौद्धिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी है। इस स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प यही होना चाहिए- हम तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, तकनीक हमारा इस्तेमाल नहीं करेगी।

आज हम आजादी के 78 गौरवशाली वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के बलिदान, संघर्ष और अडिग संकल्प का अमिट प्रतीक है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को सामने रखते हुए हम नए विजन, नई ऊर्जा और नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज का भारत वैश्विक मंच पर हर क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है लेकिन यह यात्रा तभी पूर्ण होगी, जब हम सभी एकता, समावेशिता व स्वावलंबन की मशाल लेकर चलेंगे। हर नागरिक का सशक्त होना और राष्ट्रप्रेम का जज्बा ही वह शक्ति है, जो हमें ऐसे भारत की ओर ले जाएगी, जो न सिर्फ दुनिया में अग्रणी होगा, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए गर्व का आधार बनेगा।

राष्ट्रहित: मन, वचन और आचरण में देशहित ही सर्वोपरि होना चाहिए

पारस्परिक सौहार्द और समावेशी दृष्टि को अपनाने की जरूरत

गिरीश्वर मिश्र
पूर्व कुलपति, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
@patrika.com

देश और काल के आयामों में स्थित कोई भी समाज अन्य समकालीन समाजों के बीच एक गतिशील इकाई होता है। इसलिए पारस्परिक संघात से प्रत्येक समाज में बदलाव आने स्वाभाविक हैं परंतु ये बदलाव कई स्तरों पर होते हैं और एक से नहीं होते। प्रत्येक समाज की एक मौलिक अस्मिता या पहचान भी होती है, जो लोक की स्मृति में कमोबेश अक्षत-सी बनी रहती है। इस तरह से विचार करें तो इस देश में हजारों वर्षों से भारतवर्ष की एक गौरवशाली सभ्यता के कल-कल निनाद का सतत प्रवाह सरलता से लक्षित किया जा सकता है। पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य के जरिए वैदिक काल के पहले से ही इस प्रवाह के जीवंत होने की पुष्टि होती है। तब भी यह नहीं कह सकते कि यह अनवरत सभ्यता-यात्रा सदैव निष्कंटक थी। समय-समय पर इसमें अनेक विघ्न-बाधाएं भी आती रहीं। खासतौर पर पिछले एक हजार वर्षों में विदेशी आक्रांताओं और विशेष रूप से अंग्रेजी राज के उपनिवेशी दौर में लगभग दो सदियों तक देश को भयंकर मानसिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दमन और शोषण की पीड़ा से गुजरना पड़ा। साथ ही देश को अनेक तरह के षड्यंत्रों का भी शिकार होना पड़ा, जिनके दूरगामी प्रभाव अभी तक बने हुए हैं।

ऐसे परिदृश्य में स्वतंत्रता के लिए छिड़ा जन-संग्राम गांव-शहर हर क्षेत्र में सभी के लिए अपनी छोटी अस्मिताओं को छोड़ देश के प्रति एकल समर्पण का आह्वान बन गया था। उल्लेखनीय है कि यद्यपि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस संग्राम का मूल स्वर तो अहिंसक ही बना रहा परंतु उन महान क्रांतिकारियों की भूमिका भी कम नहीं आंकी जा सकती, जिन्होंने गुलाम देश को आजाद करने के लिए बेहिचक अपने प्राणों तक का बलिदान कर दिया था। देश के स्वतंत्रता आंदोलन का आशय समाज में बड़ा परिवर्तन लाना था। उस दौर में स्वराज, स्वदेशी और स्वावलंबन के विचार गूंज रहे थे। चरखा, खादी, ग्राम स्वराज, भूदान और भारतीय शिक्षा संस्थाओं को लेकर बड़ा उत्साह था। ये सभी भारतीय समाज के सभ्यतामूलक सरोकार बन गए थे। वे यह बताते थे कि देश की स्वाधीनता सिर्फ राज-सत्ता बदलने तक ही नहीं सिमटी रहती है। उसमें देश के सामाजिक, आर्थिक और मानसिक उत्थान का स्रोत भी उपस्थित है। भारत की अपनी मौलिक दृष्टि मानव केंद्रित न होकर एक ऐसी सृष्टि केंद्रित विचारधारा को आगे ले जाती है, जिसमें परस्पर निर्भरता, पूरकता और सहयोग के भाव प्रमुख होते हैं। इसके अनुरूप स्वाधीनता की प्राप्ति को एक महान अवसर के रूप में देखा गया, जो भविष्य में एक समर्थ देश के स्वप्न को संभव कर सकेगी।

जन-आकांक्षाओं के पुंज के रूप से बड़े विचार विमर्श के साथ भारत का संविधान तैयार हुआ और देश ने अपने को समानता, समता और सौहार्द के सर्वोदयी अभियान को आधिकारिक रूप से अपनाने के लिए तैयार किया। स्वतंत्रता मिलने के बाद अब आठवें दशक में पहुंचते हुए भारत ने इस बीच अनेक परीक्षाएं दी हैं और कई आंतरिक उतार-चढ़ाव झेले हैं। कई पड़ोसियों के साथ अनचाहे युद्ध की चुनौतियां भी देश ने स्वीकार की हैं और बहुत हद तक सफल रहे हैं। अतीत के साथ हुए अनेक सांस्कृतिक परिवर्तनों के बीच आज भारत विकास की ओर उन्मुख विश्व के एक उन्नत देश के रूप में उभर रहा है। हमें सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषिक, राजनीतिक और धार्मिक कई तरह की बहुलताओं के बीच तालमेल बिठाने की मुहिम में काफी हद तक सफलता मिली है। पांचवी आर्थिक शक्ति के रूप में वैश्विक स्तर पर भारत का उदय गौरव का विषय है। देश की आधार रचना व्यापक रूप से समृद्ध हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय बदलाव आ रहा है। तब भी भ्रष्टाचार और दायित्व बोध की कमी जैसे मूल्यों के क्षरण की समस्याएं भी उपस्थित हुई हैं।

स्वतंत्रता दिवस का पावन अवसर हर भारतीय को आत्मान्वेषण के लिए प्रेरित करता हुआ राष्ट्र के लिए अर्चन की याद दिलाता है। देशभक्ति का जज्बा सिर्फ इतिहास की बात नहीं होनी चाहिए। हम सबके मन, वचन और आचरण में आज भी राष्ट्रहित ही प्रथम होना चाहिए। राष्ट्र गौरव और राष्ट्र की अस्मिता को प्राथमिकता देते हुए सशक्तीकरण और स्वावलंबन की तरफ कदम बढ़ाने के लिए एकता और सामूहिक प्रेरणा आज जरूरी हो गई है। इसके लिए पारस्परिक सौहार्द और एक समावेशी दृष्टि को अपनाने की जरूरत है। जिजीविषा बनाए रखने और परिस्थितियों के साथ अनुकूलन होने पर ही देश के टिकाऊ विकास का लक्ष्य मिल सकेगा। भारत की जनसंख्या में युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व विश्व में सर्वाधिक है और यह एक बड़ा अवसर है जिसका योजनाबद्ध रूप से समुचित उपयोग जरूरी है।

लोकतंत्र: आज का भारत विरासत का गर्व और भविष्य का संकल्प है

उपलब्धियों के बीच अभी हमारे लिए चुनौतियां भी कम नहीं

राज कुमार सिंह
वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक
@patrika.com

कभी सोने की चिड़िया माने गए जिस भारत को सपेरों और बैलगाड़ियों का देश बताते हुए स्वतंत्रता-पश्चात भविष्य पर संदेह जताया गया था, आज उसकी बुलंद तस्वीर दुनिया के लिए भी सबक है। बेशक दर्जनों रियासतों में बिखरे और सैकड़ों साल गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे भारत के लिए 1947 में आजादी के बाद का सफर आसान नहीं रहा। इसलिए वह भारतीयों के जीवट का प्रमाण है।

विभाजन की विभीषिका के साथ मिली आजादी में विकास संबंधी तमाम चुनौतियां तो निहित थीं ही, भारत से मिली आर्थिक मदद से आकार लेने वाले पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ से अपने नापाक मंसूबों का संकेत भी दे दिया था। 1962 में चीन और फिर 1965 में पाकिस्तान से युद्ध ने नव स्वतंत्र भारत की चुनौतियां और बढ़ा दीं लेकिन देश ने एक के बाद एक आपदाओं में ही अवसर तलाशने का जीवट दिखाया। एक समय था, जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को देशवासियों से सप्ताह में एक दिन उपवास की अपील करनी पड़ी, ताकि सरहद पर लड़ रहे सैनिकों को दोनों वक्त भोजन मिल सके। अमरीका अपने नागरिकों के न खाने योग्य गेहूं ही भारत भेजता था, लेकिन हरित क्रांति ने हमें खाद्यान्न का निर्यातक बना दिया। हां, उस संकल्प को अपनी अथक मेहनत से साकार करने वाले अन्नदाता किसानों की दशा न सुधरना असहज सवाल खड़े करता है। नीति-नियंताओं को समझना होगा कि जब तक किसान बदहाल है, भारत सही मायनों में खुशहाल नहीं बन सकता। कटु सत्य यही है कि आजादी के समय भारत की तस्वीर गरीब, अशिक्षित और बदहाल देश की थी, जिसमें जाति, संप्रदाय, भाषा और संस्कृति की विभाजक रेखाएं उभारना मुश्किल नहीं था। फिर भी मजबूत अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति के साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान में भी ऊंची छलांग उसी भारत की बुलंद तस्वीर पेश कर रही है। 1971 में अमरीका की ओर से पाकिस्तान की मदद के लिए अपना जंगी जहाज भेजने की धमकी के बावजूद भारत ने न सिर्फ पृथक बांग्लादेश बनवाया, बल्कि 1974 में परमाणु परीक्षण कर अपने पराक्रम का परिचय भी दे दिया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य देशों के अलावा परमाणु क्षमता का परिचय देने वाला भारत पहला देश बना। भारत आज दुनिया के कई देशों को रक्षा उपकरण निर्यात भी करता है। निर्गुट आंदोलन का अगुवा तो भारत रहा ही, उसके कमजोर पड़ जाने के बाद भी विश्व राजनय में उसकी धाक बढ़ती गई है। शायद इसलिए भी भारत, दुनिया के दबंग देशों की आंखों में खटकता है और वे उस पर दबाव बनाने के मौके तलाशते हैं। हमने हिंदी-चीनी, भाई-भाई का नारा दिया लेकिन बदले में हमें विश्वासघात ही मिला। 1991 के बाद अमरीका से बेहतर संबंधों की कवायद में रूस के बढ़ती दूरियों की कूटनीतिक समझ का वास्तविक आकलन तो आने वाला समय ही करेगा, लेकिन डॉनल्ड ट्रंप का दूसरा शासनकाल भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय ही नहीं, आंतरिक चुनौतियां भी बढ़ाता दिख रहा है।

1991 के आसपास आर्थिक उदारीकरण के नाम पर वैश्विक बाजार की वकालत करते हुए डब्ल्यूटीओ आदि संस्थाओं के जरिए तमाम देशों पर अर्थव्यवस्था के खिड़की-दरवाजे खोलने के लिए दबाव बनाने वाला अमरीका ही अब घरेलू उद्योगों के संरक्षण के नाम पर उस पूरी प्रक्रिया को उलटने पर आमादा है। टैरिफ युद्ध से अमरीका फिर से महान बनेगा या नहीं- समय ही बताएगा, लेकिन ट्रंप की आर्थिक नीति और कूटनीति, विश्व व्यवस्था में उथल-पुथल का कारण बनती दिख रही है। यह स्थिति कठिन परीक्षा की घड़ी भी है। बेशक रास्ता लंबा है, पर स्थायी हल आत्मनिर्भरता में ही है।

महज 78 साल की आजादी में भारत हर क्षेत्र में उपलब्धियों के इतने मुकाम हासिल कर पाया है तो उसका सबसे बड़ा शक्तिस्रोत हमारा सशक्त और जीवंत लोकतंत्र है। शेष विश्व पर नजर डालें तो अपने लोकतंत्र पर गर्व होना स्वाभाविक है, लेकिन हाल के सालों में चुनाव आयोग की साख पर बढ़ते सवाल गंभीर चिंताओं को जन्म देते हैं। बढ़ती सामाजिक-आर्थिक विषमता भी हमसे कुछ असहज सवाल पूछती है। हम विश्व की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। फिर 80 करोड़ से भी अधिक लोगों को हर महीने पांच किलो मुफ्त राशन क्यों देना पड़ रहा है? 2047 तक 'विकसित भारत' का लक्ष्य हासिल करने के लिए भी इस विभाजनकारी तथा देशहित पर दलीय हितों को प्राथमिकता देने वाली राजनीति से मुक्ति अनिवार्य शर्त है। बेशक मतभेद और असहमति लोकतंत्र के अनिवार्य तत्व हैं, लेकिन मनभेद और टकराव हमेशा उसे कमजोर ही करते हैं।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

बेहतर पर्यावरण: शासन नहीं, नागरिक जिम्मेदारी से संभव

डॉ विवेक एस. अग्रवाल
पर्यावरण विषयों के जानकार
@patrika.com

ब्रिटिश हुकूमत से चाहे राष्ट्र की जनता ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली हो, लेकिन उनके बोए गए गुलामी के बीज प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के साथ स्वावलंबन को भी जर्जर कर गए। इन सबका सबसे बड़ा परिणाम पर्यावरण को भुगतना पड़ा। यह पराधीनता की शुरुआत थी जब आमजन में यह बीजारोपण किया गया कि सफाई करना गंदगी फैलाने वाले का नहीं अपितु शासन का दायित्व है।

सुविधाएं किसे पसंद नहीं होती, शनैः शनैः स्वच्छता का कार्य छिटककर स्थानीय निकायों की झोली में गिर पड़ा और वहां आपदा में अवसर ढूंढते हुए कर एवं अप्रत्यक्ष कमाई का साधन बन गया। हाल यह हो गया है कि गुलामी की बेड़ियों के निशान अब भी नागरिकों को स्वयं के इर्द-गिर्द सफाई से रोकते रहते हैं। वे बस सरकारी या अधिकृत साधनों का इंतजार करते हुए शासन को इच्छानुकूल सेवा प्रदान नहीं करने के लिए कोसते हुए अपना दायित्व पूरा कर लेते हैं। जब सफाई खुद को नहीं करनी पड़ी तो यह मसला भी नहीं रहता कि कितना कचरा पैदा किया जाए? यही कारण है कि जहां आजादी के समय कचरा उत्पादन लगभग 100 से 150 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होता था वह बढ़कर लगभग 700 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गया है।

आलम यह है कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग साढ़े छह करोड़ टन कचरा पैदा होता है और उसे इकट्ठा करने से लेकर निष्पादित करने तक की समस्त जिम्मेदारी सरकार की रहती है। कहीं पर भी ये सवाल नहीं उठाया जाता कि कचरे की मात्रा में वृद्धि क्यों हो रही है और यदि इसमें अनपेक्षित रूप से बढ़ोतरी हो रही है तो कचरा उत्पादनकर्ता को दोषी बनाया जाए। लेकिन व्यवस्था और मानसिक पराधीनता के चलते कचरा पैदा करते वक्त इंसान इसके दूरगामी प्रभाव को नहीं सोचता। विषय मात्र कचरे तक ही सीमित नहीं है बल्कि पर्यावरण के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण पेड़ों के घनत्व को लेकर भी है जहां आजादी के समय भारत घने जंगलों का देश हुआ करता था वहां अब प्रति व्यक्ति मात्र 28 पेड़ ही है, जो कि वैश्विक घनत्व 422 वृक्ष प्रति व्यक्ति की तुलना में नगण्य हैं।

घटते वृक्ष घनत्व का ही प्रभाव है कि तापमान में निरंतर वृद्धि होते हुए बीता वर्ष अभी तक का सबसे गर्म वर्ष रहा। आमजन की ओर से दायित्वबोध न होने के कारण ही सरकार को अभियान चलाकर प्रेरित करना पड़ता है। अर्थात् वृक्ष घनत्व बढ़ाने के लिए भी पराधीनता है। आजादी के समय तो भारत में अन्न का उत्पाद तत्कालीन 33 करोड़ आबादी के लिए भी पर्याप्त नहीं था, किंतु वर्तमान में 145 करोड़ आबादी के बावजूद छह गुना उत्पादन के साथ हम खाद्यान्न में न सिर्फ आत्मनिर्भर हो गए, बल्कि प्रति व्यक्ति औसतन 55 किग्रा व्यर्थ भी करने लगे। यह बर्बादी मात्र खाद्यान्न की नहीं होकर पर्यावरण की हो रही है क्योंकि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक खाद्यान्न जनित कार्बन उत्सर्जन या ग्रीन हाउस गैस हैं।

दुर्भाग्यवश, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के अवशेष स्वरूप राजनीतिक स्वतंत्रता के बावजूद पर्यावरण जैसे मूलभूत विषयों में हमारी पराधीनता शासन व्यवस्था पर बरकार है। सरकार पर दोषारोपण मात्र से बेहतर पर्यावरण संभव नहीं है। हर व्यक्ति को बेहतर पर्यावरण के लिए अपने जीवन को उसके सम्मत बनाते हुए दायित्व वहन करना होगा अन्यथा स्वतंत्रता मात्र भौतिक रह जाएगी।

जहां आजादी के समय कचरा उत्पादन लगभग 100 से 150 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होता था वह बढ़कर लगभग 700 ग्राम हो गया है। आलम यह है कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग साढ़े छह करोड़ टन कचरा पैदा होता है और उसे इकट्ठा करने से लेकर निष्पादित करने तक की समस्त जिम्मेदारी सरकार की रहती है, लेकिन व्यवस्था और मानसिक पराधीनता के चलते कचरा पैदा करते वक्त इंसान इसके दूरगामी प्रभाव को नहीं सोचता।

राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है कि वह तकनीकी साधनों के माध्यम से नागरिकों की रक्षा करे और समय रहते उसका प्रतिकार करे। परंतु जब यह सुरक्षा तंत्र निगरानी के अतिरेक में बदलने लगता है, तब वही स्वतंत्रता, जिसकी रक्षा के लिए यह खड़ा हुआ था, खतरे में पड़ने लगती है। निजता, लोकतंत्र की आत्मा है। यह वह आंतरिक क्षेत्र है, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, इच्छाओं और निर्णयों के साथ स्वतंत्र रूप से जीता है।

हमारी निजता: लोकतंत्र की आत्मा और स्वतंत्रता की नींव

नृपेन्द्र अभिषेक नृप
स्वतंत्र लेखक एवं शोधार्थी
@patrika.com

स्वतंत्रता दिवस केवल एक ऐतिहासिक स्मृति नहीं, बल्कि यह हमारी सभ्यता के उस जीवंत संकल्प का प्रतीक है, जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों के अधिकार, गरिमा और आत्मनिर्णय के अधिकार की रक्षा का वचन निहित है। किंतु जैसे-जैसे समय की धारा हमें नए मोड़ों पर ले जाती है, स्वतंत्रता का अर्थ भी नए संदर्भों में परिभाषित होने लगता है। यदि बीसवीं शताब्दी के स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य राजनीतिक और औपनिवेशिक बंधनों से मुक्ति था तो इक्कीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह प्रश्न कहीं अधिक जटिल है- हम किस प्रकार तकनीक की विस्मयकारी प्रगति, राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यता और व्यक्तिगत निजता की रक्षा के बीच संतुलन साधेंगे? यही प्रश्न 'भविष्य की स्वतंत्रता' की धुरी है, जिस पर कल का भारत घूमेगा।

तकनीक ने हमारे जीवन के हर कोने को बदल दिया है सूचना का आदान-प्रदान हो, आर्थिक लेन-देन, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर सामाजिक संपर्क सब कुछ डिजिटल माध्यमों पर आश्रित हो चुका है। यह क्रांति जितनी सुविधाएं लेकर आई है, उतनी ही अदृश्य चुनौतियां भी। एक तरफ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा, बायोमेट्रिक पहचान और इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने हमारे जीवन को तीव्र, सटीक और कुशल बना दिया है, तो दूसरी ओर इसने व्यक्ति की निजता के घेरे को सिकोड़ दिया है। डिजिटल युग में हर क्लिक, हर संदेश, हर स्थान-चिह्न और हर खरीद-बिक्री का डेटा किसी न किसी डेटाबेस में संचित हो रहा है। यह संचित आंकड़ा, यदि जिम्मेदारी और पारदर्शिता से नहीं संभाला गया, तो स्वतंत्रता की बुनियाद को भीतर से खोखला कर सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो तकनीक का महत्त्व निर्विवाद है। आज के दौर में सुरक्षा का अर्थ केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि साइबर सुरक्षा, डिजिटल अवसंरचना की अखंडता और दुष्प्रचार के विरुद्ध सामाजिक स्थिरता को भी समाहित करता है। आतंकी संगठन, साइबर अपराधी और दुष्ट तत्व अब आभासी दुनिया में भी सक्रिय हैं, जो बिना किसी सीमा-पार अवरोध के डिजिटल हमले कर सकते हैं।

ऐसे में राष्ट्र के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह तकनीकी साधनों के माध्यम से नागरिकों की रक्षा करे, खतरे का पूर्वानुमान लगाए और समय रहते उसका प्रतिकार करे। परंतु जब यह सुरक्षा तंत्र निगरानी के अतिरेक में बदलने लगता है, तब वही स्वतंत्रता, जिसकी रक्षा के लिए यह खड़ा हुआ था, खतरे में पड़ने लगती है। निजता, लोकतंत्र की आत्मा है। यह वह आंतरिक क्षेत्र है, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, इच्छाओं और निर्णयों के साथ स्वतंत्र रूप से जीता है। यदि इस निजी संसार में लगातार हस्तक्षेप हो तो व्यक्ति के आत्मविश्वास और आत्मनिर्णय की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भविष्य की स्वतंत्रता केवल सत्ता-परिवर्तन या आर्थिक प्रगति की गाथा नहीं होगी, बल्कि यह उस सूक्ष्म, अदृश्य और अमूल्य अधिकार की रक्षा का संघर्ष होगी, जो व्यक्ति के अंतःकरण में बसता है। तकनीक, सुरक्षा और निजता के इस त्रिकोण में सही संतुलन स्थापित करना ही वह अग्निपरीक्षा है, जिसे हमें एक राष्ट्र के रूप में देना होगा। यही संतुलन हमें वह स्वतंत्रता देगा, जो समय के हर तूफान में अडिग खड़ी रहेगी और यही होगी हमारी आने वाली पीढ़ियों को दी जाने वाली सबसे बड़ी विरासत।

जन्माष्टमी विशेष पांच हजार साल पहले कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक

कृष्ण सर्वज्ञ हैं, उनसे सीखें जीवन प्रबंधन का विज्ञान व सफलता के शाश्वत सूत्र

अमितासना दास
अध्यक्ष, गुप्त वृंदावन धाम, हरे कृष्णा मूवमेंट, जयपुर
@patrika.com

सही प्रबंधन जीवन का अभिन्न अंग है, फिर चाहे वह समय का हो, काम का हो या फिर घर-गृहस्थी की जिम्मेदारियों का हो, अगर जीवन में उच्च परिणाम चाहिए तो उच्च प्रबंधन जरूरी है। आइए, जन्माष्टमी के पावन पर्व पर विश्व के महानायक और सर्वोच्च प्रबंधक, भगवान श्रीकृष्ण द्वारा बताए गए प्रबंधन के गुर जानते हैं, जिससे आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयां छुएंगे। भगवान श्रीकृष्ण ने सफल और सार्थक जीवन जीने के लिए मैनेजमेंट गुरु की भूमिका निभाई और सभी के सामने उच्च आदर्श पेश किए। उन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से पूरी मानव जाति का पथ प्रदर्शन किया। आज से पांच हजार साल पहले भगवद्गीता के माध्यम से कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल पर जो ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया, वह आज भी उतना ही सटीक और उत्तम है जितना कि उस समय था।

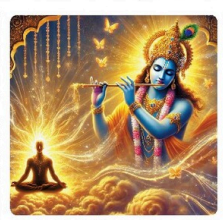

भगवान श्रीकृष्ण द्वारा भगवद्गीता में दी गई शिक्षाएं हमें जीवन जीने की सही कला को सिखाती हैं, तभी तो आज विश्व के बड़े-बड़े शिक्षण संस्थानों और मैनेजमेंट स्कूलों में गीता के व्याख्यान आयोजित होते हैं। युद्ध के क्षेत्र में जब अर्जुन असमंजस में था तब कृष्ण ने उसे अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में बताया कि क्षत्रिय होने के नाते उसका कर्म युद्ध करना है, पीछे हटना नहीं। जीवन के लक्ष्यों पर अगर हम केन्द्रित होकर कार्य करें तो फिर सफलता निश्चित है। युद्ध करने से पहले अर्जुन भय और शंकाओं से घिरा हुआ था। कृष्ण ने उसे उन पर विजय पाने के उपाय बताए। अर्जुन ही नहीं, उन्होंने पूरी पांडव सेना में आत्मविश्वास का संचार किया, जिससे वे अपनी क्षमताओं और योग्यताओं पर विश्वास कर सकें। प्रबंधन में आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। आज बड़े-बड़े शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों में आत्मविश्वास को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है क्योंकि मनुष्य अगर स्वयं से हार गया तो अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं रख सकता। भगवान श्रीकृष्ण का व्यक्तित्व, नेतृत्व एवं प्रबंधन की सारी विशेषताओं को समेटे हुए है। कृष्ण सर्व आकर्षक हैं। प्रबंधन के क्षेत्र में उनका राजनीतिक कौशल, बुद्धिमत्ता, चातुर्य, युद्धनीति, आकर्षण, प्रेमभाव, गुरुत्व, सुख-दुःख सहने की क्षमता- ये सारी विशेषताएं अनुकरणीय हैं।

कृष्ण सर्वज्ञ हैं। उन्होंने अर्जुन को संचार का माध्यम बनाकर पूरे विश्व को भगवद्गीता के माध्यम से जीवन के सबसे बड़े शत्रु काम और क्रोध को वश में करने का पाठ पढ़ाया। अपने क्रोध को वश में रखना प्रबंधन में अहम भूमिका निभाता है। यह विवेक का नाश करता है, जिससे सही समय पर सही निर्णय लेने में कठिनाई होती है। भगवान श्रीकृष्ण के प्रबंधन मंत्र के अनुसार एक लीडर को हमेशा अपनी गरिमा और पद के अनुसार ही आचरण करना चाहिए क्योंकि वह लोगों के लिए आदर्श होता है। आवेग, भावुकता और क्रोध में आकर जीवन में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। यह मनुष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। कृष्ण महान राजनीतिज्ञ और कुशल योद्धा थे, जिस तरह कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने सटीक रणनीति अपनाकर पांडव सेना का प्रबंधन किया वह अतुलनीय है। अपने जीवन में अगर हम उनके बताए प्रबंधन मंत्रों को शामिल करें तो फिर सफलता निश्चित है।

भगवान श्रीकृष्ण का अगला प्रबंधन मंत्र है- फल की इच्छा न करना। कर्म तो हम सब करते हैं लेकिन साथ ही हमें परिणाम की बड़ी आकांक्षा रहती है। जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होता इसलिए हमें धैर्य के साथ अपने कर्म पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। फल की चिंता हमें कमजोर बनाती है और यही प्रबंधन का आदि सूत्र है।

कृष्ण सर्वकालिक प्रबंधन गुरु हैं और उनकी नीति की सबसे खास बात यह है कि उनका विवेक और उनकी भावना एक दूसरे के पूरक हैं। अगर पूरे महाभारत युद्ध की बात की जाए तो कृष्ण कभी असमंजस की स्थिति में नहीं आए और यह तभी संभव हुआ क्योंकि वह प्रबंधन में निपुण थे। जब कृष्ण शांतिदूत बनकर दुर्योधन के पास गए तो उनका बहुत अपमान हुआ तब भी कृष्ण शांत रहे। इससे यह स्पष्ट होता है अगर हम अपने आवेग पर नियंत्रण रख सकते हैं और हमारा दिमाग स्थिर और मन शांत है तो हम जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। श्रीकृष्ण, अर्जुन से कहते हैं कि काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और जिसने इन पर विजय पा ली है फिर उसकी विजय निश्चित है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 154

उपलब्धियां कई मगर चुनौतियां भी

देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर खुशियां मनाने के लिए उपलब्धियों की कमी नहीं है। भारत ने जो मुकाम हासिल किया है वह कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि मतभेदों और विविधताओं के बावजूद भारत दशकों से एकजुट रहा है और उत्तरोत्तर मजबूत हुआ है। उदाहरण के लिए इस साल मई में 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत में राष्ट्रीय एकता की भावना उफान पर थी। भारत ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमलों के जवाब में 'ऑपरेशन सिंदूर' को अंजाम दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा राष्ट्र न केवल एक साथ शोक में डूब गया बल्कि जब जवाब देने की बारी आई तो सरकार और सशस्त्र सेना के साथ मजबूती से खड़ा रहा। 'ऑपरेशन सिंदूर' में पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे नष्ट कर दिए गए और फिर पाकिस्तानी सेना के उकसावे का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचाया। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से निपटने के मामले में एक नई रेखा खींच दी।

आर्थिक लिहाज से भी भारत वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। पिछले कुछ दशकों के दौरान देश की अर्थव्यवस्था ने तेज गति से प्रगति की है जिससे देश में गरीबी काफी कम हुई है। एक राष्ट्र के रूप में भारत के पास जश्न मनाने के लिए कई उपलब्धियां मौजूद हैं मगर यह अपनी कमियों पर ध्यान देने एवं भविष्य की चुनौतियों से निपटने की रणनीति तैयार करने का भी अवसर है। सरकार ने भारत को स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक स्वागत योग्य लक्ष्य है मगर इस पर भी चर्चा आवश्यक है कि क्या भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था यह सपना साकार करने के लिए सही दिशा में बढ़ रही है। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि भारत को त्वरित गति से आगे बढ़ने की जरूरत है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां पिछले कुछ दशकों की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई हैं।

अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी से अधिक शुल्क लगा दिए हैं जिनमें रूस से तेल खरीदने पर लगाया गया अतिरिक्त 25 फीसदी शुल्क भी शामिल है। यह स्थिति इसलिए गंभीर है क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। हालांकि, यह उम्मीद जरूर की जा रही है कि आने वाले सप्ताहों में स्थिति सुधरेगी किंतु इतने ऊंचे शुल्क के कारण निर्यात, देश में विकास और रोजगार सृजन पर गंभीर असर होगा। अमेरिका के साथ भारत के संबंध लगातार प्रगाढ़ हो रहे थे किंतु अचानक हालात बदल गए। इसे देखते हुए यह समझना होगा कि आखिर क्या दिक्कतें आईं और भारत अपना वजूद दोबारा कैसे हासिल कर सकता है। यह समय इस विषय पर भी चर्चा करने के लिए माकूल है कि भारत को कैसी अर्थव्यवस्था तैयार करनी चाहिए ताकि युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ विकास लक्ष्य भी सहजता से हासिल हो जाए।

आने वाले वर्षों और दशकों में भारत जो कुछ भी हासिल करेगा वह काफी हद भारत की राजनीति और शासन व्यवस्था की दिशा एवं दशा पर निर्भर करेगा। मजबूत संस्थानों पर आधारित एक मुक्त, नियम-आधारित व्यवस्था भारत के हित में बेहतर रहेगी। हालांकि, भारत की कार्य व्यवस्था में कुछ संस्थानों ने अपेक्षित प्रदर्शन नहीं किया है। उदाहरण के लिए संसद या राज्य विधान सभाओं में महत्त्वपूर्ण विधेयक बिना अधिक चर्चा एवं बहस के पारित हो जाते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की कार्य प्रणाली पर विपक्ष प्रश्न खड़ा कर रहा है। इसके पहले ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। निर्वाचन आयोग का गैर-पक्षपातपूर्ण व्यवहार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की आधारशिला है जिस पर शेष सब कुछ निर्भर करता है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मतदाताओं दोनों के मन-मस्तिष्क में संदेह और भ्रम की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। आयोग को इसे दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। एक और संस्थान जिसे मजबूत करने की आवश्यकता वह है न्यायपालिका। न्यायालयों में मामलों पर सुनवाई में देरी से प्रायः शासन-व्यवस्था और आर्थिक विषयों से जुड़े निर्णयों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इस तरह, भारत को फिलहाल बाहरी आर्थिक चुनौतियों से निपटना है मगर दीर्घ अवधि में इसकी प्रगति एवं विकास यात्रा उसके संस्थानों की ताकत पर निर्भर करेगी।

आयात शुल्क राजस्व में राज्यों की बढ़ती हिस्सेदारी

भारत के आयात शुल्कों की संरचना में बदलाव से राज्यों को राजस्व का एक बड़ा हिस्सा जा रहा है। बता रहे हैं एके भट्टाचार्य

इन दिनों सभी शुल्कों की बात कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत को 'ट्रैफिक किंग' की संज्ञा दी है जिससे उनका आशय है कि यह काफी ऊंचे शुल्क लगा रहा है। ट्रंप ने भारत से आने वाली ज्यादातर वस्तुओं पर 50 फीसदी से अधिक शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है। शुल्कों की इस आंधी के बीच भारतीय निर्यातक सहमे नजर आ रहे हैं।

हालांकि, इस आलेख का उद्देश्य इस बहस में पड़ना नहीं है कि क्या भारत वाकई अधिक शुल्क लगा रहा है। न इस आलेख का यहां इस बात से सरोकार है कि भारतीय निर्यात पर ऊंचे शुल्कों के परिणाम कितने गंभीर होंगे। इसके बजाय, यहां सरकारी खजाने में कर राजस्व के रूप में आने वाली रकम पर ऊंचे शुल्कों के प्रभाव के आकलन का प्रयास किया जा रहा है। ट्रंप ने जिन कारणों से शुल्क बढ़ाए हैं उनमें अपनी सरकार के राजस्व में इजाफा करना भी एक है। इसे देखते हुए यह समझना भी आवश्यक हो गया है कि भारत के कर राजस्व में शुल्कों की क्या भूमिका रहा है?

पिछले एक दशक या इससे कुछ अधिक वर्षों की अवधि सभी प्रकार के आयात शुल्कों से सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व के अध्ययन के लिए एक मजबूत आधार देती है। इसका कारण यह है कि इस अवधि के दौरान आयातित वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर लगाने के तरीके में महत्त्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। 30 जून 2017 तक केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न आयात शुल्कों से जुटाए कुल कर राजस्व के लिए सीमा शुल्क व्यापक तस्वीर पेश करता था। किंतु, जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने के बाद ऐसी बात नहीं रह गई। आयात पर लगने वाले कई शुल्क जैसे प्रतिकारी शुल्क (काउंटरवेलिंग ड्यूटी) जीएसटी ढांचे में समाहित हो गए। जीएसटी में केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) जैसे तीन घटक हैं।

आईजीएसटी के दो हिस्से हैं। यह कर योग्य वस्तुओं एवं सेवाओं के सभी अंतर-राज्यीय लेनदेन और आयात पर लगाया जाता है। ऐसे ज्यादातर अंतर-राज्यीय लेनदेन और आयात पर आईजीएसटी दर लगभग 18 फीसदी है। आईजीएसटी से हासिल राजस्व केंद्र और राज्य दोनों साझा करते हैं और यह प्रक्रिया वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम गंतव्य स्थान पर निर्भर करती है। लिहाजा, जीएसटी प्रणाली की शुरुआत के बाद आयात शुल्कों से भारत के कर राजस्व की पूरी तस्वीर तभी उपलब्ध हो पाएगी जब आप आयात पर सीमा शुल्क और आईजीएसटी दोनों के संग्रह पर विचार करते हैं।

जीएसटी की शुरुआत से पहले आखिरी पूर्ण वित्त वर्ष 2016-17 में केंद्र सरकार को सीमा शुल्क संग्रह से लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। यह रकम भारत के नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 1.5 फीसदी के समतुल्य और उस वर्ष कुल वस्तु आयात की 8.7 फीसदी थी। लगभग 8 वर्षों बाद पिछले वित्त वर्ष सीमा शुल्क संग्रह 2.33 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर लगभग अपरिवर्तित रहा या जीडीपी का 0.7 फीसदी रह गया। इस गिरावट के साथ-साथ सीमा शुल्क संग्रह का हिस्सा वर्ष 2024-25 में भारत में हुए वस्तुओं के आयात का केवल 3.8 फीसदी हिस्सा रहा।

उल्लेखनीय है कि जीएसटी व्यवस्था प्रभावी होने के बाद सीमा शुल्क संग्रह भारत के आयात शुल्कों का एकमात्र संकेतक नहीं रह गया है। भारत के कर राजस्व को मजबूती देने में आयात पर आईजीएसटी की भूमिका अब काफी महत्त्वपूर्ण हो गई है। आयात पर सकल आईजीएसटी संग्रह 2018-19 (जीएसटी की शुरुआत के बाद पहला पूर्ण वित्त वर्ष) में 3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 5.33 लाख करोड़ रुपये हो गया। दिलचस्प बात है कि कोविड महामारी का आयात शुल्कों से प्राप्त राजस्व संग्रह पर कोई बड़ा असर नहीं हुआ (न ही सीमा शुल्क और न ही आयात पर लगने वाले आईजीएसटी पर) जबकि 2020-21 में अन्य शुल्कों से संग्रह पर तगड़ी चोट पड़ी थी।

सीमा शुल्क और आयात पर आईजीएसटी से संयुक्त संग्रह वित्त वर्ष 2018-19 के 4.18 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर कर 2024-25 में 7.66 लाख करोड़ रुपये हो गया। इस पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मगर इस अवधि में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में और वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात के लिहाज से आयात पर सीमा शुल्क और आईजीएसटी का संयुक्त संग्रह मामूली ही बढ़ पाया। यह जीडीपी के 2.21 फीसदी से बढ़कर 2.32 फीसदी हो गया और कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात का 9.34 फीसदी से बढ़कर 9.91 फीसदी हो गया।

मगर आयात शुल्कों से हासिल राजस्व के स्वरूप में बदलाव साफ नजर आ रहा था। जीएसटी प्रणाली की शुरुआत के बाद पिछले 8 वर्षों में कुल आयात शुल्क संग्रह में सीमा शुल्क की हिस्सेदारी काफी कम हो गई। आयात पर आईजीएसटी बढ़ने से आयात शुल्क में वृद्धि दर बरकरार रही। आयात पर आईजीएसटी 2018-19 में दर्ज 3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 5.53 लाख करोड़ रुपये हो गया। बेशक कुल संग्रह का करीब 20 फीसदी हिस्सा निर्यात रिफंड के रूप में निकलने से आयात पर शुद्ध आईजीएसटी थोड़ा कम रहा। मगर आयात पर आईजीएसटी में तेज वृद्धि से जुड़े बड़े पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वास्तव में जुलाई 2017 में जीएसटी की शुरुआत के बाद आयात पर आईजीएसटी का हिस्सा कुल सालाना जीएसटी संग्रह में लगातार एक चौथाई रहा है।

मगर जहां तक केंद्र की बात है तो कुल आयात शुल्क के संग्रह की संरचना में बदलाव के बीच वित्त आयोग द्वारा राजस्व बंटवारे के संबंध में दिए गए सुझावों के परिप्रेक्ष्य में उसके शुद्ध कर राजस्व पर असर हुआ है। इस अवधि के दौरान केंद्र को सीमा शुल्क संग्रह का लगभग 41-42 फीसदी हिस्सा राज्यों के साथ साझा करना पड़ा है। मगर आयात पर आईजीएसटी संग्रह राज्यों के साथ काफी ऊंची दरों पर साझा करना होगा। आयात पर आईजीएसटी संग्रह का लगभग आधा हिस्सा राज्यों के साथ साझा किया जाता है। शेष हिस्सा केंद्र के पास आता है मगर वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 41-42 फीसदी राजस्व बंटवारे के प्रावधानों के अनुसार यह रकम भी राज्यों के साथ साझा करनी होती है।

इन आंकड़ों से एक बात साफ हो जाती है कि कुल आयात शुल्क संग्रह में आईजीएसीटी का हिस्सा सीमा शुल्क की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। मगर जिस रूप में ये शुल्क राजस्व साझा किए जा रहे हैं उसके कारण आयात पर आईजीएसटी की बढ़ती हिस्सेदारी में राज्य तुलनात्मक रूप से एक बड़ा हिस्सा हासिल कर रहे हैं। भारत को वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात करने वाले निर्यातक ऊंचे शुल्कों की शिकायत करते रहे हैं और केंद्र इसका दोष अपने सिर ले सकता है। मगर ऐसे शुल्कों से राज्यों को अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। इसे राज्यों की तरफ केंद्र का दोस्ताना एवं उदार दृष्टिकोण कहा जा सकता है। परंतु, केंद्र दीर्घ अवधि तक इस स्थिति में खुश नहीं रह सकता क्योंकि वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात पर कुल शुल्क राजस्व संग्रह का एक मोटा हिस्सा राज्यों के पास जा रहा है।

14वें और 15वें वित्त आयोग ने जब से केंद्रीय करों में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा बढ़ाकर क्रमशः 42 फीसदी और 41 फीसदी कर दिया है तब से पिछले लगभग एक दशक या इससे कुछ अधिक अवधि में केंद्र की उपकरों और अधिभारों पर निर्भरता बढ़ गई है। उपकर और अधिभार से प्राप्त राजस्व विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं है। इससे करों का बड़ा स्थानांतरण रुक गया है। क्या केंद्र आयात राजस्व में भी राज्यों की हिस्सेदारी सीमित रखने के लिए कुछ इसी तरह के उपाय करेगा?

माइक्रोफाइनैंस उद्योग की नई चुनौतियां

बैंकिंग साख
तमाल बंद्योपाध्याय

भारत में सूक्ष्म वित्त उद्योग (माइक्रोफाइनैंस) कुछ समय पहले तक फंसे कर्ज की बढ़ती तादाद की समस्या से जूझ रहा था। अभी इस समस्या पर काबू पाया ही गया था कि एक और बड़ी चुनौती सामने आ गई है। कुछ छोटे माइक्रोफाइनैंस ऋणदाताओं को बैंकों से लिए गए कर्ज चुकाने में परेशानी हो रही है। संभव है कि इनमें से कुछ ने भुगतान चूक भी कर दिया हो। चूंकि यह उद्योग पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रहा है इसलिए कुछ बैंकों ने उन्हें नया कर्ज देना बंद कर दिया है।

जब पूंजी की कमी होती है तब माइक्रोफाइनैंस के क्षेत्र में काम करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एमएफआई) के लिए अपने ऋण का दायरा बढ़ाने में मुश्किल होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें नया ऋण लेने के लिए सबसे पहले अपने पुराने कर्ज चुकाने होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें नया ऋण नहीं मिल सकता है। इस वजह से वसूली पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में नए कर्ज के लिए ये कंपनियां अपने मौजूदा ग्राहकों से मिलने वाले भुगतान पर निर्भर होती हैं। जब ग्राहक भुगतान नहीं कर पाते तब इन कंपनियों के पास पैसे की कमी हो जाती है और वे चूककर्ता बन जाती हैं।

माइक्रोफाइनैंस क्षेत्र में काम करने वाली एनबीएफसी-एमएफआई कंपनियां अपने कुल कर्ज में से 40 फीसदी तक गैर-सूक्ष्म ऋण दे सकती हैं जबकि सामान्य एनबीएफसी 25 फीसदी तक ऋण, छोटे ग्राहकों को दे सकते हैं। इन दोनों तरह की कंपनियों के लिए पैसे का मुख्य स्रोत बैंक ही होते हैं।

उद्योग के अनुमान बताते हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 में, एनबीएफसी-एमएफआई को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ग्राहकों को आगे कर्ज देने के लिए लगभग 57,000 करोड़ रुपये मिले। यह वित्त वर्ष 2024 की तुलना में करीब 38 फीसदी कम है। बड़े एमएफआई को अपने कर्ज का 82 फीसदी बैंकों से मिला जबकि मझोले और छोटे एमएफआई को क्रमशः 54 फीसदी और 28 फीसदी पूंजी बैंकों से मिली।

वित्त वर्ष 2024 की तुलना में यह लगभग 38 फीसदी कम था। बड़े एमएफआई को 82 फीसदी कर्ज बैंकों से मिला जबकि मध्यम और छोटे एमएफआई को बैंकों से क्रमशः 54 फीसदी और 28 फीसदी पूंजी मिली।

दिसंबर 2024 तक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास 9,291 अलग-अलग तरह के एनबीएफसी पंजीकृत थे। इनमें से 95 एमएफआई-एनबीएफसी हैं जिनमें 26 को मध्य-स्तरीय मध्यस्थ और 69 को निम्न-स्तरीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक मध्य-स्तरीय इकाई की संपत्ति का आकार कम से कम 1,000 करोड़ रुपये होता है।

पिछले एक साल में, एमएफआई का ऋण पोर्टफोलियो घट गया है जिसमें बैंकों सहित सभी तरह के वित्तीय मध्यस्थों द्वारा दिए गए छोटे ऋण शामिल हैं। आमतौर पर, छोटे ऋण के पीछे कोई गारंटी नहीं होती। जहां एक तरफ यूनिवर्सल या पूर्ण बैंक और लघु वित्त बैंक अब सुरक्षित ऋण पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एमएफआई-एनबीएफसी अपने ऋण देना कम कर रहे हैं।

क्रेडिट ब्यूरो सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज लिमिटेड के आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च 2024 में, कुल सूक्ष्म ऋण पोर्टफोलियो 4,42,700 करोड़ रुपये था। इसके बाद से यह हर तिमाही में कम हो रहा है। मार्च 2025 में, यह 3,81,225 करोड़ रुपये और जून 2025 तक, यह और कम होकर 3,59,169 करोड़ रुपये हो गया।

एनबीएफसी-एमएफआई का हिस्सा सबसे अधिक 1,39,308 करोड़ रुपये है जिसके बाद यूनिवर्सल बैंक (1,17,810 करोड़ रुपये), लघु वित्त बैंक (56,199 करोड़ रुपये), एनबीएफसी (43,451 करोड़ रुपये) और अन्य (2,401 करोड़ रुपये) की हिस्सेदारी है। अच्छी बात यह है कि बकाया कर्ज में कमी आ रही है।

उदाहरण के लिए, जोखिम में पड़ा कर्ज (पोर्टफोलियो ऐट रिस्क, पीएआर) सितंबर 2024 में 2.1 फीसदी के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। जून 2025 में यह घटकर 1.6 फीसदी हो गया है। पीएआर 1-30 एक ऐसा संकेतक है जो उन कर्जों का प्रतिशत मापता है जिनका 1 से 30 दिनों तक भुगतान नहीं किया गया है और जिनके फंसे कर्ज बनने का जोखिम है।

एवेंन्डस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड की जुलाई की एक रिपोर्ट बताती है कि माइक्रोफाइनैंस उद्योग के प्रमुख खिलाड़ी अधिक मजबूत और बड़े स्तर पर कारोबार चलाने के लिए अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव कर रहे हैं।

तीन से अधिक उधारदाताओं के साथ पोर्टफोलियो एक्सपोजर मार्च 2024 में 20 फीसदी था, जो मार्च 2025 तक घटकर 12 फीसदी हो गया है। इसी अवधि के दौरान, जिन उधारकर्ताओं ने कम से कम 2 लाख रुपये का कर्ज लिया था उनकी संख्या 8 फीसदी से घटकर 3 फीसदी हो गई है। कर्ज देने वाले कर्ज की वसूली में कुशलता दिखा रहे हैं और खराब कर्ज को बट्टे खाते में डालकर अपने बैलेंसशीट को साफ-सुथरा बना रहे हैं। इसके अलावा परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है।

जून 2024 में, 8.65 करोड़ सक्रिय ग्राहकों में से लगभग 25 लाख ग्राहकों ने पांच से ज्यादा कर्ज लिए थे। एक साल बाद, जून 2025 में, 7.98 करोड़ सक्रिय ग्राहकों में यह संख्या घटकर 10 लाख रह गई है। इसी तरह, पिछले साल लगभग 32 लाख ग्राहकों ने चार कर्ज लिए थे और अब यह संख्या घटकर 21 लाख हो गई है।

उद्योग के दो स्व-नियामक संगठन इस बदलती हुई स्थिति पर लगातार कड़ी नजर रख रहे हैं। उन्होंने कुछ सुरक्षा उपाय लागू किए हैं जैसे कि प्रति ग्राहक कर्ज की सीमा 2 लाख रुपये तय करना, प्रति ग्राहक कर्ज की संख्या तीन तक सीमित करना और बकाया कर्ज वाले ग्राहकों को नया कर्ज देने से रोकना।

वित्त वर्ष 2017 और 2024 के बीच, माइक्रोफाइनैंस ऋण 1.07 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 4.34 लाख करोड़ रुपये हो गया जिसकी वार्षिक चक्रवृद्धि दर (सीएजीआर) लगभग 22.1 फीसदी रही (सभी आंकड़े पूर्णांकित हैं)। इसी अवधि में, यूनिक बॉरोवर्स की संख्या में केवल 6.9 फीसदी की वृद्धि हुई जबकि प्रति उधारकर्ता दिए गए ऋण का सीएजीआर 14.3 फीसदी बढ़ गया। हालांकि अब यह बीती हुई बात है।

कोविड लॉकडाउन से पहले, नोटबंदी और जीएसटी लागू होने से बाजार में काफी सुधार हुआ था। इसके तुरंत बाद, अप्रैल 2022 से आरबीआई के नए माइक्रोफाइनैंस नियम लागू हुए। अब कर्ज की दरों पर कोई सीमा नहीं है। कर्ज देने वाले ब्याज दरें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें बोर्ड द्वारा स्वीकृत एक पारदर्शी नीति का पालन करना होगा।

बैंकिंग क्षेत्र को दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए गैर-बैंकिंग संस्थाओं के साथ अपनी साझेदारी जारी रखनी चाहिए क्योंकि एमएफआई-एनबीएफसी तकनीक और व्यक्तिगत संपर्क के जरिये अंतिम छोर तक कर्ज पहुंचा सकते हैं।

सूक्ष्म ऋण देना एक कारोबार है कोई समाज सेवा नहीं। लेकिन, एमएफआई-एनबीएफसी को यह याद रखने की जरूरत है कि वे वित्तीय समावेशन के माध्यम हैं, न कि वित्तीय शोषण के जो हाल ही में आए संकट की असली वजह है। एमएफआई को अपने काम करने के तरीके को बदलना होगा और बैंकों को यह चाहिए कि वे नकदी के लिए रास्ते खोलें। यह दोनों के लिए फायदेमंद होगा।

(लेखक जन स्मॉल फाइनैंस बैंक के वरिष्ठ सलाहकार हैं)

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

आपका पक्ष

आजादी के मायने

भारत ने 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाई। यह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि आत्मनिर्णय, स्वाभिमान और सामाजिक पुनर्निर्माण का आरंभ था। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के बलिदान ने यह दिन संभव बनाया। लेकिन 78 वर्षों बाद प्रश्न उठता है क्या हम उस स्वतंत्रता के मूल उद्देश्य को साकार कर पाए हैं। आज भारत दुनिया में तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास रिपोर्ट 2024 में हम 134वें स्थान पर हैं। आर्थिक वृद्धि के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता में असमानताएं स्पष्ट हैं। यह दर्शाता है कि विकास केवल जीडीपी की रफ्तार से नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता से आंका जाना चाहिए। इतिहास बताता है कि स्वतंत्रता तभी सार्थक होती है, जब उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। संविधान ने हमें लोकतांत्रिक अधिकार दिए, पर लोकतंत्र केवल मतदान नहीं यह निरंतर नागरिक भागीदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करता है। भ्रष्टाचार, राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक विभाजन अब भी हमारी प्रगति को सीमित कर रहे हैं। युवा भारत को समझना होगा कि भविष्य केवल स्टार्टअप या टेक्नॉलजी से नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण शासन, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक सहिष्णुता से बनेगा। जैसे पतंग तभी ऊंची उड़ती है जब डोर मजबूत हो, वैसे ही राष्ट्र तभी ऊंचाई पाता है जब उसकी नैतिक और संवैधानिक डोर अटूट रहे। 15 अगस्त हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं, बल्कि प्रतिदिन निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है। इस बात का ध्यान रहा तो 2047 में भारत केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि सर्वसमावेशी और न्यायपूर्ण राष्ट्र बनेगा।

अवनीश कुमार गुप्ता, प्रयागराज

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को हरिद्वार में मेडिकल छात्राएं तिरंगा यात्रा में शामिल हुईं

जरा याद करो कुर्बानी

हमारे देश के राष्ट्रीय पर्वों में से एक है 15 अगस्त। इसी तिथि को हमारा देश आजाद हुआ था यह तो हम सब जानते हैं और यह भी जानते है कि देश को आजाद कराने के लिए हमारे देशभक्तों ने कितनी मुसीबतें झेली थी। आज हम सब उन देशभक्तों की बदौलत ही आजाद देश में सांस ले रहे हैं। अगर देश आजाद नहीं हुआ होता तो आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते जिस कारण हम न एक-स्थान से आजादी से घूम सकते थे और न ही मनमर्जी से कोई काम कर पाते। इस दिन हम सभी को मात्र छुट्टी मना कर नहीं, बल्कि देश पर शहीद होने वाली देशभक्तों की कुर्बानियों को याद करना चाहिए और दिल में देशभक्ति की भावना भरनी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस वाले दिन देश के विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। जिसमें कई बड़े-बड़े लोग और राजनेता बड़े-बड़े भाषण देते हैं। इनमें देश में फैली समस्याओं को समाप्त करने का जिक्र भी होता है। अगर इन बातों को भाषणों तक ही सीमित न रखकर हकीकत में भी अपनाया जाए तो देश सभी समस्याओं से आजाद हो जाएगा और विश्व के सब देशों से ज्यादा अमीर और खुशहाल हो जाएगा।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को 'मन की बात टैलेंट हंट' के केरल के विजेताओं के साथ बातचीत की। जयशंकर ने कहा कि समाज और देश की भलाई के लिए काम करने की उनकी ऊर्जा और उत्साह से वह प्रभावित हुए। यह देखकर उन्हें खुशी हुई कि कैसे मन की बात ने उनकी सोच को आकार दिया है और एक दीर्घकालिक प्रभाव डाला है।

देशप्राण

इतिहास का जख्म और सीख

14-15 अगस्त 1947 – ये तिथियां भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में दो बिल्कुल अलग भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक ओर स्वतंत्रता का उल्लास, दूसरी ओर विभाजन का दर्द। विभाजन दिवस, यानी भारत और पाकिस्तान के अलग-अलग राष्ट्र बनने का दिन, सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी; यह करोड़ों लोगों के जीवन में स्थायी परिवर्तन और गहरे घाव छोड़ जाने वाला क्षण था। ब्रिटिश शासन से आजादी के लिए संघर्ष के अंतिम वर्षों में हिंदू-मुस्लिम एकता की कमजोरी और धार्मिक आधार पर राजनीति ने विभाजन की राह खोली। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग द्वारा 'दो-राष्ट्र सिद्धांत' को जोर-शोर से उठाया गया। दूसरी ओर, कांग्रेस नेतृत्व एक संयुक्त भारत की बात करता रहा। परंतु, 1946 के सांप्रदायिक दंगों, नोआखली और कलकत्ता की हिंसा ने यह स्पष्ट कर दिया कि दोनों समुदायों के बीच अविश्वास की खाई गहरी हो चुकी थी। ब्रिटिश शासन ने जल्दबाजी में सत्ता हस्तांतरण की तारीख तय की और सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा रेखा खींच दी गई, जिसे 'रेडक्लिफ लाइन' कहा गया। यह रेखा केवल नक्शे पर नहीं बनी, बल्कि गांवों, शहरों और परिवारों को चीरकर रख गई। विभाजन का परिणाम इतिहास की सबसे बड़ी जन-स्थानांतरण घटनाओं में से एक के रूप में सामने आया। लगभग 1.5 करोड़ लोग अपनी जमीन, घर और यादें छोड़कर नए बने भारत या पाकिस्तान की ओर चले। अनुमान है कि 10 से 15 लाख लोग हिंसा, भूख और बीमारी के कारण मारे गए। ये घटनाएं मानव सभ्यता के सबसे काले पन्नों में दर्ज हैं। विभाजन के साथ ही भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश बने, लेकिन शुरुआत से ही रिश्तों में तनाव रहा। 1947-48 का पहला कश्मीर युद्ध, शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती, और सांप्रदायिक घृणा ने दोनों देशों के राजनीतिक भविष्य को गहराई से प्रभावित किया। विभाजन ने भारतीय राजनीति में धर्म और पहचान की बहस को हमेशा के लिए जीवित कर दिया। विभाजन ने न सिर्फ भूगोल बदला, बल्कि सांस्कृतिक धारा को भी प्रभावित किया। पंजाब और बंगाल जैसे सांझी संस्कृति के गढ़ टूट गए। साहित्य, संगीत और लोककला में विभाजन की वेदना साफ झलकने लगी – चाहे अमृता प्रीतम की 'अज्ज आखां वारिस शाह नूं' हो या सआदत हसन मंटो की कहानियां। विभाजन दिवस हमें यह याद दिलाता है कि धार्मिक और सांप्रदायिक राजनीति कितनी विनाशकारी हो सकती है। यह चेतावनी है कि लोकतंत्र और बहुलता की रक्षा के लिए सहिष्णुता, संवाद और पारस्परिक विश्वास जरूरी हैं।

विदेशी आकाओं का पिछलग्गू पाकिस्तान

बलबीर पुंज
(वरिष्ठ पत्रकार)

पहले हमें यह समझना होगा कि पाकिस्तान अपनी संवैधानिक घोषणा के अनुरूप न तो वास्तव में कोई इस्लामी देश है और न ही उसका भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों से कोई सरोकार है। पश्चिमी शक्तियों ने इस कृत्रिम राष्ट्र को अपनी सामरिक-रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जन्मा था। उनके लिए इस्लाम महज एक बहाना था और तत्कालीन मुस्लिम समाज केवल हथियार। अपने जन्म से लेकर आज तक पाकिस्तान इस भूमिका को पूरी शिद्दत से निभा रहा है। वस्तुतः पाकिस्तान खंडित भारत का वह क्षेत्र है, जो अब भी औपनिवेशिक शक्तियों के नियंत्रण में है और जिसका प्रयोग वे भारत की सनातन संस्कृति, उसकी अस्मिता और उसके वैभव-समृद्धि के विरुद्ध करते आ रहे हैं।

'ऑपरेशन सिंदूर' में बुरी तरह परास्त होने के बाद पाकिस्तान दोबारा कैसे गरज रहा है? बकौल मीडिया रिपोर्ट, उसने इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों को पेयजल, गैस और समाचार पत्रों की आपूर्ति रोक दी है। यह खबर तब सामने आई, जब पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर फिर से अमेरिका में सजदा करने पहुंचे हुए थे। इस दौरान एक निजी कार्यक्रम में मुनीर ने किसी खालिस फिदायीन की तरह अपने साथ आधी दुनिया (भारत सहित) को परमाणु हमले से समाप्त करने और भविष्य में सिंधु नदी पर बनने वाले बांध को मिसाइलों से उड़ाने की गीदड़भभकी दी। सवाल यह कि आतंकवाद की पौधशाला पाकिस्तान में यह हिम्मत कहां से आई? अमेरिका, मुनीर की भाषा में कहें तो, 'चमचमाती मर्सिडीज' रूपी भारत के खिलाफ 'कूड़े से भरे ट्रक' जैसे पाकिस्तान का साथ क्यों दे रहा है?

पहले हमें यह समझना होगा कि पाकिस्तान अपनी संवैधानिक घोषणा के अनुरूप न तो वास्तव में कोई इस्लामी देश है और न ही उसका भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों से कोई सरोकार है। पश्चिमी शक्तियों ने इस कृत्रिम राष्ट्र को अपनी सामरिक-रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जन्मा था। उनके लिए इस्लाम महज एक बहाना था और तत्कालीन मुस्लिम समाज केवल हथियार। अपने जन्म से लेकर आज तक पाकिस्तान इस भूमिका को पूरी शिद्दत से निभा रहा है। वस्तुतः पाकिस्तान खंडित भारत का वह क्षेत्र है, जो अब भी औपनिवेशिक शक्तियों के नियंत्रण में है और जिसका प्रयोग वे भारत की सनातन संस्कृति, उसकी अस्मिता और उसके वैभव-समृद्धि के विरुद्ध करते आ रहे हैं।

भारतीय उपमहाद्वीप में शायद ही कोई मुसलमान होगा, जो फिलिस्तीन-ईरान के प्रति मजहबी कारणों से भावनात्मक सरोकार नहीं रखता हो। गत दिनों जब इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव हुआ, तब भारत ने मामले में संतुलन बनाए रखा। इस मामले में पाकिस्तान की भूमिका बड़ी रोचक रही। जब इस वर्ष 21 जून को अपने 'मित्र' यहूदी राष्ट्र इजराइल का साथ देते हुए अमेरिका ने ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी, तब उसी कालखंड में असीम मुनीर का पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को 'रणनीतिक दूरदर्शी और शानदार राजनीतिज्ञता' बताते हुए नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश कर रहा था। यदि अमेरिका-इजरायल गाजा में 'नरसंहार/उत्पीड़न' के 'अपराधी' हैं, तो पाकिस्तान भी उतना ही 'दोषी' है।

यह दुनियाभर (भारत सहित) के मुसलमानों के लिए बड़ा संदेश है कि जिस पाकिस्तान को वे इस्लामी भावना का प्रतीक समझते हैं, वह असल में जन्म से औपनिवेशिक ताकतों की कठपुतली है। प्रख्यात राजनयिक नरेंद्र सिंह सरीला की पुस्तक 'द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टिशन' और आर्थिक इतिहासकार प्रसेनजित के. बसु की पुस्तक 'एशिया रिबॉर्न' में इसका तथ्यों के साथ विस्तृत जिक्र किया गया है।

अपनी किताब में सरीला ने तत्कालीन ब्रितानी राजनीतिज्ञों और सैन्य-अधिकारियों के बीच हुए गुप्त पत्राचारों का हवाला दिया है। 5 मई, 1945 को तब के ब्रितानी प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक गुप्त रिपोर्ट मंगवाई, जिसमें कहा गया था कि ब्रिटेन को भारत के उत्तर-पश्चिमी हिस्से (वर्तमान पाकिस्तान) में अपनी फौजी मौजूदगी बनाई रखनी चाहिए, ताकि सोवियत रूस के बढ़ते खतरे को रोका जा सके। इसी रिपोर्ट में बलूचिस्तान को भारत से अलग करने की सिफारिश भी की गई थी, ताकि खाड़ी और मध्य-पूर्व में ब्रितानी हित सुरक्षित रहें। इतना ही नहीं, 3 जून, 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश सचिव अर्नेस्ट बेविन ने एक सम्मेलन में साफ तौर पर कहा था झ्र 'भारत का बंटवारा, ब्रिटेन को मध्य-पूर्व में मजबूत करेगा।' प्रसेनजित के अनुसार, ब्रिटेन की सामरिक महत्वकांक्षा उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत (वर्तमान खैबर पख्तूनख्वा) और बलूचिस्तान पर नियंत्रण बनाए रखने की थी, ताकि ईरान, इराक और खाड़ी के तेल-समृद्ध क्षेत्रों पर अपना प्रभाव सुरक्षित रखा जा सके।

यही कारण है कि विभाजन के बाद पाकिस्तान शीत युद्ध के सैन्य गुटों झ्र 'सीटो' और 'सेंटो' में शामिल हो गया। ब्रितानी सरपरस्ती में, अमेरिका ने सोवियत विस्तारवाद को रोकने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। कई वर्षों तक पेशावर एयरबेस अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए का ठिकाना रहा। 1970 के दशक में पाकिस्तान के सहयोग से अमेरिका ने चीन के साथ राजनयिक संपर्क साधा। 1971 में भारत के खिलाफ युद्ध में अमेरिका ने खुले तौर पर पाकिस्तान का साथ दिया।

जैसे ब्रिटेन ने भारत में अपने राजनीतिक-सामरिक उद्देश्यों के लिए इस्लाम और सदियों से व्याप्त तनावपूर्ण हिन्दू-मुस्लिम संबंध को चतुराई से हथियार बनाया था, वही नुस्खा अमेरिका ने 1980 के दशक में अपनाया। जब सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, तब उसे परास्त करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की मदद से 'काफिर-कुफ्र' अवधारणा से प्रेरित मुजाहिदीनों को अफगानिस्तान में संगठित किया। इन्हीं मुजाहिदीनों ने कालांतर में तालिबान और कई आतंकवादी संगठनों का रूप ले लिया। वर्ष 2001 में न्यूयॉर्क के भीषण 9/11 आतंकवादी हमले के बाद अमेरिकी सामरिक हितों में पाकिस्तान की उपयोगिता और बढ़ गई।

आज जिस क्षेत्र को पाकिस्तान कहा जाता है, वह दुनिया के सबसे संवेदनशील भू-भाग पर स्थित है, जिसकी सीमाएं पांच प्रमुख सभ्यतागत क्षेत्रों झ्र भारत, चीन, मध्य-एशिया, फारस और अरब से जुड़ती हैं। यही कारण है कि चाहे पाकिस्तान कितना ही बदहाल हो और चाहे वह कितना ही बड़ा आतंकवाद का केंद्र हो, वह अमेरिका-चीन आदि वैश्विक महाशक्तियों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। वर्तमान अमेरिका का इतिहास 250 वर्ष पुराना है। वह स्वयं को मानवाधिकारों का झंडाबरदार बताता है और दुनिया को अपनी इच्छानुसार संचालित करना चाहता है। इसके लिए उसे ऐसे देशों-प्रतिनिधियों की आवश्यकता होती है, जो उसके इशारों पर चलें। हजारों वर्षों से भारत अपनी सभ्यतागत विविधता, गौरवशाली सांस्कृतिक इतिहास और लोकतांत्रिक परंपराओं के कारण कभी किसी का पिछलग्गू नहीं बना और न ही उसे बनना चाहिए। इसके विपरीत, यदि बाजारू भाषा में कहें, तो पाकिस्तान अमेरिका का 'चमचा' बनकर ही गर्व का अनुभव करता है।

पाकिस्तान सिर्फ सेना, सामंती ताकतों और एक अभिजात वर्ग की उपज है, जो इस्लाम के नाम पर अपने लोगों को बरगलाता और भारत की बहुलतावादी सनातन परंपरा से घृणा करते हुए उसे मिटाने को असफल जोर लगाता है। अन्यथा क्या कारण है कि चीन के जगजाहिर मुस्लिम-विरोधी एजेंडे, जिसमें रमजान में रोजा रखने, हिजाब पहनने और कुरान पढ़ने आदि पर उइगर मुसलमानों को अमानवीय सजा दी जाती है झ्र उसके बाद भी पाकिस्तान चीन की गोद में खेल रहा है।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

हवा-पानी की आजादी के बिना आजादी अधूरी

ललित गर्ग
(वरिष्ठ स्तंभकार)

देश एवं दुनिया के सामने स्वच्छ जल एवं बढ़ते प्रदूषण की समस्या गंभीर से गंभीरतर होती जा रही है। शुद्ध हवा एवं पीने के स्वच्छ जल की निरन्तर घटती मात्रा को लेकर बड़े खतरे खड़े हैं। धरती पर जीवन के लिये जल एवं हवा सबसे जरूरी वस्तु है, जल एवं हवा है तो जीवन है। जल एवं हवा ही किसी भी प्रकार के जीवन और उसके अस्तित्व को संभव बनाता है। जीवन के तीन आधार तत्व हैं- हवा, पानी और धरती है। इनकी संरक्षा न केवल हमारी अस्तित्व-निर्भरता से जुड़ी है, बल्कि मानवता की नैतिक जिम्मेदारी भी है। आज का युग, जिस तेजी से विकसित हो रहा है, उसी भागदौड़ में हवा और पानी को परम स्वाधीनता से वंचित कर रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध, दिल्ली का उच्च प्रदूषण सूचकांक, अमेरिका के जंगलों की धुएं से गंदली हवा, बढ़ता वाहन प्रदूषण-ये सब संकेत देते हैं कि हवा से आजादी मतलब 'स्वस्थ हवा' पाना है। हमारे आजादी को नया अर्थ चाहिए तो यह प्राकृतिक संसाधनों यानी हवा एवं पानी की आजादी पर भी निर्भर है, जो मानव व पर्यावरण-जगत दोनों के लिए जीवनदायिनी है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक बंधनों से मुक्ति नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक अस्तित्व का अधिकार है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर जब हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, तब यह सवाल भी उठाना जरूरी है कि क्या हमें हवा और पानी की सच्ची आजादी मिली है?

आजादी केवल तिथि नहीं, एक निरंतर संघर्ष है। यह सिर्फ. झंडा फहराने का अधिकार नहीं, बल्कि हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं, समान अवसर और सम्मान देने की जिम्मेदारी है। हवा, पानी और धरती- इनके बिना जीवन संभव नहीं। पर दुर्भाग्य से आज इन मूलभूत संसाधनों पर गहरा संकट है। स्वच्छ हवा में सांस लेना और शुद्ध पानी पीना अब विलासिता जैसी चीज बनती जा रही है। 'हवा-पानी की आजादी' का मतलब है कि हर व्यक्ति को स्वच्छ हवा और शुद्ध पानी तक सहज पहुंच हो। यह केवल स्वास्थ्य का ही नहीं, बल्कि मानवता का मूल अधिकार है। परंतु शहरीकरण, औद्योगीकरण और संसाधनों के दुरुपयोग ने हवा और पानी दोनों को विषाक्त बना दिया है। विश्व में 2.2 अरब लोगों के पास सुरक्षित पेयजल की सुविधा नहीं है। भारत में करोड़ों लोग अभी भी दूषित या अपर्याप्त पानी पर निर्भर हैं। रसायनयुक्त कृषि, औद्योगिक अपशिष्ट, प्लास्टिक प्रदूषण और भूजल के अंधाधुंध दोहन ने जल की गुणवत्ता को लगातार गिराया है।

जल संकट भविष्य में सबसे बड़ा युद्ध का कारण बन सकता है। भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ती युद्ध की संभावनाओं का कारण भी जल ही बनता हुआ दिख रहा है। ऑपरेशन सिंधूर के बाद भारत ने पाक पर सिंधु जल समझौते को रद्द कर देने से पाक में जल संकट खड़ा हो गया है, पाक की ओर से परमाणु बम की धमकी दी जा रही है, वहीं भारत भी युद्ध की संभावनाओं को देखते हुए तैयार में जुट गया है। जल संकट केवल भारत और पाक में ही नहीं, दुनिया में एक बड़ी समस्या है। क्योंकि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, नदियों का प्रवाह घट रहा है, भूजल का स्तर गिर रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, सूखा और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2000 से अब तक बाढ़ की घटनाओं में 134 प्रतिशत और सूखे की अवधि में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। धरती का 70 प्रतिशत भाग पानी से भरा है, लेकिन पीने योग्य पानी केवल 3 प्रतिशत है, जिसमें से उपयोगी मीठा जल 1 प्रतिशत से भी कम है। बढ़ती जनसंख्या और बबार्दी ने इस अमूल्य संसाधन को गंभीर संकट में डाल दिया है।

दिल्ली और अन्य महानगरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार 'बहुत खराब' या 'खतरनाक' श्रेणी में पहुंचता है। प्रदूषित हवा श्वसन रोग, हृदय रोग और कैंसर तक का कारण बन रही है। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव पड़ता है। रिसर्च बताती है कि दिल्ली के 75 प्रतिशत से अधिक बच्चों को सांस लेने में कठिनाई होती है, आंखों में जलन और खांसी की शिकायत रहती है। वाहन प्रदूषण, औद्योगिक धुआं, निर्माण गतिविधियों की धूल और फसल अवशेष जलाना-ये सब मिलकर हवा को जहरीला बना रहे हैं।

भारत के पास जल प्रबंधन की प्राचीन परंपरा रही है-तालाब, कुएं, बावड़ियां, जोहड़ और सरोवर जल संरक्षण के अद्भुत उदाहरण हैं। राजस्थान के किलों और गांवों में जल संचयन व्यवस्था आज भी दुनिया के लिए प्रेरणा है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र कहते थे-ह्लअब भी खरे हैं तालाबह्व आज आवश्यकता है कि हम इन परंपराओं को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर जल संकट का समाधान करें। सरकार ने 'अटल भूजल योजना', 'नल से जल' और 'नदी पुनर्जीवन' जैसी योजनाएं शुरू की हैं। लेकिन केवल सरकारी प्रयास काफी नहीं, जनभागीदारी आवश्यक है। गांव-गांव में वर्षा जल संचयन, नदियों की सफाई, औद्योगिक अपशिष्ट का प्रबंधन और भूजल संग्रहण की व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। हवा की शुद्धता के लिए जरूरी है कि सार्वजनिक परिवहन को विश्वसनीय और सुलभ बनाया जाये, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाये, औद्योगिक उत्सर्जन पर सख्त नियंत्रण हो, हरित क्षेत्र और वृक्षारोपण को बढ़ाना अत्यंत जरूरी कदम हैं। आजादी का असली मतलब यह है कि सत्ता का केंद्र नागरिक हो, उसकी मूलभूत सुविधाएं हो और उसकी आवाज सिर्फ.चुनावी भाषणों में नहीं, नीतियों और फैसलों में भी सुनी जाए।

आजादी के अमृतकाल में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए हमें हवा एवं पानी की आजादी के लिये संकल्प लेना होगा। वायु-जल संसाधनों पर गहराते संकट को खत्म करने के लिए अपनी जीवन-शैली में परिवर्तन करना होगा। इसके लिए सभी लोगों को बच्चे-बूढ़े, स्त्री-पुरूष, किसान, उद्यमियों सभी को पहल करनी है। पानी को बचाने एवं हवा की शुद्धि की आदत को व्यवहार में ढालना होगा। हवा में घूल रहा प्रदूषण भी खतरनाक होता जा रहा है। भू-विज्ञान मंत्रालय के एक रिसर्च के अनुसार वायु निर्माण में 41 प्रतिशत हिस्सेदारी वाहनों की रहती है। भवन निर्माण आदि से उड़नेवाली धूल 21.5 प्रतिशत के दूसरे स्थान पर है। दिल्ली परिवहन विभाग के आंकड़े के मुताबिक पिछले 30 साल में वाहन और उनसे होने वाला प्रदूषण तीन गुणा बढ़ गया है। फिर भी सार्वजनिक यातायात व्यवस्था को बेहतर और विश्वसनीय बनाने की दिशा में कुछ खास नहीं किया गया। इस विषम एवं ज्वलंत समस्या से मुक्ति के लिये हर राजनीतिक दल एवं सरकारों को संवेदनशील एवं अन्तर्दृष्टि-सम्पन्न बनना होगा। खेती में प्रदूषकों की रोकथाम से जल संसाधनों के संकट और पारिस्थिकी तंत्र में बदलाव के संकट को कम किया जा सकता है। नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को नियमित करके समस्या को काफी हद तक सुलझाया जा सकता है। उपलब्ध जल संसाधनों तक उपभोग को सीमित करके, संसाधन पर दवाब कम किया जा सकता है।

आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, विज्ञान और तकनीक में नए मुकाम हासिल हो रहे हैं। मेट्रो ट्रेन, डिजिटल पेमेंट, सैटेलाइट मिशन और वैश्विक मंच पर बढ़ता प्रभाव हमें गर्व से भर देता है। लेकिन इस चमक के पीछे एक सच छुपा है-हमारी आजादी अब भी अधूरी है। यह अधूरापन केवल गरीबी या बेरोजगारी का नहीं, बल्कि शुद्ध हवा-पानी जैसी मूलभूत जरूरतों से जुड़ी सोच, व्यवस्था और व्यवहार में गहरे बैठी असमानताओं का है। हमने अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाई, लेकिन अगर हमारे बच्चे दूषित हवा में सांस लें और जहरीला पानी पिएं, तो यह कैसी आजादी है? आजादी का वास्तविक अर्थ तभी होगा जब हर नागरिक को स्वच्छ हवा और शुद्ध पानी मिले। 78वां स्वतंत्रता दिवस केवल झंडा फहराने और भाषण देने का नहीं, बल्कि जीवनदायिनी संसाधनों की रक्षा का संकल्प लेने का अवसर है। अपने घर, मोहल्ले और कार्यस्थल पर पानी बचाने की आदत डालें। प्लास्टिक का उपयोग कम करें। वर्षा जल संचयन करें। प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों का विरोध करें। वृक्षारोपण को जीवन का हिस्सा बनाएं। क्योंकि हवा और पानी की आजादी ही जीवन की सच्ची आजादी है।

सच बताने की रणनीति

पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाया जा चुका है। भारत पाकिस्तान के संघर्ष की बातें हम भांति-भांति से सुन चुके हैं। लगता है सब अपने-अपने हिस्से का 'सच बताने की रणनीति पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री संसद में बयान दे चुके हैं। रक्षा अधिकारी बता चुके हैं कि पाकिस्तान की बैंड भारत ने कैसे बजाई। लेकिन लगता है जैसे हमारे वायु सेना प्रमुख जरा देर से जागे हैं। उन्होंने ऐसी बात बताई है जो आज तक कोई नहीं बता पाया था। बाकी सब लोग पाकिस्तान और पीओके में आतंकी अड्डों के ध्वस्त होने और कई एयर फील्ड तबाह कर देने तक तो पहुंचे थे लेकिन एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने शनिवार को जो कहा वह सबसे अलग है। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पांच लड़ाकू विमानों और एक बड़े विमान को मार गिराया था। गिराया गया सबसे बड़ा विमान तो 300 किमी. दूर से निशाना बनाया गया जो भारत द्वारा सतह से हवा में मार गिराने का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। एलएम कात्रे स्मृति व्याख्यान में उन्होंने बताया कि बड़ा विमान एयरबोर्न वॉर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी हो सकता है। सिंह ने कहा कि विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय वायुसेना ने हवाई क्षेत्र पर हमला करने का निर्णय लिया। सुकर एयरबेस की तबाही के चित्र दिखाते हुए उन्होंने तमाम बर्बादी की पुष्टि की। वायुसेना ने यूएबी हैंगर और रडार स्थल पर हमला किया। एडब्ल्यूसी हैंगर पर फिर से हमला किया गया। सरगोधा के बारे में वायुसेना चीफ ने कहा, संयोग से मुझे अपनी सेवानिवृत्ति से पहले यहां कुछ कर दिखाने का मौका मिल गया। भारत की एस-400 वायु रक्षा प्रणाली पासा पलटने वाली साबित हुई। एस-400 प्रणाली की वजह से पाकिस्तान भारतीय वायु रक्षा प्रणाली को भेद नहीं सका। उनके अनुसार सीडीएस का पद सैन्य अभियानों में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। एयर चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की भूमिका पर भी प्रकाश डाला जिससे अन्य एजेंसियों और सुरक्षा बलों को एक साथ लाने में मदद मिली।

पाकिस्तान की आर्थिक नाकामी फिर उजागर, विश्व को भारत की चेतावनी सही निकली

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की सात अरब डॉलर की विस्तारित फंड सुविधा (ईएफएफ) के तहत पाकिस्तान के लिए मंजूर पैकेज की दूसरी समीक्षा ने एक बार फिर उस सच्चाई को सामने रख दिया है, जिसे भारत लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रेखांकित करता आ रहा है कि पाकिस्तान की आर्थिक संरचना इतनी जर्जर और राजनीतिक एवं सैन्य हितों से बंधी हुई है कि कोई भी वित्तीय मदद वहां स्थायी सुधार का रूप नहीं ले पाएगी। बीते सात दशकों में यह बार-बार साबित हुआ है कि बेलआउट पैकेज उस देश के लिए स्थायी समाधान नहीं हैं, जहां नीतिगत स्थिरता की कमी हो और आर्थिक प्राथमिकताएं राजनीतिक और सैन्य हितों से संचालित हों। भारत का यह कहना कि पाकिस्तान आईएमएफ फंड का इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों और सीमापार आतंकवाद में कर सकता है, केवल राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित चेतावनी है। जब रक्षा बजट साल-दर-साल बढ़ रहा हो और शिक्षा-स्वास्थ्य पर खर्च घट रहा हो, तो यह साफ है कि विकास प्राथमिकता सूची में नीचे है। पाकिस्तान ने अब तक लगभग 25 बार (1958 से) आईएमएफ की सहायता ली है, जो दुनिया में किसी भी अन्य देश की तुलना में बहुत अधिक है। यह एक पैटर्न बन चुका है, बेलआउट, सुधार की घोषणा, फिर गिरावट। मई 2025 में जब आईएमएफ के बोर्ड की बैठक में पाकिस्तान को 2.3 बिलियन डॉलर की मंजूरी दी गई, तो भारत ने मतदान से दूर रहते हुए इस मदद पर आपत्ति जताई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि प. हरिश ने पाकिस्तान को 'आईएमएफ का बार-बार कर्ज लेने वाला देश' बताकर उसकी आर्थिक नीति की स्थिरता पर सवाल उठाए, और पाकिस्तान की आर्थिक असफलताओं को आतंक तथा कट्टरता से जोड़कर पेश किया। वस्तुतः भारत ने जो पाकिस्तान को लेकर आईएमएफ को चेताया और पूरी दुनिया को उसका सच दिखाया था, वह आज एक बार फिर से सच साबित हुआ है। हालिया समीक्षा में पाकिस्तान पांच में से तीन लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम रहा, जो अपने आप में आईएमएफ की शर्तों और पाकिस्तान की नीतिगत प्रतिबद्धताओं के बीच की गहरी खाई को उजागर करता है। पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय की 'फाइनेंशियल ऑपरेशंस समरी' इस असफलता की पुष्टि करती है। यहां ध्यान आता है वह समय जब आईएमएफ की पिछली बैठक में भारत के प्रतिनिधि परमेश्वरन अय्यर ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वैश्विक वित्तीय संस्थानों को अपनी प्रक्रियाओं में नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए, विशेषकर उन मामलों में जहाँ सहायता प्राप्त करने वाला देश सैन्य गतिविधियों और सीमा पार आतंकवाद में संलिप्त रहा हो, वहां किसी भी प्रकार की आर्थकि सहायता या ऋण को मंजूरी नहीं देनी चाहिए। भारत की चिंता केवल आर्थिक नहीं है; उसका मानना है कि पाकिस्तान को मिलने वाली वित्तीय मदद का एक हिस्सा अप्रत्यक्ष रूप से उसकी सैन्य क्षमताओं को मज़बूत करता है, जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी इसी संदर्भ में कहा कि जो देश पाकिस्तान को बार-बार बेलआउट दे रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि केवल वित्तीय सहायता देकर उसके मूल संकट का समाधान संभव नहीं है, जब

तक कि उसकी नीतिगत और सुरक्षा-संबंधी दिशा में मूलभूत परिवर्तन न हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो और भी कड़े शब्दों में कहा था कि आईएमएफ की यह सहायता आतंक के लिए अप्रत्यक्ष वित्तपोषण साबित हो सकती है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस जोखिम को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चिंता जताई थी कि फंड जारी होने के समय पाकिस्तान न केवल आर्थिक संकट से जूझ रहा था, बल्कि सीमा पार हमलों में भी सक्रिय था, जिससे उसकी सैन्य गतिविधियों को आर्थिक सहारा मिला। वस्तुतः भारतीय आर्थिक विश्लेषकों ने भी इस विफलता को लेकर गंभीर टिप्पणियां की हैं। वरिष्ठ अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला का कहना है कि बेलआउट को सख्त निगरानी और ठोस सुधारों की शर्तों से जोड़ा जाना चाहिए, वरना यह केवल तात्कालिक राहत तक सीमित रह जाएगा। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अशोका मोदी का तर्क है कि पाकिस्तान में सैन्य-राजनीतिक गठजोड़ सुधारों की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है, और जब तक सेना का आर्थिक और राजनीतिक हस्तक्षेप खत्म नहीं होगा, तब तक कोई भी वित्तीय पैकेज वास्तविक परिवर्तन नहीं ला सकेगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टेफ़न डेरकॉन ने पाकिस्तान को "सीरियल बेलआउट क्लाइंट" बताते हुए कहा कि इसके पीछे राजनीतिक अस्थिरता और संरचनात्मक कमजोरी है। पाकिस्तान की विफलताएं सिर्फ आर्थिक नहीं, नीतिगत, संस्थागत और संरचनात्मक हैं। आईएमएफ का 7 बिलियन डॉलर का पैकेज एक बार फिर तय करता है कि केवल फंड देना पर्याप्त नहीं; उस पर कार्रवाई, निगरानी और जवाबदेही भी होनी चाहिए। भारत की आपत्तियां (आईएमएफ के बोर्ड में अभाव, कृषि एवं रक्षा खर्च की प्राथमिकता, सेना का प्रभुत्व), भारतीय व अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की टिप्पणियाँ और पाकिस्तान की वास्तविकता, ये सभी मिलकर एक संदेश देते हैं कि बेलआउट का असल स्थायित्व तभी सुनिश्चित होता है, जब सुधार नीति, राजनीतिक जवाबदेही और कैपिटिल इंटर्नल जरूरतों को साथ ले कर चलना हो। भारत का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को केवल आर्थिक आंकड़ों और तात्कालिक स्थिरता के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता, और सहायता का वास्तविक उपयोग जैसे पहलुओं को भी महत्व देना चाहिए। पाकिस्तान का मामला यह स्पष्ट करता है कि बिना जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित किए दिया गया बेलआउट केवल संकट को आगे खिसकाता है, समाप्त नहीं करता। यही कारण है कि भारत ने न केवल आईएमएफ बल्कि विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसे अन्य संस्थानों को भी बार-बार चेताया है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली किसी भी मदद को कड़े सुधारों और निगरानी के साथ जोड़ा जाए। कुल मिलाकर आज यह कहना सही होगा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा पाकिस्तान को दी गई 7 अरब डॉलर की बेलआउट सुविधा की दूसरी समीक्षा में तीन में से तीन प्रमुख आर्थिक लक्ष्यों में विफलता, संघीय राजस्व बोर्ड (एफबीआर) द्वारा 12.3 लाख करोड़ रुपये संग्रह लक्ष्य का अधूरा रह जाना, 'ताजिर दोस्त योजना' के तहत 50 अरब रुपये जुटाने में विफलता और प्रांतीय सरकारों द्वारा 1.2 लाख करोड़ रुपये की बचत लक्ष्य का अधूरा रह जाना ने सिर्फ आर्थिक ही नहीं, बल्कि राजनीतिक मसलों को भी फिर से गर्म कर दिया है। इन लक्ष्यों की पूर्ति न हो पाने से पाकिस्तान की वित्तीय प्रबंधन क्षमता पर सवाल उठे हैं और भारत की वह पुरानी आपत्ति कि पाकिस्तान 'आईएमएफ फंड' का उपयोग सैन्य और आतंकवादी गतिविधियों में कर सकता है भी आज पुष्ट होती दिख रही है।

बदलती जीवनशैली और आवास की परिभाषा - "अपार्टमेंट बनाम स्वतंत्र मकान"

जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना

बीते कुछ दशकों में भारत सहित पूरी दुनिया में शहरीकरण की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। जैसे-जैसे शहरों का विस्तार हुआ, रहन-सहन का तरीका भी बदला। अब लोग विशाल बंगलों या स्वतंत्र मकानों की बजाय बहुमंजिला अपार्टमेंट्स और गेटेड सोसाइटीज में रहना अधिक पसंद कर रहे हैं। लेकिन क्या यह बदलाव सिर्फ सुविधा से जुड़ा है या इसके पीछे कुछ अन्य सामाजिक और आर्थिक कारण भी हैं? आज के आधुनिक अपार्टमेंट्स में न सिर्फ फ्लैट होता है, बल्कि स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम, कम्युनिटी हॉल, बच्चों के खेलने की जगह और वॉकिंग ट्रैक जैसी कई सुविधाएं भी मिलती हैं। यह सब कुछ एक ही परिसर में उपलब्ध होता है। अपार्टमेंट में रहना एक तरह से मिनी-समाज में रहने जैसा होता है। यहां अपने आस-पास के लोगों से आसानी से मिलते हैं, त्योहार और आयोजन सामूहिक रूप से मनाते हैं जिससे समाजिक बंधन मजबूत होता है। स्वतंत्र मकान में हर चीज का रखरखाव खुद करना पड़ता है जबकि अपार्टमेंट में यह काम बिल्डर या सोसाइटी द्वारा किया जाता है। जैसे – लिफ्ट की मरम्मत, सफाई, सीवेज सिस्टम, गार्डनिंग आदि। सीसीटीवी कैमरे, सिक्योरिटी गार्ड्स और गेटेड एंट्री जैसी सुविधाएं अपार्टमेंट्स को ज्यादा सुरक्षित बनाता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। प्रॉपर्टी के लिहाज से अपार्टमेंट का मूल्य अधिक तेजी से बढ़ता है क्योंकि यह शहरों के केंद्र में होता है और वहां सुविधाएं अधिक होती हैं। किराये पर देना भी आसान होता है। अपार्टमेंट में दीवारें साझा होती हैं, पड़ोसी नजदीक होते हैं और आवाजें आसानी से एक घर से दूसरे घर में पहुंच जाती हैं। ऐसे में एकांत या निजता नहीं मिल पाता है। स्वतंत्र मकान की तुलना में अपार्टमेंट में स्थान सीमित होता है। कोई बगीचा, टैरेस गार्डन, या अतिरिक्त स्टोर स्पेस नहीं होता है। हर सोसाइटी के अपने नियम होते हैं, जैसे पालतू जानवर रखने की सीमा, तेज आवाज में संगीत न बजाना, बाहर कपड़े न सुखाना आदि। ये नियम कभी-कभी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर असर डालता है। भले ही एक फ्लैट के लिए एक पार्किंग दी जाए, लेकिन मेहमानों के लिए पार्किंग की जगह मिलना मुश्किल होता है। साथ ही, ज्यादा वाहनों की स्थिति में असुविधा होती है। अगर घर में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं (जैसे बालकनी को कवर करना), तो सोसाइटी की अनुमति लेनी पड़ती है। कई बार जरूरी काम भी देरी से होते हैं। गेटेड कम्युनिटी और 24x7 सिक्योरिटी की व्यवस्था अपार्टमेंट सोसाइटी को सुरक्षित बनाता है। बाहरी लोगों की एंट्री पर नियंत्रण होता है और बच्चों के लिए यह एक सुरक्षित वातावरण बनाता है। होली, दिवाली, गणेश चतुर्थी, स्वतंत्रता दिवस जैसे त्यौहारों को सामूहिक रूप से मनाना एक अलग ही अनुभव होता है। इससे बच्चों को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का अवसर मिलता है। बीमारियों, प्राकृतिक आपदाओं या किसी अन्य आपात स्थिति में पड़ोसी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। यह सामाजिक सुरक्षा का भाव उत्पन्न करता है। सोसाइटी में बेंच, वॉकिंग ट्रैक, मंदिर और अन्य सामाजिक स्थान बुजुर्गों को जीवन में सक्रिय और खुश रखते हैं। अपार्टमेंट सोसाइटी में फ्लैट्स की डिमांड अधिक होती है, जिससे किराया भी अच्छा मिलता है। इसके अलावा पुनर्विक्रय (resale) में भी लाभ होता है। सोसाइटी में व्यक्तिगत इच्छाओं के ऊपर सामूहिक निर्णय हावी होता है। जैसे बालकनी को बगीचा बना लें, लेकिन नियम इसकी अनुमति नहीं देता है। हर महीने सोसाइटी मेंटेनेंस के लिए शुल्क वसूलती है, जिसमें सिक्योरिटी, सफाई, बिजली आदि का खर्च शामिल होता है। यह राशि कई बार काफी अधिक हो सकता है। सोसाइटी में कमेटी और RWA (Residents Welfare Association) की राजनीति भी होती है। आरोप-प्रत्यारोप, मतभेद और गुटबंदी की स्थिति उत्पन्न होती है। कुछ सोसाइटीज में बिल्डर निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग कर लेते हैं जिससे 4-5 साल में ही सीलन, पाइप लीकेज और दरारें आने लगती हैं। अगर सोसाइटी में नए टावर बन रहे हों या पुराने फ्लैट्स में मरम्मत हो रही हो, तो लगातार शोर बना रहता है जिससे मानसिक तनाव होता है। सीसीटीवी कैमरा, बायोमेट्रिक एंट्री, इंटरकॉम और गार्ड की निगरानी से चोरी, सेंधमारी और बाहरी घुसपैठ की घटनाएं बहुत कम होती हैं। खेलने के स्थान में सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति और अजनबियों की एंट्री पर नियंत्रण से महिलाएं और बच्चे खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। गेट पर मौजूद गार्ड एम्बुलेंस, पुलिस या फायर ब्रिगेड को जल्दी बुला सकते हैं। इसके अलावा, इमारत के अंदर इंटरकॉम सिस्टम से तुरंत सहायता मांगी जा सकती है। आज के समय में ऑनलाइन डिलीवरी बहुत आम हो गई है। सिक्योरिटी गार्ड द्वारा डिलीवरी ब्वाय की एंट्री लॉग करना, OTP के बाद प्रवेश देना, यह सुविधा अपार्टमेंट को सुरक्षित बनाता है। हर गतिविधि सीसीटीवी में रिकॉर्ड होना कुछ लोगों के लिए असहजता पैदा करता है। कई बार यह निजता के उल्लंघन जैसा भी लगता है। यदि सिक्योरिटी गार्ड सतर्क न हो या पर्याप्त प्रशिक्षित न हो, तो सुरक्षा में चूक हो सकता है। कई बार गार्ड अंदरूनी जानकारी लीक कर देता है। सख्त गेट एंट्री से मेहमानों को बार-बार अपनी पहचान बतानी पड़ती है, जिससे कभी-कभी असहज स्थिति बनती है। सुरक्षा के लिए लगने वाले सीसीटीवी, बूम बैरियर, बायोमेट्रिक सिस्टम आदि का रखरखाव महंगा होता है, जिसका बोझ निवासियों पर आता है। स्वतंत्र मकान में स्वतंत्रता अधिक होता है जबकि अपार्टमेंट में स्वतंत्रता सीमित होता है। स्वतंत्र मकान में सुरक्षा सीमित होता है जबकि अपार्टमेंट में उच्च श्रेणी का होता है। स्वतंत्र मकान में रखरखाव खुद की जिम्मेदारी होता है लेकिन अपार्टमेंट में सोसाइटी द्वारा होता है। स्वतंत्र मकान में स्थान अधिक होता है जबकि अपार्टमेंट में सीमित होता है। स्वतंत्र मकान में शांति और निजता अधिक होता है जबकि अपार्टमेंट में सीमित होता है। अपार्टमेंट में किरायेदार की तरह प्रत्येक माह रखरखाव पर एक मोटी रकम देनी होती है। अपने फ्लैट से बाहर न कपड़ा पसार सकते हैं, न ही बालकोनी को कवर कर सकते हैं। निर्धारित समय पर निर्धारित स्थान पर यदि कचरा नहीं देते हैं या नहीं रखते हैं तो फाईन देना होता है। एक फ्लोर पर रहने वालों की मित्रता सिर्फ सामूहिक कार्यक्रम में एक साथ शामिल होने का होता है बाकी शेष दिन आप जिंदा हैं या मृत, किसी दूसरों को पता नहीं रहता है यानि अपने अपने फ्लैट तक सीमित रहते हैं। अपार्टमेंट के फ्लैट का लीज 99 वर्ष का होता है उसके बाद........? कोई भी आवासीय विकल्प संपूर्ण नहीं होता है। यह जीवनशैली, प्राथमिकताओं और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है कि किस विकल्प को चुनते हैं। यदि एकांतप्रिय हैं, ज्यादा जगह और स्वतंत्रता चाहते हैं और सुरक्षा खुद संभाल सकते हैं, तो स्वतंत्र मकान उपयुक्त है। यदि केवल समूह में सामूहिक उत्सव, सुरक्षा और सुविधाओं के साथ रहना चाहते हैं, तो अपार्टमेंट सोसाइटी बेहतर है। भविष्य का रुझान यही दर्शाता है कि बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण लोग सोसाइटी अपार्टमेंट्स की मांग और निर्माण में और तेजी आ रही है।

मेष राशिः आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। आज बच्चों की तरफ से आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। इस राशि के आर्ट्स स्टूडेंट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, आज आपके मन में नए विचार आएंगे। आज आपको रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा। आज आपके व्यापार में दो गुना वृद्धि होने के योग बन रहे है।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

वृष राशिः आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आज बिजनेस के सिलसिले में आपकी आज विदेश यात्रा भी हो सकती है और ये यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। आज आपकी नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, जिससे ऑफिस में आपकी छवि मजबूत बनेगी। आज किसी करीबी रिश्तेदारों के आने से आपके घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आज परिवार वालों के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है।

मिथुन राशिः आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक बना रहेगा। आज आपकी व्यापारिक गतिविधियाँ सुचारू रूप से चलती रहेंगी लेकिन आप लेन-देन करते समय थोड़ी सतर्कता बरतें। आज आप अपने किसी करीबी दोस्त के साथ बाहर जा सकते हैं, बाहर का मौसम आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। आज आपको करियर को लेकर थोड़ी उलझन हो सकती है, आप अपने गुरु से करियर के बारे में परामर्श ले सकते है।

कर्क राशिः आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज आप अपने पिता का काम में हाथ बटाएँगे, जिससे उन्हें ख़ुशी मिलेगी। आज आप बच्चों के लिए घर में अलग-अलग तरह की डिशेज बना सकती है। आज बच्चों से आपको गुड न्यूज मिल सकती है, जिससे आपको गर्व महसूस होगा। आज आप दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जा सकते हैं, जहां आप खूब इंजॉय करेंगे।

सिंह राशिः आज का दिन आपके लिए उपयोगी बना रहेगा। आज आपके सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। आज दुकानदारों के लिए का दिन अच्छा रहेगा, आज आपकी अच्छी आमदनी होने के योग बन रहे है। आज आपकी रुचि कला के क्षेत्र में रहेगी और आपको अच्छे ऑफर भी मिल सकते है। इस राशि के इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों को आज जॉब के अच्छे ऑफर मिल सकते है।

कन्या राशिः आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपको बिजनेस में बड़ी डील मिल सकती है, जिससे आपके व्यापार में ग्रोथ होगी। आज आपको किसी शुभ समाचार के मिलने का योग नजर आ रहा है। आज पारिवारिक रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाने में आप सफल रहेंगे। आज मनोरंजन में पैसे खर्च हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको आनन्द की प्राप्ति होगी।

तुला राशिःआज आपकी नये कार्यों में रुचि बढ़ेगी जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज आप व्यर्थ के खर्चों को कम करने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपको बिजनेस में दुगुना धन लाभ होगा, जिससे आर्थिक पक्ष पहले से अधिक मजबूत रहेगा। आज ऑफिस में एक्सट्रा वर्क करने से रुका हुआ काम जल्दी पूरा हो जाएगा, जिससे खुश होकर बॉस आपकी पीठ थपथपा सकते हैं।

वृश्चिक राशिः आज का दिन के लिए खुशनुमा बना रहेगा। आज आप अपने बड़े-बुजुर्ग का आर्शिवाद लेकर नया बिजनेस शुरू करें तो फायदा होना तय है। आज काम कमी अधिकता रहेगी इसलिए आज स्वास्थ्य के प्रति आप थोड़ी सावधानी रखें। इस राशि के लवमेट आज लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बना सकते हैं। आज आपको किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है, आप अपनी जरूरत का सामान साथ में लें जाएं।

धनु राशिः आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज सभी काम आपके मन के मुताबिक पूरे होंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। आज ऑफिस में कुछ सहकर्मी आपके काम को लेकर आपकी तारीफ कर सकते है। आज आपके सकारात्मक विचारों से खुश होकर बॉस आपको उपहार स्वरूप कोई उपयोगी वस्तु गिफ्ट कर सकते हैं।

मकर राशिः आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। आज आप खुद को अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिससे आपका मन काम में लगेगा। अगर आज किसी जरूरी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो वह आज समय से पहले पूरा कर लेंगे, लेकिन आज आपको पहले से योजना बनाकर चलने की जरूरत है।

कुम्भ राशिः आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आपको कई दिनों से रुके हुए काम में सफलता मिल सकती है, जिससे मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। आज आप किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचें, जिससे आपका काम शांति से हो जाए। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन अच्छा है, पढ़ाई में मन लगेगा।

मीन राशिः आज का दिन आपके लिए अनुकूल बना रहेगा। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा है, आप जीवनसाथी के साथ कहीं बाहर डिनर पर जा सकते हैं। आज आपकी मुलाकात किसी पुराने मित्र से हो सकती है, जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद होगी। आज आपको बिजनेस में बड़ा धन लाभ होगा और आपके व्यावसायिक रिश्ते भी अच्छे बने रहेंगे।

भय भूख असमानता से मुक्ति का सपना कब पूरा होगा?

मनोज कुमार अग्रवाल

15 अगस्त, 2025 को भारत 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है । 15 अगस्त 1947 को भारत ने लंबे स्वातंत्र्य संघर्ष के बाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति हासिल की। राजनीतिक तौर तो आजादी मिल गई देश में धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित की। इन 78 साल में देश ने बहुत सारे क्षेत्रों में तरक्की और विकास के कीर्तिमान स्थापित किए भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा और सशक्त लोकतंत्र बनकर यह सिद्ध किया है कि विविधताओं से भरे समाज में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था पनप सकती है। आजादी के बाद भारत ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। इस दौरान, भारत ने विज्ञान, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, कृषि, खेल और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। लोकतंत्र की मजबूत जड़ों ने देश को स्थिरता प्रदान की है, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, लैंगिक असमानता, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे अभी भी मौजूद हैं। आजादी के बाद भारत ने हर क्षेत्र में भारी उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा, और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने कई उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और चंद्रयान और मंगलयान जैसे महत्वाकांक्षी मिशनों को अंजाम दिया है। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी सुधार हुआ है। साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, और उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। हालांकि, अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे कि शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और आजादी के बाद से, भारत ने कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि की है। हरित क्रांति के माध्यम से, भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की है। हालांकि, अभी भी किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सिंचाई, उर्वरक, और विपणन। भारत की अर्थव्यवस्था में भी काफी सुधार हुआ है। 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है। हालांकि, अभी भी भारत को कई आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, और असमानता लगातार बढ़ रही है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत आज दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्पेस टेक्नोलॉजी (ISRO), और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने वैश्विक मंच पर भारत को सम्मान दिलाया है। भारत मेंस्त्री-पुरुष समानता, दलित उत्थान, जन-भागीदारी, और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। भारत ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना को आत्मसात करते हुए वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र जी20और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत की आवाज़ गूंजती है। इस सब तरक्की के और आर्थिक विकास के बावजूद ग्रामीण-शहरी विषमता, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा-रोजगार के बीच तालमेल की कमी अब भी गंभीर चुनौती है।राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक विभाजन मध्य राजनीतिक दलों के बीच बढ़ता वैमनस्य और जाति-धर्म आधारित राजनीति, राष्ट्रहित को पीछे छोड़ती प्रतीत होती है। तेजी से होते औद्योगीकरण और बेतरतीब विकास ने प्राकृतिक संसाधनों पर गंभीर संकट खड़ा किया है। जल संकट, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन यथार्थ बन चुके हैं।पर्यावरण संरक्षण के लिए को जा रहे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। हाल ही में उत्तराखंड के घराली में बादल फटने के बाद आइ तबाही में काफी जान माल का नुकसान हुआ है इस के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी प्राकृतिक आपदा के चलते काफी क्षति हुई है। आजादी के 78 साल बाद भी हम ऐसा डिसासटर सिस्टम बनाने और क्रियान्वित करने में असफल रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नैतिक मूल्यों, और विचारों की विविधता को कहीं-कहीं दबाया जा रहा है – जो लोकतंत्र के मूल आदर्शों के विपरीत है।सरकार द्वारा "अमृत काल" की परिकल्पना अगले 25 वर्षों को ध्यान में रखते हुए की गई है – जहाँ 2047 में भारत को एक "विकसित राष्ट्र" के रूप में देखना लक्ष्य है। इस काल में नीति, नीयत और नागरिक भागीदारी – तीनों की शुद्धता अत्यावश्यक होगी।हम एक ऐसे समय में खड़े हैं जब भारत को अपनी आंतरिक कमजोरियों पर आत्ममंथन करना है और भविष्य के लिए ठोस नींव रखनी है। तकनीक, नवाचार, हरित विकास, न्यायिक सुधार, और मानवाधिकारों की रक्षा – ये सभी अब हमारी प्राथमिकताएं होनी चाहिए। स्वतन्त्रता केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि भय, भूख, असमानता, अज्ञान और अन्याय से भी मुक्तिजब हर नागरिक को आर्थिक अवसर मिले, बिना भेदभाव के। जब समाज विचारों की विविधता को स्वीकार करे, न कि उसे कुचले।जब युवा आत्मनिर्भर, जागरूक और उत्तरदायी बनें।जब देश की नीति नैतिकता और समावेशिता पर आधारित हो।जब हम संस्कृति का सम्मान करते हुए आधुनिकता से जुड़ें, न कि पश्चिमीकरण को अंधानुकरण समझें। अपराध बढ़ रहे हैं। अब लोग ज्यादा जागरूक हो गए हैं और थानों में जाकर एफआईआर दर्ज कराने लगे हैं? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आजकल पुलिसिंग सिस्टम में पारदर्शिता आई है. लोग अब खुलकर सामने आते हैं और घटनाओं को रिपोर्ट करते हैं. पहले जो बातें दबा दी जाती थीं, डर, समाज, या सिस्टम पर भरोसा न होने के चलते, अब वो बातें रिकॉर्ड पर आ रही हैं. इसका एक पहलू ये भी है कि आंकड़ों का बढ़ना हमेशा बुरी बात नहीं होती, बल्कि ये इस बात का संकेत भी हो सकता है कि अब चीजें छिपाई नहीं जा रहीं। देश में इतना विकास के बाबजूद बढते अपराध महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों और अत्याचार के आंकड़े परेशान करने वाले हैं। दुर्भाग्य देखिए कि आज तथाकथित धर्म उपदेशक कथावाचक भारतीय महिलाओं को चरित्रहीन बताने का दुस्साहस कर रहे हैं और हमारी सरकारें ऐसे अल्प शिक्षित अल्प ज्ञानी रील और सोशल मीडिया के बूते पर स्वयंभू बाबा बने लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से हिचकिचा रहीं है। आजादी के 78 साल बाद भी देश की अदालतों में पांच करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित होना बता रहा है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था हिचकोले खा रही है। पूंजीवाद हावी हो चला है अमीर और अमीर हो रहा है जबकि गरीब का जीवन कष्टों से भरा हुआ है। अभी भी सबको शिक्षा सबको स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था देने में सरकार नाकाम रही है। अस्पताल है तो डाक्टर नहीं है डाक्टर हैं तो दवा नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पर है पुलिस स्थानीय प्रशासन न्याय सब बिक रहा है इस सारे हालात में अभी बहुत काम करना बाकी है। आजादी के बाद एक ऐसा तंत्र विकसित हो गया है जिसमें खुदगर्जी स्वार्थ देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा का अभाव और सत्ता अधिकार के मनमाने दुरुपयोग की भावना बढ़ गई हैं। यही हमारे देश के विभिन्न वर्गों में असमानता और परस्पर अविश्वास का माहौल बना रही है। हमें भ्रष्टाचार मुक्त समेकित विकास की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है तभी हमारी आजादी की रोशनी समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के दर को भी रोशन करेगी।

79 स्वतंत्रता दिवस

"मनुष्य के रूप में हमारी सबसे बड़ी क्षमता दुनिया को बदलना नहीं, बल्कि खुद को बदलना है। -महात्मा गांधी

विवेक और संकल्प

आज जब देश आजादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है, तब पीछे मुड़कर यह देखना महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता के सात दशक से भी अधिक की अवधि में हमने क्या हासिल किया है और क्या कुछ करना बाकी है। स्वतंत्रता दिवस महज एक तारीख नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और राष्ट्र के मूल्यांकन का अवसर भी होता है। इस लिहाज से देखें, तो हम कई वजहें पाएंगे, जो हमें राष्ट्रीय गौरव से भर देंगी। हरित क्रांति की बदौलत हम कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए, आईटी क्रांति ने हमें वैश्विक सॉफ्टवेयर हब बनाया, तो इसरो की सफलताओं ने हमें अंतरिक्ष क्षेत्र के शीर्ष राष्ट्रों की कतार में खड़ा किया। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश की हालिया उपलब्धियां तो और भी चमकदार हैं। हम जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और 2028 तक तीसरे पायदान पर पहुंचने की राह पर हैं। डिजिटल क्रांति में यूपीआई का दायरा निरंतर वृद्धिमान है। हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिये पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई, तो रक्षा उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि हमारे आत्मविश्वास और सामर्थ्य की गवाही देती है। स्वतंत्रता दिवस का पावन अवसर हमें स्वतंत्रता सेनानियों के जज्बे की भी याद दिलाता है, जिसकी जरूरत वर्तमान चुनौतियों के मद्देनजर भी महसूस होती है। हालांकि, भारत पर 50 फीसदी का अमेरिकी टैरिफ थोपने की घोषणा कई आशंकाएं पैदा कर रही है। मगर वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसएंडपी का भारत की साख को एक पायदान बढ़ाते हुए यह कहना महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी टैरिफ से भारत पर कम ही असर पड़ेगा, क्योंकि इसकी आर्थिक वृद्धि का आधार घरेलू खपत है। पर्यावरणीय चुनौतियों के लिहाज से देखें, तो किश्तवाड़ और इससे पहले उत्तराखंड व हिमाचल में जिस तरह से प्राकृतिक आपदाएं आईं, उससे यह आशंका पैदा होती है कि कहीं यह विकास की दौड़ में हिमालय की आवाज को अनसुना करने का दंड तो नहीं। दूसरी ओर, देश में राजनीतिक मतभेद अब इतने

बढ़ गए हैं कि सांविधानिक संस्थाएं भी संदेह के घेरे में लाई जा रही हैं। नैरेटिव के मायाजाल इस तरह बुने जा रहे हैं कि अब से पहले यह इतना जरूरी कभी नहीं लगा कि तथ्यों की जांच एआई से नहीं, बल्कि अपने विवेक की रोशनी में की जाए। हमारा ऐसा संकल्प ही आजादी के उत्सव को महज औपचारिकता बनने से बचा सकता है।

यह उजाले का उत्सव है

स्वाधीनता दिवस आलोकमय अवतरण का पर्व है। यह केवल मौन से मंडित गौरव उपादान भर न बना रहे, बल्कि आगे की पीढ़ी के लिए एक दीप्ति से भरपूर और विकास का उद्घोष करने वाला जीवंत गौरव बने, यह संकल्प लेना ही इस दिवस की सार्थकता है।

आंखों में कष्ट है। चिकित्सक के यहां गया, तो वहां आंखों में दवा डाली गई। दवा डालते समय कहा गया, आंखें बंद कर लीजिए, आंखों में कुछ देर जलन होगी, फिर आंखें अंधेरे की अभ्यस्त हो जाएंगी। इन्हें बंद ही किए रहें। आंखों की पुतलियां जब बड़ी होंगी, तब आंखें खुलेंगी और आप उजाले के बीच होंगे। और मेरे अंतर की आंखें खुल गईं।

सोचने लगा, यही तो इस महादेश की नियति रही है। उजाले के बीच युगों तक रहा, फिर आक्रमणकारियों ने जब पराजित किया, तो देश की आंखें बंद हुईं, उनमें जलन होने लगी, धीरे-धीरे वह अंधेरे का अभ्यस्त हुआ, पराधीनता का अंधेरा उसे रास आया, लेकिन आंखों की पुतलियों ने स्वयं को बड़ा किया और फिर हम उजाले के बीच आ गए।

नर्मदा प्रसाद उपाध्याय
वरिष्ठ साहित्यकार

पंद्रह अगस्त अंधेरे की अभ्यस्तता को पराजित कर, देश के आलोकमय अवतरण का पर्व है।

यह भाद्रपद (भादो माह) में आता है और यह माह भी एक आलोकपुत्र के अवतरण का साक्षी है, कृष्ण जन्म का पर्व, जिसे हम जन्माष्टमी के नाम से संबोधित करते हैं। यह उजाले का उत्सव है। इसी दिन अंधेरे को पराजित कर कृष्ण जन्मे थे, एक उजास पुरुष के रूप में। उनका नाम भले कृष्ण रहा हो, लेकिन उनसे उजला व्यक्तित्व इतिहास में कोई नहीं है।

कृष्ण की स्मृति से जुड़ा यह पर्व कृष्ण के ही समान है, जिसने परतंत्रता के अंधकार को चीरकर स्वाधीनता के आलोक से देश के कण-कण को जगमगा दिया। हम इसे अधिकतर स्वतंत्रता के पर्व के नाम से संबोधित करते हैं। लेकिन लगता है, स्वतंत्रता दिवस से अधिक सटीक है इसे स्वाधीनता दिवस कहना। स्वतंत्रता में कहीं स्वच्छंदता की आहट भी छिपी है और स्वच्छंदता हमारे लिए कभी स्वीकार्य नहीं हो सकती। इसलिए कि चाहे व्यक्ति स्वतंत्र हो या उसके नायक, वे दोनों अनुशासन का अतिक्रमण कर सकते हैं और स्वाधीनता का आशय बड़ा स्पष्ट है स्वयं के अधीन रहने का। स्वयं के अधीन रहना, स्वयं के विवेक के अधीन रहना है। इसका आशय किसी को अधीन नहीं रखने की मंशा का भी है।

स्वाधीन शब्द के गर्भ से अन्य सभी के स्वाधीन रहने की आकांक्षा अंकुरित होती है। स्वाधीनता प्राणीमात्र का अधिकार है। स्वतंत्रता में कहीं निजता का स्पर्श है, जबकि स्वाधीनता, जिसमें सबके मुक्त बने रहने का भाव है, वह पूरी तरह लोकपरक है।

स्वाधीनता के आशय ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों और महाकाव्यों में स्पष्ट हैं। *ऋग्वेद* के नासदीय सूक्त में जहां स्व की अवधारणा आत्मिक स्वतंत्रता के रूप में है, वहीं छान्दोग्योपनिषद् तक आते-आते वह 'आत्मन स्वाधीनता' के रूप में और स्पष्ट हो जाती है। यहां स्वाधीन का अर्थ आत्मा के बाहरी बंधनों से मुक्त होने और स्वयं की चेतना में स्थित होने से है। *महाभारत* के शांति पर्व में स्वाधीनता को आत्मनियंत्रण और धर्म पालन से जोड़ दिया गया है और भागवत तो स्वाधीनता के पूरे आशय का ही आख्याता है।

साहित्य में तुलसी से लेकर मध्यकाल के सभी कवियों ने, वे चाहे जिस धारा के हों, स्वाधीनता को मुक्ति का ही पर्याय माना। तुलसी ने जहां *पराधीन सपनेहु सुख नाहीं* कहा, वहीं कबीर ने घोषणा की कि *मुक्ति को घर सहज है, सहज मिले सो पाय।* इसलिए स्वाधीनता हमारी अनमोल विरासत है, जिसका सीधा संबंध मुक्ति और आत्मानुशासन से है। इसकी व्यंजना स्वतंत्रता से कहीं अधिक व्यापक है।

यह स्वाधीनता, जो पंद्रह अगस्त, 1947 को मिली, वास्तव में देश के जनमानस के उस अमूर्त जीवट की परिणति थी, जिसका मूर्त रूप महात्मा गांधी के नेतृत्व में किए गए आंदोलन भी थे और भगत सिंह तथा चंद्रशेखर आजाद सहित महान क्रांतिवीरों के बलिदान भी। यह स्वाधीनता किसी एक व्यक्ति या पक्ष की देन नहीं थी।

यह अमूर्त जीवट उस अगस्त्य मुनि की भांति था, जिसने अपनी अंजुरी में पराधीनता के सागर को समेट कर अपने मुख से समूचा पी लिया था, यह जीवट वह शिवकंठ था, जिसने परतंत्रता के गरल से देश को और विषाक्त होने नहीं देते हुए स्वयं में धारण कर इस देश की धरती को विषमय होने से बचा लिया था और यह वह जीवट था, जिसने अपनी सामर्थ्य से उस सूरज को अस्ताचल की राह दिखा दी थी, जिसे अपने पर इतना भरोसा था कि वह कभी डूब नहीं सकता। पंद्रह अगस्त इसी जिजीविषा के, जीवट के सूर्योदय का साक्षी पर्व है।

आज जब हम इस स्वाधीनता दिवस को मना रहे हैं, तो यह केवल एक दिवस को मनाने की औपचारिकता भर न हो, बल्कि संकल्प हो इस स्वाधीनता को और मुखर-प्रखर करने का, क्योंकि यदि किसी निधि को सहेजे भर रहें, तो उसकी प्रखरता धूमिल होने लगती है, उसकी मुखरता मौन में परिवर्तित होने लगती है, वह केवल गौरव का उपादान भर रह जाती है। स्वाधीनता दिवस केवल धूमिल, मौन से मंडित गौरव उपादान भर न बना रहे, बल्कि आगे की पीढ़ी के लिए एक दीप्ति से भरपूर और विकास का उद्घोष करने वाला जीवंत गौरव बने, यह संकल्प लेना ही इस दिवस की सार्थकता है।

आज अठहत्तर बरस हुए स्वाधीनता मिले और इन बरसों में क्या पाया-क्या खोया का आकलन प्रायः प्रतिदिन होता है, लेकिन यह आकलन कभी नहीं होता कि हमने क्या दिया? देने को लेकर वह सब गिनाया जा सकता है, जो हमारा निजी उद्यम है और इसी निजता को सहेजकर हम इसे राष्ट्र सेवा से जोड़ देते हैं। स्वाधीनता दिवस पर शहरों के तमाम रास्ते ऐसे निजी उद्यमियों और स्वयंभू सेवकों की भीड़ से पटे पड़े हैं, भीड़ इतनी कि असंख्य सिर जुड़कर रास्ता हो गए और रास्ते इतने कि उनकी असंख्य दिशाएं मिलकर भीड़ हो गईं। दोनों में अंतर नहीं हो पाता। कहीं पांव ही नहीं दिखाई देते। पांव चलने का अनुभव देते हैं, लेकिन गंतव्य का पता नहीं देते, इन पंक्तियों से तस्वीर यह बनती है-*चलने को चल रहा हूं पर इसकी खबर नहीं/मैं हूं सफर में या मेरी मंजिल सफर में है।*

इसलिए इस स्वाधीनता पर्व पर यह सुनिश्चित करना होगा कि मंजिल स्थिर रहे और उसकी ओर सुनिश्चित रास्तों पर पांव गतिशील होते रहें। आज जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां फिर प्रासंगिक हो गई हैं-*हिमाद्रि तुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती/स्वयंप्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती/अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो/प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो, बढ़े चलो...।*

edit@amarujala.com

भारत का हर नागरिक यह याद रखे कि वह भारतीय है और इस देश में उसे हर अधिकार प्राप्त है, लेकिन उसके कुछ कर्तव्य भी हैं।
- सरदार वल्लभभाई पटेल

समाज

आजादी की बात ही कुछ और है

आज तक जमीन पर यह घटना घटी ही नहीं है कि स्वतंत्र चित्त व्यक्ति कभी स्वच्छंद हुआ हो। यह समझ सके, तभी समझ पाएंगे कि स्वतंत्रता की बात ही कुछ और है।

किसी गली या बाजार में, राह पर जब दो आदमी आपस में उलझते हैं, तो उन्हें अधिकांश लोग देखते हैं और अपनी राह पर चलते रहते हैं, कहते हैं: लड़ने-मरने दो, हमें क्या करना है! लेकिन, कुछ बीच-बचाव करते हैं, और कभी-कभी स्वयं भी पिट जाते हैं, कोई लाभ नहीं होता। यह सामान्य बात है। ऐसा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। ट्रंप ने तो भारत व पकिस्तान को, विशेषकर भारत को न तो समझाया और न युद्ध से रोका। भारत से केवल ट्रेड डील की बात की और टैरिफ की धमकी दी। पाकिस्तान के साथ पर्सनल व्यापार किया-विशेषकर सेनापति मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच दिया और नोबेल पुरस्कार की सिफारिश खरीदी। उसका उद्देश्य केवल नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करना और अपने व्यवसाय को बढ़ाना है। एपल कंपनी के मालिक से करोड़ों का गिफ्ट (रिश्वत) लेते हुए उसे कोई शर्म नहीं आई और न ही उसकी कुर्सी गई। भारत का कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकता, करेगा तो उसी दिन उसकी कुर्सी गई। भारत और अमेरिका के लोकतंत्र और जीवन मूल्यों में यह अंतर है। भारत अपने आदर्शों और जीवन मूल्यों पर अड़े रहने की भारी कीमत चुकाता है।

अमेरिका का एक विचारक हेनरी थारो हुआ। महात्मा गांधी उससे बहुत प्रभावित थे। अमेरिकी विधान में लिखा हुआ है कि व्यक्ति को आवागमन की स्वतंत्रता है। इसका उसने क्या अर्थ किया, मालूम है? रेलगाड़ी में बिना टिकट चलना! आवागमन की स्वतंत्रता! कोई रोक नहीं सकता। जब आवागमन की स्वतंत्रता है, तो रेलगाड़ी में बैठेंगे, हवाई जहाज में चढ़ेंगे! वह कई दफा पकड़ा गया, सजाएं भी काटीं, मगर वह यह कहता था कि यह व्यक्ति की मूलभूत स्वतंत्रता है; और फिर चलता था बिना टिकट।

स्वामी चैतन्य कीर्ति

प्रति वर्ष हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यह दिवस एक राष्ट्रीय उत्सव की गरिमा वाला दिवस है, लेकिन इस उत्सव के पहले और बाद में ज्यादातर लोग राजनीतिक स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता का व्यवहार करते दिखाई देते हैं। यहां तक कि देश की संसद भी अपवाद नहीं है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में गुणात्मक अंतर है। ओशो ने अपने एक प्रवचन में समझाया है : आज तक जमीन पर यह घटना घटी ही नहीं है कि स्वतंत्र चित्त व्यक्ति कभी स्वच्छंद हुआ हो। स्वच्छंद होता है, परतंत्र चित्त ही। परतंत्र चित्त जब क्रोध से भर जाता है, तो स्वच्छंद हो जाता है। हमारे, सभी नई पीढ़ियों के युवक आज क्रोध से भरे हैं। इसलिए स्वच्छंद होते जा रहे हैं। इसमें हजारों वर्ष से मनुष्य के मन पर लादी गई दासता का हाथ है। जब तक हम इस सत्य को न जानेंगे, तब तक न तो हम मनुष्य को परतंत्रता से बचा सकते हैं और न स्वच्छंदता से। एक विशियस सर्कल (दुश्चक्र) शुरू होता है।

परतंत्र चित्त स्वच्छंद होना चाहता है। स्वच्छंद चित्त को देखकर हम घबराते हैं और परतंत्रता को थोपने की कोशिश करते हैं। जितनी हम परतंत्रता थोपते हैं, उतनी स्वच्छंदता प्रतिक्रिया में पैदा होती है। जितनी स्वच्छंदता पैदा होती है, उतने हम भयभीत हो जाते हैं और परतंत्रता के नए आयोजन करते हैं। ऐसा एक दुश्चक्र हजारों वर्ष से मनुष्य के ऊपर चल रहा है। अब यह शायद अंतिम घड़ी में पहुंच गया है। शायद परतंत्रता इतनी गहरी हो गई है कि उसके परिणाम में आदमी अब सब भांति स्वच्छंद हो जाना चाहता है। चित्त को हम जितना दबाते हैं, उसकी उतनी प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। स्वच्छंदता और परतंत्रता, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर यह समझ में आ जाए, तो ख्याल में आ सकता है कि स्वतंत्रता की बात ही कुछ और है।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

स्वतंत्रता एक जिम्मेदारी है

स्वतंत्रता हमें अपने जीवन का स्वामी बनाती है, लेकिन इसके साथ यह मांग भी करती है कि हम अपने निर्णयों के लिए जवाबदेह रहें। समाज में रहते हुए एक-दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना ही स्वतंत्रता का सच्चा सार है।

स्वतंत्रता सिर्फ बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं है, यह हमारे विचारों, कार्यों और जीवन के उद्देश्य को स्वतंत्र रूप से चुनने की शक्ति है। स्वतंत्रता जीवन को सार्थक बनाती है और हमें सच्चा इन्सान बनने का अवसर देती है। स्वतंत्रता का पहला आयाम है विचारों की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार स्वयं बनाने का अधिकार है। समाज अक्सर हमें अपने नियमों और रीति-रिवाजों के अनुसार सोचने के लिए मजबूर करता है। अपने मन को खुला रखें। सवाल करें, तर्क करें, और सत्य की खोज करें। यदि आप दूसरों के विचारों को बिना जांचे-परखे स्वीकार करते हैं, तो आप अपनी बौद्धिक स्वतंत्रता खो देते हैं।

जॉन स्टुअर्ट मिल

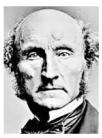

अपने विचारों को व्यक्त करने का साहस करें, क्योंकि यही सच्ची स्वतंत्रता की शुरुआत है। समाज हमें एक निश्चित ढांचे में ढालने की कोशिश करता है, लेकिन जीवन तो हमारा है। अपनी पसंद का जीवन जिएं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि हमारी स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण न करे। स्वतंत्रता का उद्देश्य केवल स्वच्छंदता नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को प्राप्त करें। स्वतंत्रता हमें अपने गुणों, प्रतिभाओं और क्षमताओं को विकसित करने का अवसर देती है। इन्सान कोई मशीन नहीं है, जो किसी निश्चित ढांचे में काम करे, बल्कि एक वृक्ष है, जिसे अपनी शाखाओं को फैलाने और सूर्य की ओर बढ़ने के लिए स्वतंत्रता चाहिए। अपने जीवन में प्रयोग करें, नई चीजें सीखें और अपने अनुभवों से बढ़ें।

जीवन धारा

स्वतंत्रता हमें वह स्थान देती है, जहां हम स्वयं को खोज सकते हैं। लेकिन, ध्यान रहे स्वतंत्रता की सीमाएं हैं। हमारी स्वतंत्रता वहां समाप्त होती है, जहां हम दूसरों को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं। समाज में रहते हुए हमें एक-दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। यह संतुलन स्वतंत्रता का सच्चा सार है। अपनी आजादी को जीना, लेकिन दूसरों की आजादी को भी महत्व देना बेहद जरूरी है। स्वतंत्रता एक जिम्मेदारी है। यह हमें अपने जीवन का स्वामी बनाती है, लेकिन इसके साथ यह मांग भी करती है कि हम अपने निर्णयों के लिए जवाबदेह रहें। व्यक्ति जो अपनी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं करता, वह अपनी मानवता का त्याग करता है। अपने जीवन को सचेत रूप से जिएं। अपने विचारों को स्वतंत्र रखें, अपने कार्यों को नैतिक बनाएं और अपने सपनों को साकार करें।

ऐ मेरे प्यारे वतन...

आजादी, कानून, संविधान, ये सब किसके लिए हैं? मनुष्य के लिए। एआई के युग में, मनुष्य को बचाने के लिए रोबोट नहीं आएगा। मनुष्य ही मनुष्य को बचा सकता है।

नंदितेश निलय
स्पीकर, लेखक एवं एथिक्स प्रशिक्षक

आइए, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस लेख की शुरुआत जय हिंद के उद्घोष से करें। अंततः, हिंद की जय, लोकतांत्रिक गणराज्य में एक आम आदमी के जीवन की जय ही तो होती है। और उन आम नागरिक में कोई बच्चा भी होता है, कोई विद्यार्थी भी, जो अपने घर से कुछेक किलोमीटर दूर स्कूल जाता है, इस आश्वासन के साथ कि वर्षा ऋतु में उन बारिश की बूंदों के बीच स्कूल की छत आ जाएगी और उनके लिए छाता बनकर उन्हें हमेशा महफूज रखेगी। माता-पिता भी उन तमाम दीवारों पर भरोसा करते हैं और यह मानते हैं कि स्कूल प्रबंधन और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी में यह भी रखता होगा कि जब बरसात आती है, तो सिर्फ वायरस ही नहीं आता, बल्कि उन दीवारों के दरख्तों में पानी भी आता है और वह बेखौफ और कुछ बद्तमीज पानी बिना किसी भय के कहीं भी प्रवेश कर जाता है। वह यह भी नहीं सोचता कि आजाद भारत में स्कूल की दीवारें, सड़कों और पुलों की तरह खोखली हो सकती हैं।

बारिश का पानी यह नहीं देखता कि दीवारें किसी भारी-भरकम फीस वाले स्कूल की नहीं हैं। वे तो आम दीवारें हैं, उन आम बच्चों के लिए, जिनके माता-पिता कभी भी किसी बादल के फटने से अपने घर-गांव संग बह जाते हैं और चूंकि वे आम लोग होते हैं, इसलिए उस जीवन-मृत्यु को समाचार का भी हिस्सा नहीं बनाया जाता, क्योंकि वे घटनाएं भी आम ही तो हैं। और बस, दोष तो उस बारिश के पानी का है, जो अपनी निष्ठुरता के साथ उन दीवारों को लिए उन मासूमों पर गिर जाता है और उधर उन दबी चीखों से दूर आजादी के जश्न में जय हिंद के नारे गूंजते रहते हैं। आखिर यह कैसी आजादी है?

ऐसा क्यों होता है कि जब वह बच्चा विद्यार्थी बन जाता है, तो वह खुद को स्कूल की बिल्डिंग के नीचे धंसा हुआ पाता है या पिछले साल की तरह किसी लाइब्रेरी में पढ़ते-पढ़ते जलमग्न हो जाता है। तो फिर बार-बार उस आजाद जीवन का इतना अनप्रेडिक्टेबल होना कि कब कौन दीवार गिर जाए, पुल टूट जाए, सड़क धंस जाए, गर्मी में एसी फट जाए, बरसात में बिजली का खंभा ही सिर पर गिर जाए और जाड़े के पहले प्रदूषण से दम घुट जाए, तो फिर यह कैसी आजादी है? अगर देश के स्कूलों की दीवारें इतनी कमजोर हैं कि बारिश में भरभराकर गिर जाएं, तो फिर ऐसे जीवन का क्या, ऐसे कल्याणकारी राज्य का क्या? उन स्मार्ट सिटी का क्या, जो बरसात के आते ही जलमग्न हो जाएं, वे चुनावी सड़कें शर्म से धंस जाएं। और फिर यह कहें कि उस पर चलता हुआ आदमी कोई आम आदमी ही तो था और इतने बड़े देश में कुछेक सौ

के जाने से कुछ नहीं होता। दोष बारिश का है। इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, कुछ न कुछ तो होता ही रहेगा। अगर ऐसा तर्क हम देते हैं, तो एक ऐसी निष्ठुरता को सामाजिक व्यवहार का हिस्सा बनाते हैं, जो सिर्फ कुर्सी के करीब होती है। नहीं तो नोआखाली की गलियों में कोई और भी महात्मा गांधी के साथ गया होता, उस दुख को महसूस किया होता और यह समझा होता कि आजादी का जश्न उन तमाम जनता की खुशियों से जुड़ा है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं हैं, बल्कि मनुष्य हैं और उस आजाद देश के नागरिक हैं। तो फिर ऐसी आजादी कैसे संभव बनाई जा सकती है, जिसमें एक आम बच्चे, विद्यार्थी और उस हर आम नागरिक का जीवन सुरक्षित न हो सके? भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए विवेकानंद के अद्वैत राज्य को कैसे जिया जा सकता है?

उत्तर सरल है। आइए, ऊपरी ढांचों में उलझने के बजाय बुनियादी ढांचों पर ध्यान दें और अपनी संरचनाओं को और मजबूत बनाएं। और आजाद भारत की आधारभूत संरचनाओं में से एक है स्कूली शिक्षा, नैतिकता, आचार-विचार और मूल्य, और रोजमर्रा की जिंदगी में आम आदमी की सुरक्षा। इसलिए यदि जीवन का उद्देश्य जीना है, तो जीवित रहने से बढ़कर कोई आनंद नहीं है। एक विकासशील देश में अंग तस्करी, निजी अस्पतालों का एकाधिकार, बढ़ते चिकित्सा खर्च, बदतर सीवेज सिस्टम, रेलवे ट्रैक की दुर्दशा, स्कूलों, सड़कों और पुलों के ढहने की कहानियां बेहद निराशाजनक हैं। हमारा देश ऐसी रोजमर्रा की दुर्घटनाओं से कब मुक्त होगा? गर्मी के मौसम में एसी फटने, पार्कों और अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं ने कई जानें ले लीं। बरसात में जलभराव आम बात है। क्या लोगों की मौत को भी अब एक नए सामान्य व्यवहार के रूप में स्वीकार किया जा रहा है? नहीं, यह आजादी नहीं है।

नौकरशाही और नेतृत्व को भारतीय विकास की कहानी को ऐसी दर्दनाक घटनाओं और घातक मानसिकता से बचाना होगा। एक समाज में जब मूल्यों को किसी व्यक्ति के पालन-पोषण में इनपुट के रूप में प्रदान किया जाता है, तो नैतिकता एक व्यावहारिक क्रिया, यानी आउटपुट के रूप में प्रकट होती है। लेकिन अगर कोई समाज व्यक्तिगत, वैवाहिक, पारिवारिक और संगठनात्मक स्तरों पर उन मूल सार्वभौमिक मूल्यों को प्राथमिकता देने में विफल रहता है, तो नैतिक संवेदनशीलता का पूरा मुद्दा एक नैतिक अनुपालन बन जाता है। फिर न्याय में निष्पक्षता क्या है? फिर नैतिकता क्या है? फिर मानव विकास की कहानी और मनुष्य के विवेक की प्रासंगिकता क्या है?

यह आजादी, कानून, नियम, संविधान, ये सब किसके लिए हैं? मनुष्य के लिए। एआई के युग में, एक मनुष्य ही मनुष्य को बचा सकता है। सही और गलत आचरण, व्यवहार या विकल्पों के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझना तभी संभव हो सकता है, जब मूल्यों या नैतिकता पर कोई व्यंग्य न किया जाए, उन्हें भी आजाद व्यवहार का हिस्सा बनाया जाए, उन्हें जिया जाए। कुछ उस तरह जैसे भारत ने कोविड महामारी के वक्त हर व्यक्ति के जीवन को तवज्जो दी थी, और हमें ऐसा भारत चाहिए। और वह मानवीय नजर भी, जो यह अनुमान लगा सके कि बरसात के बाद एक दिन ठंड भी आएगी और आएगा वह कुहरा, वह फेफड़ों को प्रदूषित करता वह धुआं, वह सब कुछ जो आकाश को पूरी तरह से ढक देगा। और उधर उन स्कूल के मैदान उन मजबूत दीवारों के बीच बच्चों की मुट्ठी में उन्मुक्त तिरंगा अपने रंग में फहराएगा, और वह संगीतमय उद्घोष भी गुंजायमान हो जाएगा...ऐ मेरे प्यारे वतन...

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 66 ■ अंक 82 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2019-21 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

उपलब्धियों भरा सफर

आज पूरा देश जब 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तब आजाद भारत की उपलब्धियों पर नजर दौड़ाते हुए गर्व की अनुभूति होती है. प्रधानमंत्री द्वारा 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास जारी हैं. भारत आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस साल इसके चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की उम्मीद है. वैश्विक उथल-पुथल के बीच इस साल आर्थिक विकास दर करीब 6.5 फीसदी होने का अनुमान है, जो किसी भी देश से अधिक होगी. कृषि क्षेत्र में सिंचित इलाकों का रकबा बढ़ने और उन्नत बीज व वैज्ञानिक तकनीकों के कारण अनाज उत्पादन भी बढ़ रहा है और कृषि उत्पादों का निर्यात भी. दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है और भारतीय कृषि की विकास दर दूसरे अनेक देशों की तुलना में बेहतर है. डिजिटल इंडिया ने सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन डिलिवरी और देश को ज्ञान आधारित समाज बनाने की दिशा में अद्भुत काम किया है, तो सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हमारी प्रगति संतोषजनक है. हाल ही में नासा के साथ मिलकर इसरो ने अंतरिक्ष में निसार उपग्रह प्रक्षेपित कर अपनी क्षमता साबित की और शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा कर लौटे हैं. गगनयान के अलावा शुक्र मिशन, मंगल ग्रह पर खोज और अगले कुछ वर्षों में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना का लक्ष्य इस क्षेत्र में भारत की महत्वाकांक्षी सोच का सबूत है. जहां तक खेलों की बात है, तो क्रिकेट के अलावा कुश्ती, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, राइफल शूटिंग, कबड्डी, शतरंज आदि में भारत ने अपनी उपलब्धियों के झंडे गाड़े हैं. शुभमन गिल के साथ नीरज चोपड़ा, गुकेश, मनु भाखड़, दिव्या देशमुख आदि की उपलब्धियां भी उतनी ही प्रभावित करती हैं. देश के श्रमबल में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी बेशक बहुत संतोषजनक नहीं है, पर बारहवीं से लेकर आइएएस तक की परीक्षाओं में लड़कियां लगातार अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं, तो इस साल नेशनल डिफेंस एकेडेमी से महिला अधिकारियों का पहला बैच ग्रेजुएट हुआ, जो देश में नारी शक्ति के उभार का प्रमाण है. कूटनीतिक विश्व में भारत की आज मजबूत छवि है. पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के मददगार पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत पर अन्यायपूर्ण टैरिफ लगाये जाने पर देश मजबूती से उसका सामना करते हुए व्यापार और कूटनीति के वैकल्पिक मंच को मजबूती देने की कोशिश में है. कुल मिलाकर, आजाद भारत की अब तक की यात्रा प्रेरित करती है.

आजाद भारत की अब तक की यात्रा बेहद गौरवशाली रही है, तो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में विविध क्षेत्रों में उठाये जा रहे कदम भी उत्साहित करने वाले हैं.

आजादी के आंदोलन को याद करने का दिन

सुब्रत मुखर्जी
सेवानिवृत्त प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय
polybius7@gmail.com

स्वतंत्रता दिवस का यह ऐतिहासिक दिन आजादी के संग्राम को और उसमें भाग लेने वाले हमारे सेनानियों को याद करने का अवसर है. आजादी के बाद से अभी तक दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र ने वैज्ञानिक अनुसंधान, अस्पृश्यता निवारण और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि हासिल की है तथा विविध क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया अब भी निरंतर जारी है. भारत को विकसित राष्ट्र बनाने, लोकतंत्र के आधार को और व्यापक करने तथा स्वतंत्रता को सभी भारतीयों के लिए वास्तविक तथा अर्थपूर्ण बनाने की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं.

स्वतंत्रता दिवस का यह ऐतिहासिक दिन स्वतंत्रता संग्राम को और उसमें भाग लेने वाले हमारे सेनानियों को याद करने का अवसर है. उन्नीसवीं सदी में भारत का राजनीतिक विमर्श सामाजिक मुद्दों के इर्द-गिर्द केंद्रित था, जिसे राममोहन राय ने सबसे प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त किया. भारत के सामाजिक पिछड़ेपन को देखते हुए उनका विचार था कि पृथ्वी की सबसे उन्नत सभ्यता से भिड़ंत भारत के लिए अच्छी होगी, क्योंकि इससे देश में वैज्ञानिक नजरिया, सहिष्णुता और कानून के राज की सोच विकसित होगी. बंकिम चंद्र चटर्जी का 'आनंदमठ' (1882) भारत में ब्रिटिश राज के विरोध में लिखा गया था.

इंडियन एसोसिएशन (1876) के गठन के बाद ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीयों के राजनीतिक विचार व्यक्त होने लगे. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1885) की स्थापना के बाद इस विमर्श को और गति मिली. स्वतंत्र भारत की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति बालगंगाधर तिलक थे. उन्होंने कहा था कि 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है.' तिलक ने अंग्रेजों से आजादी को पहला लक्ष्य बताया. उनका मानना था कि सामाजिक कुप्रथाओं से मुक्ति पाने के अभियान को आजादी मिलने तक टाला जा सकता है. वह भारतीय समाज के अंतर्विरोधों और कमियों को जानते थे. ऐसे में, उनका मानना था कि अगर सामाजिक कुप्रथाओं को मिटाने पर जोर दिया गया, तो देश को स्वतंत्रता मिलने में काफी देर हो जायेगी.

जहां तक कांग्रेस की बात है, तो उसका नेतृत्व 1927 तक ब्रिटिशों से पूर्ण स्वतंत्रता की बजाय डोमिनियन स्टेट के दर्जे की मांग कर रहा था. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका का दर्जा तब डोमिनियन स्टेट का ही था. डॉ. भीमराव आंबेडकर भी इस मांग से सहमत थे, क्योंकि उसमें वंचित वर्गों की सुरक्षा का भरोसा था. लेकिन 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने डोमिनियन स्टेट के दर्जे पर कांग्रेस की सर्वसम्मति पर न सिर्फ सवाल उठाया, बल्कि स्वतंत्रता के साथ-साथ ब्रिटिशों से संबंध विच्छेद कर लेने की भी मांग की. डोमिनियन स्टेट दरअसल एक शाही प्रणाली थी, जिसमें संभ्रांत वर्गों का समाज के दूसरे समुदायों पर वर्चस्व होता था. जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस के विचारों से सहमति जतायी. लेकिन महात्मा गांधी अब भी डोमिनियन स्टेट के पक्ष में थे. उनका तर्क था कि डोमिनियन स्टेट और स्वतंत्रता के बीच तुलना कर या डोमिनियन स्टेट के बजाय ब्रिटिशों से स्वतंत्रता की मांग कर हम भीषण गलती करेंगे.

अपनी प्रखर बौद्धिकता से गांधी यह देख पा रहे थे कि कांग्रेस की युवा पीढ़ी में वाम विचारों के प्रति समर्थन बढ़ रहा है. दरअसल महाराष्ट्र के कपड़ा श्रमिकों के कारण पार्टी में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव दिख रहा था. उन्होंने यह भी पाया कि पार्टी में भगत सिंह के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के विचारों से प्रभावित होने वाले लोग भी थे. इस कारण उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को अगले अध्यक्ष के रूप में नामित किया, ताकि कांग्रेस नये विचारों को आत्मसात कर सके और पार्टी में एकजुटता बनी रहे. वह आश्वस्त थे कि कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते ही नेहरू युवाओं को जोड़ेंगे और उन्हें अपनी जिम्मेदारी के प्रति प्रेरित-प्रोत्साहित करेंगे.

जब देश में साइमन कमीशन आया, तब कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के अलावा उदारवादियों ने उसका बहिष्कार किया, क्योंकि न तो उसमें कोई भारतीय प्रतिनिधि शामिल था और न ही उसने भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कही. पर 1928 की नेहरू रिपोर्ट में भारत की आजादी के बजाय आश्चर्यजनक रूप से डोमिनियन स्टेट के दर्जे की मांग थी. महात्मा गांधी की रणनीति कारगर साबित हुई थी. लेकिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिये जाने के खिलाफ एकाएक पूरे देश में शोक और गुस्से की लहर दौड़ पड़ी. नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में (31 दिसंबर, 1929-एक जनवरी, 1930) पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और गांधी ने इसे अनुमोदित किया. इस प्रस्ताव में भारत में ब्रिटिश शासन के दुष्प्रभावों को रेखांकित किया गया था. पूरे देश में तिरंगा लहराये और देशभक्ति के गीत गाये जाने लगे. देशवासियों ने आजादी के लिए मिलकर काम करने का प्रण लिया. उसी वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जो बेहद सफल रहा. लेकिन उस आयोजन से मुस्लिमों और ईसाइयों की दूरी बताती थी कि अंग्रेजों की 'फूट डालो और राज करो' की नीति काम कर रही थी. महात्मा गांधी ने उसी साल नमक सत्याग्रह शुरू किया.

मार्च 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष थे, तब उन्होंने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा कि पूर्ण स्वराज पर जोर देने का समय आ गया है. नेताजी सुभाष को लगा था कि वैश्विक संकटों के कारण ब्रिटिशों पर आजादी के लिए दबाव बनाने का यही उचित समय है. लेकिन गांधी ने उनके सुझाव को खारिज कर दिया. उनका मानना था कि अभी ब्रिटिशों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का वक्त नहीं आया है.

वर्ष 1940 की गर्मियों में लिनलिथगो ने घोषणा की कि दूसरे विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जायेगा. पर गांधी जी ने उसे खारिज करते हुए कहा कि बहुत देर हो चुकी है, और अब पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी मंजूर नहीं है. फिर 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में 'भारत छोड़ो' आंदोलन शुरू हुआ, जो अंततः भारत की आजादी के रूप में सामने आया. गौर करने की बात यह है कि 1929 में पूर्ण स्वराज की जो मांग की गयी थी, वह बाद के वर्षों में कभी मंद नहीं पड़ी. भारत 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी के ऐतिहासिक दिन को याद रखने के लिए भारतीय संविधान को 1950 में उसी दिन लागू किया गया, और वह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में याद किया जाने लगा.

ग्रैनविल ऑस्टिन के मुताबिक, भारतीय संविधान की तीन खास विशेषताएं हैं-एकता का विचार, विभाजन के बीच जो सबसे अधिक चिंता का विषय था, मुख्यधारा के राष्ट्रीय आंदोलन को साकार करने के लिए सामाजिक क्रांति, और एक अनिश्चित भूगोल में लोकतंत्र को सुरक्षित रखना. आजादी के बाद से अभी तक दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र ने वैज्ञानिक अनुसंधान, अस्पृश्यता निवारण और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि हासिल की है तथा विविध क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया अब भी निरंतर जारी है. भारत को विकसित राष्ट्र बनाने, लोकतंत्र के आधार को और व्यापक करने तथा स्वतंत्रता को सभी भारतीयों के लिए वास्तविक तथा अर्थपूर्ण बनाने की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

बंद अर्थव्यवस्था से चौथी आर्थिक महाशक्ति

अभिजीत मुखोपाध्याय
अर्थशास्त्री, चिंतन रिसर्च फाउंडेशन
abhijitmukhopadhyay@gmail.com

लिवरपूल और मैनचेस्टर की मिलों को कच्चा माल और तैयार बाजार उपलब्ध कराने वाली एक बंदी अर्थव्यवस्था (कैप्टिव इकोनॉमी) से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने तक भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक लंबा रास्ता तय किया है. अनुमान है कि 2025 के अंत तक भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगा.

लिवरपूल और मैनचेस्टर की मिलों को कच्चा माल और तैयार बाजार उपलब्ध कराने वाली एक बंदी अर्थव्यवस्था (कैप्टिव इकोनॉमी) से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने तक, भारत की अर्थव्यवस्था ने एक लंबा रास्ता तय किया है. अनुमान है कि 2025 के अंत तक भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगा. भारत का आर्थिक परिवर्तन शुरुआती दशकों में नयी इस्पात मिलों, बहुउद्देश्यीय बांधों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, ऑटोमोबाइल कारखानों जैसे 'आधुनिक भारत के मंदिरों' के निर्माण के साथ शुरू हुआ था. और 1980 के दशक के अंत तक, भारत ने अपने विदेशी व्यापार को उदार बनाया और कंप्यूटरीकरण तथा दूरसंचार क्रांति को उसके प्रारंभिक रूप में अपनाया. देश की अर्थव्यवस्था में वास्तविक परिवर्तन 1991 में तब शुरू हुआ, जब भारत ने अधिक बाजार अनुकूल नीतियां लागू कीं. इक्कीसवीं सदी में, देश ने नयी तकनीक- रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल तकनीक आधारित उद्योग और ई-कॉमर्स- को अपनाकर चौथी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की.

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की बात करें, तो 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए, देश की जीडीपी 1950-51 से लगभग 35 गुना बढ़ गयी है. वर्ष 1950-51 में जहां यह पांच लाख करोड़ रुपये से थोड़ी कम थी, वह 2023-24 में सहजता से 170 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गयी. प्रथम संशोधित आकलन के अनुसार, देश का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2024-25 में 187.97 लाख करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंचा है. वर्ष 1960 और 1970 के दशक में राष्ट्रीय आय में लगभग 48 प्रतिशत की मामूली दशकीय वृद्धि दर देखी गयी, उसके बाद 1980 के दशक में इसमें लगभग 34 प्रतिशत की उल्लेखनीय गिरावट आयी. हालांकि, 1990 और 2000 के दशक में जीडीपी में दशकीय वृद्धि दर 70 प्रतिशत से अधिक रही, जो नयी सहस्राब्दी के पहले दशक में 90 प्रतिशत से अधिक के अपने चरम पर पहुंच गयी. हालांकि, हाल के दिनों में दशकीय जीडीपी वृद्धि दर की गति धीमी पड़ गयी है. वहीं प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआइ) में अच्छी वृद्धि तो हुई, पर बहुत ही मामूली दर से. सबसे अच्छी दशकीय वृद्धि- 50 प्रतिशत से अधिक- 2000 के बाद के पहले दो दशकों में दर्ज हुई. वर्ष 2020 (महामारी के वर्षों) के बाद के पहले तीन वर्षों में 23 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गयी- जो कठिन समय में प्रशंसनीय उपलब्धि है.

अनुमान है कि 2023 में भारत की जनसंख्या 1.4 अरब से अधिक पर पहुंच गयी है. हालांकि, 1960 से शुरू होकर पिछले छह दशकों में जनसंख्या वृद्धि में लगातार गिरावट का रुझान देखा गया है, जबकि लोगों की कुल संख्या में कई गुना वृद्धि दर्ज हुई है, जिससे भारत के संसाधनों और सभी के लिए रोजगार सृजित करने की क्षमता पर दबाव बढ़ रहा है. इतना ही नहीं, 1960 में जन्मे एक औसत भारतीय के केवल 45 वर्ष तक जीवित रहने की उम्मीद थी. तब से, जीवन प्रत्याशा कई गुना बढ़ी है, और यह सब मुख्यतः 1970 और 1980 के दशक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेज सुधार के कारण हुआ है. वर्ष 2020 में, कुल जनसंख्या के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष से अधिक थी. पर महामारी के दो वर्षों के बाद यह थोड़ी कम हो गयी. अब बात साक्षरता की. वर्ष 1981 में भारत की साक्षरता दर लगभग 41 प्रतिशत थी. तब से, देश की समग्र साक्षरता दर में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और 2022 तक यह 76 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर गयी है.

व्यापार की बात करें, तो काफी हद तक बंद अर्थव्यवस्था (क्लोज्ड इकोनॉमी) होने के कारण, शुरुआती दशकों में भारतीय निर्यात मामूली था और 1980 के दशक में ही इसका बढ़ना शुरू हुआ, जब व्यापार उदारीकरण की शुरुआत हुई. वर्ष 1991 में अर्थव्यवस्था के खुलने के बाद निर्यात का मूल्य तेजी से बढ़ा. और 2023-24 में, भारत का निर्यात 437 अरब डॉलर से अधिक हो गया. पर व्यापारिक प्रतिकूलताओं के कारण भारत का वस्तु निर्यात 2024-25 में घटकर 433.56 अरब डॉलर रह गया. दूसरी ओर, 1990 के दशक के बाद आयात में भी वृद्धि हुई. नयी सहस्राब्दी में देश का आयात बिल तेजी से बढ़ा. वर्ष 2023-24 में, भारत का आयात मूल्य 675 अरब डॉलर से अधिक था, जो 2020-21 के 394 अरब डॉलर से बहुत ज्यादा है. कच्चे तेल सहित अंतरराष्टीय वस्तुओं में हुई मूल्य वृद्धि ने बढ़ते आयात बिल में काफी योगदान दिया. हालांकि, बढ़ता आयात भी एक सक्रिय अर्थव्यवस्था का संकेत है. विकास को गति देने के लिए, भारत अपने कारखानों और संयंत्रों के लिए बड़ी मात्रा में मशीनरी और उपकरणों का आयात करता है. निर्यात से अधिक आयात से व्यापार घाटा बढ़ा है और 2023-24 में यह बढ़कर 238 अरब डॉलर पर पहुंच गया. वर्ष 2024-25 के दौरान वस्तु या माल व्यापार घाटा 282.83 अरब डॉलर था, जबकि 2023-24 के दौरान यह 241.14 डॉलर था. इन सबके बावजूद, भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा शुरू हो चुकी है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

जापानी इंसेफेलाइटिस को नियंत्रित करने के लिए तत्काल उपाय की जरूरत

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

वेक्टर जनित रोगों में जापानी इंसेफेलाइटिस नेपाल में मृत्यु का प्रमुख कारण है. पिछले वर्ष देश की राजधानी में इस कारण एक व्यक्ति सहित 23 लोगों की मृत्यु हुई थी और 80 से अधिक लोग संक्रमित हुए थे. इस वर्ष, लगभग 10 दिनों में ही संक्रमणों में तीव्र वृद्धि दर्ज हुई और 18 जिलों में मामलों की संख्या 13 से बढ़कर 33 हो गयी. इसके चलते तीन लोगों की मृत्यु भी हो गयी. जापानी इंसेफेलाइटिस से होने वाली जटिलताएं मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को स्थायी रूप से क्षति पहुंचा सकती हैं. इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है. हालांकि, संक्रमण को रोकने के लिए सुरक्षित और प्रभावी टीके विकसित किये गये हैं. सरकार ने 2015 में इस संक्रमण के टीके को नियमित टीकाकरण में शामिल किया था. इसके बावजूद, हर वर्ष इस घातक वायरस से दर्जनों लोग संक्रमित हो रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं. पंद्रह वर्ष से अधिक आयु के लोगों में इस बीमारी के कारण होने वाली मृत्यु दर अधिक है- यह वह आयु वर्ग है जिसे नियमित टीकाकरण के दौरान टीका नहीं लगाया गया था. चूंकि यह संक्रमण वायरस से संक्रमित क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है, इसलिए डॉक्टर रोग प्रभावित क्षेत्रों में रहने वालों या वहां यात्रा करने वालों को मच्छरों के काटने से बचने और टीका लगवाने की सलाह देते हैं. टीका इस प्रकोप के प्रबंधन में मदद नहीं करता है, पर यह भविष्य में होने वाले संक्रमणों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करता है. स्वास्थ्य सेवा विभाग के अधिकारियों का दावा है कि टीकाकरण अभियान के लिए पर्याप्त लोग और संसाधन तो उपलब्ध हैं, परंतु टीकों की खरीद के लिए धन की कमी है. इस तरह के आपातकालीन स्वास्थ्य उपाय के लिए धन की कमी उचित नहीं है. नेपाल में इस जानलेवा बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है.

THE KATHMANDU POST
WITHOUT FEAR OR FAVOUR

जयंती विशेष

जेल से योगी बनकर लौटनेवाले क्रांतिकारी अरविंद घोष

कृष्ण प्रताप सिंह
वरिष्ठ पत्रकार
kp_faizabad@yahoo.com

अरविंद घोष का समूचा जीवन एक सतत जीवंत प्रवाह का नाम था. देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को उद्यत क्रांतिकारी से लेकर कवि-लेखक, आध्यात्मिक राष्ट्रवादी, चिंतक, दार्शनिक, द्रष्टा, महर्षि, योगी और संन्यासी तक का उनका व्यक्तित्व इतना बहुआयामी था कि कोई कितनी भी सतर्कता से उनका परिचय क्यों न दे, कोई न कोई सिरा छूट जाता है.

लोग कहते हैं कि वह देश की आजादी के दिन जन्मे थे. जबकि सच यह है कि उनका जन्मदिन ही 1947 में देश की आजादी का दिन बन गया. उनकी जितनी आस्था ईश्वर में थी, उतनी ही इंसानियत में भी. इस कारण उनको किसी भी मनुष्य को संदेह की दृष्टि से देखना गवारा नहीं था. उनका विश्वास था कि चूंकि सारे मनुष्य परमात्मा का प्रतिरूप हैं, इसलिए वे बुरे हो ही नहीं सकते.

उनके इस विश्वास से जुड़ा उन दिनों का एक वाकया है, जब वह बड़ौदा (अब वड़ोदरा) रियासत में नौकरी करते थे. महीने के अंत में अपना वेतन पाते, तो उसे लाकर वह अपने कमरे की मेज पर रख देते, जिस पर वह लिखा-पढ़ा करते थे. जबकि कमरे में आगंतुकों का आना-जाना लगा ही रहता. उनके रहने पर भी और न रहने पर भी. तिस पर वह उसमें से होने वाले खर्च का भी हिसाब नहीं रखते. एक दिन एक मित्र ने इसे लेकर उन्हें आगाह किया, तो वह बोले, 'भाई, मेरा मेरा सच्चा व्यवस्थापक तो ईश्वर ही है, और जब मैं उसके प्रतिरूप मनुष्यों के बीच रहता हूं, तो किसी पर अविश्वास क्योंकर करूं?'

वर्ष 1872 में आज के ही दिन कलकत्ता (अब कोलकाता) में एक बंगाली कायस्थ परिवार में उनके पैदा होते ही पिता कृष्णधन घोष, जो पेशे से डॉक्टर थे, उन्हें आईसीएस बनाने का सपना देखने लगे थे. पिता ने पांच साल के होते-होते पहले तो अरविंद को दार्जिलिंग के लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल में भर्ती कराया, फिर दो साल बाद इंग्लैंड भेज दिया. उनकी आगे की शिक्षा-दीक्षा वहीं हुई. अठारह की उम्र में उन्होंने कैंब्रिज विश्वविद्यालय के किंग्स कॉलेज से दर्शनशास्त्र की पढ़ाई पूरी कर ली थी और आईसीएस बनने के पिता के सपने की दिशा में बढ़ चले थे. वर्ष 1890 में उन्होंने उसकी परीक्षा पास भी कर ली थी. पर उसमें चुनाव के रास्ते की अंतिम बाधा वह दूर नहीं कर पाये. उन दिनों आईसीएस में चुने जाने के लिए घुड़सवारी की परीक्षा भी पास करनी पड़ती थी, जिसमें वह विफल रहे. टूटे सपने का बोझ सिर पर लिये वह स्वदेश लौट रहे थे, तो एक और त्रासदी से सामना हो गया. उनके पिता के बंबई (अब मुंबई) स्थित एजेंटों ने एक गलत खबर के आधार पर उन्हें बता दिया कि अरविंद का जहाज पुर्तगाल के तट पर डूब गया. इससे पिता ने सदमे में अपने प्राण त्याग दिये.

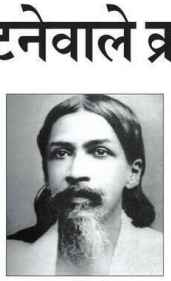

अरविंद घोष
(15 अगस्त, 1872-पांच दिसंबर, 1950)

स्वदेश आकर अरविंद ने नौकरी करते हुए देखा कि अंग्रेजों की गुलामी से त्रस्त देश 'आजादी-आजादी' पुकार रहा है. वह इस पुकार की अनसुनी नहीं कर पाये और आजादी की लड़ाई में कूदने का उन्होंने इरादा बना लिया. उनके भाई बारींद्र (बारीन) घोष ने उन्हें बाघा जतिन, जतिन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ टैगोर आदि क्रांतिकारियों से मिलवाया, तो उन्होंने 'अनुशीलन समिति' की स्थापना में तो मदद की ही, अहमदाबाद जाकर कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिया, बाल गंगाधर तिलक से मिले और उनके साथ सक्रिय हुए. वर्ष 1905 में बंग-भग (बंगाल के विभाजन) से आहत होकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और 'वंदे मातरम' साप्ताहिक के संपादन से जुड़ गये. उस पत्र में विदेशी सरकार के अन्यायों व अत्याचारों के विरुद्ध आवाज बुलंद की, तो वह अंग्रेजों की निगाह में चढ़ गये. उन पर मुकदमा दर्ज किया गया, पर वह बच गये. लेकिन इस तरह कब तक बचते रहते? बंग-भंग के विरुद्ध क्रांतिकारियों द्वारा अंजाम दिये गये ऐतिहासिक अलीपुर बमकांड में शामिल होने को लेकर 1908-09 में उन पर राजद्रोह का अभियोग लगाकर अलीपुर जेल भेज दिया गया.

कहते हैं कि एक दिन जेल में हुई दिव्य अनुभूति के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया और वह योग, साधना व तप की ओर मुड़ गये. जेल से निकलने पर वह पूरी तरह बदल चुके थे. वर्ष 1910 में वह पुदुचेरी चले गये और योग-साधना से सिद्धि पाने के प्रयासों में लग गये. अनंतर, वहीं आश्रम की स्थापना की और योग पर कई मानक ग्रंथ लिखे. करीब चालीस वर्ष बाद 1950 में पांच दिसंबर को वहीं उनका निधन हुआ. उनको स्वयं भी अपने व्यक्तित्व की विराटता का भान हो चला था. इसलिए उन्होंने कहा था कि किसी के लिए उनकी सही जीवनी लिखना संभव नहीं, क्योंकि जो कुछ भी लिखा जायेगा, वह ऊपरी या बाहरी घटनाओं का विवरण होगा. उन्हीं के शब्दों में 'आंतरिक जीवन का आभास और उद्घाटन भला कौन और कैसे कर सकता है? फिर क्षणिक उल्लास और वैयक्तिक या सामूहिक प्रभाव को उपलब्धि क्योंकर माना जा सकता है?'

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

आपके पत्र

राष्ट्र रक्षा के लिए रहें तैयार हम

देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक वीर सपूतों ने अपनी जान दी है. तब जाकर हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं. इन्हें याद रखते हुए हम सबको राष्ट्र रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, राष्ट्र की प्रगति में योगदान देना चाहिए. इसके साथ ही हमें राष्ट्र की मान-मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए. देश में शांति व सौहार्द बनाये रखने के लिए तत्पर रहना चाहिए. साथ ही राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर अपने घर, कार्यालय आदि पर तिरंगा फहराकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए.

तारामुनी देवी, वैशाली

देश को आगे बढ़ाने का प्रण

आज स्वतंत्रता दिवस है. वर्ष 1947 में जब देश अंग्रेजों की दासता से मुक्त हुआ, तो प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में एक सपना था. तब से लेकर अब तक हमने काफी उपलब्धियां प्राप्त की हैं. यह अकेले किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है, बल्कि अनेक लोगों के अथक प्रयास से हम यहां तक पहुंचे हैं. हालांकि अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है. यदि हम सब एकजुट होकर प्रयास करें, तो हमारा देश जल्द ही विकसित भारत बन जायेगा. आइए, हम सब देश को आगे बढ़ाने का प्रण लें.

आद्रिका श्रीवास्तव, रांची

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001 ■ फैक्स करें : 0651-2544006 ■ मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 15-08-2025 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMP14 User: kamlesh.mestry Time: 08-14-2025 23:07 Color:

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । मुंबई । शुक्रवार, 15 अगस्त 2025

विकसित भारत!

भारत आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 1947 से लेकर अब तक - ये 78 बरस उपनिवेश की परछाईं से निकल कर दुनिया में एक अलग हैसियत हासिल करने के सफर की कहानी कहते हैं। एक वक्त जिस देश के बारे में यह भविष्यवाणी की गई थी कि इसका ढहना तय है, वह आज ग्लोबल जियो और इकॉनमिक पॉलिटिक्स का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है।

आर्थिक उदारीकरण । इन बरसों को कई अहम पड़ावों में बांटा जा सकता है - पहला चुनाव, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण, पोखरण। हर एक पड़ाव महत्वपूर्ण है और इसने देश को वर्तमान आकार देने में मदद की। लेकिन, प्रभाव के नजरिये से देखा जाए, तो 1990 का दशक बदलाव का सबसे बड़ा वाहक था, जब भारत ने आर्थिक उदारीकरण को अपनाया और तय किया कि उसे किस रास्ते पर चलना है।

तरक्की की राह पर देश

तरक्की की रफ्तार । भारत के बाजार को खोलने का वह फैसला लिया गया, क्योंकि ऐसी मजबूरी खड़ी हो गई थी। तब देश के पास आयात के लिए विदेशी मुद्रा नहीं बची थी, और आज फॉरेन करंसी रिजर्व के मामले में भारत टॉप 4 में है। जिस विशाल आबादी को बोझ समझा जा रहा था, उसी की बदौलत तरक्की की ऐसी रफ्तार मिली, जो कोरोना महामारी और युद्धों के बीच भी थमी नहीं।

आत्मनिर्भर भारत । भारत की विकास यात्रा की कहानी आंकड़े बताते हैं - 6.5% की विकास दर, ग्लोबल GDP ग्रोथ में लगभग 17% का योगदान। देश धीरे-धीरे आयात से आत्मनिर्भरता और निर्यात की ओर बढ़ रहा है। पिछले एक दशक में एक्सपोर्ट में 76% की वृद्धि हुई है, जबकि सर्विस एक्सपोर्ट करीब दोगुना हो गया है। इंजीनियरिंग के सामानों, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाओं या खाने-पीने तक ही नहीं - दूसरे देश अब हथियार भी खरीद रहे हैं भारत से। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत ने 80 देशों को 2.76 बिलियन डॉलर के हथियार बेचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय हथियारों की ताकत दिखाई है और इससे भी एक बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।

मिशन 2047 । भारत के विश्व बंधुत्व, सहयोग, उदारता और सभी से बराबरी के व्यवहार के चलते दुनिया की आकांक्षाएं उससे जुड़ चुकी हैं। सभी वैश्विक मंचों पर नई दिल्ली की बात सुनी जाती है और उसकी राय को सम्मान मिलता है। भारत का रुख दुनिया पर असर डालने वाले भू-राजनीतिक मुद्दों की दिशा तय करने की ताकत रखता है। अब देश के सामने अगला बड़ा लक्ष्य है 2047 तक विकसित मुल्कों की कतार में आना। तमाम मुश्किलों का मिलकर सामना करते हुए भारत जिस तरह यहां तक पहुंचा है, भरोसा है कि वह मंजिल भी उसे जरूर मिलेगी।

रोज़-ब-रोज़

यह मुलाक़ात

शैलेंद्र पांडेय

दोनों के बीच की दूरी 4 किमी से भी कम है, लेकिन राजनीति ने दोनों को समय के दो छोरों पर धकेल दिया है। एक जगह आज चल रहा होता है और दूसरी जगह आने वाला कल। सर्दियों में जब इनके बीच बह रहा समुद्र जम जाता है, तो यह भी संभव है कि पैदल चलकर यह 'समय यात्रा' पूरी कर ली जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? वजह है राजनीति। Bering Strait के बीच मौजूद ये दो छोटे-से द्वीप हैं - Big Diomede और Little Diomede, आकार हीरे जैसा। 1867 में जब रूस ने अलास्का को अमेरिका के हाथों बेचा, तो Little Diomede भी उसके नियंत्रण से निकल गया। हालांकि बड़ा द्वीप उसके पास ही रहा।

इन दोनों द्वीपों के बीच से गुजरती इंटरनैशनल डेट लाइन ने छोटे वाले द्वीप को Yesterday Island बना दिया और बड़े को Tomorrow Island। अब इन्हीं से कुछ मील दूर मौजूद अलास्का के मेनलैंड में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन और अमेरिका के प्रेजिडेंट डॉनल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात होनी है। ये दोनों नेता भी जब मिलेंगे, तो इनके बीच ऐसी समय रेखा होगी, जिसे पार करने के लिए जबरदस्त हिम्मत, मेहनत और इच्छाशक्ति की जरूरत पड़ेगी। दोनों नेता इस समय दो ध्रुवों पर मौजूद हैं और किसी के लिए भी अपनी जगह से खिसक कर आगे आना - और जरा-सा भी यह आभास देना कि वह झुक रहा है, आसान नहीं।

आखिरी बार इनका इस तरह मिलना 2018 में हुआ था। तब रूस पर आरोप थे कि उसने अमेरिकी चुनावों में दखल दिया है। लेकिन, मीटिंग के बाद ट्रंप जब बाहर निकले, तो पूतिन से इतने आश्वस्त हो गए थे कि कहने लगे - 'रूस के पास चुनावों में गड़बड़ी करने का कोई कारण नहीं दिखता'। पश्चिम को डर है कि कहीं ट्रंप फिर से इतने ही मुतमइन न हो जाएं, कुछ ऐसा वादा न कर बैठें जिसे पूरा करना किसी के लिए संभव न हो। उनकी आदत को देखते हुए मॉस्को से ज्यादा यूरोप और अमेरिका के लोग आशंकित हैं उनसे। ऐसा पहली बार होगा कि दो प्रतिद्वंद्वी सुलह के लिए बात कर रहे हों और बाहर मौजूद लोगों का दिल धड़क रहा हो कि कहीं दोनों एक न हो जाएं!

एकदा

आज़ादी दूर नहीं

तब प्रेमचंद लखनऊ में रहते थे और 'माधुरी' पत्रिका का संपादन करते थे। उनके घर के सामने अमीनुद्दीन पार्क था, जहां उन दिनों नमक कानून तोड़ने के लिए रोज कांग्रेस के स्वयंसेवक आते थे। प्रेमचंद की धर्मपत्नी शिवरानी देवी भी घर से निकल कर स्वयंसेवकों और सेविकाओं का उत्साह बढ़ातीं। 11 नवंबर, 1931 की सुबह शिवरानी देवी भी अन्य महिलाओं के साथ पिकेटिंग कर रही थीं कि पुलिस ने उन सबको गिरफ्तार कर लिया। उन्हें बैठाकर पुलिस की गाड़ी चल दी। शिवरानी देवी को अखबार पढ़ने के कारण यह पता था कि कानून तोड़ने वालों को कभी जेल में बंद किया जाता है, तो कभी दूर ले जाकर छोड़ दिया जाता है। शिवरानी देवी ने पुलिसकर्मियों से कहा, 'आपको मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है। हम अंग्रेजों के नमक कानून का विरोध करते रहेंगे। हमें जेल ले चलिए।' शिवरानी देवी की हिम्मत देख पुलिस वाले हैरान रह गए। उनमें से एक ने अपनी नम आंखें पोंछते हुए कहा, 'अपनी माताओं-बहनों से ऐसा व्यवहार करते हुए हमें अच्छा नहीं लगता। अगर हम नौकरी से मजबूर नहीं होते तो ऐसा काम कदापि नहीं करते।' उस सिपाही के आंसुओं ने शिवरानी देवी को आने वाले भविष्य की झांकी दे दी। वे सब जेल की गेट पर पहुंचे तो प्रेमचंद वहां पहले से मौजूद थे। शिवरानी देवी ने अंदर जाते हुए उनसे कहा, 'आजादी के दिन अब दूर नहीं।'

संकलन: हरिप्रसाद राय

15 अगस्त 1947 के ऐतिहासिक दिन को ब्रिटेन के अख़बारों ने भी कवर किया था, लेकिन दूसरी तरह से

इंग्लैंड ने इस तरह देखी भारत की आज़ादी

अखिलेश झा

भारत में 15 अगस्त, 1947 का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में कैसे मनाया गया, इस बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन, इंग्लैंड में इसी दिन को एक खास घटना के साथ जोड़कर देखा गया। वहां के 'डेली पोस्ट', 'लिवरपूल इविनिंग एक्सप्रेस' समेत कई अखबारों के पहले पन्ने पर छपी तस्वीरों में लखनऊ में एक पुरानी इमारत पर यूनियन जैक झंडे को फहराते हुए दिखाया गया था।

उपनिवेशवाद का गढ़ । ब्रिटिश भारत की संप्रभुता की गद्दी कलकत्ता या दिल्ली में नहीं, लखनऊ में थी। उस झंडे की खासियत यह थी कि पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में वही एकमात्र यूनियन जैक था, जिसे रात में भी नहीं उतारा जाता था। वह दिन-रात फहरता रहता। 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन को दबा देने के बाद लखनऊ रेजिडेंसी की एक मीनार पर यूनियन जैक फहराकर अंग्रेजों ने इस बात का प्रतीकात्मक ऐलान किया था कि ब्रिटिश क्राउन के विरुद्ध विद्रोह को दबा दिया गया है। 14 अगस्त की शाम को जब उस झंडे को बिना किसी शोरगुल के पहली और आखिरी बार उतारा गया, तो 90 साल से अनवरत फहरा रहे यूनियन जैक के साथ-साथ उपनिवेशवाद का एक गढ़ भी ढह चुका था।

यूनियन जैक के साथ तिरंगा । इंग्लैंड में एक और बड़ी बात हुई, राजधानी लंदन में। वहां के 'इंडिया हाउस' से ही भारत का शासन नियंत्रित होता था। लंदन के ऑल्डविच स्थित इस इमारत पर यूनियन जैक फहराता रहता था। लेकिन, भारत की आजादी के दिन वहां एक और झंडा लगा - तिरंगा। इंग्लैंड के एक और अखबार 'द इवनिंग न्यूज' ने अपने पहले पन्ने पर दोनों झंडों की तस्वीर प्रकाशित की थी। इसके नीचे एक और फोटो था - इंडिया ऑफिस के पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और भारत में आए कैबिनेट मिशन के सदस्य फ्रेडरिक पेथिक लॉरेंस व इंग्लैंड के एक प्रभावी राजनेता हर्बर्ट मॉरिसन का। दोनों उस तिरंगे को देख रहे हैं, जो ब्रिटिश इमारत पर लहरा रहा था।

रोचक चर्चा । वहां के अखबारों में एक और रोचक चर्चा इस संभावना को लेकर चली थी कि इंग्लैंड के राजा दिल्ली में फिर से एक दरबार लगाकर भारत की स्वाधीनता की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि यह चर्चा आम लोगों के बीच ही ज्यादा रही, इस पर किसी आधिकारिक विचार का प्रमाण नहीं मिलता।

विभाजन पर अलग समझ । इंग्लैंड में भारत के विभाजन को लेकर जो समझ थी, वह 15 अगस्त, 1947 की खबरों से बहुत हद तक जाहिर होती है। 'वेस्टर्न मेल' अखबार ने उस दिन लिखा कि इंग्लैंड ने दो राष्ट्र बनाए हैं - पाकिस्तान, एक मुस्लिम राष्ट्र और भारत, एक हिंदू राष्ट्र। एक और अखबार, 'द प्रेस एंड जर्नल' ने भी भारत और पाकिस्तान को हिंदू व मुस्लिम राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया। यही नहीं, इस अखबार ने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का उल्लेख भी हिंदू नेता के रूप में किया। इंग्लैंड के अखबारों में यह भी लिखा गया कि पाकिस्तान के मुसलमान जितने खुश आजाद होकर नहीं, उससे ज्यादा खुश हिंदुओं से अलग होकर हैं।

आधी रात का विवरण । इंग्लैंड के जर्नलिस्ट नॉर्मन क्लिफ ने भारत में आजादी के आधी रात के जश्न को करीब से देखा था। उन्होंने 'न्यूज क्रॉनिकल' के लिए अपनी रिपोर्ट भेजी, जिसमें 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि का रोचक विवरण दिया है। क्लिफ तब वायसराय हाउस के स्टडी रूम में माउंटबेटन के साथ थे। वायसराय हाउस को ही आज हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। माउंटबेटन कुछ देर पहले ही कराची से लौटे थे। वहां वह पाकिस्तान के जश्ने-आजादी में शामिल होने गए थे।

ऐसी रही कवरेज

- अखबारों ने भारत को हिंदू राष्ट्र लिखा
- नेहरू को बताया गया हिंदुओं का नेता
- दिल्ली के जश्न पर स्पेशल रिपोर्ट छपी

SOVEREIGN PAKISTAN AND INDIA BORN

माउंटबेटन को खुशखबरी । क्लिफ ने लिखा कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद और नेहरू वायसराय हाउस में आए। नेहरू ने माउंटबेटन को खुशखबरी दी कि भारत की संविधान-सभा ने माउंटबेटन को भारत के गवर्नर जनरल बनाने के निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी है। वैसे, यह निर्णय इंग्लैंड के राजा पहले ले चुके थे। डॉ. राजेंद्र प्रसाद और नेहरू ने औपचारिक रूप से माउंटबेटन से स्वाधीन भारत के गवर्नर जनरल का पदभार संभालने का आग्रह किया।

जनता का उत्साह । दोनों भारतीय नेता वापस संविधान सभा की तरफ लौटे, तो हजारों की भीड़ लाठी-डंडे खाकर भी उत्साह में दरवाजे पर जमी हुई थी। नेहरू बड़ी मुश्किल से पीछे के दरवाजे से भीतर दाखिल हुए। जब माउंटबेटन की बग्घी निकली, तो लोगों ने उसे भी घेर लिया। नेहरू को लाउडस्पीकर से अपील करनी पड़ी। इसके बाद लोगों ने माउंटबेटन और उनकी पत्नी को रास्ता दिया। माउंटबेटन ने स्वाधीन भारत सरकार की औपचारिकताएं पूरी कराईं। इस बीच, दिल्ली से दूर बंगाल और पंजाब में हजारों-लाखों लोग अपना सब कुछ लुटाकर इस राजनीति की कीमत चुका रहे थे, जिसका आधार सांप्रदायिक था। बंटवारे की आग में न जाने कितनी जिंदगियां जल गईं, लेकिन उनकी चीखें कौन सुनता!

(लेखक सांस्कृतिक कर्मी हैं, ग्रामोफोन-इतिहास लिखते हैं)

कुत्तों से बर्ताव बता देता है समाज का हाल

ज्योत्सना तिवारी

बात फरवरी 2022 कन्नौज की है। एक दिन चुनाव प्रचार में, घर-घर घूमते देर शाम हो गई थी। गांव के चूल्हे जल उठे थे। ये आखिरी घर था। आंगन से धुआं उठ रहा था। चूल्हे के आसपास बैठे दो बच्चे और उनकी मां हमें देख चौंक गए थे। मां रोटियां सेक रही थी। बच्चे जमीन पर बैठे थाली लिए रोटी का इंतजार कर रहे थे।

कुत्ते के हिस्से की रोटी । पास ही चूल्हे की तरफ मुंह किए एक कुत्ता भी लेटा था। सर्द शाम में चूल्हे की गरमाई का आनंद ले रहा था। इतना सुंदर समां लग रहा था। मन तो किया तुरंत फोटो खींच लूं पर किसी के निजी क्षणों में गतिरोध ना हो, इसलिए ऐसा नहीं किया। पूछने पर पता चला कि चूल्हा जलते ही, हर शाम ये कुत्ता आ जाता है, अपने हिस्से की दो रोटी खा लेता है। मैंने प्रचार सामग्री उन्हें दी और सोचने लगी कि भगवान जिसे थोड़ा कम देता है, उसे दिल कितना बड़ा देता है।

एक ही इकोसिस्टम । हम सब एक ही इकोसिस्टम के हिस्से हैं। फिर कुत्ते तो सदियों से इंसान के वफादार, सबसे अच्छे मित्र रहे हैं। मैं उन सभी स्ट्रेज से, जो मेरी जिंदगी में अभी तक आए हैं, कहना चाहती हूं, 'आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले/ जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले।'

समाज का आईना । मेरा मानना है, किसी समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह कुत्तों के साथ कैसा व्यवहार करता है। मैंने पाया है कि पहाड़ का इंसान अपने स्ट्रे डॉग्स को अपने समाज का हिस्सा मानता है। उसे बेहतर ट्रीट करता है। पहाड़ी कुत्ते देखने में रिट्रीवर की तरह होते हैं। शरीर पर खूब सारे बाल होते हैं और झंडे जैसी पूंछ। हम जिन्हें भूटिया कहते हैं, कुत्तों की वह किस्म पहाड़ों के ऊपरी इलाकों में पाई जाती है। उन्हें पहाड़ी भेड़ पालक, अपनी भेड़ों की सुरक्षा के लिए पालते हैं। परंतु मैं बात कर रही हूं बाजारों में, आबादी में, घरों के आसपास पाए जाने वाले आम स्ट्रे डॉग्स की।

बादल और बरखा । पिछले दिनों मैं काम के सिलसिले से अलमोड़ा गई थी। साबुन और टूथ पेस्ट खरीदना था। सो बाजार के एक सुंदर बड़े से होम नीड्स स्टोर पर चली गई। पीछे-पीछे मेरे बच्चे आ गए और उनके पीछे देखा तो दो कुत्ते भी लग लिए थे। फिर नोटिस किया कि दुकानदार ना उन्हें दुत्कार रहा है, ना ही मार रहा है। मुझे एक पल को लगा, उसके पालतू हैं। मैंने पूछ ही लिया क्या नाम हैं इनके। दुकानदार बोला - ये बादल है और ये बरखा। बरखा को बाजार वाले 'मिस अलमोड़ा' कहते हैं। दोनों गली के ही हैं, और सबके साझे हैं। कभी किसी की दुकान के आगे डेरा तो कभी किसी और के घर के आगे बसेरा ले लेते हैं। मारता कोई नहीं है। दुत्कारता कोई नहीं है। कुत्तों के प्रति इस तरह का व्यवहार पहाड़ों पर हर तरफ ही दिखता है। मैंने बादल और बरखा की फोटो ना ली, इसका मलाल आज भी है।

File

कॉमन रूम

चार बच्चे, एक कुत्ता । एक और 'A Thousand dollar' फोटो जो हमने मिस की, वह थी दोपहर बाद स्कूल से लौटते चार बच्चों की। हम गाड़ी से जा रहे थे। उधर से चार बच्चे पीठ पर बस्ता टांगे, मस्ती से हाथों में छाता घुमाते हुए पहाड़ी से उतर रहे थे। उनकेआगे-आगे एक कुत्ता भी उनकी ही स्पीड से उतर रहा था। वह भी उन बच्चों के साथ ही था। ना गले में पट्टा, ना कोई रस्सी, ना कोई डर। स्वच्छंद बच्चों के साथ फुल मस्ती में। विडियो बनाने का या फोटो लेने का क्षण, गाड़ी की स्पीड के साथ ओझल हो गया।

दयालु बनिए । मुझे भी लगा हर सुंदर क्षण को कैमरे में कैद कर ही लिया जाए, जरूरी नहीं है। कुछ क्षण सुंदर अनुभूति की तरह वजूद में समो लेने के लिए होते हैं। चार बच्चों और एक कुत्ते वाले इस मासूम क्षण ने मुझे उन तमाम Enid Blyton books की याद दिला दी जिन्हें पढ़ के हमारा बचपन बीता था। आज भी एक किताब है जिसे हर किसी को पढ़ना, देखना, महसूस करना चाहिए। ये किताब है 'द बॉय, द मोल, द फॉक्स एंड द हॉर्स' जिसके रचनाकार हैं चार्ली मैकीज़ी। पूरी किताब शानदार है पर इसका यह भाग मुझे बहुत पसंद है जब मोल (छछूंदर) बच्चे से पूछता है, 'तुम बड़े होकर क्या बनोगे?' बच्चा बोलता है, 'Kind' यानी दयालु।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

www.speakingtree.nbt.in

संसार को रिझाने के लिए जीवन का अर्थ मत भूलो

आनन्दमूर्ति गुरुमां

ज्ञान की ऊंची मंजिल वही पाएगा, जो शरीर और मन के छोटे-छोटे सुख और दुखों से ऊंचा उठेगा। कल जिंदा रहोगे या नहीं, इसकी चिंता छोड़ो। आज जिंदा हो, आज क्या करते हो, इसकी चिंता करो। जब आप अकेले बैठते हो, तो आपके मन में परमात्मा की याद चलती है या संसार के विचार चलते हैं? मन में नाम चलता है या घर, दुकान, बच्चे - इनके विचार चलते हैं? जब आप रात को लेटते हो, तब नींद आने से पहले आपके मन में संसार की ऊहापोह, लेन-देन, सुख-दुख, हानि-लाभ, राग-द्वेष के विचार चलते हैं या मन शांत होकर ठहर जाता है? अगर पूरा शांत नहीं भी होता हो, तो क्या मन में प्रभु का नाम चलता है?

जिस मन में इच्छाओं की, क्रोध की अग्नि जल रही हो, जिस मन में अज्ञान का घोर अंधकार छाया हुआ हो, उस मन में शांति कभी नहीं रह सकती। जहां रोशनी होती है, वहां अंधेरा नहीं होता। बरसों से बंद अंधेरे कमरे में सूर्य का प्रकाश हो जाए, तो पूरा अंधकार उसी क्षण खत्म हो जाता है। उस अंधेरे को मनाना तो नहीं पड़ता है कि भाई, यहां से चले जाओ। रोशनी के होते ही सौ साल पुराना अंधेरा भी उसी क्षण खत्म हो जाता है।

संसार के लोगों को रिझाने के चक्कर में मनुष्य यह भूल जाता है कि जीवन का परम अर्थ क्या है। लोग सत्संग को टाल देते हैं, संसार को नहीं टालते। जिसके मन में संसार बसा है, उनका बस एक ही नियम होता है कि भोग नहीं छूटना चाहिए। रात का सोना छूट जाए तो भी चलेगा, भोग नहीं छूटना चाहिए। पर जिसको सत्संग प्रिय है, वह जानता है कि रात को देर तक जागूंगा तो सुबह नाम-सुमिरन नहीं कर पाऊंगा।

ज्ञान की योग्यता हमारे अंदर बन सके, इसके लिए नाम-अभ्यास करना बहुत जरूरी है। गुरबानी में बहुत सुंदर कहा है कि एक ही नाम का जप करते रहो, करते रहो। जब हमारा मन किसी एक चीज पर बार-बार एकाग्र होता रहता है, तो मन उस चीज की गुणवत्ता को आत्मसात कर लेता है।

विशुद्ध राजनीति — पॉलिटॉक

क्लब चुनाव के साइड इफेक्ट्स

दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इसी सप्ताह हुआ चुनाव बेहद दिलचस्प रहा। हालांकि सांसदों और पूर्व सांसदों के इस क्लब के बोर्ड का चुनाव अपने आप में कोई खास बात नहीं थी, लेकिन BJP के दो नेताओं के आमने-सामने आने के बाद इसमें दिलचस्पी बढ़ गई। वोटिंग के दिन जब गृह मंत्री अमित शाह और BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा विपक्ष की ओर से सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे आदि भी वोट देने आए तभी यह स्पष्ट हो गया कि इस चुनाव को इगो का सवाल बना लिया गया है। BJP के अधिकतर सांसद संजीव बालियान के पक्ष में बताए जा रहे थे। दिन में पार्टी के एक सीनियर नेता ने संजीव बालियान के पक्ष में वोट डालने के लिए सांसदों को फोन करना शुरू किया। तब उन्हें पता चला कि BJP के अधिकतर मौजूदा सांसद तो क्लब के मेंबर ही नहीं बने थे। अब जब चुनाव में उनके उम्मीदवार हार गए हैं, वे सभी मौजूदा पार्टी सांसदों को क्लब का मेंबर बनाने के लिए अभियान छेड़ने वाले हैं। सबसे दिलचस्प बात है कि चुनाव में खड़े दोनों उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान कुछ नेताओं के रुख से हैरान हैं, जिनका समर्थन उन्हें नहीं मिला। हालांकि राजीव प्रताप रूडी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वह अपना सालों का दबदबा बनाए रखने में सफल रहे।

यात्रा से बदलेंगे समीकरण?

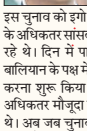

राहुल गांधी बिहार में 17 अगस्त से यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा लगभग पूरे राज्य से गुजरेगी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर सियासी उत्सुकता बढ़ने लगी है। राज्य में कई सालों बाद कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। जहां NDA कांग्रेस की इस कोशिश के असर को लेकर कन्फ्यूज है, वहीं I.N.D.I.A. ब्लॉक में RJD अपने दबदबे को लेकर सतर्क है। जब कांग्रेस ने RJD को संकेत दिया कि वह 2020 चुनाव के मुकाबले कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है तो उसे राहत मिली। लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने दूसरी बात कहकर उसकी चिंता बढ़ा दी। कांग्रेस भले कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी लेकिन वह ऐसी सीटों पर भी दावा कर रही है, जहां अभी RJD चुनाव लड़ता है। साथ ही, राहुल गांधी की यात्रा जिन इलाकों से गुजरेगी उनमें मिले रेस्पॉन्स के आधार पर कांग्रेस अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगी। मतलब राहुल गांधी की यात्रा चुनाव से पहले वहां समीकरण को बदलने वाली है। यह यात्रा राज्य में 17 अगस्त से 5 सितंबर तक चलने वाली है।

सत्र में सस्पेंस

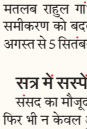

संसद का मौजूदा सत्र लगातार हंगामे का शिकार है। फिर भी न केवल ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हुई बल्कि सरकार ने पहले से प्रस्तावित तमाम जरूरी बिल पास करवा लिए। इसके बाद ऐसी चर्चा उठी कि सत्र 12 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। संसद का मॉनसून सत्र 21 अगस्त तक चलने की बात थी, जिसमें 13 अगस्त से 17 अगस्त का ब्रेक दिया जाना था। बदले हालात में सरकार के कुछ मंत्रियों ने भी संकेत दिए कि चूंकि बहुत कामकाज नहीं बचा है, ऐसे में सत्र 12 अगस्त को ही समाप्त कर दिया जाएगा। विपक्ष के अधिकतर नेता भी उसी तरह तैयार होकर आए थे। लेकिन शाम को जब कहा गया कि संसद की अगली मीटिंग 18 अगस्त को होगी तो सभी हैरान रह गए। इससे यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या सरकार बाकी के तीन दिनों में कुछ बड़ा करने वाली है। क्या सरकार कोई ऐसा बिल पेश करने वाली है जो सबको चौंका दे? विपक्ष के एक नेता ने कहा कि सत्र 21 अगस्त तक चलाने का साफ मतलब है कि सरकार की झोली में कुछ तो खास है। अब वह खास क्या है, यह तो तभी पता चलेगा जब सरकार उसे झोले से बाहर निकालेगी।

ये क्या चल रहा है

आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस के प्रमुख जगन रेड्डी के दावे ने बड़ी हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के माध्यम से आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के साथ संपर्क में है। रेवंत पहले TDP में ही थे। इस मामले में TDP के एक नेता ने दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने कहा कि जगन के इस दावे से उनके दल और नेता दोनों को लाभ ही हुआ। अब BJP और अधिक सतर्क रहेगी और हमारी मांगों पर ज्यादा तत्परता से फैसला करेगी। दिलचस्प बात है कि जगदीप धनखड़ के बारे में भी ऐसी खबरें आई थीं कि वह पिछले कुछ समय से चंद्रबाबू नायडू से संपर्क में थे, जो BJP को नागवार गुजर रहा था। अब जगन का यह दावा क्या गुल खिलाता है, देखना होगा।

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्सः(022) 2760 5275। फोन मुंबईः (022) 66353535, 22733535 रेस्पांसः (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगढ़ जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

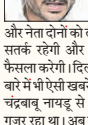

एक रेखा पार करना

अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान भारतीय नागरिकों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। कई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों के

पी पुलिस गैर-दस्तावेजी बांग्लादेशी प्रवासियों को उनकी भाषा: बंगाली से पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से कुछ हास्यास्पद गलतियाँ हुई हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस ने "बांग्लादेशी" को एक भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया है - भाषा विज्ञान में एक बड़ी छलांग। हालांकि, ज्यादातर मामलों में, यह एक दुखद और हास्यास्पद अभ्यास बन गया है। कई प्रलेखित उदाहरणों से पता चला है कि भारतीय नागरिकों को सीमा पार बांग्लादेश में धकेला जा रहा है। इससे संबंधित परिवारों को काफी कठिनाई हुई है और सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। राज्य सरकार या अदालतों के हस्तक्षेप के बाद कुछ व्यक्तियों को पश्चिम बंगाल में उनके परिवारों के पास वापस भेज दिया गया है। संदिग्ध बांग्लादेशियों को "धकेलना" कानून की उचित प्रक्रिया को दरकिनार करने के एक बड़े प्रयास का एक हिस्सा है, बंगाली भाषियों को गिरफ्तार किये जाने से पश्चिम बंगाल में बहस छिड़ गई है, जहां सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इसे "बंगाली पहचान पर हमला" बताया है और भाषा आंदोलन शुरू कर दिया है।

बंगाली प्रवासियों को निशाना बनाए जाने से उनकी आजीविका पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। हिरासत में लिए जाने और बांग्लादेश में जबरन बसाए जाने के डर से, जिससे उनका शायद कोई संबंध न हो, पश्चिम बंगाल के कई प्रवासी कामगार अपनी नौकरियाँ छोड़ चुके हैं। एक विशेष मामले में, दिल्ली पुलिस ने बंगाली भाषियों को हिरासत में लिया, जिन्हें नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बांग्लादेश के साथ हस्ताक्षरित एक प्रसिद्ध भूमि विनिमय संधि के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी। बोलने वालों की संख्या के हिसाब से बंगाली भारत की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है।

पश्चिम बंगाल राज्य प्रवासी श्रमिकों के लिए एक स्रोत और गंतव्य दोनों है। भाषा और पहचान को लेकर पैदा किया जा रहा विभाजन आसानी से संघर्ष और हिंसा में बदल सकता है। भाजपा के लिए भी, इस कवायद का कोई राजनीतिक मतलब नहीं है और पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले यह उल्टा पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिक, जिन्हें दूसरे राज्यों में परेशान किया जा रहा है, किसी एक समुदाय से नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता पहले से ही इस मुद्दे पर आलोचना का सामना कर रहे हैं और राज्य भर के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के बारे में नागरिकों की सहायता के लिए शिविर लगा रहे हैं। बांग्लादेशी नागरिकों के भारत में प्रवेश करने और काम करने का मुद्दा नया नहीं है। दशकों से, पड़ोसी देश के लोग बेहतर आर्थिक अवसरों सहित राजनीतिक और सामाजिक कारणों से भारत में प्रवेश करते रहे हैं।

भारत की सीमाएं उपनिवेशवाद और राजनीतिक संघर्षों के हिंसक इतिहास का परिणाम हैं।
यद्यपि संप्रभु सीमाओं की रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून प्रवर्तन प्रतिकूल न हो जाए और नागरिकों को परेशान न किया जाए।

औपचारिक प्रमुख

कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल विश्वविद्यालयों में अच्छाई से ज्यादा नुकसान करते हैं।

अप्रैल में तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि की

टी भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई कड़ी निंदा से ऐसा लगता है कि कई राज्यपालों और संबंधित राज्य सरकारों के बीच टकराव की स्थिति को कम करने में कोई खास मदद नहीं मिली है। न्यायालय ने न केवल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विश्वविद्यालयों से संबंधित 10 विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा वास्तविक वीटो लगाने के खिलाफ फैसला सुनाया, बल्कि विधेयकों पर राज्यपाल की प्रतिक्रिया के लिए समयसीमा भी निर्धारित की। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के किसी भी हस्तक्षेप को निष्फल घोषित कर दिया। पिछले सप्ताह, श्री रवि ने कलैनार विश्वविद्यालय विधेयक को अपनी स्वीकृति देने के बजाय राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। केरल में, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों को 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका दिवस' मनाने का निर्देश देकर एक और विवाद खड़ा कर दिया है, उनके पूर्ववर्ती, आरिफ मोहम्मद खान ने भी सरकार के साथ टकराव मोल लिया था, खासकर विश्वविद्यालयों से संबंधित विधेयकों पर अड़े रहे और व्यावहारिक रूप से वीटो कर दिया। राष्ट्रपति ने अदालत के इस फैसले को वस्तुतः चुनौती दी है, लेकिन एक संदर्भ के माध्यम से।

राज्य के स्वामित्व वाले विश्वविद्यालय राज्यपाल-राज्य सरकार संघर्षों में प्रमुख युद्धक्षेत्र बन गए हैं। वे उन कुछ संस्थानों में से हैं जिन पर राज्यपाल का सीधा प्रभाव होता है। जैसा कि विद्वान बताते हैं, राज्यपाल का कार्यालय उन प्रांतों पर नियंत्रण का एक औपनिवेशिक तंत्र था जो भारतीय दलों द्वारा शासित हो सकते थे। विश्वविद्यालयों में ब्रिटिश गवर्नरों को उनके औपचारिक प्रमुख, या यूँ कहें कि कुलाधिपति के रूप में रखना, औपनिवेशिक प्रतिष्ठा लाने और उनकी स्वायत्तता और महत्व सुनिश्चित करने के लिए था। भारत के शुरुआती राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने अलगाववादी प्रवृत्तियों से बचाव के लिए राज्यपाल को एक केंद्रीय नियुक्त व्यक्ति के रूप में बनाए रखा। ऐसा प्रतीत होता है कि कई राज्यों के कानूनों ने राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपालों की भूमिका को बरकरार रखा ताकि उन्हें वही औपनिवेशिक आवरण और आभा प्रदान की जा सके। यहाँ तक कि तमिलनाडु विधेयक, जिसने कुलपति नियुक्तियों में राज्यपाल की भूमिका को कम करने की मांग की थी, केरल और तमिलनाडु में राज्यपाल शत्रुतापूर्ण राजनीतिक और वैचारिक एजेंडे वाले केन्द्रीय प्रतिनिधि हैं।

इस बीच, यूजीसी के मसौदा नियमों में कुलपति के चयन में राज्य सरकारों की भूमिका को समाप्त करने और सभी शक्तियाँ कुलाधिपति को सौंपने का प्रस्ताव है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ज़ोर शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता बढ़ाने पर रहा है। विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे धन जुटाएँ और खर्च के लिए जवाबदेह हों। एक विश्वविद्यालय प्रमुख की भूमिका केवल शैक्षणिक और प्रशासनिक ही नहीं, बल्कि एक व्यवसाय प्रबंधक, चीयरलीडर और धन उगाहने वाले की भी होनी चाहिए। राज्यपालों की जगह, विश्वविद्यालयों के औपचारिक और कार्यकारी प्रमुख के रूप में पेशेवरों का होना उचित हो सकता है।

भारत की विरासत का सम्मान करें, इसके लोकतंत्र की रक्षा करें

Pinarayi Vijayan

केरल के मुख्यमंत्री हैं

हर साल, हम अपने देश का जश्न मनाते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं और अपने संस्थापकों के आदर्शों के प्रति अपनी निष्ठा दोहराते हैं। पिताओं ने संघर्ष किया। इस अर्थ में, 15 अगस्त उस लंबी यात्रा की एक सशक्त याद दिलाता है जिसने हमारे राष्ट्र को आकार दिया: एक वीरतापूर्ण संघर्ष जिसने विविध सामाजिक, भाषाई और जातीय पृष्ठभूमि के लाखों लोगों को लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सद्भाव और सामाजिक प्रगति सहित मूल्यों और सिद्धांतों के एक समूह के लिए एकजुट किया। इस प्रकार, स्वतंत्रता दिवस मनाने का अर्थ है इस बात का आत्मनिरीक्षण करना कि एक राष्ट्र के रूप में हम वर्षों में कैसे विकसित हुए हैं, और इस संवैधानिक गणराज्य के आवश्यक आदर्शों का क्या हुआ है।

राष्ट्रवाद का सार, उसकी चालाकियाँ इस चिंतन की शुरुआत राष्ट्रवादी संघर्ष की जड़ों को याद करके होनी चाहिए। हमारे नेताओं को मुक्ति की स्पष्ट समझ थी; यह केवल एक व्यवस्था को दूसरे से बदलना नहीं था, बल्कि एक समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए एक स्पष्ट मार्ग की कल्पना करना था जिसमें कानून के समक्ष सभी का समान दर्जा हो और सभी संसाधनों तक समान पहुँच हो।

इस धारणा ने यहाँ के लोगों की आत्म-गरिमा को मज़बूत करने और दुनिया के सामने खड़े होने पर ज़ोर दिया। इस अर्थ में, एक सच्चा राष्ट्रवादी, देश के सबसे पिछड़े लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास करता है।

तो, सवाल यह है: क्या एक राष्ट्र के रूप में हमने समृद्धि हासिल करने और वंचितों के जीवन को बेहतर बनाने के अपने संस्थापकों के सपनों को साकार किया है? हाँ, कई आर्थिक और सामाजिक संकेतकों में हमारा प्रदर्शन बेहतर रहा है। लेकिन, क्या निचले तबके के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है?

इसका जवाब उतना स्पष्ट नहीं है। अध्ययनों से पता चलता है उत्पादित धन तेजी से एक अति अल्पसंख्यक वर्ग के हाथों में जमा हो रहा है, जो नीति निर्माताओं और नीति निर्धारण निकायों पर प्रभाव डालते हैं।

ऊपर उल्लिखित अति-धनवानों के पक्ष में नीतियों के परिणामस्वरूप, एक बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग आसमान छूती बेरोजगारी, अभाव और कुपोषण के कारण संकट से जूझ रहा है। एक नई सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था स्थापित हो गई है जिसमें बाजार-संचालित अर्थव्यवस्था द्वारा संचालित व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा का बोलबाला है। जिन लोगों और वर्गों के पास महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी कौशल नहीं हैं, उन्हें इस शोषणकारी व्यवस्था से बाहर कर दिया जाता है।

किसान, जिन्हें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 'राष्ट्र की आत्मा' कहा था, कृषि गतिविधियों को जारी रखना लगातार मुश्किल होता जा रहा है और वे हताश होकर अपनी जान दे रहे हैं। नवउदारवादी नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था गंभीर गतिरोध का सामना कर रही है। हमारे देश की ऐसी निराशाजनक तस्वीर सभी को इस प्रवृत्ति को उलटने और राष्ट्रवादी आंदोलन के नेताओं द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

आम लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाना जनता के बीच असहमति को चिन्हित करके नीति निर्माताओं को उनकी चूकों से अवगत कराने के इरादे से यह कदम उठाया गया है। इस तरह के दबाव के इर्द-गिर्द जनमत जुटाना जनता की चिंताएँ कभी भी भड़काऊ या विद्रोही नहीं हो सकतीं, बल्कि किसी भी कर्तव्यनिष्ठ नागरिक की वैध आशंकाओं का ही विस्तार होती हैं। लेकिन, ऐसी वैध आलोचना को राष्ट्रीय अखंडता के लिए हानिकारक बताने के लिए संगठित प्रयास किए गए हैं।

प्रतिगामी ताकतें राष्ट्रवाद की धारणाओं को तोड़-मरोड़कर पेश करती हैं और असहमति की आवाज़ उठाने वालों को 'राष्ट्र-विरोधी' करार देकर राष्ट्र को खतरे में डालती हैं। वे मेहनतकश जनता की कुंठाओं को बहुसंख्यकवादी सांप्रदायिक पहचान गढ़कर और उसे हमारे राष्ट्र का आधार बताकर नफरत और कट्टरता के भंवर में फंसा देती हैं। ऐसी विभाजनकारी विचारधारा हमारे समाज में ध्रुवीकरण को बढ़ाती है, जिससे अल्पसंख्यकों के अधिकार उभरने लगते हैं। दरअसल, इस विभाजनकारी राजनीति का उदय हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन की विरासत के बिल्कुल विपरीत है, जिसने एक समृद्ध, समावेशी और संवैधानिक गणराज्य के लिए संघर्ष किया था। वर्तमान भारतीय परिदृश्य, जिसमें बहुसंख्यकवादी सांप्रदायिक राजनीति हावी है, ऐसा कुछ है जिसकी हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने कल्पना भी नहीं की होगी।

लोगों को उनकी जीवनशैली, खान-पान और पहचान के लिए क्रूरता का सामना करना पड़ता है, अल्पसंख्यकों को आतंकवादी बताया जाता है, और असहमति जताने वालों को डरा-धमकाकर या बल प्रयोग करके चुप करा दिया जाता है। यह स्वतंत्रता दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि हम किस स्थिति में हैं और हमें एकजुट होकर संवैधानिक सिद्धांतों को कमजोर करने वाले किसी भी कदम का विरोध कैसे करना चाहिए।

संवैधानिक ढाँचा, संघवाद संविधान का एक महत्वपूर्ण पहलू केंद्र और राज्यों दोनों के लिए नीति निर्माण में कर्तव्यों का संघीय विभाजन है। संविधान निर्माताओं ने सहकारी संघवाद के रूप में भूमिकाओं के निर्वहन की परिकल्पना की थी जिसमें केंद्र और राज्य दोनों रचनात्मक आदान-प्रदान के माध्यम से एक-दूसरे को मज़बूत बनाते हैं। जहाँ संघ को रक्षा और विदेश मामलों जैसे क्षेत्रों में व्यापक अधिकार प्राप्त हैं, वहीं राज्यों को सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। राज्य विधानमंडल, राज्यपाल की भूमिका और पैमाने के बँटवारे जैसी व्यवस्थाएँ राज्यों को अधीन करने के लिए नहीं, बल्कि सहकारी शासन सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थीं।

स्वतंत्रता
इस वर्ष यह दिवस भारत की वर्तमान स्थिति की स्पष्ट याद दिलाता है; यह इस बात का भी स्मरण कराता है कि भारतीयों को देश के संवैधानिक सिद्धांतों को कमजोर करने वाले किसी भी कदम का किस प्रकार विरोध करना चाहिए।

जैसा कि बी.आर. अंबेडकर ने प्रसिद्ध रूप से कहा था, संघ यह केवल राज्यों का संघ नहीं है - इसकी अपनी संप्रभुता है; लेकिन राज्य केवल उपांग नहीं हैं।
इस संतुलन की पवित्रता ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। हालाँकि, हाल के वर्षों में, हमने उस संवैधानिक संतुलन से एक व्यवस्थित और अभूतपूर्व बदलाव देखा है।

केंद्र सरकार ने राज्य की स्वायत्तता को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं - जिसमें 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' एजेंडे को आगे बढ़ाने से लेकर राज्य शासन में केंद्रीय एजेंसियों के दायरे का विस्तार करना शामिल है।

यह केवल एक चुनावी सुधार नहीं है। इसमें राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के समान करने और संभवतः जनादेश को छोटा करने का प्रस्ताव है। आलोचकों ने सही ही चेतावनी दी है कि यह राज्य के मतदाताओं के अपने प्रतिनिधियों को पूरे पाँच साल के कार्यकाल के लिए चुनने के अधिकार को कम करने के समान है। इस तरह के कदम से राज्यों के केवल एक ही सदन में सिमट जाने का खतरा है।

संघीय संघ में समान भागीदार होने के बजाय, केंद्रीय कार्यपालिका के प्रशासनिक उपकरण।

साथ ही, जांच निकाय और गुटनिरपेक्ष राज्य सरकारों की राजनीति को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक तंत्रों का तेज़ी से हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के चुनाव आयोग, प्रवर्तन निदेशालय और यहाँ तक कि राज्यपाल की भूमिका जैसी संस्थाओं की स्वतंत्रता गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है।

राज्यपाल की शक्तियों का दुरुपयोग केंद्रीकरण के इस नए दौर में सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाली और नुकसानदेह प्रवृत्तियों में से एक है राज्यपाल के पद का पक्षपातपूर्ण दुरुपयोग। राज्यपालों से संवैधानिक रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निर्वाचित राज्य सरकार की सहायता और सलाह पर काम करें, लेकिन इसके बजाय उन्हें विपक्ष शासित राज्यों में शासन को अवरुद्ध करने, विलंबित करने और बाधा डालने के लिए संघ के राजनीतिक एजेंटों के रूप में तैनात किया जा रहा है।

केरल और कई अन्य राज्यों में, राज्यपाल ने राज्य विधानमंडल द्वारा विधिवत पारित विधेयकों को, कभी-कभी महीनों तक, बिना किसी संवैधानिक कारण बताए, स्वीकृति नहीं दी है। इससे जनता की विधायी इच्छाशक्ति प्रभावी रूप से निष्प्रभावी हो जाती है और नीति कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है।

हस्तक्षेप विशेष रूप से तीव्र रहा है उच्च शिक्षा क्षेत्र। केरल के विश्वविद्यालय, जो लंबे समय से अपनी शैक्षणिक स्वायत्तता के लिए सम्मानित रहे हैं, नियुक्तियों में अभूतपूर्व रुकावट का सामना कर रहे हैं क्योंकि राज्यपाल - कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हुए - ने भर्ती प्रक्रियाओं को रोक दिया है या रद्द कर दिया है, और वैधानिक निकायों द्वारा अनुशंसित नामों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। इससे प्रमुख शैक्षणिक संस्थान ठप हो गए हैं, महत्वपूर्ण सुधारों में देरी हुई है, और हजारों छात्र और शिक्षक अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं।

राज्यपाल के कार्यालय को संवैधानिक सुरक्षा के बजाय राजनीतिक वीटो के साधन में बदलकर, केंद्र राज्य सरकारों के कामकाज और भारत की शिक्षा प्रणाली की जीवंतता, दोनों को कमज़ोर कर रहा है। जो केंद्र और राज्य के बीच एक सेतु होना चाहिए था, उसे एक अवरोध में बदल दिया गया है।

इस स्वतंत्रता दिवस पर, आइए हम अपने संघवाद, लोकतांत्रिक बहुलवाद और लोकप्रिय संविधानवाद को पोषित करने वाली संवैधानिक व्यवस्था के प्रति पुनः प्रतिबद्ध होकर राष्ट्रीय विरासत को पुनः स्थापित करें। आइए हम उन प्रवृत्तियों का विरोध करें जो राज्य की स्वायत्तता को कमजोर करती हैं, संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग करती हैं और राजनीति की धर्मनिरपेक्ष मानसिकता को कमजोर करती हैं।

हमारा संघर्ष कभी भी केवल औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने के लिए नहीं था। यह स्वतंत्र लोगों का एक ऐसा संघ बनाने के लिए था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सम्मान और आवाज़ के साथ हो, और जो दबाव से नहीं, बल्कि संवैधानिक लोकतंत्र के साझा आदर्शों से बंधा हो। यही वह विरासत है जिसकी हमें आज रक्षा करनी है - स्पष्टता, साहस और दृढ़ विश्वास के साथ।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

आइए हम उस प्रतिज्ञा पर चलें, ताकि गणतंत्र हमें जो विरासत मिली है वह पीढ़ियों तक जीवंत और लचीली बनी रहेगी।

केवल एकजुट कार्रवाई ही जलकुंभी के आक्रमण को रोक सकती है

वेणु राजामोना

फ्यूचर के अध्यक्ष हैं
केरल मिशन, जैन (माना जाता है)

वह कोच्चि विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर और नीदरलैंड में भारत के पूर्व राजदूत हैं।

हर मानसून में, एक शांत खतरा उभरता है मानसून के जलमार्गों पर, चमकती नदियाँ, बैकवाटर और झीलों को हरे-भरे रेगिस्तान। यह ख़तरा है जलकुंभी (आइचोर्निया क्रैसिप्स), एक साधारण सा दिखने वाला जलीय पौधा जिसके नाज़ुक बकाइन जैसे फूल इसकी विनाशकारी शक्ति को झुठलाते हैं। केरल में इसका प्रभाव कहीं और इतना व्यापक नहीं है—एक ऐसा राज्य जो अपने जटिल बैकवाटर नेटवर्क और प्रसिद्ध वेम्बनाड झील के लिए जाना जाता है।

औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में एक के रूप में पेश किया गया सजावटी पौधे के रूप में, जलकुंभी की असाधारण वृद्धि ने उन पारिस्थितिकी प्रणालियों और समुदायों को प्रभावित किया है, जिन्हें यह सजाता है।

आज, यह अनुमान लगाया गया है कि देश भर में 2,00,000 हेक्टेयर से अधिक अंतर्देशीय जल क्षेत्र इस खरपतवार से प्रभावित हो चुका है, जिससे असंख्य भारतीयों का जीवन और आजीविका बाधित हो रही है।

केरल में संकट: किसान और मछुआरे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। केरल के कुट्टनाड क्षेत्र — जिसे 'केरल का चावल का कटोरा' कहा जाता है — के धान की खेती करने वालों के लिए जलकुंभी की झाड़ियाँ सिंचाई चैनलों को अवरुद्ध करती हैं, जल प्रवाह में बाधा डालती हैं और खेतों को अवरुद्ध करती हैं, जिससे कृषि को बनाए रखने के लिए आवश्यक लागत और प्रयास बढ़ जाते हैं। मछुआरों के लिए उनका पारंपरिक व्यापार असंभव हो गया है क्योंकि घनी झाड़ियाँ मछली की नर्सरियों का गला घोंट देती हैं, देशी मछली की आबादी को कमज़ोर कर देती हैं, पहुँच को अवरुद्ध कर देती हैं और जालों और नावों को भी नुकसान पहुँचाती हैं।

इससे भी बदतर, जलकुंभी जलीय जैव विविधता को नष्ट कर देती है। सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन को पानी की सतह तक पहुँचने से रोककर, ये जलकुंभी के जंगल नीचे की हर चीज़ को निगल जाते हैं।

जलीय जीव-जंतु, जो पहले से ही प्रदूषण और अत्यधिक दोहन से जूझ रहे हैं, अब पारिस्थितिकीय दम घुटने से जूझने को मजबूर हैं, जिससे संपूर्ण पर्यावरण संकट में फंस गया है।

खाद्य जाल। इस खरपतवार का अनियंत्रित प्रसार पारिस्थितिक पर्यटन के लिए भी एक सीधा खतरा है। रामसर द्वारा मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि और लाखों लोगों की जीवनरेखा, वेम्बनाड झील, इस संकट का प्रतीक है, जहाँ पर्यटन और परिवहन अब खतरे में हैं।

फिर भी, जलकुंभी का छिपा हुआ ख़तरा आजीविका और जैव विविधता से कहीं आगे तक फैला हुआ है। जैसे-जैसे यह पौधा तेज़ी से जमा होता है और फिर सड़ता है, यह मीथेन छोड़ता है - एक ग्रीनहाउस गैस जो गर्मी को सोखने में कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है।

समाधान की आवश्यकता को समझते हुए, भारत भर के नवप्रवर्तकों और समुदायों ने इस 'कीट' को संसाधन में बदलने के प्रयोग किए हैं। ओडिशा में, कल्पनाशील महिला स्वयं सहायता समूह जलकुंभी को कुशलता से हस्तशिल्प, टोकरियाँ और फर्नीचर में बुन रहे हैं। असम और पश्चिम बंगाल में, इसे कागज़ और बायोगैस उत्पादन में बदल दिया गया है।

क्षेत्र-विशिष्ट कार्यान्वयन रणनीतियों वाली एक राष्ट्रीय नीति ही इस आक्रामक जलीय पौधे से होने वाले गंभीर नुकसान को समाप्त कर सकती है।

ये प्रयोग, यद्यपि आशाजनक हैं, फिर भी दायरे और पैमाने में अलग-थलग। उन्हें बढ़ाने के लिए नीतिगत समर्थन, वित्तीय प्रोत्साहन और एक मज़बूत मूल्य श्रृंखला की तत्काल आवश्यकता है।

जमीनी स्तर पर रचनात्मकता के बावजूद, क्या है? जलकुंभी की समस्या के प्रभावी प्रबंधन में समन्वित नीतिगत प्रयास का अभाव है।

वर्तमान में, ज़िम्मेदारी कई सरकारी विभागों - कृषि, कृषि, पर्यावरण, सिंचाई - में बँटी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर टुकड़ों में और अल्पकालिक प्रयास होते हैं। स्थिति एक एकल-बिंदु जवाबदेही तंत्र और क्षेत्र-विशिष्ट कार्यान्वयन रणनीतियों वाली एक राष्ट्रीय नीति की माँग करती है। वैज्ञानिक तरीकों और मशीनीकरण का उपयोग करते हुए समन्वित निष्कासन अभियान चलाने की आवश्यकता है।

केरल जैसे स्थानों में, जहाँ श्रम आसानी से उपलब्ध नहीं है, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल उपयुक्त तकनीक विकसित की जानी चाहिए। नवप्रवर्तकों को प्रोत्साहित करने और मूल्यवर्धन के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी स्थापित करने की आवश्यकता है। व्यवहार्य उत्पादों (शिल्प, जैव ईंधन, कम्पोस्ट वस्त्र) पर अनुसंधान को भी बढ़ावा और प्रसारित करने की आवश्यकता है।

जलकुंभी संकट का समाधान एक बहुत बड़ी चुनौती है यह एक कठिन कार्य है, लेकिन यह किसी भी तरह से असंभव नहीं है। हाल ही में, कोच्चि स्थित जैन विश्वविद्यालय ने अपने भविष्य केरल मिशन के तहत एक विचार-मंथन कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें विशेषज्ञों, जमीनी स्तर के चिकित्सकों, नीति निर्माताओं और व्यवसायों को एक साथ लाया गया, ताकि जलकुंभी को केवल एक कीट के रूप में देखने के बजाय, इसे स्थायी आजीविका के वाहक के रूप में देखा जा सके।

विश्वविद्यालय ने तब से एक जागरूकता अभियान शुरू करने और एक चर्चा पत्र जारी करने का निर्णय लिया है, जिसमें वैज्ञानिक और स्थानीय ज्ञान प्रणालियों को शामिल करते हुए सुझाव आमंत्रित किए जाएँगे। शैक्षणिक अनुसंधान, नीतिगत जुड़ाव और सामुदायिक अनुभव को मिलाकर, विश्वविद्यालय छिटपुट प्रयोगों से व्यवस्थित, स्थायी समाधानों की ओर बदलाव को प्रोत्साहित करने की आशा करता है।

एकजुट कार्रवाई की आवश्यकता भारत की नदियाँ और झीलें इतनी कीमती हैं कि उन्हें उपेक्षा या किसी एक आक्रामक पौधे से रोका नहीं जा सकता।
जलकुंभी का खतरा तत्काल कार्रवाई, जवाबदेही और एकजुट कार्रवाई की मांग करता है। हर समुदाय, सरकारी विभाग, उद्यमी और नागरिक को यह समझना होगा कि यह केवल एक पारिस्थितिक समस्या नहीं है, बल्कि ग्रामीण आजीविका, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और हरित अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती है।

आइए, हम सब मिलकर इस दलदल को साफ़ करें—न सिर्फ़ जलकुंभी का, बल्कि उस जड़ता का भी जो इस तरह के खतरे को पनपने देती है। अब कार्रवाई का समय आ गया है।

द टटर्सटूदएडिटर

15 अगस्त पर विचार

स्वतंत्रता दिवस पर, मैं सोचता हूँ कि क्या हम सचमुच आज़ाद। हमने उपनिवेशवाद की बेड़ियाँ तोड़ दीं, फिर भी नई बेड़ियाँ गढ़ीं: भ्रष्टाचार जो व्यवस्था में घुसकर उसे सड़ने पर मजबूर कर रहा है; अन्याय जो ताकतवरों को बख्श देता है; जाति और धर्म के विभाजन, और गरीबों का मौन उत्पीड़न। महिलाएँ आज भी सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रही हैं और लाखों लोग आज भी भूखे सोते हैं।

हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सम्मान और समानता का सपना देखा था और एकता, लेकिन भाषण और परेड यह नहीं छिपा सकते कि हम उस सपने से कितनी दूर हैं।

सच्ची आजादी हमें तभी मिलेगी जब न्याय शीघ्र होगा, अवसर समान होंगे और कोई भी भारतीय भय में नहीं रहेगा।

तब तक, 15 अगस्त सिर्फ़ एक उत्सव नहीं है। यह एक याद दिलाता है कि असली आज़ादी की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है।

Hemashree,
Bengaluru

पश्चिम से सबक

डेटा प्वाइंट, "इससे पहले आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए, भारत को उनकी सही गणना करनी चाहिए" (राय पृष्ठ, 13 अगस्त), में प्रासंगिक आँकड़े हैं। पिछले साल जब मैं पश्चिमी यूरोप में यात्रा कर रहा था, तो मुझे किसी भी सड़क पर एक भी आवारा कुत्ता नहीं दिखा।

स्विट्जरलैंड में, अधिकांश लोगों के पास पालतू कुत्ते होते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सावधानी बरती जाती है कि जब पालतू जानवर मालिक के साथ ट्राम, ट्रेन और बस जैसी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में यात्रा करते हैं तो किसी को परेशानी न हो।

हमें पश्चिम से बहुत कुछ सीखना है।

विजया सेगरा रामसैट, कोर्टालम,
तमिलनाडु

मज़दूरों की हड़ताल

यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि तमिलनाडु सरकार कई दिनों के विरोध प्रदर्शन के बावजूद सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई है और प्रदर्शनकारी मज़दूरों को जबरन खाली कराने और हिरासत में लेने का सहारा ले रही है। यह विडंबना ही है कि सफाई कर्मचारियों की माँगें पूरी नहीं हो पा रही हैं।

सत्तारूढ़ डीएमके सरकार ने इस पर विचार नहीं किया है, जबकि यह उसके चुनावी वादे का हिस्सा था।

अधिकारी निगम द्वारा सीधे नियोजित श्रमिकों को ठेकेदारों के अधीन काम करने के लिए नहीं कह सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने 1985 में ही खाद्य निगम मामले में स्पष्ट कर दिया था कि कानून का क्रम ठेका श्रमिकों से प्रत्यक्ष श्रमिकों की ओर है, न कि

दूसरी तरफ़. अनुबंध श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का उद्देश्य ठेका श्रम को विनियमित करना तथा अंततः समाप्त करना था।

अदालतें और राजनेता कहते रहते हैं कि संविधान कमज़ोर वर्गों की मुक्ति का जीवंत साधन है। लेकिन न सिर्फ़ वादे पूरे नहीं किए जाते, बल्कि उन्हें भुला भी दिया जाता है।

एनजीआर प्रसाद,
चेन्नई

letters@thehindu.co.in पर भेजे गए पत्रों में डाक पता अवश्य होना चाहिए।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • शुक्रवार • 15 अगस्त • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

आजादी का कोई अर्थ नही है, यदि इसमें गलतियां करने की आजादी शामिल न हो।
-महात्मा गांधी

एसआईआर मतदातानुकूल

बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे मतदातानुकूल बताया। याचिकाओं में राज्य में स्थाई निवासी प्रमाणपत्र का कोई प्रावधान न होने के साथ ही आधार को न स्वीकरने पर भी सवाल उठाया गया था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार लोगों के पास मांगे गए दस्तावेज की उपलब्धता बहुत कम है। पैंसठ लाख मतदाताओं का नाम इस सूची में शामिल न किए जाने पर विपक्ष लगातार प्रश्न उठा रहा है। मतदाताओं को भारतीय नागरिक न होने के संदेह पर सुनवाई का अवसर न देना संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अनावश्यक प्रयोग बताया जा रहा है। पीठ ने इस सारे

विवाद को काफी हद तक विश्वास की कमी का मुद्दा ठहराया। हालांकि चुनाव आयोग की दलील अनुचित नहीं कही जा सकती जिसके अनुसार कुल 7.9 करोड़ मतादातओं को अपने या माता-पिता के लिए कोई दस्तावेज दाखिल करने की आवश्यकता नहीं थी। उनके नाम 2003 की मतदाता सूची में पहले ही मौजूद हैं। मतदाता सूची में नामों के पंजीकरण के संबंध में आयोग का मार्गदर्शन करने के लिए प्रक्रियाएं पहले से ही मौजूद हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 16 मतदान के लिए अयोग्य ठहराने के तीन कारण बताती है-गैर-नागरिकता, विकृत मानसिकता, चुनाव संबंधी भ्रष्टाचार/अपराध। मतदाता की मृत्यु के अतिरिक्त सुनवाई का अवसर देने की भी इसमें चर्चा है। सिद्धांतों और कानून के अनुरूप आयोग को जिम्मेदारियों में कोताही करने से बाज आते नजर आना होगा। अदालत पहले ही चुनाव आयोग से नाम हटाने के अलग-अलग कारणों का जवाब तलब कर चुकी है। बाल की खाल निकालने की बजाय याचिकाकर्ताओं को अदालत के आश्वासन और आयोग के जवाब पर भरोसा जताना होगा। मतदाताओं के अधिकारों के प्रति समूचा देश और व्यवस्था जागरूक है। स्वयं मतदाताओं की बड़ी संख्या अब अपने वोट को लेकर उदासीन नहीं रही। निःसंदेह आयोग को अविलंब जिन दावेदारों के पास ग्यारह में से कोई दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें सहायता प्रदान करने की सुविधा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। दावों और आपत्तियों को लेकर पारदर्शितापूर्ण कार्रवाई करने में आयोग को कोताही करते नहीं नजर आया चाहिए। लोकतंत्र में मतदाता की अधिकार शीर्ष पर होता है।

पर्यावरण सुरक्षा को लेकर सख्ती

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फिर कहा कि वह विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह सतत विकास होना चाहिए। विकास संबंधी गतिविधियों में पर्यावरण और वन्य जीवन के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिनसे विकास गतिविधियों के कारण पर्यावरण और वन्य जीवन को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को कांचा गाचीबोवली वन क्षेत्र के समग्र पुनरुद्धार के वास्ते 'अच्छा प्रस्ताव' पेश करने के लिए छह सप्ताह का समय देते हुए उपरोक्त टिप्पणी की। स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार को परियोजना स्थल के क्रियान्वयन के दौरान काटे गए पेड़ों को फिर से लगाना होगा। इससे पूर्व 3 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने

कांचा गाजीबोवला वन क्षेत्र में वनों की कटाई की गतिविधियों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। मामले में 16 अप्रैल को अगली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि अपने मुख्य सचिव को किसी भी गंभीर कार्रवाई से बचाने के लिए उसे 100 एकड़ वन-रहित भूमि को बहाल करने के लिए एक विशिष्ट योजना प्रस्तुत करनी होगी। कहना होगा कि विकास गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए वन कटान, नदी प्रवाह बाधित करने या मोड़ने जैसे काम कर दिए जाते हैं, और मजे की बात यह कि यह सब करने वाले निकाय इस नुकसान की भरपाई भी नहीं करते। चाहे मुंबई में मेट्रो प्रोजेक्ट के समय उठ खड़ी हुई पर्यावरणीय चिंताएं रही हों या दिल्ली-एनसीआर में शिवालिक पहाड़ियों और दिल्ली रिज में विकास गतिविधियों के नाम पर मचाया गया 'उत्पात' हर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने त्राणदाता की भूमिका का निवर्हन किया है। अदालत की सख्ती के चलते ही विकास के नाम से 'विनाश' को रोका जा सका है। दरअसल, विकास बनाम विनाश की बहस काफी अरसे से जारी है। सरकारी या निजी संस्थान विकास का नाम लेकर व्यापक पैमाने पर लोगों का विस्थापन करते हैं, कुदरती संसाधनों को नष्ट कर डालते हैं। सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों का निहित स्वार्थों को पूरा करने वाला एक गठजोड़ जैसा बन जाता है, जो विकास के नाम पर विध्वंस मचाता है। निगहबानी से ही उनके कुत्सित प्रयासों को रोका जा सकता है।

परिधि/राजीव मंडल

डूसू चुनाव में दांव और दावेदारी

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) का चुनाव इस बार बेहद रोमांचक होने के आसार हैं। इसकी वजह वो नियम-कायदे हैं जिसे लेकर विश्वविद्यालय का रुख काफी सख्त नजर आ रहा है। जिन दो नियमों की चर्चा ज्यादा चर्चा में है, उसमें पहला नियम है कि; हर उम्मीदवार को नामांकन प्रक्रिया के दौरान 1 लाख रुपये के जमानती बॉन्ड पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा, जिसमें वे परिसर की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने का वचन देंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना 25,000 रुपये तक हो सकता है, साथ ही निलंबन, निष्कासन या उम्मीदवार की अयोग्यता भी लागू हो सकती है। दूसरा नियम कैंपस को साफ-सुथरा रखने का। इसके तहत चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधियों जैसे पोस्टर लगाना, रैलियों, रोड शो, लाउडस्पीकर और वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।

दरअसल, ऐसी सख्ती की दरकार देश के बाकी विश्वविद्यालयों-कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव में भी होनी चाहिए। देश के कई विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव में नियमों का किस कदर मर्दन होता है, यह जगजाहिर है। चूंकि डूसू चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहता है तो स्वाभाविक है कि यहां होने वाली हर गतिविधियों की नकल करने की कोशिश की जाती है। परिसर को साफ रखने का दायित्व सिर्फ सफाईकर्मियों का नहीं होता है। यहां छात्रों की भूमिका बड़ी और महत्त्वपूर्ण हो जाती है। वैसे भी सफाई की बातें अभिधा में है। लक्षणा और व्यंजना तो यही है कि छात्र नेता और उनकी छात्र ईकाई अअनुशासन के मर्म को समझे। न केवल समझे बल्कि इसे दैनिक जीवन में अमल में लाए। यही कारण है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रो. योगेश सिंह ने खुले तौर पर सभी छात्रों से यह अपील करने में हिचक नहीं दिखाई कि जिन डूसू उम्मीदवारों के ज्यादा प्रिंटेड पोस्टर लगे, उन्हें वोट न दिया जाए। वाकई यह अपने आप में अनूठा और साहस भरा कदम माना जाएगा। क्योंकि एक लाख के बॉन्ड की अनिवार्यता को लेकर छात्रों के लगभग सभी गुट बेहद आक्रामक हैं और इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल, इस बार यह देखना दिलचस्प होगा कि छात्र ईकाई कितने अनुशासित होकर चुनाव मैदान में उतरते हैं। साथ ही, यह चुनाव विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए भी लिटमस टेस्ट होगा कि वह इसमें कितना सफल हुआ। वैसे, ऐसे नियम सिर्फ छात्रसंघ चुनाव में ही नहीं बल्कि आम चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी लागू हों तो अच्छा रहेगा।

बिसरने न पाएं किसान

स्वतंत्रता दिवस
नवल किशोर कुमार

देश की आजादी अब आठवें दशक में पहुंचने वाली है। 15 अगस्त, 1947 को जब भारत ब्रिटिश हुक्मरानों से आजाद हुआ तब आजादी के अनेक मायने थे। एक तो यही कि भारत कबीर के अमरदेसवा जैसा देश बनेगा, जहां सभी सम्मान के साथ रोजी-रोटी कमाएंगे। बढ़ते समय के साथ झंझावात के बीच यह देश अपनी राह चला। विज्ञान की राह चलते हुए औद्योगिकीकरण ने देश की सूरत बदल दी और आज कहने को कितना कुछ है। लेकिन इसी बीच राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की याद आती है, जिन्होंने लिखा था 'आरती लिए तू किसे ढूंढ़ता है मूरख, मंदिरों, राजप्रासादों में, तहखानों में? देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है; दो राह, समय के रथ का घर्घर-नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।'

दरअसल, बीते समय में देश के किसान उपेक्षित होते गए हैं। एक समय था जब देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था। अस्सी प्रतिशत से अधिक भारतीयों को रोजी-रोटी देने वाला यह क्षेत्र धीरे-धीरे इस कदर घटता गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 18 प्रतिशत से भी कम हो गया है। सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि अब यह क्षेत्र केवल 46 प्रतिशत भारतीयों को रोजगार मुहैया कराता है। यह स्थिति तब है, जब देश में अकाल की कहीं कोई समस्या नहीं है। देश के गोदाम अनाजों से भरे हैं।

निर्यात की बात करें तो निर्यात मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025 (अप्रैल-दिसम्बर) में कृषि उत्पादों के निर्यात का कुल मूल्य 3,18,509 करोड़ रुपये (36.95 अरब अमेरिकी डॉलर) रहा। यह केवल इस साल की बात नहीं है। कृषि निर्यात में औसतन 12 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के दावे सरकार द्वारा किए जाते हैं। सरकारी आंकड़ों का रंग गुलाबी है, और कोई नहीं कह सकता कि देश के किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो सकते हैं। लेकिन यह सच है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2021 में 5,563 किसानों/खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या की। इनमें 5,107 पुरुष और 211 महिलाएं थीं। महाराष्ट्र में तो आलम यह है कि हर 1,00,000 किसानों में से 10 किसान आत्महत्या करते हैं।

सवाल है कि देश की आजादी का लाभ किसानों को क्यों नहीं मिला? आखिर, कमी कहां रह गई? इस सवाल पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि सरकारों की प्राथमिकता में किसान कभी रहे ही नहीं। उनकी प्राथमिकता में कृषि का विकास रहा। हुआ यह कि तरह-तरह के उर्वरक और रसायनों के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया।

समुन्नत बीजों का विकास किया गया। इनका मकसद उत्पादन बढ़ाना था लेकिन किसान उपेक्षित ही रहे। हालांकि कुछेक अर्थशास्त्री इसके लिए भूमंडलीकरण को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन यह आधे से भी आधा सच है।

दरअसल, किसानों की सरकारी परिभाषा ही आज तक सुस्पष्ट नहीं हो पाई है। मान लिया जाता है कि जिसके पास जमीन है, वही किसान है। फिर चाहे जिसके पास जमीन है, वह व्यवसायी या सरकारी कर्मी क्यों न हो। जो असल में खेती करते हैं, वे खेतिहर मजदूर कहे गए और उनके लिए कोई पहल नहीं की गई। भूमि सुधार, ताकि जमीन जोतने वाले की हो, सरकार की प्राथमिकता में नहीं रहा। आज भले ही सरकार किसानों को उनके खाते में प्रति एकड़ के हिसाब से नकद राशि भेजती है, लेकिन यह राशि उनके खातों में ही जाती है, जिनके पास जमीन है। यह त्रासदी ही है कि आज की तारीख में कोई किसानी नहीं करना चाहता। हालांकि सरकार ने कृषि का मशीनीकरण करके बड़े किसानों की समस्याओं का निराकरण किया है, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों, जो असल में बहुसंख्यक हैं, के सामने लाचारी के अलावा कुछ भी नहीं है। बड़ी आबादी उन किसानों की है जो रैयती नहीं हैं। उनके पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। वे बटाईदारी पर खेती करते हैं। उनके सामने समस्या तब और बड़ी हो जाती है जब प्रकृति साथ नहीं देती। हालांकि राज्य सरकारें किसानों को मुआवजा राशि देने की बात कहती हैं, लेकिन बटाईदार किसानों को कोई लाभ नहीं मिलता। कृषि बीमा का लाभ भी इन किसानों को नहीं मिलता।

हालांकि समस्याओं की एक लंबी सूची बड़े किसानों के पास भी है। बीज कंपनियों और ऊर्वरक बनाने वाली कंपनियों का मनमानापन खेती की लागत को बढ़ा देती है। ऐसे में उनके खेतों में उपजने वाले उत्पादों का वाजिब मूल्य नहीं मिलना उन्हें निराश करता है। इसमें एक बड़ा संकट बैंक ऋण का है, जिसकी जाल में बड़े किसान भी फंसते जा रहे हैं। आज देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती किसानों की बदहाली है। इसका असर भारत की आन और शान पर भी पड़ रहा है। अमेरिका अपनी शर्तों पर भारत पर व्यापारिक समझौते के लिए दबाव बना रहा है। यह दबाव केवल कच्चे तेल के आयात के कारण नहीं है। इस दबाव की जद में कृषि उत्पाद और डेयरी उत्पाद भी हैं। अमेरिका द्वारा टैरिफ शुल्क में पचास प्रतिशत की वृद्धि किए जाने का बड़ा असर भारत के कृषि निर्यात पर भी पड़ेगा। इसका नुकसान सीधे-सीधे किसानों को होगा। वहीं मुक्त बाजार की व्यवस्था होने के कारण आज देश में कृषि आयात में वृद्धि हुई है। इससे भी कृषि उत्पादों के मूल्य में कमी आई है। इससे होता यह है कि भारतीय किसानों को लागत के बराबर भी मूल्य नहीं मिल पाता।

बहरहाल, देश स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में डूबा है, समय है कि सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर प्रांतों की कृषि की बजाय किसानों को अपनी प्राथमिकता में शामिल करें। उन्हें उनकी फसलों का वाजिब दाम मिले ताकि उनमें आत्मविश्वास लौट सके और यह अवधारणा खंडित हो कि खेती-किसानी घाटे का सौदा है। याद रखा जाना चाहिए कि भारत के किसान यदि स्वयं को आजाद महसूस नहीं करेंगे तो पूरे देश के लिए आजादी बेमानी है।

(लेख में विचार निजी हैं)

> दरअसल, किसानों की सरकारी परिभाषा ही आज तक सुस्पष्ट नहीं हो पाई है। मान लिया जाता है कि जिसके पास जमीन है, वही किसान है। फिर चाहे जिसके पास जमीन है, वह व्यवसायी या सरकारी कर्मी क्यों न हो। जो असल में खेती करते हैं, वे खेतिहर मजदूर कहे गए। उनके लिए कोई पहल नहीं की गई। भूमि सुधार, ताकि जमीन जोतने वाले की हो, सरकार की प्राथमिकता में नहीं रहा। त्रासदी यह भी है कि आज कोई किसानी नहीं करना चाहता

मोरपंखी
औषधीय गुणों से भरपूर पौधा

- चमत्कारी पौधा है मोरपंखी, जिसे धरतूणी या ताम्रपर्णी भी कहा जाता है। अपनी खूबसूरती के कारण यह पौधा घरों, बगीचों में सजाया जाता है, लेकिन इसके अलावा इसके औषधीय गुण इसे और भी खास बनाते हैं
- आयुर्वेद में बताया गया है कि मोरपंखी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसकी पत्तियों का रस या पेस्ट त्वचा की जलन, घाव और एलर्जी ठीक करने में प्रभावी है। यह त्वचा संक्रमण को रोकने में भी मदद करता है

(मीडिया इनपुट्स)

बिहार में एसआईआर में 65 लाख मतदाता नाम काटे जाने लायक मिले, लेकिन एक भी मतदाता ऐसा नहीं मिला जिसका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाना चाहिए। आजाद भारत के 75 वर्षों में यह अकेला पुनरीक्षण है, जिसमें एक भी मतदाता का नाम नहीं जोड़ा जा रहा। तो कहना यह कि यह पुनरीक्षण नहीं था। यह वोट काटना, वोट काटना, वोट काटना ही था।

योगेन्द्र यादव, सामाजिक कार्यकर्ता
@_YogendraYadav

आजादी का जश्न | **सद्गुरु**

भारत की वास्तविक मुक्ति का समय

आज हम भारत का उनहत्तरवा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 200 वर्षों के कब्जे के बाद जब अंग्रेज गए तो उन्होंने न केवल हमारी संपत्ति छीन ली, बल्कि हमारी शिक्षा, उद्योग और कई अन्य व्यवस्थाओं को भी ध्वस्त कर दिया जो राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण थीं। स्वतंत्रता के बाद के पिछले कुछ दशक संघर्षपूर्ण रहे, लेकिन आज भारत एक बार फिर विश्व समुदाय में अपना स्थान बना रहा है। इस समय एक राष्ट्र के रूप में हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, जिनमें वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव, आस्था, जाति और क्षेत्रीय पहचान से जुड़े घरेलू मुद्दे और युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का बोझ शामिल हैं। लेकिन चुनौतियों को कभी भी रुकावट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये विकास के लिए ईंधन हैं। हमारे देश की ऊर्जा और आत्मविश्वास स्पष्ट तथा अटल हैं। समय आ गया है कि केवल उदारीकरण ही न किया जाए, बल्कि शिक्षा, उद्योग, तकनीक और अवसंरचना को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए।

हमें मुक्त उद्यम की एक तेज लहर चाहिए। ऐसा माहौल भी जो व्यापार और विदेशी निवेश के लिए अनुकूल हो। समय आ गया है कि हम उस औपनिवेशिक मानसिकता को पीछे छोड़ दें जो हमें छोटा और केवल आजीविका तक सीमित रखना चाहती थी। लोगों को सड़कें, पुल, विश्वविद्यालय और सभी प्रकार के सार्वजनिक बुनियादी ढांचों के निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की परियोजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा स्व-रोजगार में लगा हुआ है। नौकरी करने और उद्यमी होने में फर्क है, चाहे आप सड़क पर मूंगफली ही क्यों न बेच रहे हों। अगर आप उसे बस एक अवसर दें, अगर उसे जरूरी अनुभव मिल जाए तो वह खुद आगे बढ़ जाएगा। जब ऐसी प्रखर बुद्धि हो तो हमें उसका उपयोग जरूर करना चाहिए।

जब लोग बड़े सपने देखते हैं, जब अपने जीवन और राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य रखते हैं, तो कुछ उथल-पुथल स्वाभाविक है। कुछ छोटे-मोटे नियमों का उल्लंघन हो सकता है, कुछ पुराने नियमों को तोड़ा जा सकता है। कुछ जर्जर नौकरशाही ढांचों और पुराने कर कानूनों में बदलाव की जरूरत हो सकती है। यह आभासी अराजकता बदलाव

का अभिन्न अंग है। आइए, हम कुछ बुनियादी नियम निर्धारित करें और लोगों पर भरोसा करें कि वे उनका पालन करेंगे। क्रांतिकारी नवाचारों को पुरानी और जड़ लालफीताशाही से न कुचला जाए। मुक्त और जीवंत राष्ट्र बनाने का यही एकमात्र तरीका है। सूचना प्रौद्योगिकी हमारी मुख्य ताकत बनी हुई है, और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभर रहे हैं। हम इस लाभ को किसी भी बाहरी स्वार्थी ताकत के हाथों समाप्त नहीं होने दे सकते।

चूंकि एआई की बहुत अधिक निर्भरता डेटा सेंटर्स पर आधारित होती है, इसलिए प्रभावी बिजली ग्रिड में निवेश करना महत्त्वपूर्ण है। छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों की स्थापना से इसमें मदद मिल सकती है। हम विशाल जनसंख्या का लाभ उठाना चाहते हैं, तो युवाओं को कम उम्र से ही नवाचारी बनने के लिए प्रोत्साहित करना होगा और इसके लिए एक नई ऊर्जा से भरी शिक्षा व्यवस्था चाहिए जो मानसिक फुर्ती और शारीरिक फिटनेस को प्राथमिकता दे-और जिस पर सरकारी दखल न हो। समय आ गया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक रूप से अनुकूल देशों के साथ गठबंधन मजबूत किए जाएं ताकि आधिपत्य दिखाने वाले देशों की दबाव की राजनीति का विरोध किया जा सके। जब राष्ट्रों के बीच दरवाजे खुलते हैं, तो इससे जनता को लाभ होता है। हमें अधिक दीवारों की नहीं, बल्कि और खिड़कियों की जरूरत है। सबसे बढ़कर, यह ऐसा राष्ट्र है जो हमेशा से उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक रहा है, जो चेतना, आंतरिक कल्याण और इस धरती पर हमारे अस्तित्व के गहरे आयामों को समझने की तलाश में हैं।

हम अपना जीवन 'स्वर्ग के टिकट' बेच कर नहीं, बल्कि अपने भीतर की गहराइयों के गहन ज्ञान को विकसित करके जीते हैं। समय आ गया है कि हम मानवता को आस्था के आधार पर बांटना बंद करें। हमारा लक्ष्य संप्रदायवादी या कट्टर बच्चों को पैदा करना नहीं, बल्कि अधिक स्वतंत्र और जागरूक पीढ़ी तैयार करना होना चाहिए। इस राष्ट्र की आत्मा को खिलना है, तो हमें भारतीयों को अपने देश के भाग्य का सच्चा स्वामी बनना होगा। समय आ गया है कि केवल उदारीकरण ही न हो, बल्कि मुक्ति भी मिले। आइए, हम इसे साकार करें। राष्ट्र की आत्मा को खिलना है, तो हमें भारतीयों को सचमुच अपने देश की किस्मत अपने हाथ में लेने देना होगा। यह समय सिर्फ उदारीकरण का नहीं, बल्कि वास्तविक मुक्ति का है। आइए, इसे साकार करें।

(भारत के पचास सबसे प्रभावशाली लोगों में शुमार सद्गुरु योगी, रहस्यवादी, दूरदर्शी और न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्टसेलर लेखक हैं)

समाज | **श्री राम शर्मा आचार्य**

हममें से हर व्यक्ति अपने को समाज का अविच्छिन्न अंग माने। उसका अविभाज्य घटक माने। सामूहिक उत्थान और पतन पर विश्वास करे। एक नाव में बैठे लोग जिस तरह एक साथ डूबते या पार होते हैं, वैसी ही मान्यता अपनी रहे। साधारणतया मुफ्त में खाना-खिलाना अनैतिक समझा जाए। इसमें पारिवारिक-सामाजिक प्रीति भोजों का जहां औचित्य हो, वहां अपवाद रूप से छूट रहे। भिक्षा व्यवसाय पनपने न दिया जाए। दहेज, मृतक भोज, सदावर्त धर्मशाला आदि ऐसे दान जो मात्र प्रसन्न करने भर के लिए दिए जाते हैं, और उस उदारता के लाभ समर्थ लोग उठाते हैं, अनुपयुक्त माने और रोके जाएं। मान्यता या प्रचलन को शाश्वत या सत्य न माना जाए। उन्हें परिस्थितिजन्य समझा जाए। उनमें जितना औचित्य, न्याय और विवेक जुड़ा हो उतना ग्राह्य और जो अनुपयुक्त होते हुए भी परंपरा के नाम पर गले बंधा हो, उसे उतार फेंका जाए। समय-समय पर इस क्षेत्र का पर्यवेक्षण होते रहना चाहिए और जो असामयिक, अनुपयोगी हो उसे बदल देना चाहिए। इस दृष्टि से लिंगभेद, जातिभेद के नाम पर चलने वाली विषमता सर्वथा अग्राह्य समझी जाए। सहकारिता का प्रचलन हर क्षेत्र में किया जाए। अलग-अलग पड़ने की अपेक्षा सम्मिलित प्रयत्नों और संस्थानों को महत्त्व दिया जाए। संयुक्त परिवार से लेकर संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त विश्व को लक्ष्य बना कर चला जाए। विश्व परिवार का आदर्श कार्यान्वित करने का ठीक समय यही है। सभी प्रकार के विलगावों को निरस्त किया जाय। व्यक्ति की सुविधा की तुलना में समाज व्यवस्था को वरिष्ठता मिले। प्रशंसा ऐसे ही प्रयत्नों की हो जिन्हें सर्वोपयोगी कहा जाए। अवांछनीय मूढ़ मान्यताओं और कुरीतियों को छूत की बीमारी समझा जाए। वे जिस पर सवार होती हैं, उसे तो मारती ही हैं, अन्यान्य लोगों को भी चपेट में लेती और वातावरण बिगाड़ती हैं। इसलिए उनका असहयोग, विरोध करने की मुद्रा रखी जाए और जहां संभव हो उनके साथ समर्थ संघर्ष भी किया जाए। समाज के किसी अंग पर हुआ अनीति का हमला समूचे समाज के साथ बरती गई दुष्टता माना जाए और उसे निरस्त करने के लिए जो मीठे-कड़ुवे उपाय हो सकते हों, उन्हें अपनाया जाए। प्रतिकार के लिए दूरदर्शिता अपनायी जाए।

रीडर्स मेल

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

मतदाता पहचानपत्र को बनाएं अहम

दुर्भाग्य की बात है कि स्वाधीनता के 78 साल बाद देश अपने नागरिकों को ऐसा पहचान पत्र उपलब्ध नहीं करा पाया है जिसकी प्रामाणिकता असंदिग्ध हो। अब कहा जा रहा है कि मतदाता पहचान पत्र नागरिकता का एकमात्र प्रमाण नहीं हो सकता। इसके लिए अन्य प्रमाण की जरूरत है। सवाल है कि जिन लोगों के पास न तो जमीन है, और न ही अपना पुश्तैनी मकान-घर है, ऐसे में उनकी नागरिकता कैसे प्रमाणित की जाएगी? बहरहाल, यह हो भी जाए तो भी मतदाता बनने की आवश्यक योग्यता में से प्रथम भारत का नागरिक होना चाहिए। लिहाजा, मतदाता पहचान पत्र नागरिकता का सबसे प्रमुख वैध पहचान होना चाहिए अन्यथा दशा में उसे मतदाता नहीं होना चाहिए। कोई घुसपैठिया मतदाता बनने में सफल हो गया है, तो यह हमारे तंत्र की घोर यानी अक्षम्य नाकामी है। अपना नागरिक छूटा हो मतदाता बनने से तो यह भी अक्षम्य अपराध है।

मुकेश कुमार मनन, ई मेल से

वोट की राजनीति से जनता पसोपेश में

देश में राजनीतिक दलों द्वारा वोट की राजनीति के आंदोलन ने जनता को पसोपेश में डाल दिया है। विपक्ष अपने तरकश के सारे तीर कमान खींच कर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा कर रहा है जबकि चुनाव आयोग और एनडीए के सभी घटक दल विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। एनडीए का कहना है कि विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करता है, और बांग्लादेशी घुसपैठियों की तरफदारी करता नजर आता है। पिछले दिनों विपक्षी दलों के करीब 300 सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग तक सड़क पर आंदोलन किया और मतदान के गड़बड़झाले को जनता के समक्ष रखा है। मतदाता गहन परीक्षण का मामला हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन जनता में यह चर्चा का विषय भी बन चुका है। यह इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि करीब 65 लाख मतदाताओं के मतदान का अधिकार खत्म होने जा रहा है। कांग्रेस के साथ ही सपा से लेकर शिवसेना (उद्धव) और राष्ट्रवादी कांग्रेस तक ने मतदान की गड़बड़ियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

वीरेन्द्र कुमार जाटव, दिल्ली

जीवन की गुणवत्ता से आंकें विकास

15 अगस्त, 1947 को भारत ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाई। यह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि आत्मनिर्णय, स्वाभिमान और सामाजिक पुनर्निर्माण का आरंभ था। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के बलिदान ने यह दिन संभव बनाया। लेकिन 78 वर्षों बाद प्रश्न उठता है-क्या हम उस स्वतंत्रता के मूल उद्देश्य को साकार कर पाए हैं? आज भारत दुनिया में तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की ह्यूमन डवलपमेंट रिपोर्ट-2024 में हम 134वें स्थान पर हैं। आर्थिक वृद्धि के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता में असमानताएं स्पष्ट हैं। यह दर्शाता है कि विकास केवल जीडीपी की रफ्तार से नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता से आंका जाना चाहिए। 15 अगस्त हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं, बल्कि प्रति दिन निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है-ताकि 2047 में भारत केवल शक्तिशाली राष्ट्र ही नहीं, बल्कि सर्वसमावेशी और न्यायपूर्ण राष्ट्र बने।

अवनीश कुमार गुप्ता, ई मेल से

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्त्तव्य • समर्पण
वर्ष-35, अंक 1
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 1209-1210, बारहवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011- 23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

मनुष्य के रूप में हमारी सबसे बड़ी क्षमता दुनिया को बदलना नहीं, बल्कि खुद को बदलना है।
-महात्मा गांधी

विवेक और संकल्प

आज जब देश आजादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है, तब पीछे मुड़कर यह देखना महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता के सात दशक से भी अधिक की अवधि में हमने क्या हासिल किया है और क्या कुछ करना बाकी है। स्वतंत्रता दिवस महज एक तारीख नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और राष्ट्र के मूल्यांकन का अवसर भी होता है। इस लिहाज से देखें, तो हम कई वजहें पाएंगे, जो हमें राष्ट्रीय गौरव से भर देंगी। हरित क्रांति की बदौलत हम कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए, आईटी क्रांति ने हमें वैश्विक सॉफ्टवेयर हब बनाया, तो इसरो की सफलताओं ने हमें अंतरिक्ष क्षेत्र के शीर्ष राष्ट्रों की कतार में खड़ा किया। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश की हालिया उपलब्धियां तो और भी चमकदार हैं। हम जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और 2028 तक तीसरे पायदान पर पहुंचने की राह पर हैं। डिजिटल क्रांति में यूपीआई का दायरा निरंतर वृद्धिमान है। हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिये पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई, तो रक्षा उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि हमारे आत्मविश्वास और सामर्थ्य की गवाही देती है। स्वतंत्रता दिवस का पावन अवसर हमें स्वतंत्रता सेनानियों के जज्बे की भी याद दिलाता है, जिसकी जरूरत वर्तमान चुनौतियों के मद्देनजर भी महसूस होती है। हालांकि, भारत पर 50 फीसदी का अमेरिकी टैरिफ थोपने की घोषणा कई आशंकाएं पैदा कर रही है। मगर वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसएंडपी का भारत की साख को एक पायदान बढ़ाते हुए यह कहना महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी टैरिफ से भारत पर कम ही असर पड़ेगा, क्योंकि इसकी आर्थिक वृद्धि का आधार घरेलू खपत है। पर्यावरणीय चुनौतियों के लिहाज से देखें, तो किश्तवाड़ और इससे पहले उत्तराखंड व हिमाचल में जिस तरह से प्राकृतिक आपदाएं आईं, उससे यह आशंका पैदा होती है कि कहीं यह विकास की दौड़ में हिमालय की आवाज को अनसुना करने का दंड तो नहीं। दूसरी ओर, देश में

राजनीतिक मतभेद अब इतने बढ़ गए हैं कि सांविधानिक संस्थाएं भी संदेह के घेरे में लाई जा रही हैं। नैरेटिव के मायाजाल इस तरह बुने जा रहे हैं कि अब से पहले यह इतना जरूरी कभी नहीं लगा कि तथ्यों की जांच एआई से नहीं, बल्कि अपने विवेक की रोशनी में की जाए। हमारा ऐसा संकल्प ही आजादी के उत्सव को महज औपचारिकता बनने से बचा सकता है।

यह उजाले का उत्सव है

स्वाधीनता दिवस आलोकमय अवतरण का पर्व है। यह केवल मौन से मंडित गौरव उपादान भर न बना रहे, बल्कि आगे की पीढ़ी के लिए एक दीप्ति से भरपूर और विकास का उद्घोष करने वाला जीवंत गौरव बने, यह संकल्प लेना ही इस दिवस की सार्थकता है।

आंखों में कष्ट है। चिकित्सक के यहां गया, तो वहां आंखों में दवा डाली गई। दवा डालते समय कहा गया, आंखें बंद कर लीजिए, आंखों में कुछ देर जलन होगी, फिर आंखें अंधेरे की अभ्यस्त हो जाएंगी। इन्हें बंद ही किए रहें। आंखों की पुतलियां जब बड़ी होंगी, तब आंखें खुलेंगी और आप उजाले के बीच होंगे। और मेरे अंतर की आंखें खुल गईं।

सोचने लगा, यही तो इस महादेश की नियति रही है। उजाले के बीच युगों तक रहा, फिर आक्रमणकारियों ने जब पराजित किया, तो देश की आंखें बंद हुईं, उनमें जलन होने लगी, धीरे-धीरे वह अंधेरे का अभ्यस्त हुआ, पराधीनता का अंधेरा उसे रास आया, लेकिन आंखों की पुतलियों ने स्वयं को बड़ा किया और फिर हम उजाले के बीच आ गए।

नर्मदा प्रसाद उपाध्याय
वरिष्ठ साहित्यकार

पंद्रह अगस्त अंधेरे की अभ्यस्तता को पराजित कर, देश के आलोकमय अवतरण का पर्व है।

यह भाद्रपद (भादो माह) में आता है और यह माह भी एक आलोकपुत्र के अवतरण का साक्षी है, कृष्ण जन्म का पर्व, जिसे हम जन्माष्टमी के नाम से संबोधित करते हैं। यह उजाले का उत्सव है। इसी दिन अंधेरे को पराजित कर कृष्ण जन्मे थे, एक उजास पुरुष के रूप में। उनका नाम भले कृष्ण रहा हो, लेकिन उनसे उजला व्यक्तित्व इतिहास में कोई नहीं है।

कृष्ण की स्मृति से जुड़ा यह पर्व कृष्ण के ही समान है, जिसने परतंत्रता के अंधकार को चीरकर स्वाधीनता के आलोक से देश के कण-कण को जगमगा दिया। हम इसे अधिकतर स्वतंत्रता के पर्व के नाम से संबोधित करते हैं। लेकिन लगता है, स्वतंत्रता दिवस से अधिक सटीक है इसे स्वाधीनता दिवस कहना। स्वतंत्रता में कहीं स्वच्छंदता की आहट भी छिपी है और स्वच्छंदता हमारे लिए कभी स्वीकार्य नहीं हो सकती। इसलिए कि चाहे व्यक्ति स्वतंत्र हो या उसके नायक, वे दोनों अनुशासन का अतिक्रमण कर सकते हैं और स्वाधीनता का आशय बड़ा स्पष्ट है स्वयं के अधीन रहने का। स्वयं के अधीन रहना, स्वयं के विवेक के अधीन रहना है। इसका आशय किसी को अधीन नहीं रखने की मंशा का भी है।

स्वाधीन शब्द के गर्भ से अन्य सभी के स्वाधीन रहने की आकांक्षा अंकुरित होती है। स्वाधीनता प्राणीमात्र का अधिकार है। स्वतंत्रता में कहीं निजता का स्पर्श है, जबकि स्वाधीनता, जिसमें सबके मुक्त बने रहने का भाव है, वह पूरी तरह लोकपरक है।

स्वाधीनता के आशय ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों और महाकाव्यों में स्पष्ट हैं। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में जहां स्व की अवधारणा आत्मिक स्वतंत्रता के रूप में है, वहीं छान्दोग्योपनिषद् तक आते-आते वह 'आत्मन स्वाधीनता' के रूप में और स्पष्ट हो जाती है। यहां स्वाधीन का अर्थ आत्मा के बाहरी बंधनों से मुक्त होने और स्वयं की चेतना में स्थित होने से है। *महाभारत* के शांति पर्व में स्वाधीनता को आत्मनियंत्रण और धर्म पालन से जोड़ दिया गया है और भागवत तो स्वाधीनता के पूरे आशय का ही आख्याता है।

साहित्य में तुलसी से लेकर मध्यकाल के सभी कवियों ने, वे चाहे जिस धारा के हों, स्वाधीनता को मुक्ति का ही पर्याय माना। तुलसी ने जहां *पराधीन सपनेहु सुख नाहीं* कहा, वहीं कबीर ने घोषणा की कि *मुक्ति को घर सहज है, सहज मिले सो पाय।* इसलिए स्वाधीनता हमारी अनमोल विरासत है, जिसका सीधा संबंध मुक्ति और आत्मानुशासन से है। इसकी व्यंजना स्वतंत्रता से कहीं अधिक व्यापक है।

यह स्वाधीनता, जो पंद्रह अगस्त, 1947 को मिली, वास्तव में देश के जनमानस के उस अमूर्त जीवट की परिणति थी, जिसका मूर्त रूप महात्मा गांधी के नेतृत्व में किए गए आंदोलन भी थे और भगत सिंह तथा चंद्रशेखर आजाद सहित महान क्रांतिवीरों के बलिदान भी। यह स्वाधीनता किसी एक व्यक्ति या पक्ष की देन नहीं थी।

यह अमूर्त जीवट उस अगस्त्य मुनि की भांति था, जिसने अपनी अंजुरी में पराधीनता के सागर को समेट कर अपने मुख से समूचा पी लिया था, यह जीवट वह शिवकंठ था, जिसने परतंत्रता के गरल से देश को और विषाक्त होने नहीं देते हुए स्वयं में धारण कर इस देश की धरती को विषमय होने से बचा लिया था और यह वह जीवट था, जिसने अपनी सामर्थ्य से उस सूरज को अस्ताचल की राह दिखा दी थी, जिसे अपने पर इतना भरोसा था कि वह कभी डूब नहीं सकता। पंद्रह अगस्त इसी जिजीविषा के, जीवट के सूर्योदय का साक्षी पर्व है।

आज जब हम इस स्वाधीनता दिवस को मना रहे हैं, तो यह केवल एक दिवस को मनाने की औपचारिकता भर न हो, बल्कि संकल्प हो इस स्वाधीनता को और मुखर-प्रखर करने का, क्योंकि यदि किसी निधि को सहेजे भर रहें, तो उसकी प्रखरता धूमिल होने लगती है, उसकी मुखरता मौन में परिवर्तित होने लगती है, वह केवल गौरव का उपादान भर रह जाती है। स्वाधीनता दिवस केवल धूमिल, मौन से मंडित गौरव उपादान भर न बना रहे, बल्कि आगे की पीढ़ी के लिए एक दीप्ति से भरपूर और विकास का उद्घोष करने वाला जीवंत गौरव बने, यह संकल्प लेना ही इस दिवस की सार्थकता है।

आज अठहत्तर बरस हुए स्वाधीनता मिले और इन बरसों में क्या पाया-क्या खोया का आकलन प्रायः प्रतिदिन होता है, लेकिन यह आकलन कभी नहीं होता कि हमने क्या दिया? देने को लेकर वह सब गिनाया जा सकता है, जो हमारा निजी उद्यम है और इसी निजता को सहेजकर हम इसे राष्ट्र सेवा से जोड़ देते हैं। स्वाधीनता दिवस पर शहरों के तमाम रास्ते ऐसे निजी उद्यमियों और स्वयंभू सेवकों की भीड़ से पटे पड़े हैं, भीड़ इतनी कि असंख्य सिर जुड़कर रास्ता हो गए और रास्ते इतने कि उनकी असंख्य दिशाएं मिलकर भीड़ हो गईं। दोनों में अंतर नहीं हो पाता। कहीं पांव ही नहीं दिखाई देते। पांव चलने का अनुभव देते हैं, लेकिन गंतव्य का पता नहीं देते, इन पंक्तियों से तस्वीर यह बनती है-*चलने को चल रहा हूं पर इसकी खबर नहीं/मैं हूं सफर में या मेरी मंजिल सफर में है।*

इसलिए इस स्वाधीनता पर्व पर यह सुनिश्चित करना होगा कि मंजिल स्थिर रहे और उसकी ओर सुनिश्चित रास्तों पर पांव गतिशील होते रहें। आज जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां फिर प्रासंगिक हो गई हैं-*हिमाद्रि तुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती/स्वयंप्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती/अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो/प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो, बढ़े चलो...।*

edit@amarujala.com

समाज

आजादी की बात ही कुछ और है

आज तक जमीन पर यह घटना घटी ही नहीं है कि स्वतंत्र चित्त व्यक्ति कभी स्वच्छंद हुआ हो। यह समझ सके, तभी समझ पाएंगे कि स्वतंत्रता की बात ही कुछ और है।

किसी गली या बाजार में, राह पर जब दो आदमी आपस में उलझते हैं, तो उन्हें अधिकांश लोग देखते हैं और अपनी राह पर चलते रहते हैं, कहते हैं: लड़ने-मरने दो, हमें क्या करना है! लेकिन, कुछ बीच-बचाव करते हैं, और कभी-कभी स्वयं भी पिट जाते हैं, कोई लाभ नहीं होता। यह सामान्य बात है। ऐसा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। ट्रंप ने तो भारत व पकिस्तान को, विशेषकर भारत को न तो समझाया और न युद्ध से रोका। भारत से केवल ट्रेड डील की बात की और टैरिफ की धमकी दी। पाकिस्तान के साथ पर्सनल व्यापार किया-विशेषकर सेनापति मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच दिया और नोबेल पुरस्कार की सिफारिश खरीदी। उसका उद्देश्य केवल नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करना और अपने व्यवसाय को बढ़ाना है। एपल कंपनी के मालिक से करोड़ों का गिफ्ट (रिश्वत) लेते हुए उसे कोई शर्म नहीं आई और न ही उसकी कुर्सी गई। भारत का कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकता, करेगा तो उसी दिन उसकी कुर्सी गई। भारत और अमेरिका के लोकतंत्र और जीवन मूल्यों में यह अंतर है। भारत अपने आदर्शों और जीवन मूल्यों पर अड़े रहने की भारी कीमत चुकाता है।

अमेरिका का एक विचारक हेनरी थारो हुआ। महात्मा गांधी उससे बहुत प्रभावित थे। अमेरिकी विधान में लिखा हुआ है कि व्यक्ति को आवागमन की स्वतंत्रता है। इसका उसने क्या अर्थ किया, मालूम है? रेलगाड़ी में बिना टिकट चलना! आवागमन की स्वतंत्रता! कोई रोक नहीं सकता। जब आवागमन की स्वतंत्रता है, तो रेलगाड़ी में बैठेंगे, हवाई जहाज में चढ़ेंगे! वह कई दफा पकड़ा गया, सजाएं भी काटीं, मगर वह यह कहता था कि यह व्यक्ति की मूलभूत स्वतंत्रता है; और फिर चलता था बिना टिकट।

स्वामी चैतन्य कीर्ति

प्रति वर्ष हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यह दिवस एक राष्ट्रीय उत्सव की गरिमा वाला दिवस है, लेकिन इस उत्सव के पहले और बाद में ज्यादातर लोग राजनीतिक स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता का व्यवहार करते दिखाई देते हैं। यहां तक कि देश की संसद भी अपवाद नहीं है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में गुणात्मक अंतर है। ओशो ने अपने एक प्रवचन में समझाया है : आज तक जमीन पर यह घटना घटी ही नहीं है कि स्वतंत्र चित्त व्यक्ति कभी स्वच्छंद हुआ हो। स्वच्छंद होता है, परतंत्र चित्त ही। परतंत्र चित्त जब क्रोध से भर जाता है, तो स्वच्छंद हो जाता है। हमारे, सभी नई पीढ़ियों के युवक आज क्रोध से भरे हैं। इसलिए स्वच्छंद होते जा रहे हैं। इसमें हजारों वर्ष से मनुष्य के मन पर लादी गई दासता का हाथ है। जब तक हम इस सत्य को न जानेंगे, तब तक न तो हम मनुष्य को परतंत्रता से बचा सकते हैं और न स्वच्छंदता से। एक विशियस सर्कल (दुश्चक्र) शुरू होता है।

परतंत्र चित्त स्वच्छंद होना चाहता है। स्वच्छंद चित्त को देखकर हम घबराते हैं और परतंत्रता को थोपने की कोशिश करते हैं। जितनी हम परतंत्रता थोपते हैं, उतनी स्वच्छंदता प्रतिक्रिया में पैदा होती है। जितनी स्वच्छंदता पैदा होती है, उतने हम भयभीत हो जाते हैं और परतंत्रता के नए आयोजन करते हैं। ऐसा एक दुश्चक्र हजारों वर्ष से मनुष्य के ऊपर चल रहा है। अब यह शायद अंतिम घड़ी में पहुंच गया है। शायद परतंत्रता इतनी गहरी हो गई है कि उसके परिणाम में आदमी अब सब भांति स्वच्छंद हो जाना चाहता है। चित्त को हम जितना दबाते हैं, उसकी उतनी प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। स्वच्छंदता और परतंत्रता, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर यह समझ में आ जाए, तो ख्याल में आ सकता है कि स्वतंत्रता की बात ही कुछ और है।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

भारत का हर नागरिक यह याद रखे कि वह भारतीय है और इस देश में उसे हर अधिकार प्राप्त है, लेकिन उसके कुछ कर्तव्य भी हैं।
- सरदार वल्लभभाई पटेल

स्वतंत्रता एक जिम्मेदारी है

स्वतंत्रता हमें अपने जीवन का स्वामी बनाती है, लेकिन इसके साथ यह मांग भी करती है कि हम अपने निर्णयों के लिए जवाबदेह रहें। समाज में रहते हुए एक-दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना ही स्वतंत्रता का सच्चा सार है।

स्वतंत्रता सिर्फ बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं है, यह हमारे विचारों, कार्यों और जीवन के उद्देश्य को स्वतंत्र रूप से चुनने की शक्ति है। स्वतंत्रता जीवन को सार्थक बनाती है और हमें सच्चा इन्सान बनने का अवसर देती है। स्वतंत्रता का पहला आयाम है विचारों की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार स्वयं बनाने का अधिकार है। समाज अक्सर हमें अपने नियमों और रीति-रिवाजों के अनुसार सोचने के लिए मजबूर करता है। अपने मन को खुला रखें। सवाल करें, तर्क करें, और सत्य की खोज करें। यदि आप दूसरों के विचारों को बिना जांचे-परखे स्वीकार करते हैं, तो आप अपनी बौद्धिक स्वतंत्रता खो देते हैं।

जॉन स्टुअर्ट मिल

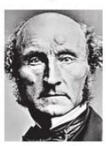

अपने विचारों को व्यक्त करने का साहस करें, क्योंकि यही सच्ची स्वतंत्रता की शुरुआत है। समाज हमें एक निश्चित ढांचे में ढालने की कोशिश करता है, लेकिन जीवन तो हमारा है। अपनी पसंद का जीवन जिएं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि हमारी स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण न करे। स्वतंत्रता का उद्देश्य केवल स्वच्छंदता नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को प्राप्त करें। स्वतंत्रता हमें अपने गुणों, प्रतिभाओं और क्षमताओं को विकसित करने का अवसर देती है। इन्सान कोई मशीन नहीं है, जो किसी निश्चित ढांचे में काम करे, बल्कि एक वृक्ष है, जिसे अपनी शाखाओं को फैलाने और सूर्य की ओर बढ़ने के लिए स्वतंत्रता चाहिए। अपने जीवन में प्रयोग करें, नई चीजें सीखें और अपने अनुभवों से बढ़ें।

जीवन धारा

स्वतंत्रता हमें वह स्थान देती है, जहां हम स्वयं को खोज सकते हैं। लेकिन, ध्यान रहे स्वतंत्रता की सीमाएं हैं। हमारी स्वतंत्रता वहां समाप्त होती है, जहां हम दूसरों को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं। समाज में रहते हुए हमें एक-दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। यह संतुलन स्वतंत्रता का सच्चा सार है। अपनी आजादी को जीना, लेकिन दूसरों की आजादी को भी महत्व देना बेहद जरूरी है। स्वतंत्रता एक जिम्मेदारी है। यह हमें अपने जीवन का स्वामी बनाती है, लेकिन इसके साथ यह मांग भी करती है कि हम अपने निर्णयों के लिए जवाबदेह रहें। व्यक्ति जो अपनी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं करता, वह अपनी मानवता का त्याग करता है। अपने जीवन को सचेत रूप से जिएं। अपने विचारों को स्वतंत्र रखें, अपने कार्यों को नैतिक बनाएं और अपने सपनों को साकार करें।

ऐ मेरे प्यारे वतन...

आजादी, कानून, संविधान, ये सब किसके लिए हैं? मनुष्य के लिए। एआई के युग में, मनुष्य को बचाने के लिए रोबोट नहीं आएगा। मनुष्य ही मनुष्य को बचा सकता है।

नंदितेश निलय
स्पीकर, लेखक एवं एथिक्स प्रशिक्षक

आइए, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस लेख की शुरुआत जय हिंद के उद्घोष से करें। अंततः, हिंद की जय, लोकतांत्रिक गणराज्य में एक आम आदमी के जीवन की जय ही तो होती है। और उन आम नागरिक में कोई बच्चा भी होता है, कोई विद्यार्थी भी, जो अपने घर से कुछेक किलोमीटर दूर स्कूल जाता है, इस आश्वासन के साथ कि वर्षा ऋतु में उन बारिश की बूंदों के बीच स्कूल की छत आ जाएगी और उनके लिए छाता बनकर उन्हें हमेशा महफूज रखेगी। माता-पिता भी उन तमाम दीवारों पर भरोसा करते हैं और यह मानते हैं कि स्कूल प्रबंधन और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी में यह भी रखता होगा कि जब बरसात आती है, तो सिर्फ वायरस ही नहीं आता, बल्कि उन दीवारों के दरख्तों में पानी भी आता है और वह बेखौफ और कुछ बद्तमीज पानी बिना किसी भय के कहीं भी प्रवेश कर जाता है। वह यह भी नहीं सोचता कि आजाद भारत में स्कूल की दीवारें, सड़कों और पुलों की तरह खोखली हो सकती हैं।

बारिश का पानी यह नहीं देखता कि दीवारें किसी भारी-भरकम फीस वाले स्कूल की नहीं हैं। वे तो आम दीवारें हैं, उन आम बच्चों के लिए, जिनके माता-पिता कभी भी किसी बादल के फटने से अपने घर-गांव संग बह जाते हैं और चूंकि वे आम लोग होते हैं, इसलिए उस जीवन-मृत्यु को समाचार का भी हिस्सा नहीं बनाया जाता, क्योंकि वे घटनाएं भी आम ही तो हैं। और बस, दोष तो उस बारिश के पानी का है, जो अपनी निष्ठुरता के साथ उन दीवारों को लिए उन मासूमों पर गिर जाता है और उधर उन दबी चीखों से दूर आजादी के जश्न में जय हिंद के नारे गूंजते रहते हैं। आखिर यह कैसी आजादी है?

ऐसा क्यों होता है कि जब वह बच्चा विद्यार्थी बन जाता है, तो वह खुद को स्कूल की बिल्डिंग के नीचे धंसा हुआ पाता है या पिछले साल की तरह किसी लाइब्रेरी में पढ़ते-पढ़ते जलमग्न हो जाता है। तो फिर बार-बार उस आजाद जीवन का इतना अनप्रेडिक्टेबल होना कि कब कौन दीवार गिर जाए, पुल टूट जाए, सड़क धंस जाए, गर्मी में एसी फट जाए, बरसात में बिजली का खंभा ही सिर पर गिर जाए और जाड़े के पहले प्रदूषण से दम घुट जाए, तो फिर यह कैसी आजादी है? अगर देश के स्कूलों की दीवारें इतनी कमजोर हैं कि बारिश में भरभराकर गिर जाएं, तो फिर ऐसे जीवन का क्या, ऐसे कल्याणकारी राज्य का क्या? उन स्मार्ट सिटी का क्या, जो बरसात के आते ही जलमग्न हो जाएं, वे चुनावी सड़कें शर्म से धंस जाएं। और फिर यह कहें कि उस पर चलता हुआ आदमी कोई आम आदमी ही तो था और इतने बड़े देश में कुछेक सौ

के जाने से कुछ नहीं होता। दोष बारिश का है। इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, कुछ न कुछ तो होता ही रहेगा। अगर ऐसा तर्क हम देते हैं, तो एक ऐसी निष्ठुरता को सामाजिक व्यवहार का हिस्सा बनाते हैं, जो सिर्फ कुर्सी के करीब होती है। नहीं तो नोआखाली की गलियों में कोई और भी महात्मा गांधी के साथ गया होता, उस दुख को महसूस किया होता और यह समझा होता कि आजादी का जश्न उन तमाम जनता की खुशियों से जुड़ा है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं हैं, बल्कि मनुष्य हैं और उस आजाद देश के नागरिक हैं। तो फिर ऐसी आजादी कैसे संभव बनाई जा सकती है, जिसमें एक आम बच्चे, विद्यार्थी और उस हर आम नागरिक का जीवन सुरक्षित न हो सके? भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए विवेकानंद के अद्वैत राज्य को कैसे जिया जा सकता है?

उत्तर सरल है। आइए, ऊपरी ढांचों में उलझने के बजाय बुनियादी ढांचों पर ध्यान दें और अपनी संरचनाओं को और मजबूत बनाएं। और आजाद भारत की आधारभूत संरचनाओं में से एक है स्कूली शिक्षा, नैतिकता, आचार-विचार और मूल्य, और रोजमर्रा की जिंदगी में आम आदमी की सुरक्षा। इसलिए यदि जीवन का उद्देश्य जीना है, तो जीवित रहने से बढ़कर कोई आनंद नहीं है। एक विकासशील देश में अंग तस्करी, निजी अस्पतालों का एकाधिकार, बढ़ते चिकित्सा खर्च, बदतर सीवेज सिस्टम, रेलवे ट्रैक की दुर्दशा, स्कूलों, सड़कों और पुलों के ढहने की कहानियां बेहद निराशाजनक हैं। हमारा देश ऐसी रोजमर्रा की दुर्घटनाओं से कब मुक्त होगा? गर्मी के मौसम में एसी फटने, पार्कों और अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं ने कई जानें ले लीं। बरसात में जलभराव आम बात है। क्या लोगों की मौत को भी अब एक नए सामान्य व्यवहार के रूप में स्वीकार किया जा रहा है? नहीं, यह आजादी नहीं है।

नौकरशाही और नेतृत्व को भारतीय विकास की कहानी को ऐसी दर्दनाक घटनाओं और घातक मानसिकता से बचाना होगा। एक समाज में जब मूल्यों को किसी व्यक्ति के पालन-पोषण में इनपुट के रूप में प्रदान किया जाता है, तो नैतिकता एक व्यावहारिक क्रिया, यानी आउटपुट के रूप में प्रकट होती है। लेकिन अगर कोई समाज व्यक्तिगत, वैवाहिक, पारिवारिक और संगठनात्मक स्तरों पर उन मूल सार्वभौमिक मूल्यों को प्राथमिकता देने में विफल रहता है, तो नैतिक संवेदनशीलता का पूरा मुद्दा एक नैतिक अनुपालन बन जाता है। फिर न्याय में निष्पक्षता क्या है? फिर नैतिकता क्या है? फिर मानव विकास की कहानी और मनुष्य के विवेक की प्रासंगिकता क्या है?

यह आजादी, कानून, नियम, संविधान, ये सब किसके लिए हैं? मनुष्य के लिए। एआई के युग में, एक मनुष्य ही मनुष्य को बचा सकता है। सही और गलत आचरण, व्यवहार या विकल्पों के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझना तभी संभव हो सकता है, जब मूल्यों या नैतिकता पर कोई व्यंग्य न किया जाए, उन्हें भी आजाद व्यवहार का हिस्सा बनाया जाए, उन्हें जिया जाए। कुछ उस तरह जैसे भारत ने कोविड महामारी के वक्त हर व्यक्ति के जीवन को तवज्जो दी थी, और हमें ऐसा भारत चाहिए। और वह मानवीय नजर भी, जो यह अनुमान लगा सके कि बरसात के बाद एक दिन ठंड भी आएगी और आएगा वह कुहरा, वह फेफड़ों को प्रदूषित करता वह धुआं, वह सब कुछ जो आकाश को पूरी तरह से ढक देगा। और उधर उन स्कूल के मैदान उन मजबूत दीवारों के बीच बच्चों की मुट्ठी में उन्मुक्त तिरंगा अपने रंग में फहराएगा, और वह संगीतमय उद्घोष भी गुंजायमान हो जाएगा...ऐ मेरे प्यारे वतन...

जन-मन ले संकल्प

आज हमारा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और यह हमारे लिए खुशी व गौरव के क्षण हैं। माथा ऊंचा करके याद कीजिए, यह वही देश है, जिसके बारे में पश्चिम के अनेक नेताओं को शंका थी, खुद अपने देश के अंदर ही हमारी स्वाधीनता पर संदेह करने वाले कम नहीं थे, पर आज तमाम शंकाओं व संदेहों से बहुत आगे निकल आया है हमारा भारत। हमारी विकास यात्रा अद्भुत है। हमने उदारता की राह चुनी थी, हमने सबको साथ लेकर चलने का फैसला लिया था और आज हम कुल मिलाकर संतोष कर सकते हैं। हम विकसित नहीं हुए, पर पिछले दस वर्ष में ही हमारी अर्थव्यवस्था अपनी विकासशीलता के लिए एक प्रतिमान बन गई है। दसवें से चौथे स्थान पर पहुंचना यह बताता है कि हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमें आर्थिक उदारीकरण का लाभ मिलने लगा है। यहां यह भी याद कर लेना चाहिए कि एक समय आर्थिक उदारीकरण का भी इस देश में विरोध हुआ था और आज उन दलों और सरकारों को यह श्रेय देना चाहिए, जिन्होंने सुधार की प्रक्रिया से समझौता नहीं किया। हमारी बढ़ती संपन्नता एक सामूहिक सफलता है, जिसे आगे बढ़ाने के संकल्प को आज फिर पुनर्नवा करना चाहिए।

जैसे आर्थिक सुधार से हमें लाभ हुआ है, ठीक उसी तरह से दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी सुधार की प्रक्रिया तेज करने की जरूरत है। आजकल मतदान सुधार की चर्चा देश में तेज है, तो क्यों न यहीं से सुधार की प्रक्रिया तेज की जाए? मतदान या चुनाव को लेकर शिकायतों का अंबार लग गया है। शिकायतों को सियासी नजरिये से देखने के बजाय उदार लोकतांत्रिक नजरिये से देखना चाहिए। यह किसी एक दल का मामला नहीं है, यह किसी एक दल की शिकायत नहीं है। सत्ता में रहे तमाम दलों और सरकारों ने सुधार के लिए कुछ न कुछ काम किए हैं। उसके बावजूद अगर शिकायतें हैं, तो उन्हें दूर करना सामूहिक जिम्मेदारी है। इसमें कोई दोराय नहीं कि इस देश में टी एन शेषन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं और उनके प्रयासों में बाधक बनने की साजिश अनेक नेताओं व दलों ने की थी। चूंकि यह उदार देश है, तो यहां किसी भी सुधार का रास्ता बहुत संघर्ष से ही गुजरता है। मतदाता सूची सुधार के साथ मतदाताओं को जागरूक करना बहुत जरूरी है। लोग अगर जागरूक होंगे, तो मतदाता सूची में किसी भी गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। देश में मतदाताओं को जागरूक करने और मतदान बढ़ाने के लिए हर स्तर पर प्रयास जरूरी हैं, ताकि हमारी स्वतंत्रता को शक्ति मिले।

जैसे आर्थिक सुधार से हमें लाभ हुआ है, ठीक उसी तरह से दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी सुधार की प्रक्रिया तेज करने की जरूरत है। इसके लिए लोगों को संकल्प लेना होगा।

गांधीजी ने आजादी मिलते ही इशारा कर दिया था कि केवल सरकार के भरोसे मत रहना। अगर केवल सरकार के भरोसे रहोगे, तो पूरा विकास नहीं कर पाओगे। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। सरकार ही नहीं, लोगों को किसी एक राजनीतिक दल के भरोसे भी ज्यादा नहीं रहना चाहिए। हर दल की अपनी मजबूरियां होंगी, पर किसी भी दल से यह देश बहुत बड़ा है। देश पहले है और दल बाद में। लोगों को अपने स्तर पर बेहतर परिणामों के लिए संगठित होना चाहिए। दक्षिण भारत में लोग अपने स्तर पर संगठित हुए, तो उन्होंने अपने स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सुविधाओं में सुधार को सुनिश्चित किया। ऐसे ही, संगठन उत्तर भारत के राज्यों में भी सामने आने चाहिए। जागरूक लोग ही लोकतंत्र को मजबूत करते हैं और जब लोकतंत्र मजबूत होता है, तब स्वतंत्रता भी सुनिश्चित होती है। निस्संदेह, भारत के विकास की रफ्तार तय है, उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 15 अगस्त, 1950

महंगाई की रोक

आज महंगाई से आम जनता जितनी परेशान है, उतनी और किसी बात से नहीं है। जब से कोरिया का युद्ध शुरू हुआ है, तब से तो चीजों की कीमतें और भी बढ़ गई हैं। अर्थशास्त्र का यह मान्य नियम है कि जब वस्तुओं का अभाव होता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। किन्तु प्रस्तुत उदाहरण में वस्तुओं का मूल्य बढ़ने का प्रधान कारण व्यापारी वर्ग की लोभ वृत्ति है। आज व्यापारी मुनाफा कमाने के हर मौके की तलाश में रहता है और उसका उचित और अनुचित भर-पूर लाभ उठाता है। एक वर्ष पूर्व जीवन-निर्वाह व्यय का निर्देशक अंक 380 था और सरकार ने यह वादा किया था कि वस्तुओं की कीमत में वह दस प्रतिशत कमी कर देगी। उसके अनुसार, आज निर्देशक अंक 340 होना चाहिए था, किन्तु वह 410 तक पहुंच चुका है। इस बढ़ती हुई महंगाई से आम जनता ही परेशान नहीं है, सरकार के लिए भी वह गम्भीर चिन्ता का कारण बन गई है। भारत सरकार के उद्योग और रसद मंत्री श्री हरेकृष्ण महताब ने संसद में ठीक ही कहा है कि अगर वस्तुओं के मूल्य इसी प्रकार अधिकाधिक ऊंचे चढ़ते गये, तो उसके फलस्वरूप देश को अकाल और भयंकर तबाही का सामना करना पड़ेगा। देश में शांति और व्यवस्था कायम रहना बहुत आवश्यक है, लेकिन जब लोग भूखों मरने लगेंगे, तो क्या नहीं कर बैठेंगे? देश के कुछ भागों से लूट-पाट और प्रदर्शनों के जो समाचार आ रहे है, वे गंभीर और नाजुक परिस्थिति के द्योतक हैं।

भारत सरकार को इस नाजुक परिस्थिति का सामना करने के लिए केन्द्रीय संसद के लिए विशेषाधिकार प्राप्त करने को बाध्य होना पड़ा है। संविधान के अनुसार कुछ विषय ऐसे हैं, जिनके बारे में राज्यों की विधानसभाएं ही कानून बना सकती हैं और केन्द्रीय संसद को वैसा करने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान की इस मर्यादा में अपवाद करने वाला एक प्रस्ताव भारतीय संसद ने स्वीकार किया है। इसके अनुसार, केन्द्रीय संसद को 15 अगस्त 50 से एक वर्ष के लिए यह अधिकार मिल गया है कि वह व्यापार और व्यवसाय तथा वस्तुओं के उत्पादन, पूर्ति और वितरण के बारे में कानून बना सके। भारतीय संसद इस बारे में जो भी कानून बनायेगी, वह सारे देश में लागू होगा और सरकार के हाथों में महंगाई से लड़ने के लिए अधिक कड़े अख्तियार आ जायेंगे।

हजार समाधानों का जनक हिन्दुस्तान

कैलाश सत्यार्थी | नोबेल शांति से सम्मानित सुधारक

भारत एक लंबी और गौरवपूर्ण यात्रा तय कर चुका है। मगर स्वतंत्रता के साथ अवसर बढ़े हैं, तो चुनौतियों का स्वरूप भी बदल गया है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर विशेष :

आज देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लंबे संघर्ष और अनगिनत बलिदानों के बाद हमें यह आजादी मिल सकी। दुनिया के अलग-अलग देशों के स्वतंत्रता संग्रामों की रणनीतियां ही नहीं, बल्कि चरित्र भी अलग-अलग रहे, जिनका आधार वहां की संस्कृति, समाज और इतिहास के मूल्य रहे हैं।

भारत की आजादी के संघर्ष की जड़ें सर्वहितकारी, मानवीय व आध्यात्मिक मूल्यों से लेकर समानता और न्याय के वैश्विक दर्शन तक फैली हुई हैं, जो उसे अद्वितीय बनाती हैं। एक तरफ, गांधीजी शांति, सत्य और अहिंसा के हथियारों से लड़े। यह आजादी के संघर्ष में एक नवाचार था। वह समाज में फैली हर तरह की बुराई, विसंगति और सांप्रदायिक भेदभाव का अंत भी चाहते थे। दूसरी तरफ, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का बंदूक और बम का दर्शन ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति पाने के साथ-साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों आदि के लिए आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित कराने का दर्शन था। इस तरह हमारा स्वाधीनता संग्राम एकांगी नहीं था, उसमें व्यापक, सार्वभौमिक और सार्वकालिक मूल्य निहित थे।

भारत एक लंबी और गौरवपूर्ण यात्रा तय कर चुका है। हम आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति और एक ऐसा देश हैं, जो प्राचीन संस्कृति और नई तकनीक को एक साथ साधे हुए है। मगर स्वतंत्रता के साथ अवसर बढ़े हैं, तो चुनौतियों का स्वरूप भी बदल गया है।

आज की दुनिया अभूतपूर्व तरीके से आपस में जुड़ चुकी है। सूचना, तकनीक, संपत्ति, संसाधन, विज्ञान- सबका वैश्वीकरण हो गया है। एक देश की समस्या अब दूसरे देशों की सीमाओं में भी हलचल मचाती है, और एक का समाधान पूरे विश्व के लिए आशा का दीपक बन सकता है। इसलिए आज स्वतंत्रता की रक्षा का अर्थ केवल अपने देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है; यह एक वैश्विक जिम्मेदारी बन चुकी है।

आज दुनिया जितनी अमीर, सूचना और तकनीक के मामले में जितनी उन्नत और जिस तेज रफ्तार से भाग रही है, वैसा पहले कभी नहीं था। मगर कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज वह जितनी बिखरी और टूटी हुई, हिंसा और युद्धों से ग्रस्त, असंतुलित तथा आर्थिक व राजनीतिक रूप से विभाजित है, उतनी कभी नहीं रही। ऐसा भी नहीं कि हमारे पास समस्याओं की समझ और समाधानों का अनुभव या विवेक नहीं है, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान निकलता दिखाई नहीं देता। उल्टा समाधानों से नई समस्याओं का जन्म हो रहा है।

मेरे विचार से इस स्थिति के दो बुनियादी कारण हैं- पहला, समाज में बढ़ता अतिवाद और दूसरा, नैतिकता का ह्रास। आज दुनिया में विचारधाराओं, मतों-मजहबों, राजनीति, व्यापार से लेकर निजी जीवन में अतिवाद बढ़ता जा रहा है। किसी तरह दूसरों को पीछे धकेलकर आगे बढ़ने के लिए चालाकी व हिंसा से लेकर हर तरह के अवैध तरीके अपनाए जा रहे हैं। व्यक्तिगत, सामाजिक व वैश्विक जीवन में नैतिक जवाबदेही लगातार घट रही है। इसके परिणामस्वरूप समाधान का सामर्थ्य व अधिकार रखने वाले वर्ग और समस्या से जूझने वालों के बीच की खाई गहराती जा रही है।

दुनिया के बच्चों की आजादी के लिए लगभग पांच दशकों के अपने संघर्ष का मैं सबसे महत्वपूर्ण अनुभव साझा कर रहा हूं। सैकड़ों जोखिम भरी कार्रवाइयों से हजारों गुलाम बच्चों की मुक्ति, शिक्षा व पुनर्वास और दुनिया भर में बाल श्रम के मुद्दे पर आंदोलन के लिए मेरी प्रेरक शक्ति करुणा रही है। आज की जटिल समस्याओं का मुझे एक ही हल दिखता है- करुणा का वैश्वीकरण।

करुणा कोई कमजोर या कोमल भावना नहीं है, बल्कि न्याय, समानता, शांति और सततता स्थापित करने की सबसे मजबूत परिवर्तनकारी शक्ति है। करुणा वह शक्ति है, जो दूसरों की तकलीफ को अपनी तरह महसूस करने से उपजती है और सजगता के साथ उस तकलीफ को दूर करने के लिए क्रियाशील बनाती है। मानव सभ्यता का विकास करुणा की ऊर्जा से ही हुआ है। अपने आस-पास के लोगों की मुश्किलों और तकलीफों का संज्ञान लेने, उनसे जुड़ने, गहराई से महसूस करने और उनको दूर करने की प्रेरणा व क्रियाशीलता के कारण परिवार, कुटुंब, समुदाय, गांव, नगर, राष्ट्र से लेकर संयुक्त राष्ट्र बने।

सभी मतों-मजहबों, क्रांतियों और समाज परिवर्तन की बुनियाद यही है, क्योंकि उनके इतिहास में किसी-न-किसी व्यक्ति ने समाज में फैली व्यापक पीड़ा को अपने दुख की तरह महसूस करके उनके समाधान ढूंढ़ने के प्रयास किए। करुणा व्यक्ति, संगठनों, समाजों और हर छोटी-बड़ी संस्था की प्राणवायु है। यदि उनमें से कोई ऑक्सीजन खत्म हो जाए, तो उनके जीने का कारण ही नष्ट होने लगता है। इसलिए शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, शासन-प्रशासन, धर्म, राजनीति आदि समाज का हर क्षेत्र करुणा से प्रेरित होना जरूरी है।

सामान्य तौर पर करुणा सहानुभूति, संवेदना, दया, कृपा, परोपकार की तरह दिखती है, पर वह इन सबसे अलग है। बेशक, ये अच्छे मानवीय गुण हैं, परंतु उनसे अन्याय, अत्याचार, हिंसा, विषमता और भेदभाव जैसी व्यवस्थागत समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। मानवीय स्वतंत्रता, गरिमा, वैश्विक संतुलन, समानता व शांति के लिए जरूरी है कि समाज के हर क्षेत्र में करुणामय नेतृत्व विकसित किया जाए।

करुणामय नेतृत्व का अर्थ है, दूसरों की समस्याओं को अपनी तरह महसूस करते हुए सजगता व निःस्वार्थ भाव से उनका हल निकालना। सफलता का एक ही पैमाना होना चाहिए, वह यह कि क्या इन क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है? करुणा सिर्फ नैतिक सिद्धांत, मानवीय गुण या सामाजिक मूल्य नहीं है। वह प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मौजूद एक जन्मजात शक्ति है, जो परिस्थितियों, परवरिश, वातावरण और अन्य प्रकार के सामाजिक कारणों से भीतर दबी रह जाती है। इसलिए, मनुष्य या संगठनों के भीतर इसे मापना और बढ़ाना, दोनों संभव है। कई नोबेल पुरस्कार विजेताओं और विश्व-नेताओं के साथ मिलकर मैंने 'सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कम्पैशन' की ऐतिहासिक शुरुआत की है। यह हर क्षेत्र, खासकर युवाओं में करुणामय नेतृत्व-निर्माण के साथ-साथ आईक्यू की तरह कम्पैशन क्वोशंट, यानी सीक्यू विकसित कर रहा है।

मैं हमेशा कहता रहा हूं कि भले ही भारत सौ समस्याओं का देश हो, लेकिन यही धरती हजार समाधानों की जननी भी है। इसलिए, भारत की धरती से ही करुणा का वैश्वीकरण होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

सेहतमंद भारत की मंजिल पर पहुंचने के पांच रास्ते

चंद्रकांत लहारिया | वरिष्ठ चिकित्सक और नीति विशेषज्ञ

आजादी के बाद से भारत ने स्वास्थ्य-सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। सन् 1947 में हमारी राष्ट्रीय जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी, जो बढ़कर आज 70 वर्ष के आस-पास हो चुकी है। शिशु मृत्यु-दर समेत सभी आयु-वर्गों में मृत्यु दर में कमी आई है। लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। फिर भी, हम नई-पुरानी उपलब्धियों पर गर्वित होकर बैठ नहीं सकते। वैसे भी, पुरानी चुनौतियां खत्म हो जाती हैं, तो नई सामने आती हैं और हमें उनके लिए तैयार रहना पड़ता है।

वर्तमान में हमारे पास युवाओं की संख्या सर्वाधिक है, मगर आने वाले वर्षों में बुजुर्गों की तादाद काफी बढ़ने वाली है। जाहिर है, तब स्वास्थ्य क्षेत्र की जरूरतें अलग किस्म की होंगी। इसके साथ ही देश में स्वास्थ्य संबंधी कई विषमताएं हैं। ये विषमताएं राज्यों के भीतर हैं, राज्यों के बीच में भी हैं और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों में भी हैं। इनमें से कुछ चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 में उपाय किए गए हैं, पर भविष्य की बेहतर स्वास्थ्य-सेवाओं के लिए पांच क्षेत्रों में ठोस और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है-

सबसे पहले, देश में बढ़ते गैर-संचारी रोगों को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को नए सिरे से संगठित करने और इन केंद्रों को बुजुर्गों की सुविधा के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। सन् 1950 के दशक से इस सदी के शुरुआती दौर तक, भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली संक्रामक रोगों और मां-बच्चे की स्वास्थ्य जरूरतों के अनुरूप चल रही थी। अब, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापा जैसी गैर-संचारी बीमारियां आम हो गई हैं। इसलिए भारत में गैर-संचारी, संक्रामक और मातृ-शिशु संबंधी बीमारियों की तिगुनी जरूरत को पूरा करने के लिए इन केंद्रों को तैयार किया जाना चाहिए। 2017 में 'ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी फॉर इंडिया' में पाया गया कि देश में 60 प्रतिशत से अधिक मौतें गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के कारण होती हैं। इसलिए, ग्रामीण, शहरी और आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कार्यक्षमता को मजबूत किया जाना चाहिए। इसके लिए इलाज को सस्ता बनाना होगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 में कुछ उपाय किए गए हैं, पर भविष्य की मांग को देखते हुए कई क्षेत्रों में प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है।

दूसरा क्षेत्र, एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके अत्याधुनिक संक्रामक रोग निगरानी और उपचार एवं डाटा विश्लेषण प्रणाली तैयार करना है। स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए बढ़े बजट से इसे पूरा किया जाना चाहिए। हाल के वर्षों में कोरोना, डेंगू, चिकनगुनिया और मौसमी सर्दी-जुकाम के नियमित प्रकोपों के अनुभव से महसूस किया गया है कि एक तत्पर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की सख्त जरूरत है। इसके लिए मेडिकल कॉलेजों या जिला अस्पतालों को प्रहरी केंद्र के रूप में जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।

तीसरा क्षेत्र शिशु विकास और स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि अभी के बच्चे ही आगे युवा कार्यबल बनेंगे। चौथी बात, देखभाल के सभी स्तरों पर मानसिक स्वास्थ्य को शामिल करना चाहिए। भारत में अवसाद, चिंता, मादक द्रव्यों के सेवन और आत्महत्या जैसे मामलों की सर्वाधिक उपेक्षा की जाती है। अवसाद हर पांच में से एक गर्भवती महिला को प्रभावित करता है और हर साल लगभग 50 लाख महिलाएं इसकी शिकार बनती हैं। बुजुर्गों का मानसिक स्वास्थ्य भी अहम मुद्दा है।

आखिर में, हमें एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य दृष्टिकोण बनाने की जरूरत है। कुत्तों के काटने, मौसमी, मच्छर जनित और गर्मी से होने वाली बीमारियों में वृद्धि याद दिलाती है कि हमें समग्र रूप से सोचने की जरूरत है। भारत में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, अस्वच्छता और शहरी भीड़ लोगों में श्वास संबंधी, पेट संबंधी और अन्य रोगों के प्रमुख वाहक हैं। शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, पुराने डीजल वाहनों को हटाना, औद्योगिक उत्सर्जन मानकों को लागू करना और हरित बफर जोन बनाना जरूरी है।

'स्वस्थ भारत-2047' कोई आकांक्षा नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र के लिए आवश्यक है। उपरोक्त पांच रणनीतिक और परस्पर जुड़े क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके अगले दो दशकों में समन्वित, सुवित्तपोषित और समुदाय-आधारित कार्रवाई सुनिश्चित करके, भारत अपने नागरिकों के स्वास्थ्य में बदलाव ला सकता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

अपना अतीत न भूले देश

देश की प्राचीन विभिन्नताएं अपने में महान लाभ के साथ-साथ त्रुटियां भी वहन करती थीं। इन भिन्नताओं द्वारा देश जीवन, कला, संस्कृति के अनेक जीवित और स्पंदनशील केंद्रों का घर बना दिया गया था; सब कुछ केवल कुछ प्रांतीय राजधानियों अथवा एक साम्राज्यिक महानगर में ही नहीं खिंच आया था, बल्कि अन्य नगर और क्षेत्र अधीन बने रहे तथा बिना किसी विशेषता के, अथवा सांस्कृतिक दृष्टि से सोये हुए पड़े रहे।...

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

ऐसी कोई संभावना अब नहीं रह गई है कि यह विभिन्नता भारत की एकता के लिए खतरा पैदा करेगी या उसे कम कर देगी। वे विशाल अंतराल, जिन्होंने उसके लोगों को एक-दूसरे के निकट आने और पूर्ण रूप से एक-दूसरे को प्रभावित करने से वंचित कर रखा था, अब विज्ञान की प्रगति और संचार के माध्यमों द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं। संघ की धारणा और उसके पूर्ण कार्यान्वयन की पूरी मशीनरी खोज ली गई है तथा वह पूरी तरह काम करने लगेगी। सबसे ऊपर देशभक्तिपूर्ण एकता की भावना लोगों में इतनी दृढ़ता से स्थापित हो गई है कि उसे आसानी से मिटाया या घटाया नहीं जा सकता।

स्वाधीनता के कुछ दिनों पहले कांग्रेस ने भाषावार प्रांतों को बनाने का वचन दिया था, और यदि तत्काल नहीं तो सुविधा से जितनी जल्दी हो सके, उस पर अमल कर देना बुद्धिमानी का कार्य माना जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जीवन तब प्राकृतिक शक्तियों और अनेकता में एकता के सिद्धांत पर आधारित होगा, जो सदा से उसके लिए सामान्य रहा है और उसकी उपलब्धि उसके अस्तित्व की मूलभूत कार्यविधि तथा उसकी प्रकृति ही, अनेक में एक, उसे अपने स्वभाव और स्वधर्म के पुष्ट आधार पर स्थित कर देगी। राज्यों और क्षेत्रीय लोगों का एक संघ फिर एक संयुक्त भारत का स्वरूप होगा।

भारत के आगे कहीं गहरे मुद्दे हैं, क्योंकि कुछ लुभावनी दिशाओं का अनुसरण कर वह अन्य अनेकों (राष्ट्रों) जैसा एक राष्ट्र बन जाएगा, जो उच्च कोटि की सफलता के साथ सत्ता की राजनीति का व्यवहार करेगा, पर ऊपर से दिखाई देने वाली भव्य प्रगति में वह स्वधर्म से वंचित हो जाएगा, आत्मा को खो देगा। प्राचीन भारत व उसकी आत्मा विलुप्त हो जाएं और हमारे पास केवल औरों जैसा ही एक और राष्ट्र रह जाए, तो यह न विश्व के लिए और न ही हमारे लिए वास्तविक उपलब्धि होगी।...

प्राचीन भारत और उसकी आत्मा बिल्कुल विलुप्त हो जाएं और हमारे पास केवल औरों जैसा ही एक और राष्ट्र रह जाए, तो यह न विश्व के लिए और न ही हमारे लिए वास्तविक उपलब्धि होगी।

अनेक कठिन समस्याएं हैं, जो इस देश के सामने विद्यमान हैं। निस्संदेह, हम उनमें से विजयी होकर निकल आएंगे, पर हमें इस तथ्य को छिपाकर नहीं रखना चाहिए कि पराधीनता के वर्षों और उसके क्षतिकारक प्रभावों के पश्चात महान आंतरिक और बाह्य मुक्ति व परिवर्तन, एक विस्तृत आंतरिक और बाह्य प्रगति अपेक्षित है, यदि हमें भारत की वास्तविक नियति को पूरा करना है तो।

श्री अरविंद

जनरल वी पी मलिक | पूर्व सेनाध्यक्ष, भारत

पाकिस्तानी नेता, खासकर उसके सैन्य जनरल अक्सर शेखी बघारते रहते हैं। इसका सटीक जवाब यही है कि हम सतर्क रहें, जरूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई करें और अपनी व्यापक राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण जारी रखें।

अनुलोम-विलोम
स्वतंत्रता दिवस

आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहे हम

स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाह्य बंधनों से मुक्ति नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन और आत्म-नियंत्रण है, जिसके बिना कोई भी राष्ट्र न तो दीर्घकालीन प्रगति कर सकता है, न ही आत्म-गौरव का अनुभव कर सकता है। भारत एक ऐसा ही राष्ट्र है। इसकी जड़ों में संस्कृति, दर्शन और अध्यात्म की अद्भुत समृद्धता है। इसके पास केवल भौगोलिक विस्तार नहीं, बल्कि सांस्कृतिक गहराई भी है।

आज भारत केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करता, बल्कि वह आत्मनिर्भरता की दिशा में भी अग्रसर है। आत्मनिर्भर भारत का अभियान केवल एक आर्थिक योजना नहीं, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता का घोष है। यह देशवासियों को कहता है कि हम विचारों, तकनीक, संसाधनों और चरित्र में आत्मनिर्भर बनें। आज भारत रक्षा क्षेत्र में अपने लड़ाकू विमान, मिसाइलें, और उपग्रह बना रहा है। विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में 'इसरो' और 'डीआरडीओ' जैसी संस्थाएं विश्वस्तरीय अनुसंधान कर रही हैं। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियान भारत को केवल आर्थिक महाशक्ति नहीं बना रहे, बल्कि आत्मविश्वास से परिपूर्ण राष्ट्र भी बना रहे हैं। यह वही आत्मविश्वास है, जो स्व-नियंत्रण से उपजता है।

आज स्वतंत्र भारत में हमें अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है- प्रेस, साहित्य, सोशल मीडिया, भाषण सभी माध्यम खुले हैं। स्वतंत्रता का यह आयाम आज के भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर नौजवानों के लिए। जब युवा अपने विचारों को स्वतंत्रता से प्रकट करें, लेकिन साथ ही वे मर्यादा और सहिष्णुता को न भूलें, जो भारतीयता की आत्मा है, तो राष्ट्र सुदृढ़ बनता है। आज भारत न केवल अपने लिए सोच रहा है, बल्कि विश्व की दशा-दिशा भी निर्धारित कर रहा है। यह प्रमुख मंचों पर आसीन है। जी-20 की अध्यक्षता, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण में वैश्विक नेतृत्व और वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) की आवाज बनना- केवल कूटनीति नहीं, आत्मवशिवासी स्वतंत्रता का प्रमाण है। भारत आज विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है, जिसका फायदा यहां के नागरिकों को मिल रहा है। जब हम कहते हैं कि भारत अपने ज्ञान, योग, आयुर्वेद, संस्कृति और सहिष्णुता के मूल्यों को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो वह केवल अतीत का गौरव-गान नहीं करता, बल्कि वर्तमान की नैतिक जरूरतों की पूर्ति भी करता है। वैश्विक उथल-पुथल के इस दौर में भारत की यह भूमिका एक संतुलनकारी, संयमित और संवादकारी राष्ट्र की है।

नृपेन्द्र अभिषेक 'नृप', टिप्पणीकार

असली भारत को गढ़ने का काम बाकी

सदियों की पराधीनता, संघर्ष व बलिदानों के बाद जब भारत ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजादी का सूर्य देखा, तो लगा कि एक नए युग की शुरुआत हुई है। पूरे देश में गर्व, उत्साह और उम्मीदों की लहर दौड़ पड़ी। लोगों को लगा, अब वे अपने भाग्य के निर्माता स्वयं होंगे। मगर क्या यह आजादी पूर्ण थी? सदियों की पराधीनता, संघर्ष और त्याग के बाद जब भारत आजाद हुआ, तो हर आंख में एक सपना था आत्मसम्मान से जीने का। अपने विचारों से, संस्कृति से जीवन जीने की उम्मीद थी।

मगर आजादी के 78 साल के बाद भी देश के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक और जातीय नफरत सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने पर आमादा है। शक्तिशाली पड़ोसी देश द्वारा देश की सीमाओं पर तनाव और उस पर हमारी चुप्पी, अर्थव्यवस्था का आधार मानी जाने वाली खेती-किसानी पर मंडराता गंभीर संकट, ध्वस्त हो चुकी अर्थव्यवस्था, अभूतपूर्व महंगाई-बेरोजगारी, राष्ट्रीय संसाधनों और सार्वजनिक सेवाओं का तेजी से निजीकरण, नित-नए उजागर हो रहा भ्रष्टाचार, सांविधानिक संस्थाओं व मीडिया पर हमला और चारों तरफ लहलहाती अपराधों की फसल के बीच हम अपनी आजादी की यह वर्षगांठ मनाएं भी तो किस भावना से? क्या हमारे वे तमाम मूल्य और प्रेरणाएं सुरक्षित हैं, जिनके आधार पर आजादी की लंबी लड़ाई लड़ी गई थी और जो आजादी के बाद हमारे संविधान का मूल आधार बनीं? क्या आजादी हासिल होने और संविधान लागू होने के बाद हमारे तंत्र और आम आदमी के बीच उस तरह का सहज व संवेदनशील रिश्ता बन पाया है, जैसा कि किसी व्यक्ति का अपने परिवार से होता है?

जाहिर है, आज जब हम आजादी के इतने दशक बाद पीछे मुड़कर देखते हैं, तो यह एहसास और भी गहरा हो जाता है कि हमने सत्ता तो बदली, पर सोच नहीं। अंग्रेजों की जगह एक ऐसी व्यवस्था ने अपना आधिपत्य जमा लिया, जिसमें समग्र विकास की बात नहीं होती। इसमें गिने-चुने लोगों को ही लाभ मिलता दिखता है। हमने आज सोचने की आजादी खो दी है। परंपराओं के नाम पर संवेदनशीलता और बदलाव की आकांक्षा कुचल दी है। हम एक ऐसी मानसिकता के बंदी हो गए हैं, जो हमें प्रश्न करने से रोकती है। जो बदलाव को देशद्रोह मानती है। जो 'चुप रहो', 'यही सही है' कहकर पीढ़ियों की संभावनाओं को कुचल देती है। आजादी सिर्फ परिवर्तन नहीं, बल्कि हमें सोचने, सवाल करने और विकल्प चुनने की स्वतंत्रता देती है। हमें वह भारत गढ़ना है, जहां तिरंगे की छाया में हर मनुष्य स्वाभिमान से जी सके। यही तो असली भारत होगा।

जयप्रकाश नवीन, टिप्पणीकार

स्वतंत्रता ही सभी सुखों का आधार है

राष्ट्रपति की कामना

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सदैव की तरह लोगों को प्रेरित करने वाली बातें करने के साथ विभिन्न क्षेत्रों में हासिल जिन अनेक उपलब्धियों का उल्लेख किया, वे सच में महत्वपूर्ण हैं। ये उपलब्धियां आर्थिक-सामाजिक विकास, जनकल्याण, तकनीक, रक्षा-सुरक्षा आदि क्षेत्र में हासिल की गई हैं, पर राजनीतिक, प्रशासनिक वर्ग और देश को गतिशील रखने वाले सभी लोगों को यह ध्यान रहे कि भारत को वास्तव में विकसित बनाने के लिए जो किया गया है और किया जा रहा है, वह अभी पर्याप्त नहीं। काफी कुछ किया गया तो बहुत कुछ करना शेष है। इस शेष की पूर्ति यथाशीघ्र हो और इसमें सभी का योगदान हो, यह सभी का लक्ष्य होना चाहिए। विकसित भारत की यात्रा में कोई पीछे छूटने न पाए और विकास के लक्ष्यों के साथ देश में हर स्तर पर सद्भाव बना रहे, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐसा करके ही हम हर तरह की चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। इसे हमने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ आपरेशन सिंदूर से सिद्ध भी किया। इस अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई ने आतंक के पोषक पाकिस्तान को पस्त और दुनिया को दंग किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में सुशासन स्थापित करने के साथ भ्रष्टाचार सहन न करने की महत्ता को रेखांकित किया। सुशासन की दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। आखिर यह सभी राजनीतिक दलों का संयुक्त लक्ष्य क्यों नहीं हो सकता? संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देना तभी उचित है, जब राजनीतिक दल सुशासन को प्राथमिकता दें और विकास एवं जनकल्याण के मामले में संकीर्ण दलगत हित न आड़े आने दें। यह दुर्भाग्य की बात है कि वे न केवल आड़े आ रहे हैं, बल्कि देश की प्रगति में बाधक बनने के साथ भ्रम भी फैला रहे हैं। यह सस्ती राजनीति कम होने के बजाय बढ़ रही है। यह भी गंभीर चिंता की बात है कि शासन-प्रशासन के स्तर पर भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यह सही है कि कई क्षेत्रों में सरकारी कामकाज सुधरा और सुगम हुआ है, लेकिन अनेक क्षेत्रों में वह जस का तस है। ऐसे कई सरकारी काम हैं, जहां भ्रष्टाचार नियंत्रित होने के बजाय बढ़ता और बेलगाम होता दिखता है। यह एक त्रासदी है। यह भी एक विडंबना है कि हर क्षेत्र में सुधार की बातें हो रही हैं और कुछ न कुछ नया होने के साथ आज की जरूरत बन चुकी तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है, लेकिन ठोस एवं प्रभावी न्यायिक सुधारों के लिए देश अभी भी प्रतीक्षारत है। समझना कठिन है क्यों? यह वह प्रश्न है, जिस पर चिंतन-मनन होना ही चाहिए। स्वतंत्रता के राष्ट्रीय पर्व पर ऐसा हो, इस अपेक्षा के साथ शुभकामनाएं।

प्रभावकारी कदम

प्रदेशव्यापी भू-सर्वे के बाद राज्य सरकार ने राजस्व महाअभियान चलाने का निर्णय लेकर एक बार फिर प्रभावकारी पहल की है। दरअसल, सरकार की मंशा है कि किसी भी स्तर पर जमीन संबंधी दस्तावेजों में किसी तरह की त्रुटि नहीं रह जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रदेश के न्यायालयों में जमीन से संबंधित मुकदमों का अंबार लगा हुआ है। अधिकतर झगड़ों की वजह जमीन विवाद ही है। इनमें उत्तराधिकार और संयुक्त संपत्तियों के बंटवारे से जुड़े मामले सर्वाधिक हैं। इस महाअभियान के तहत राजस्व विभाग की टीम घर-घर जाकर जमाबंदी की कापी और आवेदन के फार्म रैयत को देगी। इसके बाद गांव में शिविर लगाकर सभी आवेदन और जरूरी कागजात लोग जमा करेंगे। इस दौरान नामांतरण के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे। अच्छी बात है कि सरकार ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को और आसान बनाते हुए मुखिया-सरपंच को इसे निर्गत करने का अधिकार दिया है। वंशावली में मृत सदस्य के रूप में दर्ज व्यक्ति के लिए वे प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस अभियान को सफल बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है। इसके लिए पर्याप्त मानव बल के साथ अन्य संसाधनों को भी हर शिविर में मुहैया कराना होगा तथा तकनीकी सुविधा और रिपोर्टिंग सिस्टम की कड़ी मानीटरिंग करनी होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि इसकी आड़ में किसी स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं हो तथा कोई रैयत परेशान न हो, तभी जमीन से जुड़े सारे रिकार्ड दुरुस्त और पारदर्शी हो सकेंगे।

राजस्व महाअभियान को सफल बनाने के लिए भू-स्वामियों को जागरूक करना होगा, ताकि उनकी पूरी सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या मतदाता सूची के सत्यापन पर उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण विपक्षी दलों के लिए झटका है?

आज का सवाल

क्या भारत ट्रंप की टैरिफ नीति का सफलतापूर्वक मुकाबला करने में सक्षम दिख रहा है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

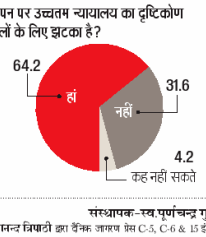

अब हमारा लक्ष्य हो आर्थिक स्वतंत्रता

गुरमीत सिंह

हम तकनीक में आत्मनिर्भर, अनुसंधान में अग्रणी और रोजगार सृजन में सक्रिय हुए, तो अगले दो दशक हमें वैश्विक नेतृत्व की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर देंगे

भारत ने स्वतंत्रता के 78 वर्षों की यात्रा में अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं। यह यात्रा केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की ही नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भी रही है। अब जब हम 2047 में विकसित भारत बनने का सपना देख रहे हैं, तब यह समझना आवश्यक है कि 'राष्ट्र प्रथम' का संकल्प ही हमें उस स्वर्णिम लक्ष्य तक पहुंचाएगा। आने वाले 21 वर्ष हमें आर्थिक और तकनीकी महाशक्ति बनने का अवसर दे रहे हैं। भारत के विज्ञानियों, इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों ने दशकों से वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। आज भी सफलता की गाथाएं लिखी जा रही हैं। अंतरिक्ष में चंद्रयान-3 और मंगलयान की सफलता, डिजिटल पेमेंट व्यवस्था का अभूतपूर्व विस्तार और वैक्सीन निर्माण में विश्व नेतृत्व हमारी क्षमताओं के प्रमाण हैं।

आज दुनिया में वर्चस्व की लड़ाई युद्धभूमि पर नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, तकनीक और नवाचार के मोर्चे पर हो रही है। डाटा, डिजिटल नेटवर्क और उन्नत तकनीक पर नियंत्रण रखने वाले देश ही आने वाले कल की वैश्विक व्यवस्था तय करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) इस नए समीकरण का केंद्र स्तंभ है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, परिवहन और रक्षा-हर क्षेत्र में बदलाव ला रहा है। एआइ केवल तकनीक नहीं, बल्कि आर्थिक सशक्तीकरण और रणनीतिक क्षमता का आधार है। नैसकाम के अनुसार, 2025 तक एआइ और डाटा भारत की जीडीपी में लगभग 500 अरब डालर का योगदान कर सकते हैं। वर्ल्ड इकोनमिक फोरम का अनुमान है कि 2030 तक एआइ लगभग तीन करोड़ नए रोजगार पैदा कर सकता है। भारत इस क्षेत्र में पीछे रहने का जोखिम नहीं उठा सकता। एआइ आधारित विभिन्न तकनीकी अनुप्रयोगों का हर क्षेत्र में आकलन करते हुए उससे अपनी क्षमताओं और उत्पादकता को बढ़ाना जरूरी है। एआइ की मदद से कृषि में पैदावार का पूर्वानुमान, स्वास्थ्य में त्वरित निदान, शिक्षा में व्यक्तिगत मार्गदर्शन, आपदा प्रबंधन में सटीक योजना बनाकर हम इन क्षेत्रों में उत्पादकता और रोजगार बढ़ा सकते हैं। केवल तकनीक का उपभोग करना पर्याप्त नहीं होगा। हमें एआइ एल्गोरिदम, भाषाई माडल और हार्डवेयर समाधान भी खुद विकसित करने होंगे। यह हमारे डिजिटल स्वदेशी आंदोलन की मजबूती के लिए भी अति आवश्यक है। आज स्वदेशी का दायरा केवल कपड़ों या कृषि तक सीमित नहीं है। डिजिटल युग में इसका मतलब है- डाटा, साफ्टवेयर और हार्डवेयर पर आत्मनिर्भरता। सरकार के अनुसार, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय आय का 11.7 प्रतिशत थी और 2030 तक यह 20 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। यह कृषि और विनिर्माण से भी बड़ी शक्ति बन सकती है, बशर्ते हम तकनीकी नेतृत्व अपने हाथ में रखें।

अवधेश राजपूत

भारत एआइ, बायोटेक्नोलाजी, ग्रीन एनर्जी के साथ-साथ अब क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कदम रख रहा है। भारत ने 'नेशनल क्वांटम मिशन' की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य 2031 तक क्वांटम तकनीक में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करना है। इस दिशा में चल रहे शोध एवं स्टार्टअप आने वाले वर्षों में डिजिटल और राष्ट्रीय सुरक्षा, नवाचार और औद्योगिक स्वावलंबन के नए द्वार खोल सकते हैं। आज का वैश्विक परिदृश्य भी हमें इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का संकेत देता है। ऊर्जा संकट, पर्यावरणीय चुनौतियां, आर्थिक अस्थिरता और सुरक्षा संबंधी खतरे से निपटना अब विश्व स्तर पर अनिवार्य हो चुका है। इन जटिल परिस्थितियों में आत्मनिर्भरता केवल एक आर्थिक नीति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता का भी आधार है। भारत अपनी प्राचीन सभ्यता, लोकतांत्रिक मूल्यों और सांस्कृतिक विविधता के आधार पर टिकाऊ और समावेशी विकास माडल पेश कर सकता है।

भारत के पास आज दुनिया का सबसे बड़ा युवा कार्यबल है। हमारे पास कामकाजी उम्र के लोगों की संख्या इतनी अधिक है कि यदि उन्हें सही दिशा, शिक्षा और अवसर मिले, तो वे देश की आर्थिक प्रगति को अभूतपूर्व गति दे सकते हैं। भारत इंटरनेट पर एआइ सीखने वाले छात्रों और पेशेवरों की संख्या में दुनिया में सबसे आगे है। यानी रुचि और उत्साह प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन सीखने की संख्या के बावजूद कौशल और दक्षता के स्तर में अभी अंतर है। इसका मतलब है कि जो सीखा जा रहा है, उसे गहराई से समझने और व्यावहारिक रूप से लागू करने की क्षमता में और सुधार की आवश्यकता है। यदि हम इस अंतर को भरने में सफल हुए, तो यह युवा शक्ति न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व के लिए तकनीकी समाधान तैयार कर सकती है। भारत का लक्ष्य केवल तकनीकी उत्पादों और सेवाओं का आयात या उपभोग नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वयं को तकनीकी निर्माता, नवप्रवर्तक और वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करना होना चाहिए। यह तभी संभव है, जब हम सभी तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और उद्यमशीलता को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में अंगीकार करें। इसके लिए शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों को ऐसा माहौल और संसाधन प्रदान करने होंगे, जहां उन्हें प्रयोग, नवाचार और अगली पीढ़ी की तकनीकों के विकास का पूरा अवसर मिले। सरकार, उद्योग और अकादमिक जगत मिलकर ऐसा माहौल तैयार करें, जो तकनीकी कौशल विकास, स्टार्टअप समर्थन और रोजगार सृजन के अनुकूल हो। स्पष्ट है कि 2047 का भारत आज के निर्णयों से आकार लेगा। अगर हम तकनीकी आत्मनिर्भरता, अनुसंधान और रोजगार सृजन में सक्रिय हुए, तो अगले दो दशक हमें वैश्विक नेतृत्व की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर देंगे।

यह हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें जो स्वतंत्रता दी, हम उसका उत्तरोत्तर विस्तार करते हुए आर्थिक और तकनीकी स्वतंत्रता को उतनी ही दृढ़ता से हासिल करें। यही डिजिटल स्वदेशी का सार है, यही विकसित भारत का पथ है और यही वह विरासत होगी, जो हम आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंपेंगे।

(लेखक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं)
response@jagran.com

आखिरकार जाग उठा भारत

गिरीश्वर मिश्र

आज का भारत यह अनुभव कर रहा है कि पश्चिम से उधार ली गई प्रगति की परिभाषा हमारा भला नहीं कर सकेगी

पराधीन रहते हुए भारत ने लगभग आठ सौ वर्ष की लंबी अवधि तक अनेकानेक कष्ट सहे और यातनाएं झेलीं। भारत की पहचान बदलने के लिए न सिर्फ नाम ही बदला गया, पहले हिंदुस्थान फिर इंडिया, बल्कि उसके मानस, संस्थाओं और संस्कार सबको नए सांचे में ढालते रहने की कोशिश जारी रही। तरह-तरह के शोषण द्वारा विदेशी आक्रांताओं ने भारत को विपन्न बनाने की लगातार कोशिश की। अंग्रेजों ने उपनिवेश बनाकर हद ही कर दी। उन्होंने भारत का भरपूर दोहन किया और शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने ही देश में खुद को अस्वीकृत और हाशिए पर भेज कर अप्रासंगिक बनाए जाने की असह्य पीड़ा ने भारतीयों को स्वाधीनता संग्राम के लिए तैयार किया। यह भारत की अदम्य जिजीविषा ही थी जो जननी और जन्मभूमि से जुड़ाव के साथ लगभग सात हजार वर्षों से भारत की सभ्यता को निरंतर प्रवहमान किए हुए थी। इसी क्रम में राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत भारतीयों में अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होकर देश में स्वराज्य स्थापित करने की तीव्र अभिलाषा जगी।

इस दौर में वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियों ने भी साथ दिया। कई तरह के राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बीच चले संघर्ष के फलस्वरूप देश को 1947 में अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता की प्राप्ति राष्ट्रीय जीवन में एक प्रस्थान बिंदु होना चाहिए था, जहां से स्वदेशी कल्पनाओं वाली संकल्पना वाले भारत का सृजन शुरू होता, पर नियति ऐसी कि स्वतंत्रता भारत को खंडित करके दी गई। विभाजन एक भीषण हिंसक मानवीय त्रासदी बन गया, जिसके प्रत्यक्ष और परोक्ष परिणाम दूरगामी प्रभाव वाले साबित हुए। स्वतंत्र देश की बागडोर जिन हाथों में सौंपी गई, उनमें जनता ने भलीभांति एक लंबे अर्से तक अविचल निष्ठा के साथ अपना असंदिग्ध भरोसा जताया था। बीता समय साक्षी है कि उनका सोच, योजना और योजना के कार्यान्वयन की राह स्वराज और स्वदेशी के भारतीय सपनों से कदाचित दूर होती गई। हम सर्वोदय के लक्ष्य के ज्यादा करीब नहीं पहुंच सके। कुछ बदलाव जरूर आए और उनके कुछ अच्छे परिणाम भी हुए, परंतु आत्मनिर्भरता, उन्नति और एकजुट होकर देश के कल्याण की कोशिश मद्धम पड़ गई। उसकी जगह विश्वयारी की बतकही में शामिल होते हुए समग्र भारत की प्रगति का प्रश्न दृष्टि से ओझल होता गया। गरीबी, अस्वास्थ्य, अशिक्षा दूर करने में अधिक प्रगति न हो सकी और सामाजिक मूल्यों का क्षरण बढ़ता गया। आत्मलीन और संकुचित दृष्टि ऐसी पसरी कि देश के युवा प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी को स्वीकार करना पड़ा कि सौ पैसे में से पंद्रह पैसे ही अपने लक्ष्य तक पहुंच कर वास्तविक हितग्राही को मिल पाता है। शेष को बिचौलिये ही डकार जाते हैं। स्थिति यह हो गई कि सरकार को सोना गिरवी रखना पड़ा।

अदम्य जिजीविषा से प्रगति पथ पर अग्रसर देश • प्रेट्र

इसके बाद आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हुआ। साथ ही घोटालों और भ्रष्टाचार के मामले भी बढ़े। इस जटिल पृष्ठभूमि में हुए 2014 के लोकसभा के चुनाव बड़े निर्णायक साबित हुए। जनता परिवर्तन चाहती थी और स्पष्ट बहुमत से भाजपा को शासन की जिम्मेदारी सौंपी। तब से लगातार आधार-संरचना, उत्पादन, निवेश और निर्यात आदि विभिन्न मोर्चों पर कमर कसी गई। तकनीकी प्रगति पर जोर दिया गया। योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का प्रयास तेज किया गया। भ्रष्टाचार पर लगाम कसी गई। शिक्षा, कानून आदि के क्षेत्रों में कुछ जमीनी सुधार भी शुरू हुए। बाद के दो चुनावों में भी भाजपा सरकार बनाने में सफल हुई, यद्यपि पिछले चुनाव में समर्थन कुछ कम मिला।

देश ने अमृतकाल की यात्रा शुरू की है। स्वतंत्र भारत 2047 में शताब्दी मनाएगा। नया भारत अपने लिए नए मार्ग बना रहा है। दुर्भाग्य से भारत के पड़ोसी देशों के हालात टूटने बिखरने से अस्थिरता वाले हो गए और लोकतांत्रिक गतिविधियां कमजोर पड़ती गईं और अराजक प्रवृत्तियां जोर पकड़ने लगीं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन की सीमाएं सतत चुनौती बनती रहीं और उनकी ओर से घुसपैठ, आतंक और अवांछित सैन्य कारवाई को अंजाम भी दिया जाता रहा है। इसलिए सामरिक तैयारी जरूरी हो रही है।

यह ठीक नहीं कि आंतरिक राजनीतिक परिवेश में तुष्टीकरण का बोलबाला हो रहा है। झूठ और फरेब भी बढ़ा है जिसके चलते अब नेताओं पर भरोसा करना कठिन हो रहा है। लोकतंत्र में क्षेत्रीय, भाषाई, जातीय और दलगत विविधता को संभालना आज एक बड़ी चुनौती सिद्ध हो रही है। ऐसे में धनबल और बाहुबल का असर बढ़ा है और अवांछित लोगों को भी राजनीति में प्रवेश मिलने लगा है। लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं को सुदृढ़ करना ही एकमात्र विकल्प है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशाल जनसंख्या के हिसाब से प्रभावी कदम उठाने होंगे। तभी यह युवा देश उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ सकेगा।

भारत देश की जिजीविषा अप्रतिम है। विभिन्न बाधाओं से जूझते हुए आगे बढ़ता भारत स्वायत्त देश है। वह आज किसी अन्य देश के प्रति समर्पित नहीं है। भारत जग रहा है और यह अनुभव कर रहा है कि प्रगति की परिभाषा पश्चिम से उधार लेकर भला नहीं कर सकेगी। पश्चिम जैसा ही बनना भारत की नियति नहीं हो सकता। इस प्राचीनतम सभ्यता का विशाल लोकतांत्रिक कारवां पश्चिम से पुष्टि नहीं चाहता। गरिमा के साथ स्वावलंबन, स्वायत्त व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण जीवन ही उसका ध्येय हो सकता है। स्वदेशी से ही स्वराज सही अर्थों में स्थापित होगा।

(लेखक पूर्व कुलपति हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

स्वतंत्रता

स्वतंत्रता का अधिकार मानवता का मूल है, जो स्वतंत्र जीवन का प्रतीक है। यह प्राकृतिक है कि हर प्राणी स्वतंत्रता की आकांक्षा करता है, क्योंकि स्वतंत्रता से ही जगत का कल्याण और पृथ्वी का शृंगार संभव है। स्वतंत्रता ने विश्व का उत्थान किया है और समस्त वैभव तथा ऐश्वर्य का कारण भी यही है। लोकों में व्याप्त सुख और शांति का परिणाम भी स्वतंत्रता है। सभी मानवीय शक्तियों का विकास स्वतंत्रता से ही संभव है, इसलिए इसे परम शक्ति माना जाता है। स्वतंत्रता प्रकृति की पुत्री और देवी स्वरूपा है, जिसकी वीर जन आराधना करते हैं।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

स्वतंत्रता का महत्व विचार की स्वतंत्रता से लेकर देश की स्वतंत्रता तक फैला हुआ है और इसके मूल में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह है। जैसे शरीर का महत्व है, उससे अधिक महत्वपूर्ण उसकी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता की देवी का पृथ्वी पर अटल साम्राज्य है। जहां स्वतंत्रता का अपमान होता है, वहां सुख और शांति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। स्वतंत्रता शांति की भी जननी है। यह लोकतंत्र या राजतंत्र में भेद नहीं करती। किसी भी तंत्र में स्वतंत्रता सर्वोपरि होनी चाहिए।

यदि लोकतंत्र में स्वतंत्रता को नीचा दिखाया गया, तो सुख, समृद्धि और शांति का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। स्वतंत्रता सार्वभौमिक, सर्वव्यापी और सर्वकालिक है। यह व्यक्ति की सुरक्षा, स्वाभिमान और सम्मान की सूचक है। स्वतंत्रता हम सबकी अस्मिता है, लोकतंत्र का आत्मा, गणतंत्र की चेतना और राष्ट्र की प्राणवायु है। भले ही स्वतंत्रता की देवी की कोई मूर्ति न हो, चित्र न लगे हों या मंदिर न बने हों, फिर भी इसका अमरत्व पृथ्वी के समान है। स्वतंत्रता का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम इसे सहेजें और इसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें। स्वतंत्रता का सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है, ताकि हम एक सुखद और समृद्ध समाज की ओर बढ़ सकें।

डा. राघवेंद्र शुक्ल

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

विभाजनकारी मानसिकता

'आंसू छलकाने वाली विभाजन की त्रासदी' शीर्षक से डा. केएल जुनेजा ने अपने अनुभव साझा करते हुए यह स्पष्ट किया है कि देश की आजादी की लड़ाई का श्रेय उन लाखों-करोड़ों लोगों को जाता है, जिनके बलिदान को नई पीढ़ी भुला चुकी है। इनमें वे लाखों परिवार भी शामिल हैं, जिन्होंने भारत विभाजन की विभीषिका झेली और बिखर गए, लेकिन जिन्होंने अपनी मेहनत से जीवन को पुनः संवारने में सफलता प्राप्त की। यह भारत के सहिष्णु समाज की एक झलक है और अवसर की समानता का प्रतीक है। लेखक, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झंग जिले के निवासी थे, अपने साथ केवल तन और मन लेकर आए। ऐसे लाखों लोग थे जो दर-बदर हुए। यह अत्यंत दुखद है कि जब स्वतंत्रता की तैयारी चल रही थी, तब लाखों परिवार कुछ स्वार्थी तत्वों के कारण अपनी जड़ों से कट गए। आज भी यह सवाल उठता है कि क्या हम विभाजनकारी मानसिकता को समाप्त कर पाए हैं? क्या यह मानसिकता स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हमारे श्रद्धेय नेताओं की गलतियों का परिणाम नहीं है? वर्तमान में तुष्टीकरण की राजनीति में कुछ लोग एक-दूसरे को समकक्ष मानने के बजाय विशिष्ट नागरिक का दर्जा चाहते हैं। विभाजन पर अनेक साहित्यिक रचनाएं हुई हैं और नई पीढ़ी को पाठ्यक्रमों के माध्यम से इससे अवगत कराने की आवश्यकता है, ताकि विभाजनकारी मानसिकता पुनः सिर न उठा सके। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर यह संकल्प लेना आवश्यक है।

मुकेश कुमार मनन, पटना

जीवन गुणवत्ता से आंका जाए विकास

15 अगस्त 1947 को भारत ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाई। यह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि आत्मनिर्णय, स्वाभिमान और सामाजिक पुनर्निर्माण का आरंभ था। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के बलिदान ने यह संभव बनाया। आज 78 वर्षों बाद प्रश्न उठता है, क्या हम उस स्वतंत्रता के मूल उद्देश्य को साकार कर पाए हैं? आज भारत दुनिया में तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 में हम 134वें स्थान पर हैं। आर्थिक वृद्धि के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता में असमानताएं स्पष्ट हैं। यह दर्शाता है कि विकास केवल जीडीपी की रफ्तार से नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता से आंका जाना चाहिए। इतिहास बताता है कि स्वतंत्रता तभी सार्थक होती है, जब उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। संविधान ने हमें लोकतांत्रिक अधिकार दिए, पर लोकतंत्र केवल मतदान नहीं, यह निरंतर नागरिक भागीदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करता है। भ्रष्टाचार, राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक विभाजन प्रगति को सीमित कर रहे हैं। युवा भारत को समझना होगा कि भविष्य केवल स्टार्टअप या टेक्नोलाजी से नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण शासन, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक सहिष्णुता से बनेगा।

अवनीश कुमार गुप्ता, पटना

आर्थिक आजादी आवश्यक

हम आजादी का महोत्सव मना रहे हैं और अपने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि हम उन आदर्शों पर विचार करें, जिनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी और डा. बीआर आंबेडकर जैसे दूरदर्शी नेताओं ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि सच्ची आजादी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और सामाजिक समानता भी है। आज जब देश भर में झंडे फहराए जा रहे हैं, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या हमने वास्तव में उन आदर्शों को हासिल कर लिया है। भारत में धन का असमान वितरण बहुत ज़्यादा है। अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण, 2019 के अनुसार देश के शीर्ष 10 प्रतिशत अमीरों के पास शहरी क्षेत्रों में कुल संपत्ति का 55.7 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 50.8 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं, नीचे के 50 प्रतिशत लोगों के पास ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 10.2 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 6.2 प्रतिशत संपत्ति है। हालांकि, शिक्षा और साक्षरता दर में वृद्धि हुई है (पुरुषों के लिए 82.14 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 65.46 प्रतिशत), लेकिन बेरोजगारी की समस्या गंभीर चुनौती बनी हुई है। सच्ची आज़ादी तब तक अधूरी है, जब तक हर बच्चे को शिक्षा न मिले, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं और रोज़गार न मिले और समाज में समानता न हो।

प्रसिद्ध यादव, बाबूचक, फुलवारीशरीफ, पटना

पोस्ट

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग इसीलिए बेहतर कर दी कि उसने और ज्यादा कर्ज लिया है। भारत की रेटिंग बढ़ाई है, लेकिन मेरे हिसाब से वह अभी कम बढ़ाई गई। संजीव सान्याल@sanjeevsanyal

एसएंडपी ने कई साल बाद भारत की रेटिंग अपग्रेड करते हुए यह भी कहा है कि ट्रंप टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा, बल्कि अगले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था और रफ्तार पकड़ेगी। यह भारत की आर्थिक नीतियों, राजनीतिक स्थिरता के साथ ही वैश्विक निवेशकों के भरोसे की पुष्टि है।

अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

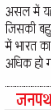

भारत के लिए रूस से तेल खरीद का मामला जीवन-मरण का प्रश्न नहीं है। आवश्यकता पड़ी तो भारत कहीं और से भी तेल खरीद सकता है, जैसा ईरान के मामले में किया था। असल में यह मामला सिद्धांतों का है। एक मुद्दा और भी है जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही और वह है रूस में भारत का ऊर्जा निवेश, जो अब 16 अरब डालर से अधिक हो गया है। कबीर तनेजा@KabirTaneja

जनपथ

लिये तिरंगा हाथ में जय बोले कश्मीर,
सुनकर पाकिस्तान के होती सिर में पीर।
होती सिर में पीर धीर वह रख ना पाए,
तब ही मियां मुनीर भांग खाकर धमकाए।
जहां लगी थी आग वहां सब दिखता चंगा,
पीओके भी जल्द दिखेगा लिये तिरंगा!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर. बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 125

****

देशबन्धु

{ संपादकीय }

नई दिल्ली, शुक्रवार 15 अगस्त 2025

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

अतीत के आईने में भाजपा

प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता संभालने के बाद से देश में जो महत्वपूर्ण बदलाव या फैसले लिए गए, उनमें एक है 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाना। 18वीं सदी के कवि गिरिधर ने अपनी कुण्डलियों में समझाया है कि बीती ताहि बिसारि दे, आगे की सुधि लेइ। मतलब अतीत की बातों को पकड़ कर बैठने का कोई लाभ नहीं होता, उन्हें भूल कर या सबक लेकर आगे यानी वर्तमान और भविष्य की फिक्र करना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार के पास भारत के वर्तमान के लिए सांप्रदायिक, धर्मांध एजेंडे के अलावा कोई नजरिया नहीं दिखता और भविष्य के नाम पर वे सीधे 2047 की बात करते हैं। वर्तमान और भविष्य को लेकर सरकार में स्पष्ट सोच की कमी साफ झलकती है, इसलिए वे अतीत की बात करते रहते हैं। देश की समस्याओं पर बात करनी हो तो बिजली से तेज गति में चलकर नेहरू युग में पहुंच कर वहां की कमियां दिखाने लगते हैं। इससे भी काम न बने तो मुगल काल की तकलीफें याद आती हैं और फिर भी जनता का ध्यान न भटके तो सीधे त्रेतायुग, द्वापर युग की कहानियों से लोगों को बहलाने का काम शुरु हो जाता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि मोदी सरकार जब अतीत में लौटती भी है तो बड़ी चालाकी से अपनी सुविधा के लिए ब्रिटिश शासनकाल को दरकिनार कर देती है। जैसे स्पीड ब्रेकर से बचने के लिए कई बार गाड़ी चालक उसके किनारे से गाड़ी निकालता है, वही काम मोदी सरकार कर रही है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसका एक बड़ा उदाहरण है।

18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा ब्रिटिश वकील सर सिरिल रैडक्लिफ ने तय की थी, जिसमें हिन्दू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। अतीत की बात करने वाली मोदी सरकार को अगर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाना ही है तो उसके लिए 14 अगस्त से बेहतर 18 जुलाई की तारीख उपयुक्त होती। गौर करने वाली बात ये भी है कि मोदी सरकार विभाजन के लिए नेहरू पर तो ठीकरा फोड़ती है, लेकिन कभी भी ब्रिटिश राज को कभी दोषी नहीं ठहराती। इसी तरह द्विराष्ट्र का सिद्धांत देने वाले वी डी सावरकर का भी जिक्र इस संदर्भ में नहीं करती। अतीत प्रेमी भाजपा के लिए इतिहास के ही कुछ उदाहरण पेश किए जा सकते हैं।

हिन्दू महासभा के 1937 के अहमदाबाद में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में अध्यक्ष की आसंदी से सावरकर ने कहा था कि भारत में मुख्यत: दो राष्ट्र बसे हैं : हिंदू और मुस्लिम। (समग्र सावरकर वाङ्मय, हिन्दू राष्ट्र दर्शन, खंड 6, महाराष्ट्र प्रांतिक हिन्दू सभा पूना, 1963, पृष्ठ 296)। संघ परिवार से प्रशंसित इतिहासकार आर सी मजूमदार ने भी लिखा है कि – साम्प्रदायिक आधार पर बंटवारे के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार एक बड़ा कारक हिन्दू महासभा थी, जिसका नेतृत्व महान क्रांतिकारी नेता वी डी सावरकर कर रहे थे। (स्ट्रगल फ़ॉर फ्रीडम, भारतीय विद्या भवन, 1969, पृष्ठ 611)। डा. अंबेडकर ने भी अपनी पुस्तक पाकिस्तान ऑर द पार्टीशन ऑफ इंडिया (1946) में सावरकर के द्विराष्ट्र सिद्धांत और अखंड भारत की उनकी अवधारणा के छद्म को उजागर किया है। अंबेडकर लिखते हैं- वे चाहते हैं कि हिन्दू राष्ट्र प्रधान राष्ट्र हो और मुस्लिम राष्ट्र इसके अधीन सेवक राष्ट्र हो। यह समझ पाना कठिन है कि हिन्दू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र के बीच शत्रुता का बीज बोने के बाद सावरकर यह इच्छा क्यों कर रहे हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों को एक संविधान के अधीन एक देश में रहना चाहिए। (पृष्ठ 133-134)। आजादी से 4 साल पहले 15 अगस्त 1943 को सावरकर ने नागपुर में कहा- मेरा श्री जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत से कोई विरोध नहीं है। हम हिन्दू अपने आप में एक राष्ट्र हैं और यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि हिन्दू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि बंटवारे की बात तो आजादी के वक्त मजबूरी में स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन इसके लिए कांग्रेस नहीं बल्कि अंग्रेज, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा इनकी तिकड़ी जिम्मेदार थी। भाजपा को यह भी याद रखना चाहिए कि जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था तब सावरकर भारत में विभिन्न स्थानों का दौरा करके हिन्दू युवकों से सेना में प्रवेश लेने की अपील कर रहे थे। उन्होंने नारा दिया- हिंदुओं का सैन्यकरण करो और राष्ट्र का हिंदूकरण करो। ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ने हिंदुओं को ब्रिटिश सेना में प्रवेश हेतु प्रेरित करने के लिए बैरिस्टर सावरकर का आभार व्यक्त किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त जब विभिन्न प्रान्तों में संचालित कांग्रेस की सरकारें अपनी पार्टी के निर्देश पर त्यागपत्र दे रही थीं तब सिंध, उत्तर पश्चिम प्रांत और बंगाल में हिन्दू महासभा मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चला रही थी। (सावरकर- मिथ्स एंड फैक्ट्स, शम्सुल इस्लाम)।

अतीत के पन्नों पर लिखी इस इबारत को भाजपा चाह कर भी मिटा नहीं सकती है, इसलिए किसी न किसी तरह इनसे बचकर स्वतंत्रता पर अपना अधिकार बताती है। हालांकि भाजपा के पास अपने पुरखों की गलतियों को सुधारने का मौका है, जिसका फायदा वह नहीं उठा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर एक्स पर लिखा- इस दिन भारत हमारे इतिहास के दुखद अध्याय' के दौरान अनगिनत लोगों द्वारा झेली गई उथल-पुथल और पीड़ा को याद करता है। मैं उस अकथनीय पीड़ा को याद कर रहा हूं जब लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ...अकल्पनीय क्षति का सामना करने और फिर भी नए सिरे से शुरुआत करने की ताकत पाने की उनकी क्षमता का सम्मान हर किसी को करना चाहिए।

अगर श्री मोदी वाकई अपनी कही बातों पर यकीन करते हैं तो तत्काल प्रभाव से भाजपा और दक्षिणपंथी तमाम संगठनों के उन नेताओं पर सख्त कार्रवाई करें जो सांप्रदायिक नफरत फैलाते हैं। प्रधानमंत्री खुद कपड़ों से पहचानने की राजनीति का त्याग करें, जय श्री राम, जय जगन्नाथ, बजरंग बली के नाम पर वोट मांगना छोड़ें। विभाजन के वक्त भी लाखों मुस्लिम परिवारों ने अपनी मातृभूमि भारत को छोड़कर धर्म के नाम पर बने पाकिस्तान जाना मंजूर नहीं किया। लेकिन आज बात-बात पर मुसलमानों से देशभक्ति के सबूत मांगे जाते हैं, उन्हें पाकिस्तान जाने की नसीहत दी जाती है। इन सब पर लगाम लगाकर नरेन्द्र मोदी अपने ताकतवर प्रधानमंत्री होने का परिचय दें।

अगर वे यह सब नहीं कर सकते हैं तो लालकिले की प्राचीर से चाहे जितनी बड़ी-बड़ी बातें कर लें, उनके अर्थ खोखले ही रहेंगे।

निर्णायक क्षण में जनता को भरोसा दिलाए चुनाव आयोग

राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के संबंध में अच्छी तरह से खोजबीन के बाद जारी विस्तृत रिपोर्ट के बारे में भारत के केन्द्रीय चुनाव आयोग (सीईसी) की प्रतिक्रिया विशिष्ट चिंताओं को उठाती है। यह प्रतिक्रिया चौंकाने वाली है। तीन योग्य आयुक्तों के अधीन काम करने वाले ईसीआई को अपने खिलाफ लगे आरोपों को विपक्ष के नेता के साथ वादविवाद में बदलने का कोई कारण नहीं है। कर्नाटक और दो अन्य राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गई हास्यास्पद मांग कि- गांधी को शपथ के तहत आरोपों पर हस्ताक्षर करना चाहिए या देश से माफी मांगनी चाहिए, केवल ईसीआई के भीतर बेचैनी को इंगित करती है। राहुल के सवाल आम लोगों के समक्ष आयोग पर भरोसे की बात को उठाते हैं और उनमें चुनाव प्रक्रिया की अखंडता पर वैध चिंताएं हैं। आदर्श रूप से यह ईसीआई के हित में है कि वह एक टास्क फोर्स का गठन करे, समय पर ढंग से इसकी तह तक जाए जो सभी पक्षों को संतुष्ट करे और सभी संदेहों को दूर करे या सुधारात्मक कार्रवाई में परिणाम दे। यह जांच चुनाव प्रक्रिया से कम गंभीर और कठोर नहीं होनी चाहिए।

जैसा कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु में महादेवपुरा विधानसभा सीट के संबंध में बताया है और जिस पर संदेह है वह आखिरकार केवल फर्जी मतदाताओं के कारण एक सीट का परिणाम नहीं है बल्कि भारतीय लोकतंत्र का भविष्य भी है। हर भारतीय चाहे उसका राजनीतिक रंग या कोई भी पार्टी हो, इस बात से सहमत होगा कि भारत के संवैधानिक लोकतंत्र के दिल में नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। ये वे शब्द भी हैं जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 'चुनाव प्रबंधन' शीर्षक से लिंक के तहत दिए गए हैं।

यह अब चुनावी कुप्रबंधन की तरह अधिक दिख रहा है, ढिलाई के अर्थ में कम और भयावह के अर्थ में अधिक। चुनाव प्रक्रिया की अखंडता के लिए 'नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष' तीन आवश्यक मुद्दे हैं जिन पर कोई समझौता या बातचीत नहीं हो सकती। जब प्रक्रिया की निष्पक्षता संदिग्ध होती है तो प्रक्रिया की नियमितता अर्थहीन हो जाती है और 'मुक्त' एक खोखला शब्द बन जाता है। इसके अलावा कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता है, निष्पक्षता केवल कागजी कार्रवाई की औपचारिकता या चुनाव आयोग के कार्यालयों या रिकॉर्ड की बंद सीमाओं में नहीं है। प्रक्रिया को निष्पक्ष भी देखा जाना चाहिए जिसके लिए हमें एक ऐसे ईसीआई की आवश्यकता है जो पारदर्शी हो और उन लोगों की आशंकाओं के प्रति संवेदनशील हो जिन्होंने न केवल अभी बल्कि पिछले कई वर्षों में इस प्रक्रिया पर संदेह करना शुरू कर दिया है।

यह भी आश्चर्य की बात है कि ईसीआई के बचाव में भाजपा सामने आई है। यह बचाव भाजपा के साथ-साथ ईसीआई को भी नुकसान पहुंचा रहा है। यह बचाव अन्य आशंकाओं को जन्म देता है जो इस प्रक्रिया में विश्वास को खत्म कर देता है। भाजपा नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दिए बयानों से संकेत मिलता है कि राहुल द्वारा मतदाता सूची में धोखाधड़ी के खुलासे ने भाजपा को कितना नाराज कर दिया है। महाराष्ट्र वह राज्य है जहां जमीनी रिपोर्टों ने संकेत दिया कि 2024 के पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा को भारी झटका लगेगा तथा शिवसेना को विभाजित करने, एकनाथ शिंदे के अलग हुए समूह को गुजरात व असम के भाजपा शासित राज्यों में ले जाने और फिर उद्धव ठाकरे सरकार को सफलतापूर्वक गिराने में उसकी भूमिका के लिए दंडित किया जाएगा। अधिकांश पर्यवेक्षक भाजपा विरोधी भावना को पढ़ सकते थे लेकिन फडणवीस को सत्ता में वापस लाने वाले नतीजों ने चौंका दिया। भाजपा ने शिवसेना से अलग हुए गठबंधन में 288 सीटों में से 132 सीटें हासिल कीं।

अगर भारत को लोकतंत्र के रूप में ध्वस्त नहीं होना है तो आगे का रास्ता क्या होना चाहिए?

सबसे पहले, चुनाव आयुक्तों को देश के सामने यह संकल्प लेना चाहिए कि मतदाता सूची, मतदान रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्डिंग, सभी कैमरा फीड और पेपर ट्रेल्स के साथ-साथ ईवीएम मशीनों सहित रिकॉर्ड पर मौजूद सभी डेटा को संरक्षित किया जाएगा और भविष्य की किसी भी तारीख में पूर्ण जांच के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरह के संरक्षण की प्रक्रिया का स्वतंत्र रूप से ऑडिट किया जाना चाहिए और समय-सीमा अब नियम पुस्तिकाओं में निर्दिष्ट समय से काफी आगे बढ़ानी चाहिए क्योंकि हम असामान्य परिस्थितियों और प्रमुख विपक्षी दल के बहुत गंभीर आरोपों से गुजर रहे हैं। मूल फ़ाइलों को एन्क्रिप्ट और वॉल्ट करने की आवश्यकता है। यह देश को आश्वस्त करेगा कि भले ही इस क्षेत्र में कुछ गलत हो गया हो, जिसमें संबंधित प्रक्रिया को हराने के लिए इच्छुक पार्टियों द्वारा कोई ठोस प्रयास शामिल है उसके बावजूद ईसीआई इसकी तह तक जाने के लिए गंभीर है। ऐसा करना ईसीआई को राजनीतिक लड़ाई से खुद को अलग करने और पेशेवर गर्व के साथ अलग खड़े होने का अवसर देगा। दूसरा, ऐसा कोई कारण नहीं है कि मतदाता सूचियों की सॉफ्ट कॉपी तत्काल प्रभाव से उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए। यदि किसी कारण से ये उपलब्ध नहीं हैं तो कम से कम विपक्ष के नेता को प्रदान किए गए प्रिंट पठनीय होने चाहिए। ईसीआई ऐसा क्यों नहीं करेगा?

तीसरा, जल्दबाजी में किया गया बिहार विशेष गहन संशोधन संदेह से भरा हुआ है। जमीनी स्तर पर अब पर्याप्त सामग्री है जिससे यह संकेत मिलता है कि पर्याप्त सत्यापन के बिना मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकते हैं जिसकी वजह से जो लोग योग्य नहीं हो सकते हैं वे मतदाता बन जाएंगे और उसी वक्त एक ही समय में कई सीमांत समूह मतदाता होने से वंचित होने का जोखिम उठाते हैं। ड्राफ्ट रोल पर लाखों नामों में हाउस नंबर शून्य बताया गया है। संशोधित नामावली संबंधी आंकड़ों को पुन: नॉन मशीन रीडेबल बना दिया गया है। एसआईआर ड्राफ्ट संशोधित सूची डाउनलोड करने पर कई मामलों में हाउस नंबर शून्य दिखाई देते हैं लेकिन संख्याओं को स्वचालित रूप से गिनना संभव नहीं है क्योंकि फाइल मशीन से पठनीय नहीं है।

राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों से लेकर बिहार से जमीनी रिपोर्टों तक की परिस्थितियों को देखते हुए इस विचार से बचना मुश्किल लगता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है।

चुनाव आयोग के नेतृत्व को यह जानना और समझना चाहिए कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। ईसीआई के प्रभारी लोग और उनका व्यवहार तथा आचरण कैसा है, इसे न केवल आज के संदर्भ में देखा जाएगा बल्कि अब से वर्षों बाद याद किया जाएगा और उसका उल्लेख किया जाएगा। जब चुनावों की नींव ही खतरे में थी तो चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्र संस्था ने क्या किया? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का क्या मतलब है? जब नई सूची में हजारों में घर क्रमांक शून्य के रूप में चिह्नित हैं तो क्या नामों को बिना उचित जांच के जोड़ा जा सकता है या वैध कारणों के बिना बाहर रखा जा सकता है? यदि मतदाता सूची को दूषित किया जाता है तो समझिए कि भारतीय लोकतंत्र प्रभावी रूप से मिटा दिया जाता है। भारत से उसका सबसे मूल्यवान रत्न छीन लिया जाएगा- एक ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिसकी दुनिया प्रशंसा करती है और जिस पर हर भारतीय को गर्व है। ईसीआई को तेजी से कार्य करना चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। सिंडिकेट: द बिलियन प्रेस)

जगदीश रत्तनानी

यह अब चुनावी कुप्रबंधन की तरह अधिक दिख रहा है, ढिलाई के अर्थ में कम और भयावह के अर्थ में अधिक। चुनाव प्रक्रिया की अखंडता के लिए 'नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष' तीन आवश्यक मुद्दे हैं जिन पर कोई समझौता या बातचीत नहीं हो सकती। जब प्रक्रिया की निष्पक्षता संदिग्ध होती है तो प्रक्रिया की नियमितता अर्थहीन हो जाती है।

लोकतंत्र का मौजूदा सच!

■ **अरुण कुमार त्रिपाठी**

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को सलाह दी थी कि वे जर्मन फौजों के सामने हथियार उठाने की बजाय सत्याग्रही के तौर पर प्रस्तुत हो जाएं। उस वक्त गांधी जी का सम्मान करने वाले कई ब्रिटिश बौद्धिकों ने कहा था कि गांधी की सलाह अहिंसा के लिहाज से उचित और भविष्य के लिए सही हो सकती है, लेकिन इस समय उस पर अमल करना संभव और व्यावहारिक नहीं है। गांधीजी का कहना था कि मेरी सलाह भविष्य के लिए नहीं होती, वह तत्काल अमल के लिए होती है। जाहिर है, गांधी जी का यह भी कहना था कि जो समाज अपने वर्तमान में नैतिक आचरण के लिए प्रतिबद्ध है वह भविष्य को भी एक साफ दृष्टि से देख सकता है और एक नैतिक भविष्य का निर्माण भी कर सकता है।

इस मामले में हमारा मौजूदा दौर एक दोगले और पाखंडपूर्ण समय में उलझ गया है। वह ऐसी नैतिक शून्यता की ओर बढ़ रहा है जो उसके राजनीतिक नेतृत्व में है, उसकी नौकरशाही में है और उसके संचार-माध्यमों सहित जनता के व्यापक हिस्से में व्याप्त हो चुकी है। जिस नौकरशाही को कभी मैक्स बेबर एक 'प्रोफेशनल संगठन' मानते थे, वह निरी रीढ़-हीन साबित हो रही है। नौकरशाही के बारे में बेबर के बजाय लेनिन की बात ज्यादा सही हो रही है कि 'वह सत्तारूढ़ वर्ग की ताबेदारी ही करती है।'

आजकल 1975 से 77 के दौर के 'आपातकाल' पर ढेरों गोष्ठियां हो रही हैं और पुस्तकों, लेखों, रपटों, फिल्मों के माध्यम से तानाशाही और लोकतंत्र को परिभाषित किया जा रहा है। नायक और खलनायक चिह्नित किए जा रहे हैं। ऐसा करने वालों में कई ऐसे लोग भी हैं जिनका नाता वामपंथ, समाजवाद, सर्वोदय और स्वतंत्र सोच से है, लेकिन ज्यादा संख्या उन लोगों की है जो दक्षिणपंथी हिंदुत्व के विचार से गहरा संबंध रखते हैं। एक रोचक तथ्य यह भी है कि हिंदुत्ववादियों की ओर से होने वाली 'आपातकाल' की भर्त्सना के प्रतिकार में वामपंथियों और धर्मनिरपेक्ष तबके का एक हिस्सा 'इमरजेंसी' को अपरिहार्य बताते हुए उस मुद्दे पर इंदिरा गांधी के गुणगान भी करने लगा है। हालांकि वह तबका आज अधिनायकवाद से लड़ रहा है।

दिल्ली से लंदन, पेरिस से वाशिंगटन और पेइचिंग से दुबई तक हमारे समाज की विडंबना यह है कि वह नैतिक बल के बजाय पशुबल का कायल होता जा रहा है। कम-से-कम विगत एक दशक में हमने ऐसे विश्व और राष्ट्र का निर्माण कर दिया है जहां पर न सिर्फ अन्याय बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि अन्याय का विरोध करने का लोकवृत्त यानी 'पब्लिक स्फेयर' भी समाप्त हो चला है। ऐसे लोकवृत्त लोकतांत्रिक समाजों में अधिक होते थे, लेकिन अब लोकतांत्रिक समाजों के स्वर 'सन्नाटे की कुंडली' (स्पाइरल आफ साइलेंस) में कैद हो गए हैं। वहां अन्याय के विरुद्ध आवाजें उठती जरूर हैं, लेकिन या तो दबा दी जाती हैं या उनका दायरा सीमित कर दिया जाता है। दूसरी ओर, अतीत के अन्याय के गौरवगान से समाज को मदमस्त कर दिया जाता है।

यही वह प्रवृत्ति है जो यहूदियों के नाज़ी नरसंहार यानी 'होलोकास्ट' का बार-बार स्मरण करते हुए गाज़ा में इजराइल की ओर से हो रहे नरसंहार पर महामौन धारण कर लेती है। यह एक भयभीत और नैतिक रूप से कायर समाज का लक्षण है। भारत ने इस कायरता से निकलने का जो मार्ग अपने 90 वर्षों के स्वतंत्रता संग्राम के जरिए हासिल किया था, वह आज खो गया है। गांधी जी ने उस दौरान उपज रहे हिंसक साहस को अहिंसक नैतिक साहस में परिवर्तित कर दिया था। इसीलिए वे न तो अपने किसी आंदोलन की गोपनीय तैयारी करते थे और न ही अपने प्रतिद्वंद्वी, जिसे दूसरे लोग दुश्मन कहते थे, के साथ उठने-बैठने में परहेज करते थे। इसी नैतिक साहस के नाते गांधी ब्रिटिश सम्राट से मिलने के बाद मुसोलिनी से भी मिलने का साहस रखते थे और हिटलर को सुधरने की सलाह देते हुए पत्र भी लिख सकते थे।

यूरोप ने यह राजनीतिक नैतिकता द्वितीय विश्वयुद्ध में लाखों लोगों को मारकर हासिल की थी। उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों ने यूरोप को बहुत कुछ सिखाया था। इन संघर्षों से कुछ संस्थाएं भी निकली थीं जिनसे लोकतंत्र और उसके नैतिक मूल्यों के संरक्षण की गारंटी दी जाती थी, पर आज वे संस्थाएं निस्तेज या पक्षपाती हो गई हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दुनिया ने तय किया था कि अब विश्व 'जियो और जीने दो' के विचार पर चलेगा और राष्ट्रों की संप्रभुता के साथ नागरिकों के मानवाधिकारों की हिफाजत की जाएगी। यहां तक कि उस दौर में शरणार्थियों की भी चिंता की गई थी।

उन दिनों तय किया गया था कि युद्ध के अलावा समुद्र में आने-जाने तक के नियम होंगे, लेकिन आज संपत्ति और सत्ता की चकाचौंध में फंसा समाज जीवन के महत्व और मानव अस्तित्व की अनिश्चितता को ही भूल गया है। जर्मनी के 'यातना शिविर' से बचकर निकले इतालवी केमिस्ट और लेखक प्रिमो लेवि का कथन है, 'सत्ता और धन की प्रभुता से हम इतने चौंधिया गए हैं कि अपने अस्तित्व की क्षणभंगुरता तक को भूल बैठे हैं। हम भूल गए हैं कि हम सभी एक किस्म की यहूदी बस्ती में कैद हैं और उस बस्ती के चारों ओर लगे कंटीले तारों के बाहर यमराज हमारा इंतजार कर रहे हैं।'

प्रिमो लेवि की इसी बात को आज के संदर्भ में उलटकर कहा जा सकता है कि जो लोग आज गाज़ा पर बर्बर हमले कर बेगुनाह औरतों और बच्चों का नरसंहार कर रहे हैं वे यह भूल रहे हैं कि लाशों और मलबे के वे ढेर कब बारूद बनकर किसको तबाह कर दें, कहा नहीं जा सकता। इसी तरह जो लोग पचास साल पहले लगे 'आपातकाल' की आलोचना करके अपने लोकतांत्रिक दायित्वों की इतिश्री मान रहे हैं और आज के दमन पर खामोश हैं, आने वाला इतिहास उन्हें भी खलनायक बनाने में शायद ही कोई मुरव्वत करे।

इन स्थितियों के लिए चंद समूहों की हिंसा और दमनकारी नीतियां ही दोषी नहीं हैं। गांधी जी ने चेतावनी दी थी कि उन्हें असली चिंता मानव सभ्यता के बर्बरीकरण की है। वह बर्बरीकरण हम गाज़ा पर अत्याचार कर रहे इजराइल और उसके साथ खड़े अमेरिका, यूरोप और एक हद तक भारत जैसे देश के व्यवहार में देख सकते हैं। यह वही कायर नैतिकता है जो इतिहास में पांच सौ साल पहले हुए नरसंहार पर तो आसमान सिर पर उठा लेती है, लेकिन वर्तमान नरसंहार पर खामोश रहती है। यह वही दोगलापन है जो पचास साल पुराने अधिनायकवाद की भर्त्सना के लिए तो गला फाड़ रहा होता है, लेकिन अपने समय के अघोषित आपातकाल पर प्रदीर्घ मौन धारण कर लेता है।

पंकज मिश्र अपनी ताजा पुस्तक 'द वर्ल्ड आफ्टर गाज़ा' में लिखते हैं, 'युद्ध अंतत: अतीत का हिस्सा बन जाएगा और समय दहशत की उन मीनारों को समतल कर देगा, लेकिन गाज़ा में तबाही के निशान दशकों तक रहेंगे। वे निशान घायल मानव देह के रूप में होंगे, अनाथ बच्चों के रूप में होंगे, नगर के मलबे और बेघर लोगों के रूप में होंगे और होंगे हमारी चेतना में व्यापक रूप से फैले हुए सामूहिक मृत्युशोक के रूप में। जिन लोगों ने धरती की एक पतली सी पट्टी पर हजारों लोगों का वध होते हुए और उस पर शक्तिशाली लोगों की खुशी या उनकी उदासीनता देखी होगी, वे वर्षों तक आंतरिक जख्म और सदमे से उबर नहीं पाएंगे।'

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। 'महात्मा गांधी अंतर राष्ट्रीय हिन्दी विश्व विद्यालय' में प्रोफेसर रहे हैं।)

यूरोप ने यह राजनीतिक नैतिकता द्वितीय विश्वयुद्ध में लाखों लोगों को मारकर हासिल की थी। उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों ने यूरोप को बहुत कुछ सिखाया था। इन संघर्षों से कुछ संस्थाएं भी निकली थीं जिनसे लोकतंत्र और उसके नैतिक मूल्यों के संरक्षण की गारंटी दी जाती थी, पर आज वे संस्थाएं निस्तेज या पक्षपाती हो गई हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दुनिया ने तय किया था कि अब विश्व 'जियो और जीने दो' के विचार पर चलेगा

ललित सुरजन की कलम से

स्वाधीनता और जनतंत्र का रिश्ता

'स्वतंत्रता दिवस को स्वाधीनता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता दिवस के रूप में मनाया जाए। आज यह ध्यान रखना पहले से कहीं अधिक आवश्यक है, क्योंकि एक साजिश के तहत देश का नया इतिहास लिखने का काम चल रहा है। जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानियां दीं, उनके नाम और चिह्न मिटाए जा रहे हैं, उनकी स्मृति का खुलेआम अपमान किया जा रहा है। दूसरी ओर वे ताकतें जिन्होंने औपनिवेशिक सत्ता का तन-मन-धन से सहयोग किया, बल्कि जो अंग्रेजी राज में हुक्म के ताबेदार बन गए, उनका गुणगान हो रहा है, उनकी जय जयकार की जा रही है, उनकी मूर्तियां और मंदिर बन रहे हैं। सत्य को सिर के बल खड़ा कर दिया गया है। जो नए-नए किस्से गढ़े जा रहे हैं उन्हें सुन-पढ़कर हैरत होती है। दुर्भाग्य है कि पूंजीमुखी मीडिया को इस छद्म की रचना में सत्तातंत्र का सहायक बनने में कोई ग्लानि महसूस नहीं हो रही है। इसलिए आज वक्त है कि जनता तिलक, गोखले, गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष, मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहेब, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके तमाम साथियों के बारे में जितना कुछ जान सकती है, सही रूप में जानने-समझने की कोशिश करे।'

(देशबन्धु में 15 अगस्त 2019 को प्रकाशित)

https://lalitsurjan.blogspot.com/2019/08/blog-post.html

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

स्वतंत्रता दिवस आज

असली स्वतंत्रता तभी जब देश से दूर हो गरीबी

15 अगस्त अर्थात भारतवर्ष के स्वतंत्रता का दिन। हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस अन्य देशों के ऐसे ही उत्सवों से कहीं अलग कहा जा सकता है। कारण यह कि हमारा स्वतंत्रता दिवस केवल ब्रिटिश शासन द्वारा हमारे शरीर पर डाली गई गुलामी की जंजीरों को तोड़ने से ही संबंध नहीं रखता है, वरन एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण की शुरुआत की कहानी भी बयां करता है, जिस पर 200 वर्षों से भी अधिक समय तक की जकड़न ने उसे कमजोर नहीं होने दिया। यह हमारा भारतवर्ष ही है जो इतनी लंबी दासता के बाद भी अपने विकास के लिए बुलंदी के साथ उठ खड़ा हुआ। हमारी प्रतिज्ञा ने ही हमें स्वतंत्र हवा में सांस लेने का हौसला प्रदान किया। भारतवर्ष की आजादी का प्रतीक हमारा स्वतंत्रता दिवस एक एक भारतवासी के लिए अस्मिता को जगाने वाला पर्व कहा है सकता है। यह पर्व विभाजन की त्रासदी का दर्द भी पैदा करता है, जिसके कारण लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा था। इसकी वास्तविकता में झांका जाए तो यह दिवस न केवल आजादी का उल्लास है बल्कि लोकतंत्र और सभी भारतीय नागरिकों के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता के संवैधानिक आदर्शों का प्रतीक भी है। इस वर्ष हम अपने 79 वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में होंगे। हमारे इस स्वतंत्रता दिवस को हम राष्ट्रीय एकता, तकनीकी प्रगति और भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण के रूप में मजबूती देने हेतु दृढ़संकल्पित होंगे। हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता के उत्सव के साथ इसकी समृद्धि एवं सांस्कृतिक विविधता को समेटे हुए है। हम कह सकते हैं कि अन्य देशों में प्रवासी भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता का जश्न मनाए जाने से हमारा यह पर्व वैश्विक उत्सव का प्रतीक बन चुका है।

15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उन अनगिनत बलिदानों, संघर्षों और सपनों का प्रतीक है, जिन्होंने हमें एक आजाद राष्ट्र के रूप में वैश्विक पहचान दिलाई। हमारे गौरव और सम्मान का तिरंगा जब आसमान में शान से लहराता है तो हमें हमारे शहीदों के प्रति नतमस्तक कर जाता है।

स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष ने अनेक चुनौतियों का सामना कर आज असाधारण सफर तय करते हुए विश्व स्तर पर अनेक कामयाबी हासिल की है। आजादी के बाद से गरीबी और पिछड़ेपन से लड़ते हुए आज आर्थिक मोर्चे पर हमने एक विश्वस्तरीय ताकतवर अर्थव्यवस्था के रूप में अन्य देशों को आइना दिखाया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे देश के विद्वान वैज्ञानिकों ने मंगलयान और चंद्रयान जैसे मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। स्वतंत्रता दिवस 2025 की थीम 'स्वतंत्रता दिवस भारत के लिए गौरवशाली विरासत' के रूप में तैयार की गई है। इसे विकसित भारत - 2047 के रूप में भी देखा जा रहा है। यह हमारे उस दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान करता है जो भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर करता है।-

किसी ने बड़े ही अच्छे शब्दों में कहा है-

राष्ट्र के लिए मान और सम्मान रहे,
हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे,
देश के लिए एक-दो तारीख नहीं,
भारत मां के लिए हर सांस रहे।

-डॉ. सूर्यकांत मिश्रा

आपके पत्र

आवारा कुत्तों पर लगाम

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हर इलाके से आवारा कुत्तों को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए। प्रक्रिया में बाधा डालने वाले संगठनों या व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई होगी। यह आदेश बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। कुत्तों के हमलों और रेबीज़ जैसी घातक बीमारी के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। कोर्ट ने संतुलित समाधान सुझाया—कुत्तों को मारा नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें सुरक्षित आश्रयों में रखा जाएगा। यह मानव और पशु, दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम है।

मानव जीवन को खतरे में न डाले। कोर्ट ने भी इसी संतुलन को साधते हुए कहा है कि कुत्तों को अंधाधुंध मारा न जाए, बल्कि उन्हें सुरक्षित स्थानों या आश्रयों में स्थानांतरित किया जाए। यहां सवाल उठता है—क्या हमारे नगर निकाय और पंचायतें इस चुनौती के लिए तैयार हैं? क्योंकि केवल आदेश देना काफी नहीं है; ज़मीन पर उसके क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षित कर्मचारी और योजनाबद्ध रणनीति की आवश्यकता होगी।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय एक कानूनी रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई संगठन या व्यक्ति इस प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब है कि अब 'मानव जीवन बनाम पशु अधिकार' की बहस में कोर्ट ने स्पष्ट प्राथमिकता तय कर दी है। साथ ही, कोर्ट ने नगर निगमों और पंचायतों को यह जिम्मेदारी भी सौंपी है कि वे न केवल आवारा कुत्तों को हटाएं बल्कि उनकी देखभाल के लिए उचित व्यवस्था भी करें। यह आदेश एक तरह से प्रशासनिक तंत्र की क्षमता और ईमानदारी की भी परीक्षा है। सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय, जिसमें हर इलाके से आवारा कुत्तों को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है, एक अहम और लंबे समय से प्रतीक्षित कदम है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा—मानव जीवन और सुरक्षा पहले—जो इस मुद्दे पर चल रही बहस में एक निर्णायक रुख को दर्शाता है। यह फैसला न केवल कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज के लिए भी एक चेतावनी है कि अब समय आ गया है जब भावनात्मक बहस से आगे बढ़कर व्यावहारिक समाधान अपनाया जाए।

भारत में आवारा कुत्तों की संख्या का अनुमान अलग-अलग राज्यों में भिन्न है, लेकिन कुछ रिपोर्टों के अनुसार देश में लगभग 1.5 से 2 करोड़ आवारा कुत्ते हैं। यह संख्या केवल एक सांख्यिकीय तथ्य नहीं, बल्कि एक चेतावनी है—क्योंकि इनकी उपस्थिति सीधे तौर पर सार्वजनिक सुरक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर असर डाल रही है।

डॉ. सत्यवान सौरभ

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

चिंतन

भारत को सामरिक-आर्थिक ताकत बनाने का लें संकल्प

आज जब भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो वह एक आत्मविश्वास से भरा हुआ राष्ट्र है, आर्थिक व सामरिक महाशक्ति है, विश्व में सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश है, सैन्य रूप से शक्तिशाली है, दुश्मनों को करारा जवाब देता है, सॉफ्ट स्टेट की छवि से बाहर निकल चुका है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विश्व ने देखा, इससे पहले वह सर्जिकल स्ट्राइक व एयर स्ट्राइक को अंजाम दे चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वर्ष 1947 में आजादी हासिल के बाद से अपनी 78 वर्ष की यात्रा में भारत ने विभिन्न क्षेत्र में प्रगति के अनेक कीर्तिमान रचे हैं। अंतरिक्ष, डिजिटल, ऑटो मोबाइल, इलेक्ट्रानिक्स, डिफेंस विनिर्माण, विमानन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, पेट्रो केमिकल्स, रेलवे व हाई स्पीड ट्रेन, मेट्रो, इंजीनियरिंग, हेल्थ, एजुकेशन विज्ञान व प्रौद्योगिकी आदि सेक्टर हैं, जिनमे भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। कृषि और पशुपालन क्षेत्र में भी आज भारत एक प्रमुख वैश्विक ताकत है। अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर है, सौ से अधिक देशों को वह अनाज का निर्यात करता है। दुग्ध उत्पादन में वह सिरमौर है, दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक विविधताओं के बावजूद भारत आज एक मजबूत समावेशी राष्ट्र है, जहां अनेकता में एकता और अखंडता का भाव बुलंद है। आज जब दुनिया में युद्ध, क्षेत्रीय संघर्ष और वर्चस्व की जंग तेज है, अमेरिकी टैरिफ वार से उथलपुथल मचा हुआ है, भारत स्थिर है। जीडीपी दर सबसे तेज है और विश्व को शांति का पैगाम दे रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में एक समर्थ व समृद्ध भारत की तस्वीर पेश की है। सरकार एवं सशस्त्र बलों के फौलादी संकल्प की बदौलत भारत ने आतंकवाद का हमेशा करारा जवाब दिया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में समस्याओं के बावजूद भारत पिछले वित्त वर्ष में 6.5 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है तथा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण है और निर्यात बढ़ रहा है। भारत, 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर अग्रसर है। सभी प्रमुख संकेतक, अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति को दर्शा रहे हैं। भारत ने पिछले दस वर्ष में गरीबी कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ है। हालांकि देश के सामने अनेक चुनौतियां भी हैं। अमेरिकी टैरिफ वार के प्रभाव से निपटना है, विकास के मामेंटम को बनाए रखना है। डिजिटेक, हरित ऊर्जा, हेल्थ और एजुकेशन में निवेश बढ़ाने की जरूरत है। भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की जरूरत है, जिसमें विनिर्माण की मजबूती के साथ सेवा क्षेत्र में विस्तार की आवश्यकता है। भारत को भविष्य की इकोनॉमी पर फोकस करना होगा। आज जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे, तो निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करेंगे, भारत के विकास व चुनौतियों पर बात करेंगे, लेकिन अब भारत को व्यवस्थागत परिवर्तन की दिशा में बढ़ने की जरूरत है, जिसमें प्रशासनिक, राजनीतिक, न्यायिक और पुलिस सुधार हो, शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े निवेश के साथ क्रांतिकारी बदलाव हों और उच्च प्रौद्योगिकी व डिफेंस टेक के साथ अजेय व अभेद्य सामरिक ताकत बनने पर जोर हो। गुटनिरपेक्ष व स्वतंत्र विदेश नीति के साथ भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा कायम रहे, अमेरिका का सबक भारत के सामने है।

1857 से पहले ही स्वतंत्रता संग्राम

आजादी की लड़ाई
निरंकार सिंह

> सन् 1857 के विद्रोह को 'स्वतन्त्रता का प्रथम संग्राम' कहा जाता है, किन्तु भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन उससे भी बहुत पहले छिटपुट रूप से आरम्भ हो गया था। यह 1947 तक ही नहीं बल्कि उसके बाद गोवा की मुक्ति तक चला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1799 में बनारस में बाबू जगत सिंह के विद्रोह का सामना पड़ा। गोला-बारूद और तोपखाने के कारण अंग्रेज भाग्यशाली रहे और बाबू जगत सिंह और वजीर अली की ओर से तोपखाने की अनुपस्थिति उनकी हार का कारण बनी। 20 अक्टूबर 1799 को सेंट हेलेना में हिरासन में जीवन की अपनी अंतिम यात्रा के लिए ऑस्टरली पर सवार होने के लिए हुगली नदी से जाते समय उन्होंने जहर खा लिया और चल बसे।

भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों और घटनाओं की एक श्रृंखला थी जिसका अंतिम उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। यद्यपि सन् 1857 के विद्रोह को 'स्वतन्त्रता का प्रथम संग्राम' कहा जाता है, किन्तु भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन उससे भी बहुत पहले छिटपुट रूप से आरम्भ हो गया था। यह 1947 तक ही नहीं बल्कि उसके बाद गोवा की मुक्ति तक चला। भारत में अंग्रेज व्यापारियों के रूप में आए थे, जो भारत की असाधारण संपदा से आकर्षित थे, जो यूनानी काल से ही पश्चिम में प्रसिद्ध थी। वे भारत पहुंचे तो देखा कि विशाल मुगल साम्राज्य का प्रभुत्व भारत पर था, जिसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में विजेता बाबर ने की थी और जो अब उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग पर शासन करता था।

1613 में मुगल बादशाह जहांगीर ने अंग्रेजों को गुजरात के सूरत में एक व्यापारिक चौकी स्थापित करने की अनुमति दी, जो भारत में अंग्रेजों का पहला पैर जमाने का स्थान बना। अगली शताब्दी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अतिरिक्त व्यापारिक चौकियां स्थापित कीं और धीरे-धीरे पूरे उपमहाद्वीप में अपना आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाया। 1707 में सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद, मुगल साम्राज्य तेजी से पतन के दौर में प्रवेश कर गया, जिससे मराठों, सिखों और उत्तरी राजपूत सरदारों सहित विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों को अपनी संप्रभुता स्थापित करने का अवसर मिला। 18वीं शताब्दी के मध्य तक, उपमहाद्वीप में एक भी प्रमुख शक्ति नहीं बची थी, जिससे यह क्षेत्र औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील हो गया। 1757 में प्लासी की लड़ाई, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चले सात साल के युद्ध का हिस्सा थी। यह भारत पर ब्रिटिश विजय में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी स्थिति को तेजी से मजबूत किया था और अब देशी शासकों द्वारा इसे एक गंभीर खतरा माना जाता था। बंगाल के नवाब, सिराज-उल-दौला, फ्रांस के साथ गठबंधन के पक्ष में थे। वे पहले कंपनी के व्यापारिक पदों पर हमला कर चुके थे। पर नवाब के सेनापति मीर जाफर ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया, जिससे अंग्रेजों को बंगाल पर नियंत्रण हासिल करने में मदद मिली। मीर जाफर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का नवाब बनाया था। इस महत्वपूर्ण जीत ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एकमात्र व्यापारिक उपस्थिति से एक सैन्य और राजनीतिक शक्ति में बदल दिया। इसके बाद भी बक्सर के युद्ध (1764) के साथ बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में 1799 में बनारस में बाबू जगत सिंह के विद्रोह का सामना पड़ा। सशस्त्र संघर्ष को अंजाम देने के लिए 13 जनवरी 1799 की शाम तक 12,837 सैनिकों की भीड़ जुटाई गयी। ऐसा करने के लिए उपलब्ध समय की कमी को ध्यान में रखते हुए उस दिन इतने सारे व्यक्तियों का जमा हो जाना सराहनीय था। एक पखवाड़े से भी कम समय की तैयारी के आधार पर बनारस शहर और घाटों के लगभग सभी हिस्सों में जमींदारों और उनके लोगों ने इस प्रतिरोध में जिस उत्साह से भागीदारी की थी, वह प्रशंसा का विषय है और हर तरह से कुछ करने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। इस प्रकार प्रतिरोध का यह चरण अच्छी तरह से योजनाबद्ध और संगठित था। इस तथ्य के बावजूद कि अंग्रेजों की सभी गतिविधियों पर संदिग्ध निगाहें थीं।

अंग्रेज पहले से ही जमान शाह के आसन्न आक्रमण के कारण अपनी सभी सैन्य तैयारियों के साथ सतर्क थे। फिर भी उन्हें वास्तव में विद्रोह की रूपरेखा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह स्थापित करता है कि कैसे गुप्त रूप से सुनियोजित और संगठित चीजें उन सभी लोगों द्वारा की जा रही थीं जो इसका हिस्सा थे। एर्स्किन के लिए माधव दास गार्डन पर हमला करना आसान नहीं था, जो अन्ततः पूरे ऑपरेशन में 'सुनियोजित गोलीबारी' का सामना करके एक लम्बी और निरन्तर लड़ाई के बाद ही प्राप्त किया जा सकता था। बार-बार उसे सैनिकों के संगठित दलों के हमलों से निपटना पड़ा। कई मौकों पर वे बहुत करीब से भी टकराये। इस संघर्ष में चार अंग्रेज अधिकारी मारे गये लेकिन साधारण सैनिकों के मारे जाने की संख्या का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। इन मारे गये अंग्रेज अधिकारियों की कब्रें वाराणसी के कैंट क्षेत्र में मकबूल आलम रोड के किनारे इसाइयों के कब्रिस्तान में बनी हुई है। इस कब्रगाह पर मारे गये अंग्रेज अधिकारियों के साथ इनको मारने वाले वजीर अली का भी नाम लिखा है जो जगत सिंह के सहयोगी थे। यह सब उन लोगों की बहादुरी और साहस को दर्शाता है जो अपनी जान की परवाह किये बिना वहां लड़ रहे थे। हालांकि दोनों ओर से कुल कितने लोग मारे गये, अब तक इसका कोई प्रमाणिक विवरण नहीं मिल पाया है। इस बारे में अनुमान है कि हजारों लोग मारे गये होंगे। गोला-बारूद और तोपखाने के कारण अंग्रेज भाग्यशाली रहे और बाबू जगत सिंह और वजीर अली की ओर से तोपखाने की अनुपस्थिति उनकी हार का कारण बनी। प्रतिरोध की विफलता का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण इसका त्वरित दमन था जो बनारस के आसपास के क्षेत्र में तैनात तोपखाने और भारी गोला-बारूद से लैस एक बड़ी सेना की उपस्थिति के कारण संभव था। विद्रोहियों की ओर से भी उनकी प्रगति में बाधा डालने का ध्यान रखा गया था, लेकिन इस काम के लिए नियुक्त किए गए लोग मौके पर अनुपस्थित रहे। उन्होंने अपना काम नहीं किया और अंग्रेजी फौज को कहीं भी आसानी से जाने की सुविधा मिल सकी। विशेष रूप से माधव दास बाग के रास्ते में और इसके ठीक सामने उन्हें गोलीबारी की ताकत और विरोधियों की दृढ़ता का स्वाद चखना पड़ा। अगर यह सेना वहां तैनात नहीं होती, तो इस बात की पूरी संभावना थी कि अंग्रेजों के लिए प्रतिरोध के प्रसार को और अधिक खतरनाक स्तर तक रोकना मुश्किल हो जाता। बहरहाल बाबू जगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा बहादुर सिंह, गजराज सिंह, बीजक सिंह प्रथम, रामदयाल, शिवशरण सिंह, लाल सिंह, शिवदेव सिंह, मिर्जा अली, इमाम अली, मिर्जा बेग, हफीजुल्लाह, खैरउद्दीन बेग, मुराद चैन को भी गिरफ्तार करके उन पर विभिन्न आरोपों का लगातार मुकदमा चलाया गया और सजा दी गयी।

बाबू जगत सिंह को अदालत ने 'सजा-ए-मौत' सुनाई। लेकिन निजाम अदालत ने इस सजा को बदलकर उन्हें आजीवन देश निकाला की सजा दी और इसकी पुष्टि के लिए काउंसिल के उपाध्यक्ष को भेज दिया। बनारस से कलकत्ता आने पर बाबू जगत सिंह को 31 अगस्त 1799 को टाउन मेजर द्वारा फोर्ट विलियम में कैद पर लिया गया। अंग्रेजों को बाबू जगत सिंह से इतना खतरा अनुभव हुआ कि उन्हें भारत के किसी हिस्से में कैद रखना सुरक्षित नहीं लगा। 20 अक्टूबर 1799 को सेंट हेलेना में हिरासन में जीवन की अपनी अंतिम यात्रा के लिए ओस्टरली पर सवार होने के लिए हुगली नदी से जाते समय उन्होंने जहर खा लिया और चल बसे। ऐसा दावा डेविस ने किया था। पर वास्तविकता यह बतायी जाती है कि विदेश की जगह उन्होंने अपने देश की भूमि पर ही देह त्यागने के संकल्प के साथ हुगली नदी में जल समाधि ले ली क्योंकि हिरासत में जहर मिलना संभव नहीं था।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

दिवस विशेष
शिवप्रकाश

हर देशवासी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए 'विकसित भारत'

देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता का उत्सव उत्साह के साथ मना रहा है। 15 अगस्त के अपने प्रथम भाषण में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि भारत पुनः स्वयं को खोज रहा है। उन्होंने कहा था कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हर आंख से आंसू मिटे, भविष्य हमें बुला रहा है, हमें कहां जाना है और हमें क्या करना चाहिए जिससे हम आम आदमी, किसानों और श्रमिकों के लिए स्वतंत्रता और अवसर दे सकें, हम निर्धनता मिटा सकें, एक समृद्ध लोकतांत्रिक प्रगतिशील देश बना सके। कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता, जब तक उसके लोगों की सोच या कर्म संकीर्ण हो। उनके इस भाषण को इतिहास में "नियति से मिलन" नाम से उल्लेखित किया गया। 78 वर्षों की स्वतंत्रता की यात्रा में हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है जो प्रत्येक भारतीय को गर्व करने योग्य है। अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो प्राप्त होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होने तक एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य संपूर्ण देशवासियों को दिया है जो हमें प्राप्त करना है। उस लक्ष्य को उन्होंने "विकसित भारत" के नाम से संबोधित किया है। अमृत काल की इस कालावधि में प्रत्येक भारतीय का एक ही लक्ष्य होना चाहिए "विकसित भारत"। भारत के लाखों-करोड़ों लोगों ने जब अपना संकल्प स्वतंत्रता प्राप्ति बनाया एवं उसकी प्राप्ति के लिए कठोर यातनाएं सही, तब लंबे संघर्ष के बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यह स्वाभिमान ही हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। आज भी 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प "विकसित भारत" बनना चाहिये। भारत एक प्राचीन देश है। हमारी संस्कृति सर्वकल्याणमयी एवं सर्वसमावेशी है। कोरोना काल में विश्व ने उसके दर्शन भी किए हैं। अपनी निष्ठा, समर्पण के कारण अभावयुक्त होने के बाद भी हमारे साथ स्वतंत्र हुए देशों ने आर्थिक क्षेत्र में हमसे अधिक प्रगति की है। हमारे लिए विचारणीय विषय है कि विशाल जनसमूह, प्रचुर भौतिक संसाधन एवं गौरवमय विरासत होने के बाद भी हम उतनी प्रगति नहीं कर पाए, आज भी गरीब की आंखों में आंसू हैं। आजीविका के लिए निर्धारित घंटों में हम वास्तव में कितने घंटे काम करते हैं, इसका विचार करें।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अनेक संबोधनों में स्वास्थ्य के प्रति सचेत करते हुए बढ़ते मोटापे पर चिंता व्यक्त की है। इससे बचने के लिए उन्होंने अपने भोजन में 10 फीसदी तेलीय पदार्थ कम करने का आग्रह भी किया है। आज अनेक सर्वेक्षण बच्चों सहित बड़ी संख्या में गंभीर रोगों के ग्रसित होने का आकलन कर रहे हैं। हम दैनिक व्यायाम, पाचनयुक्त भोजन एवं व्यवस्थित दिनचर्या से इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। दुनिया के अनेक देश अपने देश की गिरती अर्थव्यवस्था से चिंतित हैं। अमेरिका द्वारा भारत पर लगने वाला मनमाना टैरिफ इसका उदाहरण है। हम आर्थिक साम्राज्यवादी शक्तियों से स्वदेशी एवं आत्मनिर्भरता के मंत्र को अपनाकर उन पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। प्रत्येक भाषा का अपना एक भाव जगत है। भारत की प्रत्येक भाषा परस्पर आबद्ध है। उसमें प्रयोग होने वाले मुहावरे, लोकोक्ति एवं कहावतें भी सामान भाव से युक्त है। उच्चारण भिन्न होने के बाद भी भाव एक ही रहता है। गुरुवर रविन्द्र नाथ टैगोर ने कहां था कि "भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं, यह राष्ट्र की चेतना एवं संस्कृति का संवाहक है। उपभोगवादी जीवन शैली के कारण आज हमने पर्यावरण के सम्मुख संकट खड़ा किया है। इसके कारण अन्न, जल, वायु जिस पर हमारा जीवन निर्भर है सभी विषयुक्त बना है। इसी कारण महात्मा गांधी ने कहा था कि "प्रकृति हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है, हमारे लालच की नहीं। हम सादगी युक्त जीवन शैली धारण करें। हमारे देश की विशालता के कारण इसमें विविधताओं का भंडार है। रंग-रूप, खान-पान, भाषा, लिंग, जाति, पूजा-पद्धति, ऊँच-नीच आदि में यह विविधता प्रकट होती है। इसी विविधता को अज्ञानवश कुछ लोग विभेद के रूप में स्थापित करते हैं। हम सभी भारत मां की संतान होने के कारण से एक हैं। किसी भी देश का विकास केवल सरकारों से नहीं, उसके साथ खड़ी संस्कारयुक्त, कर्तव्यनिष्ठ, जागृत जनशक्ति के द्वारा होता है। हमें इस दायित्व बोध से युक्त समाज बनना है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश के विकास के लिए शत-प्रतिशत मतदान करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंच प्रण का पालन करते हुए हमसे यह अपेक्षा की है कि हम सभी भारतवासी "विकसित भारत" के संकल्प में सहायक बनें एवं स्वतंत्रता के इस शुभ अवसर पर इन संकल्पों को हम सभी अपने जीवन का अंग बनाएं।

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

शांति से सभी दुखों को खत्म किया जा सकता है

संकलित
दर्शन

हम स्वयं शांति के सर्वश्रेष्ठ प्रहरी हैं। हमें कोई दूसरा व्यक्ति या वस्तु या स्थान शांति दे सकता है, यह एक काल्पनिक विचार है। हम स्वयं शांति से रह सकते हैं और दूसरों को भी शांतिपूर्वक रख सकते हैं। शांति एक मानवीय गुण तो है ही, लेकिन यह आत्मिक शक्ति है। शांति सभी सुखों की मूल है। इससे सभी वैभव एवं ऐश्वर्य की पूर्ति संभव है। शांति द्वारा सभी दुखों का शमन किया जा सकता है। इससे हर रोग का निदान होता है। शांति का माध्यम सभी समस्याओं का समाधान तैयार करता है। शांति ही देश का निर्माण करती है, वहीं अशांति से देश का पतन आरंभ होता है। शांति और अशांति के बीच समाज, समुदाय, वर्ग, कौम, जाति और संस्थाएं गतिहीन हो जाती हैं। देश की उन्नति, विकास और पुनर्निर्माण के लिए शांति का वातावरण अनिवार्य है। शांति एक शब्द मात्र नहीं है। शांति को मन मंदिर में बसाने वाले लोग देव तुल्य होते हैं। इसलिए स्वयं भी शांति के प्रहरी बनिए और दूसरों को भी शांति दूत बनाइए। यही संसार के मंगल का भेद है। शांति से बड़ी कोई दौलत नहीं है। परिवार में शांति एक वट वृक्ष की तरह है, जिसकी छाया में आनंद की अनुभूति पाई जा सकती है। अशांति कालांतर में अग्नि के समान जीवन के हर अंग को भस्म कर देती है। मानवता का मूल इसी शांति के गर्भ में स्थिर है। यदि जीवन को सुख और वैभव से संपन्न करना हो तो निश्चित ही शांति की पूजा करनी होगी। देश में जन सामान्य को शांति के सूत्र अपनाने चाहिए।

अहंकार का त्याग ही तपस्या का मूलमंत्र

संकलित
प्रेरणा

एक साधु व एक डाकू एक ही दिन मरकर यमलोक पहुंचे धर्मराज उनके कर्मों का लेखा-जोखा खोलकर बैठे थे और उसके हिसाब से उनकी गति का हिसाब करने लगे। धर्मराज ने दोनों से कहाः मैं अवसर देता हूं, कह सकते हो। डाकू अत्यंत विनम्र शब्दों में बोला महाराजः मैंने जीवन भर पापकर्म किए जिसमें केवल पाप ही किया है वह क्या आशा रखे आप जो दंड दें, मुझे स्वीकार है। डाकू के चुप होते ही साधु बोला महाराजः मैंने आजीवन तपस्या और भक्ति की है मैं कभी असत्य के मार्ग पर नहीं चला। धर्मराज ने दोनों की बात सुनी फिर डाकू से कहाः तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम आज से इस साधु की सेवा करो डाकू ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। यमराज की यह आज्ञा सुनकर साधु ने आपत्ति जताते हुए कहाः महाराज! इस पापी के स्पर्श से मैं अपवित्र हो जाऊंगा मेरी तपस्या तथा भक्ति का पुण्य निरर्थक हो जाएगा मेरे पुण्य कर्मों का उचित सम्मान नहीं हो रहा है। धर्मराज को साधु की बात पर बड़ा क्षोभ हुआ वह क्षुब्ध होकर बोलेः निरपराध व्यक्तियों को लूटने और हत्या करने वाला डाकू मर कर इतना विनम्र हो गया कि तुम्हारी सेवा करने को तैयार है। तुम वर्षों के तप के बाद भी अहंकार ग्रस्त ही रहे यह नहीं जान सके कि सब में एक ही आत्मतत्व समाया हुआ है तुम्हारी तपस्या अधूरी और निष्फल रही अतः आज से तुम इस डाकू की सेवा करो, और तप को पूर्ण करो।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

अंतर्मन

आज की पाती

गाजर घास : एक पर्यावरणीय चुनौती

गाजर घास (पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस), जिसे तारा घास के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में यह एक मुख्य और हानिकारक खरपतवार है। हमारे देश में इसका प्रवेश 1950 में अमेरिका और कनाडा से आयातित गेहूं के साथ हुआ था। 1950 के दशक में पुणे और महाराष्ट्र में इसे सबसे पहले देखा गया। बरसात के मौसम में इस घास की प्रचुर मात्रा में वृद्धि होती है, लेकिन यह पौधा हर तरह के वातावरण में तेजी से उठकर फसलों, मनुष्य और पशुओं के लिए एक गंभीर समस्या है। इसे अक्सर खाली पड़ी जमीनों, सड़कों, रेलवे ट्रैक और बंजर भूमि पर देखा जाता है। गाजर घास एलर्जी संबंधित समस्याओं का मुख्य कारण है। इसके सेवन से पशुओं में खुजली और दूध में कड़वापन आ जाता है। इससे निपटने की कारगर विधि यह है कि इसे जड़ से उखाड़ कर नष्ट कर दिया जाए। *- राकेश मिश्रा, कांकेर*

जन्म दिवस विशेष
डॉ. इन्दिरा मिश्र

शिक्षा केवल जानकारी या रोजगार के लिए नहीं

महान योगी श्री अरविन्द ने मुनष्य मात्र की समावनाओं को बड़ी गंभीरता से लिया था। उनकी तमन्ना थी कि बच्चे का पालन बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए। बचपन का समय अथवा विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति को जो परवरिश या संस्कार दिए जाते हैं वे ही उसके चरित्र का निर्धारण करते हैं। शिक्षा विद्यालय जाकर केवल अक्षर ज्ञान, गणित या इतिहास भूगोल विज्ञान जानना ही नहीं है, बल्कि आयु के बढ़ने के साथ-साथ उससे आगे जाकर अपना संतुलन, शिक्षा (आत्मिक और आध्यात्मिक) एवं ज्ञान प्राप्त करना भी है, जो कि व्यक्ति को मानस से एक दर्जा ऊपर उठाकर अति-मानस की श्रेणी में डाल सकता है। श्री मॉं जो श्री अरविन्द की सह-तपस्विनी थी, कहती थीं, कि छात्र ऐसे वीर योद्धा बनें, जो अतीत की जड़ता को तोड़ते हुए ऐसे महान युद्ध को लड़ सकें जिसमें नवीन चीजें अभिव्यक्त हों, और वह उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार हो सकें। वे अपनी मनोमयी चेतना और अज्ञान की दासता से ऊपर उठ सके।

अच्छा शिक्षक और अच्छे माता-पिता मिलकर एक अच्छा छात्र बनाने की संभावना रखते हैं। अच्छे माता- पिता के लिए जरूरी है कि वे बालक को अपने निर्देशन में पालें। उसे कभी भी अपने सेवकों के भरोसे न छोड़ें अन्यथा सेवक लोग उन्हें अपनी ही तरह की मनोवृत्ति में ढाल देंगे। एक अच्छा शिक्षक वह होता है, जो जिस चीज की शिक्षा छात्र को दे रहा है, वैसा स्वयं भी हो। उसे अपनी वाणी, विचारों और कामो में यह बात स्मरण रखनी चाहिए। स्मरणीय तथ्य है कि एक अच्छे शिक्षक को छोटे बच्चों के साथ बहुत धीरज धरना चाहिए और उनके लिए बार-बार बात को दोहराना चाहिए। तरह-तरह से समझाना चाहिए। धीरे-धीरे ही वह उनके मन में प्रवेश करेगी। छात्र के अन्दर काम में नियमित होने की अपेक्षा, बुद्धि और समझाने की क्षमता ज्यादा जरूरी है। स्थिरता बाद में भी आ सकती है। यदि शिक्षक यह आशा करे कि उसके छात्र बहुत शान्त, आज्ञाकारी, आदि होंगे, तो यह सही नहीं है। जरूरी यह है कि छात्र जो कुछ भी कर रहा हो, उसमें शिक्षक द्वारा रस लिया जाए, और उसमें ज्ञान, प्रगति के लिए इच्छा जगाई जाए। स्मरण शक्ति की बजाए उनकी बोध शक्ति बढ़ाई जाए। बचपन में छात्र में यह बोध शक्ति होती है। किन्तु पढ़ाई की रूटीन प्रक्रिया में वह शक्ति समाप्त हो जाती है। चीजों को रटाना एक घटिया प्रवृत्ति है चूंकि जो रटा हुआ है वह कुछ समय बाद भूल जाता है। परन्तु जो समझा गया है, वह कभी नहीं भूलता। यदि शिक्षक छात्र के कौतुहल का समाधानकारक उत्तर न दे सके, तो वह उसे कोई पुस्तकें दे सकता है ताकि छात्र की पढ़ने में रूचि हो जाए और उसकी ज्ञान प्राप्ति का मार्ग खुल जाए।

शिक्षक को छात्रों पर कभी भी गुस्सा नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में पूरी तरह शान्त, स्थिर और अविचल बने रहना चाहिए। एक अच्छे छात्र को नम्र, प्रसन्नवदन और मृदुभाषी होना चाहिए। उसे अपने साथी छात्रों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए और उनकी अच्छे कार्य के लिए प्रशंसा भी करनी चाहिए। उसे किसी छात्र की निंदा में रूचि नहीं लेनी चाहिए। शिक्षक को छात्रों से बढ़कर अपनी योग्यता को बढ़िया दर्शाने की प्रवृत्ति बेकार है। उसे अच्छी तरह जानना है कि उसे क्या पढ़ाना है और अपने छात्रों की आवश्यकताओं को समझना है। बहुत शान्त रहना है। कभी गुस्सा नहीं करना। दूसरों का स्वामी बनने से पहले अपना स्वामी बनना है। बच्चों से मार-पीट नहीं, कभी नहीं, डॉंट डपट नहीं, कभी नहीं, अध्यापक छात्रों का परम मित्र हो। सात वर्ष की अवस्था तक बच्चों को मौज करनी चाहिए। विद्यालय एक खेल हो और वे खेल ही खेल में सीखें। बच्चों को पीटना सख्ती से मना है। हल्का सा घूंसा या मारपीट भी आत्म संयम के अभाव का सूचक है और यह अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों के लिए हानिकारक है। अच्छा छात्र आनन्दी, विनयी, ईमानदार और आज्ञाकारी होता है। यह एक अच्छा खिलाड़ी और शिष्ट होता है। श्री अरविन्द कहते हैं कि संक्षेप में बच्चे को ऐसे सीधे, सरल और सम्मानीय व्यक्ति बनने में सहायता दी जानी चाहिए, जो दिव्य मानव बनने के लिए तैयार हो।

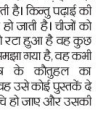

एक उच्चतर जीवन यापन के लिए विद्यालय में अध्यापक और विद्यार्थी, दोनों को प्रगति का अवसर होना चाहिए। हर एक को मुक्त रूप से विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए। मुक्त से तात्पर्य है ऐसी प्रगति जिसका निदेशन अन्तरात्मा करती हो और कल्पित विचार नहीं। अध्यापक को भी शिक्षण पद्धति में अपनी दृष्टि से की गई खोजों को शामिल करना चाहिए। तभी उसमें उसे स्थाई रूचि होगी।

X ट्रेंड f

स्थिति पर कड़ी नज़र

मेरी संवेदनाएँ और प्रार्थनाएं जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने और बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बचाव और राहत कार्य जारी हैं। जरूरतमंदों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

श्रद्धांजलि अर्पित

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने की दुर्भाग्यपूर्ण आपदा में जान गंवाने वाले लोगों को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। इस हादसे में प्रभावित सभी परिवारों और व्यक्तियों की कुशलता एवं सुरक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।
-नायब सिंह सैनी, सीएम, हरियाणा

शिक्षा से ही सशक्तीकरण

शिक्षा ही सशक्तीकरण की नींव बनती है और प्रगतिशील परिवर्तन और विकास की भी। शिक्षा सकारात्मकता को जन्म देती है जिससे सहृदयता और सौहार्द विकसित होता है। शिक्षा के विरोधी स्कूल बंद करके सामाजिक समन्वय का मार्ग अवरुद्ध करते हैं।
-अखिलेश यादव, सांसद, सपा

चुनौतियों का सामना

नायक/नायिका की ताकत हमेशा इस बात से तय होती है कि खलनायक कितना शक्तिशाली है। जीवन में भी आपकी उपलब्धियाँ इस बात से तय होती हैं कि आप कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं।
-शेखर कपूर, फिल्मकार

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

दैनिक जागरण
स्वतंत्रता ही सभी सुखों का आधार है

अब हमारा लक्ष्य हो आर्थिक स्वतंत्रता

राष्ट्रपति की कामना

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सदैव की तरह लोगों को प्रेरित करने वाली बातें करने के साथ विभिन्न क्षेत्रों में हासिल जिन अनेक उपलब्धियों का उल्लेख किया, वे सच में महत्वपूर्ण हैं। ये उपलब्धियां आर्थिक-सामाजिक विकास, जनकल्याण, तकनीक, रक्षा-सुरक्षा आदि क्षेत्र में हासिल की गई हैं, पर राजनीतिक, प्रशासनिक वर्ग और देश को गतिशील रखने वाले सभी लोगों को यह ध्यान रहे कि भारत को वास्तव में विकसित बनाने के लिए जो किया गया है और किया जा रहा है, वह अभी पर्याप्त नहीं। काफी कुछ किया गया तो बहुत कुछ करना शेष है। इस शेष की पूर्ति यथाशीघ्र हो और इसमें सभी का योगदान हो, यह सभी का लक्ष्य होना चाहिए। विकसित भारत की यात्रा में कोई पीछे छूटने न पाए और विकास के लक्ष्यों के साथ देश में हर स्तर पर सद्भाव बना रहे, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐसा करके ही हम हर तरह की चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। इसे हमने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ आपरेशन सिंदूर से सिद्ध भी किया। इस अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई ने आतंक के पोषक पाकिस्तान को पस्त और दुनिया को दंग किया।

राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में सुशासन स्थापित करने के साथ भ्रष्टाचार सहन न करने की महत्ता को रेखांकित किया। सुशासन की दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। आखिर यह सभी राजनीतिक दलों का संयुक्त लक्ष्य क्यों नहीं हो सकता? संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देना तभी उचित है, जब राजनीतिक दल सुशासन को प्राथमिकता दें और विकास एवं जनकल्याण के मामले में संकीर्ण दलगत हित न आड़े आने दें। यह दुर्भाग्य की बात है कि वे न केवल आड़े आ रहे हैं, बल्कि देश की प्रगति में बाधक बनने के साथ भ्रम भी फैला रहे हैं। यह सस्ती राजनीति कम होने के बजाय बढ़ रही है। यह भी गंभीर चिंता की बात है कि शासन-प्रशासन के स्तर पर भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यह सही है कि कई क्षेत्रों में सरकारी कामकाज सुधरा और सुगम हुआ है, लेकिन अनेक क्षेत्रों में वह जस का तस है। ऐसे कई सरकारी काम हैं, जहां भ्रष्टाचार नियंत्रित होने के बजाय बढ़ता और बेलगाम होता दिखता है। यह एक त्रासदी है। यह भी एक विडंबना है कि हर क्षेत्र में सुधार की बातें हो रही हैं और कुछ न कुछ नया होने के साथ आज की जरूरत बन चुकी तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है, लेकिन ठोस एवं प्रभावी न्यायिक सुधारों के लिए देश अभी भी प्रतीक्षारत है। समझना कठिन है क्यों? यह वह प्रश्न है, जिस पर चिंतन-मनन होना ही चाहिए। स्वतंत्रता के राष्ट्रीय पर्व पर ऐसा हो, इस अपेक्षा के साथ शुभकामनाएं।

जांच एवं सजा में तेजी

बिहार में साइबर अपराध से निपटने के लिए पटना एवं राजगीर में एफएसएल (विधि विज्ञान प्रयोगशाला) की स्थापना का लिया गया निर्णय बहुत ही अच्छा और समय की मांग है। तकनीक के इस युग में साइबर अपराधी पूरी दक्षता के साथ अपराध को अंजाम दे रहे। उन्हें पकड़ना और साक्ष्यों के साथ सजा दिलाना बड़ी चुनौती है। साइबर फारेंसिक लैब की स्थापना होने से निश्चित ही इसमें मदद मिलेगी। इससे जांच के साथ साइबर अपराधियों के ट्रायल में तेजी आएगी। उन्हें जल्द सजा मिलेगी तो इस तरह के अपराधों पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी। अभी साइबर अपराध के बाद मामला तो दर्ज हो जाता है, लेकिन तेजी से जांच नहीं हो पाती। इससे पहले से आहत पीड़ित और परेशान होता है। वैसे राज्य सरकार इसे लेकर पहले से ही सजग है। साइबर अपराध में कमी के उद्देश्य से ही दो वर्ष पहले सभी जिलों में साइबर थानों की शुरुआत की गई थी। इससे मदद तो मिल रही, लेकिन यहां कई तरह की कमी है। सबसे बड़ी बात तकनीकी रूप से दक्ष कर्मी नहीं हैं। वे डिजिटल डाटा, जब्त मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट मीडिया पोस्ट सहित अन्य की गहनता से जांच नहीं कर पाते। जांच के दौरान जो सैंपल लिए जाते, उनकी भी समय पर जांच नहीं हो पाती। दो लैब खुलने से इसमें बड़ी मदद मिलेगी। आम लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है।

राज्य में दो जगहों पर एफएसएल की स्थापना से निश्चित रूप से साइबर अपराध की जांच और सजा में तेजी आएगी

गुरमीत सिंह

हम तकनीक में आत्मनिर्भर, अनुसंधान में अग्रणी और रोजगार सृजन में सक्रिय हुए, तो अगले दो दशक हमें वैश्विक नेतृत्व की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर देंगे

भारत ने स्वतंत्रता के 78 वर्षों की यात्रा में अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं। यह यात्रा केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की ही नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भी रही है। अब जब हम 2047 में विकसित भारत बनने का सपना देख रहे हैं, तब यह समझना आवश्यक है कि 'राष्ट्र प्रथम' का संकल्प ही हमें उस स्वर्णिम लक्ष्य तक पहुंचाएगा। आने वाले 21 वर्ष हमें आर्थिक और तकनीकी महाशक्ति बनने का अवसर दे रहे हैं। भारत के विज्ञानियों, इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों ने दशकों से वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। आज भी सफलता की गाथाएं लिखी जा रही हैं। अंतरिक्ष में चंद्रयान-3 और मंगलयान की सफलता, डिजिटल पेमेंट व्यवस्था का अभूतपूर्व विस्तार और वैक्सीन निर्माण में विश्व नेतृत्व हमारी क्षमताओं के प्रमाण हैं।

आज दुनिया में वर्चस्व की लड़ाई युद्धभूमि पर नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, तकनीक और नवाचार के मोर्चे पर हो रही है। डाटा, डिजिटल नेटवर्क और उन्नत तकनीक पर नियंत्रण रखने वाले देश ही आने वाले कल की वैश्विक व्यवस्था तय करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) इस नए समीकरण का केंद्र स्तंभ है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, परिवहन और रक्षा-हर क्षेत्र में बदलाव ला रहा है। एआइ केवल तकनीक नहीं, बल्कि आर्थिक सशक्तीकरण और रणनीतिक क्षमता का आधार है। नैसकाम के अनुसार, 2025 तक एआइ और डाटा भारत की जीडीपी में लगभग 500 अरब डालर का योगदान कर सकते हैं। वर्ल्ड इकोनमिक फोरम का अनुमान है कि 2030 तक एआइ लगभग तीन करोड़ नए रोजगार पैदा कर सकता है। एआइ आधारित विभिन्न तकनीकी अनुप्रयोगों का हर क्षेत्र में आकलन करते हुए उससे अपनी क्षमताओं और उत्पादकता को बढ़ाना जरूरी है। एआइ की मदद से कृषि में पैदावार का पूर्वानुमान, स्वास्थ्य में त्वरित निदान, शिक्षा में व्यक्तिगत मार्गदर्शन, आपदा प्रबंधन में सटीक योजना बनाकर हम इन क्षेत्रों में उत्पादकता और रोजगार बढ़ा सकते हैं। केवल तकनीक का उपभोग करना पर्याप्त नहीं होगा। हमें एआइ एल्गोरिदम, भाषाई माडल और हार्डवेयर समाधान भी खुद विकसित करने होंगे। यह हमारे डिजिटल स्वदेशी आंदोलन की मजबूती के लिए भी अति आवश्यक है। आज स्वदेशी का दायरा केवल कपड़ों या कृषि तक सीमित नहीं है। डिजिटल युग में इसका मतलब है- डाटा, साफ्टवेयर और हार्डवेयर पर आत्मनिर्भरता। सरकार के अनुसार, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय आय का 11.7 प्रतिशत थी और 2030 तक यह 20 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। यह कृषि और विनिर्माण से भी बड़ी शक्ति बन सकती है, बशर्ते हम तकनीकी नेतृत्व अपने हाथ में रखें।

अवधेश राजपूत

भारत एआइ, बायोटेक्नोलाजी, ग्रीन एनर्जी के साथ-साथ अब क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कदम रख रहा है। भारत ने 'नेशनल क्वांटम मिशन' की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य 2031 तक क्वांटम तकनीक में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करना है। इस दिशा में चल रहे शोध एवं स्टार्टअप आने वाले वर्षों में डिजिटल और राष्ट्रीय सुरक्षा, नवाचार और औद्योगिक स्वावलंबन के नए द्वार खोल सकते हैं। आज का वैश्विक परिदृश्य भी हमें इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का संकेत देता है। ऊर्जा संकट, पर्यावरणीय चुनौतियां, आर्थिक अस्थिरता और सुरक्षा संबंधी खतरे से निपटना अब विश्व स्तर पर अनिवार्य हो चुका है। इन जटिल परिस्थितियों में आत्मनिर्भरता केवल एक आर्थिक नीति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता का भी आधार है। भारत अपनी प्राचीन सभ्यता, लोकतांत्रिक मूल्यों और सांस्कृतिक विविधता के आधार पर टिकाऊ और समावेशी विकास माडल पेश कर सकता है।

भारत के पास आज दुनिया का सबसे बड़ा युवा कार्यबल है। हमारे पास कामकाजी उम्र के लोगों की संख्या इतनी अधिक है कि यदि उन्हें सही दिशा, शिक्षा और अवसर मिले, तो वे देश की आर्थिक प्रगति को अभूतपूर्व गति दे सकते हैं। भारत इंटरनेट पर एआइ सीखने वाले छात्रों और पेशेवरों की संख्या में दुनिया में सबसे आगे है। यानी रुचि और उत्साह प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन सीखने की संख्या के बावजूद कौशल और दक्षता के स्तर में अभी अंतर है। इसका मतलब है कि जो सीखा जा रहा है, उसे गहराई से समझने और व्यावहारिक रूप से लागू करने की क्षमता में और सुधार की आवश्यकता है। यदि हम इस अंतर को भरने में सफल हुए, तो यह युवा शक्ति न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व के लिए तकनीकी समाधान तैयार कर सकती है। भारत का लक्ष्य केवल तकनीकी उत्पादों और सेवाओं का आयात या उपभोग नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वयं को तकनीकी निर्माता, नवप्रवर्तक और वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करना होना चाहिए। यह तभी संभव है, जब हम सभी तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और उद्यमशीलता को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में अंगीकार करें। इसके लिए शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों को ऐसा माहौल और संसाधन प्रदान करने होंगे, जहां उन्हें प्रयोग, नवाचार और अगली पीढ़ी की तकनीकों के विकास का पूरा अवसर मिले। सरकार, उद्योग और अकादमिक जगत मिलकर ऐसा माहौल तैयार करें, जो तकनीकी कौशल विकास, स्टार्टअप समर्थन और रोजगार सृजन के अनुकूल हो। स्पष्ट है कि 2047 का भारत आज के निर्णयों से आकार लेगा। अगर हम तकनीकी आत्मनिर्भरता, अनुसंधान और रोजगार सृजन में सक्रिय हुए, तो अगले दो दशक हमें वैश्विक नेतृत्व की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर देंगे।

हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें जो स्वतंत्रता दी, हम उसका उत्तरोत्तर विस्तार करते हुए आर्थिक और तकनीकी स्वतंत्रता को उतनी ही दृढ़ता से हासिल करें। यही डिजिटल स्वदेशी का सार है, यही विकसित भारत का पथ है और यही वह विरासत होगी, जो हम आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंपेंगे।

(लेखक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं)

response@jagran.com

आखिरकार जाग उठा भारत

गिरीश्वर मिश्र

आज का भारत यह अनुभव कर रहा है कि पश्चिम से उधार ली गई प्रगति की परिभाषा हमारा भला नहीं कर सकेगी

पराधीन रहते हुए भारत ने लगभग आठ सौ वर्ष की लंबी अवधि तक अनेकानेक कष्ट सहे और यातनाएं झेलीं। भारत की पहचान बदलने के लिए न सिर्फ नाम ही बदला गया, पहले हिंदुस्थान फिर इंडिया, बल्कि उसके मानस, संस्थाओं और संस्कार सबको नए सांचे में ढालते रहने की कोशिश जारी रही। तरह-तरह के शोषण द्वारा विदेशी आक्रांताओं ने भारत को विपन्न बनाने की लगातार कोशिश की। अंग्रेजों ने उपनिवेश बनाकर हद ही कर दी। उन्होंने भारत का भरपूर दोहन किया और शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने ही देश में खुद को अस्वीकृत और हाशिए पर भेज कर अप्रासंगिक बनाए जाने की असह्य पीड़ा ने भारतीयों को स्वाधीनता संग्राम के लिए तैयार किया। यह भारत की अदम्य जिजीविषा ही थी जो जननी और जन्मभूमि से जुड़ाव के साथ लगभग सात हजार वर्षों से भारत की सभ्यता को निरंतर प्रवहमान किए हुए थी। इसी क्रम में राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत भारतीयों में अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होकर देश में स्वराज्य स्थापित करने की तीव्र अभिलाषा जगी।

इस दौर में वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियों ने भी साथ दिया। कई तरह के राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बीच चले संघर्ष के फलस्वरूप देश को 1947 में अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता की प्राप्ति राष्ट्रीय जीवन में एक प्रस्थान बिंदु होना चाहिए था, जहां से स्वदेशी कल्पनाओं वाली संकल्पना वाले भारत का सृजन शुरू होता, पर नियति ऐसी कि स्वतंत्रता भारत को खंडित करके दी गई। विभाजन एक भीषण हिंसक मानवीय त्रासदी बन गया, जिसके प्रत्यक्ष और परोक्ष परिणाम दूरगामी प्रभाव वाले साबित हुए। स्वतंत्र देश की बागडोर जिन हाथों में सौंपी गई, उनमें जनता ने भलीभांति एक लंबे अर्से तक अविचल निष्ठा के साथ अपना असंदिग्ध भरोसा जताया था। बीता समय साक्षी है कि उनका सोच, योजना और योजना के कार्यान्वयन की राह स्वराज और स्वदेशी के भारतीय सपनों से कदाचित दूर होती गई। हम सर्वोदय के लक्ष्य के ज्यादा करीब नहीं पहुंच सके। कुछ बदलाव जरूर आए और उनके कुछ अच्छे परिणाम भी हुए, परंतु आत्मनिर्भरता, उन्नति और

अदम्य जिजीविषा से प्रगति पथ पर अग्रसर देश। प्रेट्र

एकजुट होकर देश के कल्याण की कोशिश मद्धम पड़ गई। उसकी जगह विश्वयारी की बतकही में शामिल होते हुए समग्र भारत की प्रगति का प्रश्न दृष्टि से ओझल होता गया। गरीबी, अस्वास्थ्य, अशिक्षा दूर करने में अधिक प्रगति न हो सकी और सामाजिक मूल्यों का क्षरण बढ़ता गया। आत्मलीन और संकुचित दृष्टि ऐसी पसरी कि देश के युवा प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी को स्वीकार करना पड़ा कि सौ पैसे में से पंद्रह पैसे ही अपने लक्ष्य तक पहुंच कर वास्तविक हितग्राही को मिल पाता है। शेष को बिचौलिये ही डकार जाते हैं। स्थिति यह हो गई कि सरकार को सोना गिरवी रखना पड़ा।

इसके बाद आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हुआ। साथ ही घोटालों और भ्रष्टाचार के मामले भी बढ़े। इस जटिल पृष्ठभूमि में हुए 2014 के लोकसभा के चुनाव बड़े निर्णायक साबित हुए। जनता परिवर्तन चाहती थी और स्पष्ट बहुमत से भाजपा को शासन की जिम्मेदारी सौंपी। तब से लगातार आधार-संरचना, उत्पादन, निवेश और निर्यात आदि विभिन्न मोर्चों पर कमर कसी गई। तकनीकी प्रगति पर जोर दिया गया। योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का प्रयास तेज किया गया। भ्रष्टाचार पर लगाम कसी गई। शिक्षा, कानून आदि के क्षेत्रों में कुछ जमीनी सुधार भी शुरू हुए। बाद के दो चुनावों में भी भाजपा सरकार बनाने में सफल हुई, यद्यपि पिछले चुनाव में समर्थन कुछ कम मिला।

देश ने अमृतकाल की यात्रा शुरू की है। स्वतंत्र भारत 2047 में शताब्दी मनाएगा। नया भारत अपने लिए नए मार्ग बना रहा है। दुर्भाग्य से भारत के पड़ोसी देशों के हालात टूटने बिखरने से अस्थिरता वाले हो गए और लोकतांत्रिक गतिविधियां कमजोर पड़ती गईं और अराजक प्रवृत्तियां जोर पकड़ने लगीं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन की सीमाएं सतत चुनौती बनती रहीं और उनकी ओर से घुसपैठ, आतंक और अवांछित सैन्य कारवाई को अंजाम भी दिया जाता रहा है। इसलिए सामरिक तैयारी जरूरी हो रही है।

यह ठीक नहीं कि आंतरिक राजनीतिक परिवेश में तुष्टीकरण का बोलबाला हो रहा है। झूठ और फरेब भी बढ़ा है जिसके चलते अब नेताओं पर भरोसा करना कठिन हो रहा है। लोकतंत्र में क्षेत्रीय, भाषाई, जातीय और दलगत विविधता को संभालना आज एक बड़ी चुनौती सिद्ध हो रही है। ऐसे में धनबल और बाहुबल का असर बढ़ा है और अवांछित लोगों को भी राजनीति में प्रवेश मिलने लगा है। लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं को सुदृढ़ करना ही एकमात्र विकल्प है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशाल जनसंख्या के हिसाब से प्रभावी कदम उठाने होंगे। तभी यह युवा देश उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ सकेगा। भारत देश की जिजीविषा अप्रतिम है। विभिन्न बाधाओं से जूझते हुए आगे बढ़ता भारत स्वायत्त देश है। वह आज किसी अन्य देश के प्रति समर्पित नहीं है। भारत जग रहा है और यह अनुभव कर रहा है कि प्रगति की परिभाषा पश्चिम से उधार लेकर भला नहीं कर सकेगी। पश्चिम जैसा ही बनना भारत की नियति नहीं हो सकता। इस प्राचीनतम सभ्यता का विशाल लोकतांत्रिक कारवां पश्चिम से पुष्टि नहीं चाहता। गरिमा के साथ स्वावलंबन, स्वायत्त व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण जीवन ही उसका ध्येय हो सकता है। स्वदेशी से ही स्वराज सही अर्थों में स्थापित होगा।

(लेखक पूर्व कुलपति हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

स्वतंत्रता

स्वतंत्रता का अधिकार मानवता का मूल है, जो स्वतंत्र जीवन का प्रतीक है। यह प्राकृतिक है कि हर प्राणी स्वतंत्रता की आकांक्षा करता है, क्योंकि स्वतंत्रता से ही जगत का कल्याण और पृथ्वी का प्रगति संभव है। स्वतंत्रता ने विश्व का उत्थान किया है और समस्त वैभव तथा ऐश्वर्य का कारण भी यही है। लोकों में व्याप्त सुख और शांति का परिणाम भी स्वतंत्रता है। सभी मानवीय शक्तियों का विकास स्वतंत्रता से ही संभव है, इसलिए इसे परम शक्ति माना जाता है। स्वतंत्रता प्रकृति की पुत्री और देवी स्वरूपा है, जिसकी वीर जन आराधना करते हैं।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

स्वतंत्रता का महत्व विचार की स्वतंत्रता से लेकर देश की स्वतंत्रता तक फैला हुआ है और इसके मूल में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह है। जैसे शरीर का महत्व है, उससे अधिक महत्वपूर्ण उसकी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता की देवी का पृथ्वी पर अटल साम्राज्य है। जहां स्वतंत्रता का अपमान होता है, वहां सुख और शांति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। स्वतंत्रता शांति की भी जननी है। यह लोकतंत्र या राजतंत्र में भेद नहीं करती। किसी भी तंत्र में स्वतंत्रता सर्वोपरि होनी चाहिए।

यदि लोकतंत्र में स्वतंत्रता को नीचा दिखाया गया, तो सुख, समृद्धि और शांति का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। स्वतंत्रता सार्वभौमिक, सर्वव्यापी और सर्वकालिक है। यह व्यक्ति की सुरक्षा, स्वाभिमान और सम्मान की सूचक है। स्वतंत्रता हम सबकी अस्मिता है, लोकतंत्र का आत्मा, गणतंत्र की चेतना और राष्ट्र की प्राणवायु है। भले ही स्वतंत्रता की देवी की कोई मूर्ति न हो, चित्र न लगे हों या मंदिर न बने हों, फिर भी इसका अमरत्व पृथ्वी के समान है। स्वतंत्रता का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम इसे सहेजें और इसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें। स्वतंत्रता का सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है, ताकि हम एक सुखद और समृद्ध समाज की ओर बढ़ सकें।

डा. राघवेंद्र शुक्ल

स्वदेशी अपनाने की विकसित हो संस्कृति

डा. मोनिका शर्मा

आर्थिक विकास की यह यात्रा तब तक अधूरी है, जब तक हर नागरिक, व्यापारी और नेता 'लोकल फार वोकल' के मंत्र को आत्मसात नहीं करता

बीते दिनों अमेरिका ने भारत समेत 70 देशों के निर्यात पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की। इस संदर्भ में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 25 प्रतिशत टैरिफ पर चर्चा जारी है। इस बीच स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने का रुख भी तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से 'स्वदेशी का संकल्प' लेने और 'मेक इन इंडिया' उत्पादों को अपनाने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि "भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, तो देशवासियों को स्वदेशी उत्पादों का समर्थन करना होगा। आर्थिक विकास की यह यात्रा तब तक अधूरी है, जब तक हर नागरिक, व्यापारी और नेता 'लोकल फार वोकल' के मंत्र को आत्मसात नहीं करता।"

स्वदेशी उत्पादों की खरीद का केवल आर्थिक पक्ष नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने से भी जुड़ा है। अधिकांश परंपरागत उत्पाद भारत के किसी न किसी हिस्से की सांस्कृतिक थाती का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने देश में बने सामान न केवल परंपरागत कलाओं को सहेजते हैं, बल्कि इनका उपयोग हमारे हस्तशिल्प को भी बढ़ावा देता है। दूर-दराज के क्षेत्रों में बसे लोगों को रोजगार मिलता है। स्वदेशी उत्पादों का उपयोग हर नागरिक को अपने आंगन से और गहराई से जोड़ता है। इसके साथ ही, स्थानीय उत्पादों की खपत स्थानीय उद्योगों के विकास को भी बल देती है। यह समझना कठिन नहीं है कि आर्थिक बेहतरी से जुड़ा यह पक्ष हमारी सांस्कृतिक विरासत के रंगों को पोसने वाला भी है।

भारत में आजादी के संग्राम से ही स्वदेशी सामानों की खरीद की वकालत की जाती रही है। पिछले कुछ वर्षों से चल रही 'वोकल फार लोकल' की मुहिम ने देश में बने उत्पादों के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। इसने नागरिकों में एक दायित्व बोध का भाव भी उत्पन्न किया है। वोकल फार लोकल के अभियान से न केवल स्वदेशी सामानों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, बल्कि तकनीक के चलते कई शिल्पकार स्थानीय बाजार के अलावा आनलाइन बाजार में भी सामान उपलब्ध करवा रहे हैं। भारत ही नहीं, विदेश में बसे उपभोक्ता भी देश के हर हिस्से की कलात्मक चीजें खरीद सकते हैं।

परंपरागत व्यवसाय की संस्कृति वाले हमारे देश में यह स्थिति रोजगार, कला, श्रम के सम्मान और सामाजिक-आर्थिक समानता से जुड़े हर पक्ष पर परिवर्तन लाने वाली है। निःसंदेह स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत के लिए संजीवनी के समान है। ऐसे में स्वदेशी सामानों की खरीद किसी क्षेत्र में विशेष कौशल रखने वाले कारीगरों के श्रम को सम्मान देने और अनमोल विरासत को बचाने वाला कदम भी है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

विभाजनकारी मानसिकता

'आंसू छलकाने वाली विभाजन की त्रासदी' शीर्षक से डा. केएल जुनेजा ने अपने अनुभव साझा करते हुए यह स्पष्ट किया है कि देश की आजादी की लड़ाई का श्रेय उन लाखों-करोड़ों लोगों को जाता है, जिनके बलिदान को नई पीढ़ी भुला चुकी है। इनमें वे लाखों परिवार भी शामिल हैं, जिन्होंने भारत विभाजन की विभीषिका झेली और बिखर गए, लेकिन जिन्होंने अपनी मेहनत से जीवन को पुनः संवारने में सफलता प्राप्त की। यह भारत के सहिष्णु समाज की एक झलक है और अवसर की समानता का प्रतीक है। लेखक, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झंग जिले के निवासी थे, अपने साथ केवल तन और मन लेकर आए। ऐसे लाखों लोग थे जो दर-बदर हुए। यह अत्यंत दुखद है कि जब स्वतंत्रता की तैयारी चल रही थी, तब लाखों परिवार कुछ स्वार्थी तत्वों के कारण अपनी जड़ों से कट गए। आज भी यह सवाल उठता है कि क्या हम विभाजनकारी मानसिकता को समाप्त कर पाए हैं? क्या यह मानसिकता स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हमारे श्रद्धेय नेताओं की गलतियों का परिणाम नहीं है? वर्तमान में तुष्टीकरण की राजनीति में कुछ लोग एक-दूसरे को समकक्ष मानने के बजाय विशिष्ट नागरिक का दर्जा चाहते हैं। विभाजन पर अनेक साहित्यिक रचनाएं हुई हैं और नई पीढ़ी को पाठ्यक्रमों के माध्यम से इससे अवगत कराने की आवश्यकता है, ताकि विभाजनकारी मानसिकता पुनः सिर न उठा सके। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर यह संकल्प लेना आवश्यक है।

मुकेश, पटना

मेलबाक्स

आजादी का उद्देश्य समझें

15 अगस्त, 1947 को भारत ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाई। यह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि आत्मनिर्णय, स्वाभिमान और सामाजिक पुनर्निर्माण का आरंभ था। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के बलिदान ने यह दिन संभव बनाया। लेकिन 78 वर्षों बाद प्रश्न उठता है-क्या हम उस स्वतंत्रता के मूल उद्देश्य को साकार कर पाए हैं? आज भारत दुनिया में तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास रिपोर्ट 2024 में हम 134वें स्थान पर हैं। आर्थिक वृद्धि के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता में असमानताएं स्पष्ट हैं। यह दर्शाता है कि विकास केवल जीडीपी की रफ्तार से नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता से आंका जाना चाहिए। इतिहास बताता है कि स्वतंत्रता तभी सार्थक होती है, जब उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। संविधान ने हमें लोकतांत्रिक अधिकार दिए, पर लोकतंत्र केवल मतदान नहीं-यह निरंतर नागरिक भागीदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करता है। भ्रष्टाचार, राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक विभाजन अब भी हमारी प्रगति को सीमित कर रहे हैं। युवा भारत को समझना होगा कि भविष्य केवल स्टार्टअप या टेक्नोलाजी से नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण शासन, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक सहिष्णुता से बनेगा। जैसे पतंग तभी ऊंची उड़ती है जब डोर मजबूत हो, वैसे ही राष्ट्र तभी ऊंचाई पाता है जब उसकी नैतिक और संवैधानिक डोर अटूट रहे। 15 अगस्त हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं, बल्कि प्रतिदिन निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है, ताकि 2047 में भारत केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि सर्वसमावेशी और न्यायपूर्ण राष्ट्र बने।

अवनीश कुमार गुप्ता, नई दिल्ली

तेजी से बढ़ता भारत

आज भारत एक सशक्त और विकसित राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए अग्रसर है। हम सभी के एकजुटता और प्रयासों ने भारत को विश्व में एक अलग पहचान दिलाई है और इसके लिए और भी अधिक प्रयास करने की जरूरत है। भारत का बुलंदियों के तरफ आगे बढ़ना हमें अहसास दिलाता है कि भारत के अंदर समावेशी विकास, डिजिटल विकास, सशक्तीकरण तथा कल्याणकारी व्यवस्था की जड़ें काफी अधिक मजबूत हो चुकी हैं। देश के समायोजित विकास ने एक बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेलः response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****